राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 9] बारहवीं विधान सभा के नवम् सत्र का अड़तीसवां दिवस [संख्या : 24

बुधवार;

26 मार्च, 2008

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00बजे
विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी अपने वड्‌र्स पर कायम रहे नहीं और जिन लोगों ने जिन्दगी में वार्ड पंच का चुनाव नहीं जीता (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या कह रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): यह क्या तरीका है, आपके बोलने का? कैसे बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कुछ भी अंकित नहीं हो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये, माननीय सदस्य। कुछ भी अंकित नहीं होगा। आप बैठिये। मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, आपका कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, माननीय बैठिये आप, स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर):×××

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री हीरालाल (निवाई):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

डा. ओ.पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक):×××

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम):×××

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये। माननीय सदस्य, बैठिये। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

डा. ओ.पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक):×××

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क):×××

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी):×××

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये माननीय सदस्य। (व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री लालचन्द कटारिया सदन कूप में)

तारांकित प्रश्नोतर

(प्रश्न पुकारा नहीं गया)

शिक्षा मंत्री (**श्री कालीचरण सर्राफ**): (1) जयपुर जिले में निम्नानुसार राजकीय/निजी बी.एड. एवं एस.टी.सी. महाविद्यालय/विद्यालय/संस्थान संचालित हैं:-

क्रम संख्या	**महाविद्यालय/विद्यालय/संस्थान**	**संख्या**
1.	राजकीय बी.एड.	00
2.	गैर राजकीय बी.एड.	93
3.	गैर राजकीय शिक्षा-शास्त्री	09
4.	राजकीय एस.टी.सी. (सामान्य)	01
5.	गैर राजकीय एस.टी.सी. (सामान्य)	32
6.	राजकीय एस.टी.सी. (संस्कृत)	01
7.	गैर राजकीय एस.टी.सी. (संस्कृत)	05

स्थानवार सूची परिशिष्ट 'क' में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) बी.एड/एस.टी.सी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आशार्थियों को नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा मनोनीत समन्वयक, संस्था को आवेदन करना होता है। समन्वयक, संस्था द्वारा पूर्व प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों एवं निर्धारित नियमों के आधार पर मैरिट तैयार कर घोषित की जाती है। तत्पश्चात् काउंसलिंग में उपस्थित आशार्थियों को उनकी मांग एवं सीट की उपलब्धता के अनुसार प्रवेश हेतु महाविद्यालय/विद्यालय/संस्थान आबंटित किया जाता है।

(3) पंजाब में निजी महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रबन्धन कोटा निर्धारित है। हरियाणा एवं जम्मू कश्मीर में निजी महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रबन्धन कोटे के क्रियान्वयन की जानकारी उपलब्ध नहीं है। राज्य में बी.एड. एवं एस.टी.सी. पाठ्यक्रमों में प्रबन्धन कोटा व्यवस्था लागू करना विचाराधीन है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बैठिये माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप स्थान

(श्री उपाध्यक्ष)

ग्रहण कीजिए। स्थान ग्रहण कीजिए। कोई खास बात हो तो बोलने का समय आपको दिया जाएगा। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़):×××

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण):×××

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्नकाल शांतिपूर्वक चलने दीजिए। मैंने प्रश्न पुकारा (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठिये, मैंने प्रश्न पुकारा ही नहीं। बैठिये। प्रश्न ही नहीं पुकारा, क्यों खड़े हो रहे हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए। आप स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य, प्रश्नकाल चलने दीजिए। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा वैल में नारेबाजी)

(भारी शोरगुल एवं व्यवधान)

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम):×××

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी):×××

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़):×××

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना):×××

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा):×××

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क):×××

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा वैल में नारेबाजी)

(भारी शोरगुल एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्नकाल चलने दीजिये। (व्यवधान) श्री बीरूसिंह राठौड़।

राष्ट्रीय वनीकरण योजनान्तर्गत गठित वन विकास अभिकरण

400. **प्रो. बीरूसिंह राठौड़** (बनीपार्क): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वर्ष 2003 तक कितना वनाच्छादित क्षेत्र था और दिसम्बर, 2007 तक कितना वनाच्छादित है?

(2) सरकार द्वारा वन क्षेत्रों के विस्तार के लिये राष्ट्रीय वनीकरण योजना के अन्तर्गत कितने वन विकास अभिकरण किन-किन जिलों में बनाये गये? इन अभिकरणों की कार्य प्रणाली क्या है और इन्हें कितना-कितना वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराया गया? इन अभिकरणों के गठन से अब तक वन विकास के क्या-क्या कार्य किये गये?

वन एवं पर्यावरण मंत्री (**श्री प्रताप सिंह सिंघवी**): (1) भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा प्रकाशित "स्टेट ऑफ फोरेस्ट रिपोर्टद्ध 2003, जिसमें अक्टूबर-दिसम्बर, 2002 की स्थिति के आंकड़े संकलित हैं, के अनुसार राज्य में 15,821 वर्ग किलोमीटर वनाच्छादित क्षेत्र था। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट 2005 (अक्टूबर-दिसम्बर, 2004 की स्थिति अनुसार) राजस्थान में वनाच्छादित क्षेत्र 15,850 वर्ग किलोमीटर आंकी गई है। दिसम्बर, 2007 की रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा अभी जारी नहीं की गई है।

(2) राज्य में वनों के विस्तार हेतु राष्ट्रीय वनीकरण योजना के अन्तर्गत राज्य के सभी 33 जिलों में वन विकास अभिकरण बनाये गये हैं।

वन विकास अभिकरण द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार) के क्रियान्वयन के लिये जारी संचालन मार्गदर्शिका एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी परिपत्रों के तहत सम्पादित किये जाते हैं।

इन वन विकास अभिकरणों को वर्ष 2001-02 से वर्ष 2007-08 के मध्य 28.89 करोड़ रुपये के वित्तीय संसाधन केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं। इन अभिकरणों द्वारा वर्ष 2007-08 तक 25,155 हैक्टेयर परिभ्रांषित वन क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य कराया गया है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा वैल में नारेबाजी)

(भारी शोरगुल एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्नकाल शांतिपूर्वक चलने दीजिये। आप बैठिये माननीय सदस्य। (व्यवधान) प्रश्नकाल शांति से चलने दीजिये, फिर आपकी हर बात सुनी जायेगी। (व्यवधान) प्रश्नकाल चलने दीजिये शांतिपूर्वक। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा वैल में नारेबाजी)

(भारी शोरगुल एवं व्यवधान)

नहीं चलने देंगे तो मर्जी आपकी। (व्यवधान)

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): माननीय मंत्रीजी, मैं आपके उत्तर से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की बैठक 12.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.14 बजे 12.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

(शेष तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तरों तथा अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया पृष्ठ संख्या-119 पर आगे देखें)

(समय : 12.00 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़, सभापति, पदासीन)

अनेक माननीय सदस्य: राम राम सा, राम राम सा।

श्री सभापति: राम राम सा, राम राम सा।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

विधान सभा की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.01 बजे, एक घंटे तक के लिए स्थगित हुई)

(समय : 13.01 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

व्यवस्था

जिला प्रभारी के रूप में विधायकों की नियुक्ति

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है ...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): पहले आप उस पर कमेंट...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पहले स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था फरमा दें। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं, यह कैसे होगा, यह क्या है, बिलकुल नहीं, राजेन्द्रजी...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): राजेन्द्रजी, स्पीकर साहब के विवेक पर छोड़िये, वह कुछ कहना चाहती हैं...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): Not at all ...(व्यवधान) Not at all. Rajendraji don't go to this.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वह खड़े हो गये... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पहले कह देती हूं क्या बात है। जिस इश्यू को लेकर, प्रतिपक्ष ने जो इश्यू उठाया और जिसको लेकर दो बार हमें यहां की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी उस बारे में मुझे प्रतिपक्ष को यह आश्वस्त करना है कि राय ले ली जाएगी एडवोकेट जनरल की और एडवोकेट जनरल की राय सात दिन में आ जाएगी, उसके बाद उनकी राय के मुताबिक इस बारे में फैसला कर लिया जाएगा।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल, सदस्य की ओर से पुलिस द्वारा दुर्भावना से बेगुनाह लोगों पर झूठे आरोप लगाकर जेल में भेजने के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती ममता शर्मा, सदस्य की ओर से ग्राम पंचायत जवाहर सागर की भूमि वन विभाग से लेकर पंचायत समिति के अधीन करने के संबंध में।

(3) श्री हरिमोहन शर्मा एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से बूंदी सर्किट हाउस भवन की भूमि एक निजी स्मृति सेवा संस्थान को नि:शुल्क आबंटित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री प्रहलाद गुंजल एवं एक अन्य सदस्य की ओर से राज्य की पुरासम्पदाओं का अवैध बेचान होने के सम्बन्ध में।

(5) श्री खुशवीर सिंह एवं एक अन्य सदस्य की ओर से राज्य के पशुपालकों को अकाल के कारण अन्य राज्यों में निष्क्रमण के दौरान रास्ते में उनके साथ चोरी, लूट आदि की घटना के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर चर्चा की जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(6) डा. श्रीगोपाल बाहेती एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से तीर्थराज पुष्कर में सरोवर में घटते जलस्तर व मछलियों के मरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) डा. चन्द्रशेखर बैद एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में रिफाइनरी लगाने के स्थान पर गुजरात तक पाइप लाइन डालने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री अमराराम धोद एवं एक अन्य सदस्य की ओर से राजस्थान लोक सेवा आयोग से प्रशासनिक सर्विसेज के प्री-टैस्ट में सामान्य वर्ग से पिछड़ा वर्ग की कट आफ मार्क्स अधिक होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री जुबेर खान, सदस्य की ओर से राज्य के अनेक शहरों में मंदिर माफी की भूमि पर बसी आवासीय कालोनियों को नियमित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) डा. बुलाकीदास कल्ला, सदस्य की ओर से स्वायत्त शासन विभाग द्वारा कच्ची बस्तियों के विकास पर होने वाले व्यय का अन्यत्र उपयोग करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री महीपाल मदेरणा, सदस्य की ओर से बर (पाली) में असामाजिक तत्वों द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाने एवं कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जा सके, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य डा. श्रीगोपाल बाहेती, डा. चन्द्रशेखर बैद, श्री अमराराम धोद, श्री जुबेर खान, डा. बुलाकीदास कल्ला एवं श्री महीपाल मदेरणा को अपने-अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर सिर्फ दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सिर्फ?

श्री अध्यक्ष: सिर्फ। क्योंकि इतने जब बोलेंगे तो फिर तो कैसे काम चलेगा, कम से कम छह सात हैं।

(श्री अध्यक्ष)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख के प्रस्ताव

(1) श्री हीरालाल, सदस्य की ओर से निवाई जामडोली सड़क को चौड़ा करने के संबंध में।

(2) श्री चुन्नीलाल धाकड़, सदस्य की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रावतभाटा में विज्ञान संकाय खोलने के संबंध में।

(3) श्री रामप्रताप कासनिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त होने के संबंध में।

(4) श्री बाबूलाल नागर, सदस्य की ओर से परिवहन विभाग जयपुर में कुछ लिपिकों की जनगणना विभाग से नियुक्ति करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री राकेश मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र परबतसर की ग्राम पंचायत जावला के शहीद अमराराम चौधरी के परिजनों को सहायता राशि व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के संबंध में।

(6) श्रीमती वंदना मीणा, सदस्य की ओर से उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के तीन विद्यालयों में जीव विज्ञान विषय खोलने के संबंध में।

(7) श्री सी. डी. देवल, सदस्य की ओर से राजस्थान पर्यटन विकास निगम की कोटा स्थित इकाई होटल चम्बल को मैसर्स निशा लेजर लिमिटेड को किराये पर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री नरेन्द्र नागर, सदस्य की ओर से शिक्षा विभाग कोटा में शारीरिक शिक्षक ग्रेड-11 की नियुक्ति में अनियमितता के संबंध में।

(9) श्री खुशवीर सिंह, सदस्य की ओर से जाडन पाली स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-14 पर शहीद श्री राजाराम मेघवाल की मूर्ति लगाने के संबंध में।

(10) श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सदस्य की ओर से कनिष्ट लिपिकों के वेतनमान 3050-4590 से बढ़ाकर 4000-6000 रुपये नहीं करने से कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष के संबंध में।

(11) डा. समरजीत सिंह, सदस्य की ओर से सरपंच ग्राम पंचायत लांगडीवास जिला जयपुर द्वारा पूर्व में आबंटित भूखण्डों के दुबारा पट्टे जारी कर अपने रिश्तेदारों को कब्जा करवाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(12) श्री भागीरथ चौधरी, सदस्य की ओर से नगरपालिका किशनगढ़ को नगर परिषद में क्रमोन्नत करने के संबंध में।

(13) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) मण्डोर रोड, जोधपुर में 'ख' वर्ग दलालों हेतु आफिस एवं दलाल संघ कार्यालय हेतु भूखण्ड आबंटित करने के संबंध में।

बारह से ज्यादा कैसे लिखते चले गये आप? कैसे लिख दिये ये आपने 26 हैं?

(14) श्री बहादुर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नोहर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्टाफ की कमी आदि के संबंध में।

(15) श्री हरिश्चन्द्र कुमावत, सदस्य की ओर से कुचामन सिटी कृषि उपज मण्डी में फल सब्जी मण्डी का निर्माण होने पर भी चालू नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(16) श्री हीरालाल मीणा, सदस्य की ओर से माध्यमिक/उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण शेष रहे चुंगी कर्मचारियों की नियुक्ति ग्रामसेवक/पदेन सचिव के पद पर करने के संबंध में।

(17) डा. सुरेश चौधरी, सदस्य की ओर से जिला हनुमानगढ़ की अमरसिंह ब्रांच के काश्तकारों पर नाजायज लगाई गई तावान राशि माफ करने के संबंध में।

(18) श्री अशोक बैरवा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खण्डार के चिन्हित ग्रामों के बी. पी. एल. परिवारों को लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(19) श्रीमती राजकुमारी शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सीकर के ग्राम पिपराली में 132 के. वी. ए. तथा बागाणा जोहडं, दीनारपुरा व तारपुरा में 33 के. वी. ए. वियुत ग्रिड की स्थापना करने के संबंध में।

(20) श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल, सदस्य की ओर से सोजत सिटी में एडिशनल एस. पी. का कार्यालय खोले जाने के संबंध में।

(21) श्री नवरतन राजौरिया, सदस्य की ओर से वैदिक महिला महाविद्यालय, राजापार्क, जयपुर के वर्तमान प्रबंधन द्वारा अनियमितता करने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(22) श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छोटी खाटू तहसील डीडवाना के चीरघर (पोस्टमार्टम रुम) को तोड़कर किये गये अतिक्रमण हटाने के संबंध में।

(23) श्री सांग सिंह भाटी, सदस्य की ओर से ग्राम बडाबरा तहसील डीडवाना के बन्द पड़े कट्टाणी रास्ता खुलवाने के संबंध में।

(24) श्री भरत सिंह, सदस्य की ओर से हाड़ौती सम्भाग में कुछ बैंक अधिकारियों द्वारा ट्रैक्टर डीलरों एवं एजेन्टों की मिलीभगत से किसानों को ऋण जाल में फंसाने की जांच करवाने के संबंध में।

(25) श्री जगसीराम कोली, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर में चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के संबंध में।

(26) श्री सुभाष चन्द्र बहेडिया, सदस्य की ओर से भीलवाड़ा शहर के मध्य से उदयपुर मिनरल प्राइवेट लिमिटेड यूनिट को हटाने के संबंध में।

कमाल कर दिया। आपने तो 40 लिख दिये। नियमों में तो नहीं आता यह सब। कमाल कर दिया। ऐसे कैसे लिख दिया?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आखिरी दिन है। पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष: तो उससे क्या होता है? यह कोई तरीका थोड़े ही है। ऐसे यदि आप नियमों का उल्लंघन करते जाओगे तो काम कैसे चलेगा?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह तो आपकी ही व्यवस्था है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सत्ता पक्ष ने तो नियम तोड़ने का तय कर रखा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह हमारी व्यवस्थाएं नहीं हैं, आसन की व्यवस्थाएं हैं। मैं तो आसन को केवल सहयोग के लिये... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्यों कर दिये थे इतने अलाउ?

(27) डा. जालम सिंह रावलोत, सदस्य की ओर से बाड़मेर एवं जैसलमेर के प्रत्येक राजस्व गांव में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में।

(28) श्री नवनीत लाल नीनामा, सदस्य की ओर से उप स्वास्थ्य केन्द्र सेनावासा तहसील घाटोल को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(29) श्री मोहन मेघवाल, सदस्य की ओर से जोधपुर उपभोक्ता हौलसेल भण्डार में कार्यरत कार्मिकों को पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सुविधाएं एवं वेतन भत्ते प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(30) श्रीमती स्नेहलता, सदस्य की ओर से भवानी मंडी में ए. डी. जे. कोर्ट खोलने के सम्बन्ध में।

(31) श्री कैलाश त्रिवेदी, सदस्य की ओर से नगर विकास न्यास भीलवाड़ा में वंचित रहे पत्रकारों को भूखण्ड आबंटन करने के निर्देश देने के सम्बन्ध में।

(32) श्री हरिमोहन शर्मा, सदस्य की ओर से कृषि उपज मंडी अधिनियम के प्रावधानों में गौशालाओं को सहायता प्रावधान हटाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(33) श्री दाताराम गुर्जर, सदस्य की ओर से खेतड़ी में स्वामी विवेकानन्द स्मारक का निर्माण करने के सम्बन्ध में।

(34) श्री हेमराज मीणा, सदस्य की ओर से संस्कृत शिक्षा विभाग में क्रमोन्नत किये गये आचार्य, शास्त्री, वरिष्ठ उपाध्याय एवं प्रवेशिका विद्यालयों में क्रमोन्नति के फलस्वरूप संदेय स्टाफ की स्वीकृति चालू वर्ष में प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(35) श्री बृजकिशोर शर्मा, सदस्य की ओर से संस्कृत कालेज भवन सालासर के लिये 10 बीघा सिवाय चक भूमि आबंटित करने के सम्बन्ध में।

(36) श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र महुवा (दौसा) हैण्ड पम्प/ट्यूबवैल, जिनमें पानी आना बन्द हो गया है, उन्हें गहरा करवाने के सम्बन्ध में।

(37) श्री कन्हैया लाल पाटीदार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा में लम्बे समय से संचालित बसों को बन्द कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(38) श्री के. डी. बाबर, सदस्य की ओर से जिला सीकर के लोसल स्थित श्री डेडराज खेतान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को महाविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(39) डा. बुलाकीदास कल्ला, सदस्य की ओर से आर यू आई डी पी के अन्तर्गत सभी सम्भागीय मुख्यालयों पर प्रस्तावित कार्य सम्पन्न नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(40) श्री महीपाल मदेरणा, सदस्य की ओर से जोधपुर जिले के 600 गांवों में पानी की किल्लत होने एवं इसके लिये आपातकालीन योजनाएं बनाने के सम्बन्ध में।

चूंकि आज विधायी कार्य भी है और 40 हैं आपके 295, इसलिये माननीय सदस्यों द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ा हुआ मान लिया जायेगा।

(नियम 295 के तहत प्राप्त सूचनाओं के लिए परिशिष्ट-1 देखें)

लेकिन नियमों का इस तरह से उल्लंघन मत किया करो। नियमों का इस तरह से उल्लंघन भी न किया करें।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन यह है कि...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, शुक्रवार को होली के दिन बर के अन्दर सरेआम पुलिस की मौजूदगी में दुकानें जला दी गयीं। माननीय गृह मंत्रीजी ने कल आश्वासन दिया था दो बजे स्टेटमेंट देने का इसलिये इसको आप करायें और...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): डी वाई एस. पी. खड़े थे...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री अध्यक्ष: श्री महीपाल मदेरणा का इस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव है और उन्हें दो मिनट बोलने के लिये अनुमति प्रदान की गयी है, इसलिये स्थान ग्रहण कर लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री अध्यक्ष: डा. श्रीगोपाल बाहेती...(व्यवधान) डा. श्रीगोपाल बाहेती...(व्यवधान) डा. श्रीगोपाल बाहेती...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है...(व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है...(व्यवधान) डा. श्रीगोपाल बाहेती...(व्यवधान) आप अपनी पार्टी के सदस्य को बिठा दें वरना मैं दूसरा नाम पुकार रही हूं। (व्यवधान) डा. श्रीगोपाल बाहेती, या तो आप इन्हें बिठा दें वरना मैं दूसरा नाम पुकार रही हूं...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): मैं कैसे बिठाऊंगा...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री अध्यक्ष: डा. श्रीगोपाल बाहेती...(व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। आप ख्वामखाह में बोल रहे हैं। अंकित ही नहीं हो रहा है...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर):×××

श्री अध्यक्ष: गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर):×××

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर):×××

श्री अध्यक्ष: गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य, मुझे मजबूर न करें। आप स्थान ग्रहण करें। मैंने कहा स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर):×××

श्री अध्यक्ष: गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। नो-नो महोदय। स्थान गहण करें। आई से स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) मैं आपको निवेदन कर रही हूं, स्थान ग्रहण करें। अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर):×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो...(व्यवधान) किसी का भी अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर):×××

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता, आपके सदस्य क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आपके माननीय सदस्य? (व्यवधान) आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। (व्यवधान) एक के बाद एक खड़े हो रहे हैं। बोले जा रहे हैं। मैं कह रही हूं अंकित नहीं हो रहा है...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर):×××

श्री अध्यक्ष: आप कितने टाइम से बैठे हैं? (व्यवधान) प्लीज आप इन्हें कहें, बैठें। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने बोलने के लिये आपसे अनुमति मांगी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको अनुमति अभी नहीं, अभी नहीं। आप पहले शांत करें अपने माननीय सदस्यों को। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): वह शांत हैं आप...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अपने माननीय सदस्यों को शांत करें। बिठाएं स्थान पर उन्हें...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं अपनी बात कह दूं। मुझे दो मिनट बोलने का आप अवसर तो दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप पहले बिठा तो दो उन्हें। आप खुद ही...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): तो बैठे हैं ना। बैठे हैं ना... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कहां बैठे? मैंने नाम पुकारा डा. श्रीगोपाल बाहेती का... (व्यवधान) तो आप आसन की व्यवस्था के विपरीत बोलना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने आपसे अनुमति चाही है। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी):×××

श्री अध्यक्ष: आसन की व्यवस्था के खिलाफ कुछ कहना चाहते हैं आप? तो फिर क्या कह रहे हैं आप? क्या कहना चाहते हैं आप? (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं आसन की व्यवस्था के खिलाफ...(व्यवधान) आप मुझे कहने तो दें पहले। आपको क्या पता मैं आसन की व्यवस्था को चेलेन्ज कर रहा हूं कि दूसरी बात...(व्यवधान) आप मुझे दो मिनट अगर...(व्यवधान) एक मिनट मैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप चूंकि प्रतिपक्ष के नेता हैं, मेरी सदाशयता का आप अनुचित लाभ उठा रहे हैं। मैंने नाम पुकारा है डा. श्रीगोपाल बाहेती का। आज इसलिये मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूं लेकिन जब मैंने नाम पुकार दिया तो उसके बाद बोल दीजियेगा जो कुछ कहना है आपको। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय,... (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष, मैं अब नाम पुकार चुकी हूं। नेता प्रतिपक्ष उसके बाद कुछ कहना चाहें तो अलग बात है। नाम मैंने पुकार लिया डा. श्रीगोपाल बाहेती का। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपने नाम...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप अध्यक्षीय व्यवस्था के खिलाफ कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? (व्यवधान) आप अध्यक्षीय व्यवस्था के खिलाफ कुछ कहना चाह रहे हैं...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपने नाम पुकार लिया... (व्यवधान) मैं अध्यक्षीय व्यवस्था के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: तो फिर क्या कह रहे हैं? (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि कल...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री भंवरू खान (फतेहपुर):×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री अध्यक्ष: माननीय, प्लीज सिट डाउन। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) नेता प्रतिपक्ष को बिठाने का मुझे तो अधिकार था। आसन को तो अधिकार है...(व्यवधान) आपको नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय,... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ओह, आप बिराज तो जाओ ना...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी):×××

श्री अध्यक्ष: अब आप बीच में क्या कह रहे हैं...(व्यवधान) आप अध्यक्षीय व्यवस्था के खिलाफ बोलना चाह रहे हैं क्या...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी):×××

श्री अध्यक्ष: अध्यक्षीय व्यवस्था हो चुकी है, अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री अध्यक्ष: आप सदन का समय जाया कर रहे हैं। (व्यवधान) अध्यक्षीय व्यवस्था को नहीं मान रहे हैं, आप अध्यक्षीय व्यवस्था को नहीं मान रहे हैं...(व्यवधान) सदन का समय जाया कर रहे हैं, अंकित नहीं हो रहा है, अंकित नहीं हो रहा है...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी):×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी):×××

श्री अध्यक्ष: रामगंजमंडी से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर):×××

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी):×××

श्री अध्यक्ष: आप मुझे मजबूर ना करें, रामगंजमंडी से आने वाले माननीय सदस्य...(व्यवधान) रामगंजमंडी से आने वाले माननीय सदस्य, आप मुझे मजबूर ना करें...(व्यवधान) मुझे नाम से पुकारने को आप मजबूर कर रहे हैं...(व्यवधान) अब मैं आपको नाम से पुकारूंगी...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी):×××

श्री अध्यक्ष: रामगंजमंडी से आने वाले माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है, अंकित नहीं हो रहा है। आपका कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है, अंकित नहीं हो रहा है (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर):×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन):×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक):×××

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर, रामगंजमंडी से आने वाले माननीय सदस्य, अब आपने मुझे इतना मजबूर कर दिया है कि मैं अब नाम से पुकारूंगी। आपके खड़े होते ही नाम से पुकारूंगी और मैं चाहूंगी कि आप सदन छोड़कर चले जायें। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी):×××

श्री अध्यक्ष: दो मिनट ठहरें। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर। आसन पांवों पर, माननीय सदस्यगण, इस सत्र का आखिरी दिन है, इनको बड़ी मुश्किल से...(व्यवधान) बीच में नहीं बोलें, बीच में नहीं बोलें। इसके बाद मुश्किल से आप और यह लोग एक और दो दिन मिलेंगे। आज तो कम से कम सौहार्दपूर्ण वातावरण में आप एक-दूसरे से विदा लीजिये। शाम को मुख्य मंत्रीजी की ओर से पिक्चर भी दिखायी जायेगी, खाना भी खिलाया जायेगा। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री अध्यक्ष: वह अलग बात है...(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री अध्यक्ष: आप जानते नहीं हैं कि आसन पांवों पर है...(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री अध्यक्ष: क्या आपको पता नहीं है, नियमों की जानकारी नहीं है कि आसन पांवों पर है...(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी):×××

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर, स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) मैं कहती हूं स्थान ग्रहण करें...(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कर लें...(व्यवधान) स्थान ग्रहण करें... (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी):×××

श्री अध्यक्ष: आपको सदन का समय इस तरीके से अकेले लेने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी):×××

श्री अध्यक्ष: इस तरह से काम नहीं चल सकता है...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी):×××

श्री अध्यक्ष: यह दिखाने से काम नहीं चलेगा...(व्यवधान) इसे दिखाने से काम नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी):×××

श्री अध्यक्ष: आखिरी दिन में कम से कम, अपनी बात कहकर, संसदीय भाषा में अच्छी बातें कहकर...(व्यवधान) निदान के लिए कुछ बातें कहिये...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, आप बिराजें माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी):×××

श्री अध्यक्ष: कोई असर नहीं हो रहा है...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

(समय : 12.09 बजे)

(श्री शांतिलाल चपलोत, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: विराजिये माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री सभापति: आप बिराज जायें...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री सभापति: एवरी बॉडी सिट डाउन, सिट डाउन...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री सभापति: माननीय गोपालजी बाहेती, आप बोलिये। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री सभापति: श्री गोपाल बाहेती। (व्यवधान) आप बैठे रहें... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री सभापति: आप बैठें, माननीय सदस्य। बाहेतीजी बोलें आप। (व्यवधान)

(व्यवधान)

(माननीय अध्यक्षपीठ द्वारा माननीय सदस्य, डा. श्रीगोपाल बाहेती के अतिरिक्त अंकित नहीं करने के निर्देशः जारी...)

श्रीगोपाल बाहेती। (व्यवधान) आप बैठिए। माननीय सदस्य, श्रीगोपाल बाहेती।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री सभापति: आप विराजिए पहले। मैंने बाहेतीजी को पुकारा है। (व्यवधान) बाहेतीजी। मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप विराज जाएं। क्या आप चाहते हैं कि आपकी पार्टी के माननीय सदस्य नहीं बोलें? (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): × × ×

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): × × ×

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): × × ×

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्षजी व्यवस्था देकर गए हैं कि बाहेतीजी बोलेंगे, आपका नम्बर जब आएगा तो आप भी बोल देना। विराजिए आप। (व्यवधान) मैं आपको नाम से पुकार रहा हूं, आप विराजिए।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): × × ×

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): × × ×

श्री सभापति: विराजिए आप। यह कोई तरीका नहीं है। (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): × × ×

श्री सभापति: आप बाद में अपनी बात रखना, पहले बाहेतीजी बोलेंगे। (व्यवधान) आसन की व्यवस्था को चुनौती नहीं दी जा सकती। बाहेतीजी, बोलिए आप। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): × × ×

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): × × ×

श्री भंवर लाल शर्मा (सरदारशहर): × × ×

श्री सभापति: यह कोई तरीका नहीं है। पहले बाहेतीजी का नाम पुकारा है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): × × ×

श्री सभापति: कोई इन्फोर्मेशन नहीं है। It is ruled out. बोलिए आप। (व्यवधान) बाहेतीजी, बोलिए आप। What is this? आपने मजाक समझ रखा है सब। माननीय बाहेतीजी, बोलिए आप। (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं, मेरा आपसे निवेदन है...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): × × ×

श्री सभापति: (व्यवधान) Please sit down. I tell you, please sit down.

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): × × ×

सदस्य का निष्कासन

प्रहलाद गुंजल श्री, माननीय सदस्य का निष्कासन

श्री सभापतिः रामगंज से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बैठ जाएं। आप बैठ जाएं नहीं तो चले जाएं। आप सदन छोड़कर चले जाएं। You cannot rock the House like this. This is not proper. मैं आपसे कह रहा हूं कि आप चले जाएं बाहर। मैं आपको कह रहा हूं कि आप चले जाएं बाहर।

मार्शल, बाहर निकालो इनको, बाहर निकालो इनको। बाहर निकालिए इनको। बाहर निकालो इनको। बाहर निकालो, निकालो बाहर। (व्यवधान) आप बाद में करते रहना, आपको जो करना हो। बाहर निकालो इनको। Please turn him out.

(माननीय सदस्य, श्री प्रहलाद गुंजल को मार्शल द्वारा सदन से बाहर निकाला गया)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री सभापतिः (व्यवधान)...बाहर निकालने का निर्णय सोच समझकर लिया जाता है। सोच समझकर लिया जाता है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री सभापतिः बाहेतीजी, बोलिए आप। (व्यवधान) मैंने बाहेतीजी का नाम पुकारा है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री सभापतिः ...(व्यवधान) माननीय अमरारामजी, तीन माननीय सदस्यों को पुकारा गया है। आप उनको बोलने नहीं देना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि बाहेतीजी नहीं बोलें? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री सभापतिः आप विराजें, बाहेतीजी बोलें। (व्यवधान) मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप विराजें। (व्यवधान) यह कोई तरीका नहीं है। बाहेतीजी को बुलाया है, बाहेतीजी बोलेंगे। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री):×××

श्री सभापति: बाहेतीजी बोल रहे हैं। All right, कोई बात नहीं है, you do not want to speak. (व्यवधान) आपकी जिम्मेदारी है। मैंने एक सदस्य को दुराचरण के कारण बाहर निकाला है। आपको क्या हो रहा है? आप बैठिए। (व्यवधान) एक सदस्य हाउस को रोक कर बैठ जाए और एक माननीय सदस्य को बोलने के लिए पुकारा गया है, आप उन्हें बोलने नहीं देना चाहते हैं, यह कौनसा तरीका है? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री सभापति: माननीय जुबेर खानजी, do you want to speak? I am calling your name. Do you want to speak? माननीय जुबेर खानजी, आप बोलना चाहते हैं तो बोलें। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद):×××

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री सभापति: आप तो बाहेतीजी को बोलने दें। Hon'ble member, please sit down. Please don't disturb. मैं कह रहा हूं कि सिट डाउन, नहीं तो अभी दूसरे को बाहर निकालना पड़ जाएगा, बैठ जाओ आप। पहले बाहेतीजी बोलेंगे। बाहेतीजी को पुकारा है मैंने पहले। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री सभापति: क्या चाहते हैं आप? क्या आप चाहते हैं कि बाहेतीजी नहीं बोलें? (व्यवधान) कौन धमका रहा है? कोई नहीं धमका सकता है। (व्यवधान) हाउस ऑर्डर में बैठे, मैं माननीय सदस्य, आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप बैठ जाएं। मैंने बाहेतीजी का नाम पुकारा है, बाहेतीजी को बोलने दें आप। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़):×××

श्री सभापति: आप बाहेतीजी को सुनना भी नहीं चाहते। बाहेतीजी भले आदमी हैं इसलिए आप उनको सुनना भी नहीं चाहते हैं, क्या मतलब है इससे? आप बोलिए बाहेतीजी। प्लीज सिट डाउन। (व्यवधान) मैं कह रहा हूं कि आप विराज जाएं, बाहेतीजी को बोलने दें। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): × × ×

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): × × ×

श्री सभापति: मेरा कर्तव्य है कि हाउस आर्डर में चले। (व्यवधान) बाहेतीजी, बोलें। (व्यवधान) बाद में चर्चा करेंगे। एक घण्टे बाद चर्चा करेंगे, अभी नहीं करेंगे। मैं पहले बाहेतीजी को बुलवाऊंगा पहले। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप बैठ जाएं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): × × ×

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): × × ×

श्री सभापति: इस पर कोई विचार की गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): × × ×

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): × × ×

श्री सभापति: आप अपने ही माननीय सदस्य को बोलने नहीं दे रहे हैं, यह डैमोक्रेसी सेट अप का सरासर अपमान है। (व्यवधान) You cannot rock the House like this. Nobody is allowed to rock the House. Nobody is allowed.

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): × × ×

श्री सभापति: बैठिए आप। मैं पहले बाहेतीजी को बुलवाऊंगा। यह क्या बात हुई?

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): अब वह खड़े हो गए।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): × × ×

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): × × ×

श्री अमराराम (धोद): × × ×

श्री सभापति: अमरारामजी, आप बैठिए। I request you, please sit down. बोलने दें बाहेतीजी को। यह क्या मजाक है? बाहेतीजी, पहले आप बोलें। आपकी तरफ से, ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से कोई आवाज नहीं आएगी। Please sit down and keep quiet. बाहेतीजी, बोलिए आप।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

पुष्कर सरोवर की दयनीय स्थिति

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से पुष्कर

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

सरोवर की जर्जर अवस्था को बखान करने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, गत चार वर्षों में विधान सभा से लेकर पुष्कर तहसील, म्युनिसिपैलिटी तक हाथ जोड़ने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद, आंदोलन करने के बाद, धरने देने के बाद जो सरकार धर्म स्वातंत्र्य विधेयक का ढिंढोरा पीटती है, जो धर्म में आस्था की बात करती है, जो सरकार टयूरिस्ट लाने की बात करती है, उस सरकार की नजर पुष्कर सरोवर पर कभी भी नहीं पड़ी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, मैंने गत बजट सत्र में भी कहा था। इससे पहले भी कहा था और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है गत बजट सत्र में पुष्कर सरोवर का पानी मैंने टेबल किया, उसकी रिपोर्ट आना तो बहुत दूर की बात है, उसकी रिपोर्ट क्या आयी, उस सरोवर के पानी में वृद्धि कराने के लिए सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया।

सभापति महोदय, आज स्थिति इतनी खराब हो गई है, अभी गर्मी चालू ही हुई है, गर्मी पूरे शबाब पर ही नहीं आयी है उससे पहले पुष्कर सरोवर में मछलियां मरना प्रारम्भ हो गई हैं। आपकी जानकारी में यह अच्छी तरह से होगा कि पूरे विश्व के हिन्दुओं का एकमात्र तीर्थ स्थान पुष्कर सरोवर है। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में है। यह सरोवर वहां बना हुआ है जहां सृष्टि के रचयिता ब्रह्माजी ने यज्ञ किया था।

उस सरोवर की जो दुरावस्था है उसे देखकर केन्द्र सरकार ने 47 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। उस 47 करोड़ रुपये में 34 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार ने देना मंजूर किया और उस पैसे की पहली किश्त 2.7 करोड़ रुपये राज्य सरकार के पास पहुंच चुकी है। पूरे सरोवर में पानी की निरन्तर कमी है। जो तीर्थयात्री वहां आता है वो बहुत दुःखी होता है। वह आचमन नहीं कर सकता।

माननीय सभापति महोदय, एक बार जब मुख्य मंत्रीजी का कार्यक्रम बना था, बूढा पुष्कर का, तो मैंने एक पत्र लिखकर निवेदन किया था कि आप पुष्कर भी पधारें और आप एक आचमन लेकर देखें। मुख्य मंत्रीजी पानी का आचमन लेकर देख लें कि पानी आचमन लेने लायक है क्या? ऐसी जिस सरोवर की दुरावस्था है और जो सरकार धर्म का मुखौटा ओढ़े हुए बैठी है वह सरकार निरन्तर उपेक्षा पुष्कर सरोवर की करे तो आप मुझे बताइए तीर्थयात्रियों के मन पर क्या गुजरती होगी?

सभापति महोदय, पुष्कर तीर्थयात्रियों के लिए और पर्यटकों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण का केन्द्र है। वहां देशी और विदेशी पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। वह सरोवर एक ऐसा स्थान है जिसको देखने के लिए हर टयूरिस्ट वहां आता है।

श्री सभापति: विराजिए आप।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): जो नहाने आते हैं वे श्रद्धा से आते हैं। जो विदेशी तीर्थयात्री या टयूरिस्ट आता है वह सरोवर के आकर्षण से आता है। उसके बाद भी सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। मेरा सरकार से यह निवेदन है कि जो मैंने गत सत्र में पुष्कर सरोवर की पानी की बोतल टेबल की थी उसकी रिपोर्ट तो पेश करे कि पानी की स्थिति क्या है?

श्री सभापति: विराजें आप।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): गत वर्ष के इनके खुद के सरकारी आंकड़े मेरे पास हैं कि पुष्कर सरोवर का पानी आचमन लायक नहीं है। ऐसी स्थिति जिस सरोवर की हो और सरकार मूकदर्शक बनी रहे तो आप मुझे बताइए कि यह सरकार किस प्रकार नैतिकता की बात करती है। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि सरकार को आप सख्त निर्देश दें। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपकी पूरी बात आ गई।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): इस सरोवर के संरक्षण के लिए, उसके संवर्द्धन के लिए जो पैसे केन्द्र सरकार ने दिये, माननीय नमोनारायण मीणा ने ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय चंद्रशेखरजी बैद।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): उस पैसे को लगाने के लिए बहुत जल्दी कार्य प्रारम्भ करें।

श्री सभापति: मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: विराजें आप।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय सभापति महोदय, पाइंट आफ इंफार्मेशन।

श्री सभापति: क्या है?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं निवेदन करना चाहता हूं आज की तारीख में सारे चुने हुए सरपंच जयपुर की सड़कों पर हैं और इसी प्रकार पहले भी सारे ग्रामसेवक सड़कों पर आये थे। पंचायती राज का पूरा ढांचा चरमरा गया है। रोजगार गारंटी के सारे कार्यक्रम बंद हो चुके हैं, सारे विकास के काम बंद हो चुके हैं।

श्री सभापति: आपकी इंफार्मेशन आ गई। विराजिए। बैदजी को बोलने दें आप।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इस सरकार ने ग्रामसेवकों से भी वादा किया था। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। बैदजी को बोलने दें। माननीय चंद्रशेखरजी बैद। विराजिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सरपंचों के सम्मेलन में भी वादा किया था, हजारों की संख्या में सरपंच सड़कों पर उतरे हुए हैं। माननीय पंचायती राज मंत्रीजी मूकदर्शक बनकर इन सारी परिस्थितियों को देख रहे हैं। इन्होंने वादाखिलाफी ग्रामसेवकों के साथ की। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए आप। हो गया। इससे ज्यादा इंफार्मेशन नहीं आ सकती। विराजिए आप।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ये जन-प्रतिनिधियों के साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं।

श्री सभापति: हो गई आपकी बात। नो, कोई अंकित नहीं हो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री सभापति: कोई अंकित नहीं। आप विराजिए। आप विराजिए। (व्यवधान) हो गई। आपकी बात हो गई।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री सभापति: विराजिए आप।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन):×××

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री सभापति: मैं सबको कंट्रोल करने के लिए सक्षम हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री सभापति: बोलिये आप।

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय सभापति महोदय, जैसा कि पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने पुष्कर सरोवर के सम्बनध में जिक्र किया, मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि केन्द्रीय झील संरक्षण के तहत 48.37 करोड़ रुपये स्वीकृत हो चुके हैं जिसमें से 8.48 करोड़

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

रुपये आ गये हैं। इस सरोवर को साफ-सुथरा रखने, इसमें कृत्रिम आक्सीजन की व्यवस्था करने और इसमें साफ-सुथरा पानी रहे यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है क्योंकि यह हिन्दुओं का एक आस्था का केन्द्र है और हाउस में बैठने वाले माननीय सदस्यों की जिज्ञासा भी रहती है और भावना रहती है और करोड़ों हिन्दुओं की आस्था का केन्द्र है। वहां पर पर्यटक आएं और सरोवर साफ-सुथरा रहे, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है।

मैं इनको आश्वस्त करता हूं कि पुष्कर सरोवर के लिए जो पैसा आया है केन्द्रीय झील संरक्षण के तहत उस पैसे का सदुपयोग करेंगे और उनको साफ-सुथरा रखेंगे। इसमें जो खाद्य सामग्री डालते हैं उनकी भी हमने रोक लगा दी है कि खाद्य सामग्री अन्दर न डालें। गर्मी के मौसम में कृत्रिम ऑक्सीजन की किस प्रकार से व्यवस्था की जा सके, इस सम्बन्ध में व्यवस्था करेंगे।

श्री सभापति: माननीय चंद्रशेखरजी। (व्यवधान) आप बोलना चाहते हैं? बोलें आप। विराजें आप। आप फरमाएं। दो मिनट, माननीय बैदजी विराजें। आप फरमाओ।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, कल गृह मंत्रीजी द्वारा राजस्थान में जो साम्प्रदायिक दंगे हुए, उस साम्प्रदायिकता की आग में पदेश जल रहा है उसके बारे में वक्तव्य देना था और सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी, व्यवधान के कारण वह वक्तव्य नहीं हो सका। कल वक्तव्य नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज साइलेंट। किसी ने भी किया, आप साइलेंट रहिए।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): जो कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है आज के दिन। इसलिए कल वक्तव्य नहीं हुआ तो आज वक्तव्य दिला दें। जब आज हाउस इन ऑर्डर हो गया है तो आज वक्तव्य आ सकता है। आज आ नहीं सकता, ऐसा तो कोई है नहीं।

श्री सभापति: अब आपने सरकार का ध्यान दिलाया है।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): इसलिए आज व्यवस्था दें, कृपा करके सरकार को निर्देश दें।

श्री सभापति: ध्यान दिला दिया। आप विराजें। माननीय चंद्रशेखरजी। अभी बात करते हैं। चंद्रशेखरजी। (व्यवधान) कोई बीच में नहीं बोलेगा। मैं आपसे बार-बार अनुरोध कर रहा हूं, repeatedly requesting not to get up. जिसका नाम पुकारें वही बोले। बोलिए माननीय बैदजी।

बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, पिछले साढ़े चार साल से इस सदन में एक बार नहीं, अनेक बार और इसके अलावा भी अन्य मंचों पर सदन की नेता माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बाड़मेर में रिफाइनरी लगाने के मामले में अनेक वक्तव्य दिये। उन्होंने एक बार नहीं अनेक बार कहा कि राजस्थान में रिफाइनरी बाड़मेर में लगेगी और उससे राजस्थान की जनता का भला होगा, राजस्थान की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और जो कर्जा आज 53 हजार करोड़ से 80 हजार करोड़ रुपये हो गया है उस कर्जे से उबारने का राजस्थान के पास एक ही तरीका है कि यहां रिफाइनरी लगे। रोजगार आये, तेल के कारण राज्य की आमदनी बढ़े और टैक्स फ्री स्टेट के रूप में राजस्थान हिन्दुस्तान में एक एग्जेम्प्लरी काम करके बताये, लेकिन बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है पिछले साढ़े चार साल में जिस प्रकार से राज्य सरकार और केन्द्र सरकार में राज्य सरकार की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना हरकत के कारण जो विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसके चलते हुए आपने इस सदन में 21 जनवरी, 2007 को एक सर्वदलीय बैठक बुलायी थी। माननीय मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में वह बैठक हुई। यह सर्वदलीय बैठक 21.1.2007 को सचिवालय में आयोजित की गई और सारे माननीय सदस्यों के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें सदन की नेता को इस बात के लिए अधिकृत किया कि वो रिफाइनरी लगाने के मामले में केन्द्र सरकार से नेगोशिएट करे, ओएनजीसी और केयर्न एनर्जी से नेगोशिएट करे और तत्परता से रिफाइनरी लगाने के कार्य को अंजाम दें। लेकिन राज्य सरकार ने आज तक उस बारे में इस सदन को इस चीज के लिए अवगत नहीं कराया कि रिफाइनरी लगेगी या नहीं लगेगी और सबसे दुःख की बात यह है कि पिछले डेढ़ महीने से लगातार नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स के अन्दर, न्यूज पेपर्स, टीवी के अन्दर ये खबरें आ रही हैं राज्य सरकार ने राजस्थान से और गुजरात तक 585 किलोमीटर पाइप लाइन, हीटेड पाइप लाइन, जो विश्व की सबसे ज्यादा कीमत की हीटेड पाइप लाइन होगी उसके लिए ओएनजीसी, केयर्न एनर्जी से समझौता कर लिया है और पाइप लाइन लगाने के लिए भूमि अवाप्ति का काम भी शुरू हो गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं क्या राजस्थान में रिफाइनरी लगेगी या नहीं लगेगी? नम्बर दो, आपने पाइप लाइन लगाने की अनुमति दी या नहीं दी? यदि आपने

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

अनुमति नहीं दी तो केयर्न एनर्जी ने लार्सन एण्ड टुब्रो को करोड़ों डॉलर का ठेका क्यों दिया और उन्होंने कार्यवाही क्यों शुरू कर दी, क्यों बाड़मेर के अन्दर भूमि अवाप्ति का काम शुरू हो गया? राजस्थान की 6 करोड़ 40 लाख जनता यह जानने को आतुर है कि माननीय मुख्य मंत्री और सदन की नेता ने इस सदन को आश्वस्त किया था कि रिफाइनरी राजस्थान में लगेगी, उसके बारे में स्थिति स्पष्ट करें। पाइप लाइन लगाने की परमिशन आपने किससे पूछकर दी? क्या सदन में आपने प्रस्ताव पारित किया कि हम पाइप लाइन लगाने की परमिशन देते हैं?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्रीजी यहां बिराज रहे हैं, यह स्थिति स्पष्ट होना बहुत जरूरी है और वह अपने वक्तव्य में यह बताएं कि राजस्थान में रिफाइनरी लगाने का मामला आज की तारीख में कहां स्टैंड कर रहा है?

श्री सभापति: बिराजिए, श्री अमरारामजी धोद। Do you want to say something? बोलें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आपने स्थगन प्रस्ताव के जरिए रिफाइनरी के बारे में चिंता प्रकट की, मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि किसी भी राज्य के अन्दर तेल के उत्पादन की खरीद के लिए भारत सरकार के द्वारा अलग-अलग कम्पनियों को इन्वाइट करते हैं। भारत सरकार नामिनी तय करती है तो भारत सरकार ने राजस्थान के अन्दर जो तेल निकला है उसके लिए नामिनी तय करने के लिए अलग-अलग तेल कम्पनियां हिन्दुस्तान आईओसीएल है, सीआईएल है, एचपीसीएल है, ओएनजीसी है, इन कम्पनियों को इन्वाइट किया था और इन कम्पनियों ने, ओएनजीसी ने अपनी तरफ से प्रस्ताव दिये, माननीय सभापति महोदय, उसमें पहला तो उन्होंने यह बताया कि राजस्थान के तेल में उसका 30 परसेंट हिस्सा है। दूसरा उन्होंने बताया कि खुद का अपना मार्केटिंग नेटवर्क है, ओएनजीसी राजस्थान में एक रिफाइनरी लगाएगी तथा सम्पूर्ण परियोजना का निवेश अपने संसाधनों से करेगी।

माननीय सभापति महोदय, केन्द्र सरकार की जो प्रोसीडिंग्स है उसको मैं कोट करना चाहूंगा। "ONGC will establish a grass-root refinery at Rajasthan for which the dummy clearance and incentives are being sorted out with Rajasthan Government. ONGC is capable to meet the total investment on their own for the project." तीसरा, "ONGC has recently started the marketing of petroleum products. However, it needs to develop infrastructure to market the production in Rajasthan outside the State." और माननीय सभापति महोदय,

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)
ओएनजीसी ने 16 वर्ष के लिए 1300 करोड़ रुपये और प्रतिवर्ष के लिए वेट के डेफरमेंट की मांग की है। जब ओएनजीसी उन्होंने कह दिया कि हमारा मार्केटिंग नेटवर्क है तो यह 1300 करोड़ रुपये और 700 करोड़ रुपये मार्केटिंग नेटवर्क के लिए किस हिसाब से उन्होंने मांग की है तो इस प्रकार से भारत सरकार ने जो इन्होंने इन कम्पनियों को इन्वाइट किया था और उसके आधार पर जो ओएनजीसी ने अपनी तरफ से जो प्रस्ताव दिये थे, उन प्रस्तावों में उन्होंने अपना मार्केटिंग का नेटवर्क बताया था। अब वही ओएनजीसी कम्पनी है, हमारे से 700 करोड़ रुपये वह इंसेंटिव मांग रही है, कैसे जस्टिफिकेशन होगा? भारत सरकार को इसके बारे में देखने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, ओएनजीसी ने केन्द्र सरकार के समक्ष जो दावा पेश किया है उसमें राजस्थान में रिफाइनरी लगाएगी। दूसरी, पूरी परियोजना का इन्वेस्टमेंट वह अपने साधनों के द्वारा, संसाधनों के द्वारा करेगी। तीसरा, उसने पेट्रोलियम प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी आरम्भ कर दी है और इससे अब पीछे हट रही है तो यह जब जिस हिसाब से ओएनजीसी को नामिनी तय किया हुआ है, भारत सरकार ने, प्रस्ताव ओएनजीसी ने दिये, अब उसी से बैक-आउट होकर वह इंसेंटिव मांग रही है।

माननीय सभापति महोदय, जैसे तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने केन्द्र सरकार ने 31 अगस्त, 2007 को राजस्थान सरकार को पीएनपी एक्ट, 1962 के तहत एक पत्र प्रेषित किया उसमें बाड़मेर से सलाया तक पाइप लाइन बिछाने के लिए लैंड एक्वीजिशन के लिए पीएनपी एक्ट, 1962 के तहत प्रार्थना पत्र दिया, माननीय सभापति महोदय, कार्मिक विभाग ने लैंड एक्वीजिशन का जो प्रस्ताव है, 8 अक्टूबर, 2007 को पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार को भेजा गया और राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से 22 नवम्बर, 2007 को पत्र लिख कर केन्द्र से 31 अगस्त के पत्र के संबंध में क्लियरिफिकेशन मांगा है कि डिलीवरी पाइंट बदलने से राजस्थान की वेट इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दूसरा, सलाया में मल्टीपल नामिनी को तेल बेचने की अवस्था में वेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा और ओएनजीसी जब तीन या तीन से अधिक फर्मों को तेल के लिए बेचान का जो कांट्रेक्ट करेगी तो वह कांट्रेक्ट लो टर्म्स होगा तो इससे राजस्थान में रिफाइनरी लगाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के इस पत्र का जवाब भारत सरकार के द्वारा, केन्द्र सरकार के द्वारा 10 मार्च, 2008 को दिया गया और बाड़मेर से सलाया डिलीवरी पाइंट को बदलने का निर्णय उन्होंने बताया

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

कि अभी हमने डिलीवरी पाइंट को बदलने का अंतिम रूप से निर्णय हमने नहीं लिया है केयर्न-एनर्जी ओएनजीसी के बीच में जो क्रूड की कीमतों के सम्बन्ध में समझौता अभी तक हुआ नहीं है, हमने भारत सरकार से भी आवेदन किया कि ओएनजीसी और के बीच में तेल बेचान का, सेल एग्रीमेंट का कांट्रेक्ट है, जल्दी से जल्दी किया जा सके, ताकि प्रोडक्शन होने पर राजस्थान सरकार को रायल्टी प्राप्त हो सके।

इसी तरह, माननीय सभापति महोदय, एक इकानामिक टाइम्स में एक खबर छपी, उसके आधार पर 20 फरवरी, 2008 को राजस्थान सरकार के चीफ सैक्रेटरी ने एक पत्र लिखा भारत सरकार को कि डिलीवरी पाइंट नहीं बदलने के लिए राजस्थान के हितों की सुरक्षा की जाए और उसके साथ में 15 जनवरी, 2007 को केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री को राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने पत्र लिखा और उनसे निवेदन किया और प्रतिपक्ष के नेता उस वक्त तत्कालीन प्रतिपक्ष के नेता रामनारायणजी चौधरी और तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष बी डी कल्ला साहब से भी आग्रह किया कि आप भी अपनी तरफ से मुरलीजी देवड़ा और भारत सरकार पर आप प्रभाव डालें। माननीय सभापति महोदय, 19 दिसम्बर, 2007 को मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा प्रधान मंत्रीजी से भी राजस्थान में रिफाइनरी लगाने के लिए आग्रह किया और जिस हिसाब से इंसेंटिव की उन्होंने मांग की है, उसको क्लियरिफिकेशन के लिए हमारे सेक्रेटरी लेवल पर, हमारे फाइनेंस के प्रिंसिपल सैक्रेटरी के लेवल पर भी चर्चा अभी तक लगातार जारी है। अभी तक भारत सरकार और ओएनजीसी ने रिफाइनरी लगाने के लिए इन्कार नहीं किया परन्तु भारत सरकार के सामने जिन कम्पनियों ने प्रस्ताव भेजे थे, उन कम्पनियों के प्रस्तावों की जांच के बाद में जिस ओएनजीसी को नामिनी नियुक्त किया, अब वही ओएनजीसी इसमें बेक-आउट हो रही है तो निश्चित रूप से प्रभाव भारत सरकार इस पर डाले। राजस्थान कटिबद्ध है, राजस्थान की सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है और पश्चिमी क्षेत्र में अकाल से और मजदूरी के लिए पश्चिमी क्षेत्र लालायित है, एक आशा जगी थी, एक विश्वास जगा कि राजस्थान में रिफाइनरी लगेगी, राजस्थान की सरकार अपनी तरफ से पूरी प्रयासरत है।

श्री सभापति: श्री अमरारामजी धोद।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): आपने रिफाइनरी लगाने का प्लान ड्राप करके पाइप लाइन बिछाने की मंजूरी दे दी है। (व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट। बिराजिए, बिराजिए आप। This is not a question of debate. ...(व्यवधान) बिराजिए, हम सब चाहते हैं कि राजस्थान में रिफाइनरी लगे, कौन नहीं चाहता है? बिराजो आप। (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): ड्राप कर दिया न...(व्यवधान)

श्री सभापति: जालमसिंहजी, कोई डिबेट नहीं होगी इसमें, बैठो आप... (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): उस कम्पनी का काम शुरू हो गया... (व्यवधान)

श्री सभापति: बद्रीलालजी, बैठिए, आप...(व्यवधान) कोई डिबेट नहीं हो रही है इस पर...(व्यवधान) इन्होंने पर्याप्त जानकारी दे दी है...(व्यवधान) आपको कोई जानकारी लेनी हो, कोई बात कहनी हो तो मंत्रीजी से बात कर लें...(व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): राजस्थान की जनता केन्द्र सरकार का सोतेला व्यवहार बरदाश्त नहीं करेगी। (व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): हमारे साथ में अन्याय किया, केन्द्र में कांग्रेस का राज है तो लगातार बाड़मेर की उपेक्षा हो रही है...(व्यवधान)

श्री सभापति: बस, हो गई आपकी बात। (व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): 3200 करोड़ की जगह 100 करोड़ रुपये दिये हैं...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बाड़मेर से संबंधित हो, आप सब की बात कह दी, बिराजिए...(व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): इस रिफाइनरी से न केवल बाड़मेर का, बल्कि पूरे राजस्थान का भला होना था...(व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजिए...(व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): ओएनजीसी केन्द्र की सरकार के, प्रभाव में है। उनकी ही नेशनल कम्पनी है, जान-बूझकर बाड़मेर की उपेक्षा हो रही है, यह हमको बरदाश्त नहीं होगी...(व्यवधान) हमारे यहां की सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है कि राजस्थान में, बाड़मेर में रिफाइनरी लगे...(व्यवधान)

श्री सभापति: हां, बैठो न, हो गई आपकी बात...(व्यवधान) आपकी बात बाड़मेर में पहुंच जाएगी, आपके एरिया में ही पहुंच जाएगी। (व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): केन्द्र सरकार अन्याय कर रही है। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): चार साल पूरे हो गये, आज बाड़मेर की सुध याद आई क्या आपको?

श्री सभापति: आप बिराजिए, रणवीरसिंहजी, बैठिए आप। (व्यवधान) अमरारामजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): सभापति महोदय, यह एक बड़ा गम्भीर मसला है। (व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजो न आप, क्या कर रहे हैं? (व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): बाड़मेर का बहुत भला किया है... (व्यवधान)

श्री सभापति: No debate please. आप बिराजें, अमरारामजी, आपको कुछ कहना है क्या?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, एक बड़ा गम्भीर मसला है। इस सदन के सम्माननीय सदस्य ने एक महीने के लिए अन्न त्याग दिया है, आज 12 रोज हो गये हैं, उनका जीवन, उनका स्वास्थ्य दिनों-दिन गिरता जा रहा है, वज़न कम होता जा रहा है, मंगलारामजी गोदारा ने सिर्फ इस आधार पर छोड़ा था कि जो स्पेशल केटेगरी के इलेक्ट्रिकल के कनेक्शन हैं, उनके निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर कितने साल से पैंडिंग हैं, वह दिये नहीं गये, अभी तक, हमारा सब का दायित्व बनता है, चाहे सत्ता पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, आज उन्होंने अन्न त्याग दिया है, सरकार ने इस मामले को गम्भीरता पूर्वक नहीं लिया, यहां धरने पर बैठे थे, हम लोगों ने उठा दिया, रिक्वेस्ट करके कि आप उठ जाएं।

श्री सभापति: बिराजें, अभी बात करके ही बता सकता हूं, मुझे तो कुछ ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यहां पर बिजली मंत्रीजी भी बैठे हुए हैं और ईमानदारी की बात है, उनका 6 किलो वज़न कम हो गया है।

श्री सभापति: बिराजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): 6 किलो वज़न कम हो गया है। हमको जब ज्ञात हुआ आज सुबह तो हमने कहा, आज सदन के अन्दर सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। वैसे इस गूंगी और बहरी सरकार पर कोई असर पड़ने वाला तो है नहीं।

श्री सभापति: आप बिराजें। माननीय अमरारामजी।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, ये सिर्फ समय सीमा बता दें कि इतने समय के अन्दर स्पेशल कैटेगिरी के कनेक्शन का...(व्यवधान)

श्री सभापति: अभी नहीं। यह बाद में बात करना आप। This is not the way.

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): स्पेशल कैटेगिरी के तौर पर पैसा लिया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने अपने समय में एक को भी चैंज किया था क्या? (व्यवधान) आपने क्या किया?

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सरकार को समय सीमा तो बतानी चाहिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपको काग्नीजेंस लेना चाहिए। (व्यवधान) 15 दिन से एक आदमी भूखा है, सदन में माननीय मंत्रीजी को जवाब देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें आप। माननीय नेता प्रतिपक्ष, कभी-कभार तो अच्छा लगता है। विराजें आप। माननीय अमरारामजी। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): एक समय सीमा बतानी चाहिए कि इतने समय के अन्दर कनेक्शन दे दिये जाएंगे। सभापति महोदय, स्पेशल कैटेगिरी में... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एक आदमी भूखा है और आपको कोई दया ही नहीं आ रही है। (व्यवधान)

श्री सभापति: ऐसे कैसे चलायेंगे हाउस? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप बिलकुल दूर हो क्या? (व्यवधान) 15 दिन से भूखे बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): इसका जवाब दिलाइये। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, स्पेशल कैटेगिरी में कनेक्शन.... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 15 दिन से जो आदमी भूखा है उसके बारे में आपको कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री सभापति: विराजिये। अमरारामजी।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपको कहना चाहिए कि इतने समय में कनेक्शन दिये जाएंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये आप। आपकी बात हो चुकी है।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): स्पेशल कैटेगिरी में कनेक्शन हैं तो उनकी एक समय सीमा होती है। यह नहीं कि वो जनरल कैटेगिरी के साथ लिये जाएं। (व्यवधान) उनकी एक समय सीमा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य प्रद्युम्न सिंहजी ने बात पहुंचा दी, आपने भी बात पहुंचा दी। (व्यवधान) अब सरकार जब करेगी तो करेगी। (व्यवधान) माननीय अमरारामजी।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): एक माननीय सदस्य के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उनका जीवन खतरे में है, उनका वज़न गिरता जा रहा है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है और सरकार उसका काग्नीजेंस अगर नहीं ले... (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): कोई बात नहीं कर रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये आप। माननीय नेता, प्रतिपक्ष विराजें न अब आप।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, आप सरकार को निर्देश दें कि वो समय सीमा बता दे। इतनी सी ही बात है। कितने समय में आप कनेक्शन कर देंगे, यह बात बता दें। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, इनका दर्द दूसरा है। इस सरकार ने 62 हजार किसानों को जो स्पेशल कैटेगिरी में थे उनको जनरल कैटेगिरी में कर दिया। इस सरकार ने किसानों की बिजली के दाम नहीं बढ़ाये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): किसको दे दिया? वो सरकार को रो रहे हैं 4 साल से। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इन्होंने जो वर्ल्ड बैंक से करार किया था उसके अनुसार आज किसान को...(व्यवधान) इनका दर्द दूसरा है।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): सभापति महोदय, स्पेशल कैटेगिरी की बात है। इन्होंने कनेक्शन नहीं दिये हैं, शहीदों का मामला है यह। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय अमरारामजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): शहीद होंगे तो मिल जाएंगे। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): कहां है, पता करो नहीं। (व्यवधान)

श्री सभापति: अमरारामजी। आपने अपनी बात कह दी। माननीय नेता प्रतिपक्ष, हर समय नेता प्रतिपक्ष को उठकर के बोलने की आवश्यकता नहीं है, कभी-कभी बोलें तो अच्छा लगता है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): रिफाइनरी का मामला है बाड़मेर का। रिफाइनरी के मुददे पर... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह पूरा राजस्थान जानता है कि राजस्थान की सरकार ने एक नहीं 62 हजार किसानों को स्पेशल कैटेगिरी से जनरल कैटेगिरी में करने का काम किया है। (व्यवधान)

श्री सभापति: यह बाद में बात करना आप। (व्यवधान) अभी हो गई बात, अब कोई डिबेट नहीं हो इसमें। माननीय अमरारामजी।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं एक बात कहना चाहता हूं। (व्यवधान) सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, एक सवाल पूछना चाहता हूं रिफाइनरी के मामले में।

श्री सभापति: No, no, not allowed. (व्यवधान) नोट अलाउ। रिफाइनरी का बाद में कह देना आप। आपने कह दिया कि रिफाइनरी होनी चाहिए। यह बात आ जाएगी रिकार्ड में। अमरारामजी। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ओएनजीसी ने जो कंसेशन मांगे हैं, उन कंसेशन के बारे में आपने ओएनजीसी से कोई मीटिंग की है, चर्चा की है? (व्यवधान)

श्री सभापति: सारा तो एक घंटे तक डिटेल में बता दिया। (व्यवधान) खामख्वाह में अलाउ कर दिया नहीं तो ऐसे अलाउ करता ही नहीं। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): कंसेशन के बारे में राजस्थान सरकार क्या कंसेशन देने के लिए तैयार है, सहमत है? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठ जाएं। (व्यवधान) विराजिये आप। नो डिबेट।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): केवल केन्द्र सरकार पर, ओएनजीसी के साथ इनको बात करके जो कंसेशन मांगे हैं उनका हल निकालना चाहिए और उनको जो भी कंसेशन है वह किस सीमा तक दे सकती है उनको देकर के रिफाइनरी के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये आप। माननीय मंत्रीजी, विराजिये। आपकी बात आ गई, सरकार के सामने आ गई, कर लेंगे ये। (व्यवधान) बोलें अमरारामजी।

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): सभापति महोदय, मेरी एक ही मांग है।

श्री सभापति: एक मिनट आप विराजिये। पहले अमरारामजी का नाम पुकार लिया है, आप विराजें। आप बाद में बोल देना। हां, बोलें आप। (व्यवधान)

राजस्थान लोक सेवा आयोग परीक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग के कट आफ मार्क्स

श्री अमराराम (धोद): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जो राजस्थान लोक सेवा आयोग से राजस्थान प्रशासनिक सेवा के प्री-टैस्ट के एग्जाम हुए हैं और उसका रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में जो अन्य पिछड़ा वर्ग के कट ऑफ मार्क्स हैं, वो बच्चे जो अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं, जिन्होंने सामान्य से ज्यादा नम्बर लिये हैं लेकिन वो फिर भी राजस्थान की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जनरल एग्जाम में नहीं बैठ सकते। मैं समझता हूं कि अन्य पिछड़ा वर्ग में जितने भी लोग शामिल हुए हैं वो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए थे इसलिए उनको संविधान में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पिछड़ा वर्ग में शामिल करके 21 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। उस आरक्षण का जिस तरह से राजस्थान की सरकार ने मजाक बनाया है कि वो बच्चा जो अन्य पिछड़ा वर्ग में एप्लाई किया और सामान्य से ज्यादा नम्बर लेने के बाद भी वो आरपीएससी की मैन एग्जाम में नहीं बैठ सकते। मैं समझता हूं कि इससे

(श्री अमराराम)

ज्यादा दुर्भाग्य इस सरकार के लिए नहीं हो सकता। आज भी उनके नम्बर सामान्य से ज्यादा हैं, तमाम से ज्यादा हैं और आरक्षित वर्ग में होने के बाद में भी वो मैन एग्जाम में नहीं बैठ सकते। इसी तरह से जो पूर्व सैनिक हैं उनको भी एलाइड सर्विसेज में तीन प्रतिशत का आरक्षण है। आज तक राजस्थान की उन एलाइड सर्विसेज के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग से एग्जाम होती थी और उस एग्जाम में जो मैरिट में आते थे उनको एलाइड सर्विसेज में तीन प्रतिशत आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों को दिया जाता था। दुर्भाग्य से अब की बार जो आरएएस की प्री एग्जाम हुई उसमें उनकी भी 86 पोस्टों को उसमें शामिल कर दिया गया और भूतपूर्व सैनिकों को भी इसी तरीके से वंचित रखने का प्रयास कर दिया गया कि वो जिस कैटेगिरी में आये उनको रिजर्वेशन भूतपूर्व सैनिकों की हैसियत से है, किसी भी जाति में है, चाहे एससी में है, एसटी में है, ओबीसी में है या जनरल में है, उस हिसाब से नहीं है, उनको केवल मात्र भूतपूर्व सैनिक होने के नाते तीन प्रतिशत रिजर्वेशन है। लेकिन अफसोस है कि इस आरएएस की प्री एग्जाम में उनको सामान्य में जिस कैटेगिरी में स्टैण्ड करके प्री एग्जाम में कट आफ मार्क्स लाना पड़ेगा और उसके बाद होगा। तो मैं समझता हूं कि वो एक भी भूतपूर्व सैनिक एलिजेबल नहीं होगा मैन एग्जाम के लिए। इसलिए राजस्थान की सरकार अगर वाकई में अन्य पिछड़ा वर्ग और भूतपूर्व सैनिकों की थोड़ी-बहुत भी दया रखती है तो निश्चित रूप से जिन अदर बैकवर्ड क्लास के बच्चों ने जितने भी नम्बर कट आफ मार्क्स सामान्य के बराबर लिये हैं उनको सामान्य की कैटेगिरी में शामिल करने का आदेश इनको भेजना चाहिए था। जितने भी एक्स आर्मीमैन आरएएस के प्री-टैस्ट में बैठे हैं उनकी अलग से लिस्ट बनायी जानी चाहिए क्योंकि वो किसी कास्ट के हिसाब से नहीं, भूतपूर्व सैनिक होने के नाते हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि यह सरकार जिस तरह से अन्य पिछड़ा वर्ग और भूतपूर्व सैनिकों का अहित करने के लिए जो राजस्थान की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए प्री एग्जाम हुआ है इसमें स्पष्ट रूप से यह है। इसलिए अगर सरकार को उनके साथ न्याय करना है तो निश्चित रूप से आदेश...(व्यवधान)

श्री सभापतिः माननीय श्री जुबेर खानजी। माननीय सदस्य, विराजें आप। माननीय जुबेर खानजी।

श्री अमराराम (धोद): ...कार्मिक विभाग के द्वारा भेजा जाना चाहिए वरना यह सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ सबसे बड़ा कुठाराघात कर रही है, वो उनके खिलाफ है और उनको न्याय नहीं देकर के उनके साथ अन्याय करने की कोशिश कर रही है। (व्यवधान)

श्री सभापति: देखिये, जो लिस्ट पहले है उसको तो होने दें। बीच में कैसे कर देंगे। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): मैं इन्फार्मेशन दे रहा हूं।

श्री सभापति: कोई इन्फार्मेशन नहीं। Every now and then, there is no point of information. Please sit down.

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

श्री सभापति: जुबेर खानजी। कोई इन्फार्मेशन नहीं। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, धरने पर बैठे हैं अपनी जायज मांग के लिए, पूरे पानी देने के लिए। उनको पानी... (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये आप।

श्री अमराराम (धोद): वो सामान्य से भी ज्यादा हैं और सरकार... (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री जुबेर खानजी। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): राजस्थान की सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ अन्याय कर रही है। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): .... हजारों किसान अपनी जायज मांग को लेकर के... (व्यवधान) 112 दिन से बैठे हैं। राजस्थान सरकार से कोई बात करने वाला नहीं है। पानी की चोरी हो रही है। कोई स्टाफ नहीं है। (व्यवधान) अमरसिंह ब्रांच में 12 जे.ईएन. में से 4 जे.ईएन. हैं और कोई ए.ईएन. की पोस्ट नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: यह लिस्ट बनी हुई है। (व्यवधान) श्री जुबेर खानजी। आप बैठिये प्लीज।

श्री अमराराम (धोद): जान-बूझकर के यह सरकार कर रही है। सभापति महोदय इस सरकार का... (व्यवधान) इससे बड़ा क्या अन्याय हो सकता है? (व्यवधान)

श्री सभापति: आपने सरकार की निगाह में ला दिया। (व्यवधान) आपकी बात सुन ली गई है। विराजें आप। अगर सरकार को रेस्पोंड करना होगा तो कर देगी। विराजें आप। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): नहीं करे, रेस्पोंड करे या नहीं करे, सरकार नहीं करेगी क्योंकि सरकार की मानसिकता सामंतवाद की है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। (व्यवधान) बैठें आप।

श्री अमराराम (धोद): यह सरकार उन चुने हुए लोगों को बराबर आने का मौका नहीं देना चाहती। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्री अमराराम (धोद): जो सामान्य से ज्यादा नम्बर लेकर के आये हैं, वो राजस्थान की मैन एग्जाम में नहीं बैठ सकते। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। (व्यवधान)

श्री सभापति: हाई कोर्ट ने काग्नीजेंस ले लिया है। माननीय सदस्य, हाई कोर्ट ने काग्नीजेंस ले लिया। अब विराज जाएं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): ...उन गरीब बच्चों के साथ जो अन्याय कर रही है, मैं समझता हूं कि पूरा का पूरा... (व्यवधान)

श्री सभापति: आप समय जाया नहीं करें, बहुत से माननीय सदस्यों को बोलना है। विराजिये।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, 112 दिन से हजारों किसान धरने पर बैठे हैं।

श्री सभापति: मैं आपको अवसर दूंगा। पहले जुबेर खानजी, आप बोलें। (व्यवधान)

मंदिर माफी की जमीनों पर बसी कालोनियों की समस्याएं

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आदरणीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान की व्यावहारिक समस्या के बारे में सदन के माध्यम से ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, 40-50 सालों से राजस्थान के अनेक शहरों में और मैं यह स्पष्ट कर रहा हूं कि अलवर शहर की 40 प्रतिशत कालोनियां और आबादी कभी 1947 से पहले जो मंदिर माफी की जमीनें थीं रिकार्ड में, उन पर अलवर शहर बसा हुआ है। सड़कें बन गई हैं, बिजली लग गई है, टेलीफोन लग गये हैं, म्युनिसिपैलिटी, यू.आई.टी. या एम.एल.ए. एम.पी. लेड से सड़कें बन गईं, बाकी सारी सुविधाएं वहां हो गई लेकिन चूंकि एक सुप्रीम

(श्री जुबेर खान)

कोर्ट का फैसला आया कि मंदिर माफी को परपिचुअल माइनर मानकर कि इसकी एंट्री चेंज नहीं हो सकती। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आज शहरों में आबादी बसी पड़ी हैं। आप 40 प्रतिशत शहर को तोड़ तो नहीं सकते, जो आबादियां 1947 के पहले की बसी हुई हैं, क्या प्रजातंत्र में उनको तोड़ सकते हैं? जब तोड़ नहीं सकते तो क्या उनको यह अधिकार नहीं है कि सरकार कोई न कोई रास्ता निकाले, उनसे डवलपमेंट चार्जेज भी नहीं आ रहे हैं, उनको सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, उनके ऊपर कोई न कोई नियम निकाले, कोई कानून बनाये, कोई व्यवस्था करे कि उनसे डवलपमेंट चार्ज वसूल करके उन कालोनियों को नियमित करे ताकि उन, गरीब लोगों को, कर्मचारियों को लोन मिल सके और उसमें से कुछ हिस्सा राशि देवस्थान विभाग को या उस संबंधित मंदिरों को भी जानी चाहिए ताकि उसकी देखरेख के और पूजा-अर्चना के काम आये और बाकी पैसा लोकल बाडी, यू.आई.टी. है, उसको मिलना चाहिए। कब तक रास्ता निकालोगे? आज सरासर यू.आई.टी. ने भी कालोनियां काटी हैं, उसमें भी मंदिर माफी की जमीन गई हैं, आज 1947 के बाद में जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था, तब तक इन जमीनों की खातेदारियां बदलती रही हैं, रजिस्ट्री होती रही हैं, पुजारियों ने अपने नाम खातेदारी करा ली, उसके बाद में नियमित तरीके से बेचान कर दिया, उनका म्यूटेशन खुल गया, उन्होंने कालोनी काट दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद व्यवस्था आई कि यह बेचान अवैध हुआ है।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ...अवैध हुआ है, यह बात सही है लेकिन आज जो कालोनी बस गई है, उनको आप हटा नहीं सकते, आप उनको सुविधा देना चाहते हैं, इसलिए मैं आपके माध्यम से भी चाहूंगा कि जहां भी कालोनी बसी हुई है, यह अलवर में ही नहीं, पूरे राजस्थान के शहरों में मंदिर माफी की जमीनों के ऊपर जो कालोनियां बन गई हैं, मार्केट बन गये हैं, इंस्टीट्यूशन्स बन गये हैं, अस्पताल बन गये हैं, स्कूलें बन गई हैं, उनका कोई न कोई रास्ता निकालकर उनको नियमित किया जाये ताकि राज्य सरकार को आय भी प्राप्त हो सके। वैसे तो पजेशन आज बिक रहे हैं, रजिस्ट्री तो नहीं हो रही है लेकिन कालोनियां काट रहे हैं, पजेशन लेकर मकान बना रहे हैं, आप प्रजातंत्र में रोक नहीं सकते, इसकी क्या व्यवस्था होगी? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप चाहे ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर कुछ भी करें...

श्री सभापति: विराजिये। माननीय श्री बी. डी. कल्लाजी। दो मिनट हो गये हैं आपके। कल्ला साहब, आप बोलिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): लेकिन शहरों में जहां भी इस तरह की कालोनियां बनी हुई हैं, उनका कोई न कोई रास्ता निकालकर नियमित किया जाना चाहिए। राजस्व मंत्रीजी यहां बैठे हैं...

श्री सभापति: बी. डी. कल्ला साहब, बी. डी. कल्ला साहब।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): स्वायत्त शासन मंत्रीजी बैठे हुए हैं। आप बताइये, इस पर क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं? यह भारी समस्या है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपको भी अवसर देंगे। पहले जो लिस्ट है, उसको एग्जास्ट करने के बाद देंगे अवसर। एक ही मेम्बर और रहा है बस। महीपालजी बाकी हैं।

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): मैं मेरी सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं।

श्री सभापति: एक मिनट विराजिये आप।

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): माननीय सभापति महोदय, यह जो मंदिर की जमीनें हैं और मंदिर को परपिचुअल माइनर माना है सैक्शन 46, टीनेंसी एक्ट में स्ट्रिक्टली प्रोवाइडेड मामला है कि कोई भी परपिचुअल माइनर की जमीन को ट्रांसफर नहीं कर सकते तो आप खुद मानते हैं तो कैसे नियमित हो सकती है? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): नहीं, तो आप उनको स्पष्ट कराइये, मंदिरों की जमीन वापस दीजिये। आपके हिसाब से अगर वह अनअथोराइज्ड हैं, मंदिर की जमीन वापस दीजिये। आप दोनों चीजें कर नहीं सकते हैं।

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): माननीय सभापति महोदय, अब आप दोनों चीज एडमिट कर रहे हैं तब कैसे सम्भव होगा?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप कोई कदम उठाइये। मैं कह रहा हूं कि कोई न कोई कदम उठाइये। लोगों को हटा आप सकते नहीं, नियमित आप कर नहीं सकते, उनको तोड़कर वापस आप मंदिर को दे नहीं सकते। इसका मतलब आप नियम से कुछ नहीं करें और बगैर नियम के लोग कब्जा करते जा रहे हैं, कालोनियां काट रहे हैं। कैसे रोक लगायेंगे? इस पर आप कोई कार्यवाही कराइये।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): माननीय सभापति महोदय, इसके बाद में बोल लूंगा।

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): माननीय सभापति महोदय, यह स्वायत्त शासन और नगरीय विकास, दोनों का आपसी साझा मामला है। इस बार जो नया टीनेंसी एक्ट ला रहे हैं, इसमें अपन लोग सुझाव देंगे और उसमें किस प्रकार से कैसे व्यवस्था हो सकती है, उसके बारे में अपन बैठकर अलग से चर्चा कर लेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: This is a typical matter and deserves thorough discussion. एक मिनट आप विराजिये। माननीय कल्ला साहब। दो-दो मिनट में सब बोल लेंगे, फिर आप बोल लेना।

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): माननीय सभापति महोदय, मेरी दो ही बातें हैं सिर्फ।

श्री सभापति: हां फरमाओ। एक मिनट आप विराजिये। बोलने दो इनको। (व्यवधान) आप तो वैसे ही बोलते रहते हैं, इनको तो बोलने दो।

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): सभापति महोदय, मेरी एक ही मांग है सरकार से कि विशेष श्रेणी के जो कनेक्शन हैं, सरकार कब तक समय सीमा बांध देगी कि कब तक दे देगी, मेरी पहली मांग तो यह है।

दूसरी यह मांग है कि शहीद कोटे के जितने भी कनेक्शन हैं, वह कब तक दे देगी? और तीसरी यह मांग है कि किसानों के बिल निकले हैं डबल है, जहां 40 का कनेक्शन है और 80 का कर दिया तो मेरा यह निवेदन है कि उनकी जांच करवाकर सही कब तक करवा देंगे? ये तीन ही मांग हैं मेरी और ज्यादा मांग नहीं हैं। समय-सीमा बता दें कि विशेष श्रेणी के कनेक्शन हैं, इस सीमा तक दे दिये जायेंगे।

श्री सभापति: आपके नेता प्रतिपक्ष ने भी यही बात कही, आप भी यही फरमा रहे हैं और सरकार ध्यान देगी, इसको रेस्पोंड करेगी।

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): मेरी तो यही मांग है। मैंने इसीलिए एक महीने से अन्न छोड़ रखा है। ये घोषणा अगर मंत्रीजी कर दें तो मैं वापस अन्न ग्रहण कर लूंगा। मेरी इतनी ही मांग है।

श्री सभापति: विराजिये। आपको कुछ कहना है इस सम्बन्ध में?

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): नहीं साहब, मेरा अलग से मामला है। आपने परमिशन दे दी।

श्री सभापति: आप एक मिनट विराजिये। मैं आपको अवसर दूंगा। पहले बी. डी. कल्ला साहब का नम्बर है। आप बोलें।

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): साहब, मंत्रीजी से घोषणा करवा दो।

श्री सभापति: अभी कैसे देंगे वह, आपकी बात सुन ली है। श्री बी. डी. कल्ला साहब।

कच्ची बस्तियों के विकास का फण्ड डाइवर्ट करने विषयक

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय सभापति महोदय, स्वायत्त शासन विभाग में एशियन डवलपमेंट बैंक से लोन लेकर एक योजना बनाई गई राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसके अन्तर्गत कच्ची बस्तियों में सुधार करना, रेलवे फाटक की समस्या का समाधान करना, सीवरेज स्कीम, ड्रेनेज स्कीम, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स हाथ में लिये गये। ये सम्भागीय मुख्यालयों पर राजस्थान में लागू किये गये।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस वेरी परपज के लिए यह योजना बनाई गई थी, उस परपज के फण्ड्स को डाइवर्ट कर दिया गया। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अजमेर में सीवरेज स्कीम 167 करोड़ रुपये की लागत से बनी, उसमें से मात्र 97 करोड़ रुपये खर्च हुए और उसके 70 करोड़ रुपये डाइवर्ट कर दिये गये। राजस्थान में जितने भी सम्भागीय मुख्यालयों की कच्ची बस्तियों पर पैसा इस परपज के लिए रखा गया था, उसको खुर्द-बुर्द करके दूसरे स्थानों पर लगा दिया गया। मैं उदाहरण देकर इसको बताऊंगा। एक-दो सम्भागीय मुख्यालयों में मेडिकल कालेज से संबंधित राज्य में जितने भी अस्पताल थे चाहे एस.एम.एस. अस्पताल हो, जोधपुर के मेडिकल कालेज से संबंधित अस्पताल हो, बीकानेर का पी.बी.एम. अस्पताल, कोटा का अस्पताल, इसी प्रकार से अजमेर का अस्पताल हो, इन सभी सम्भागीय मुख्यालयों के लिए 60 करोड़ रुपये की राशि रखी गई थी लेकिन इसमें से कांग्रेस के राज में जो खर्च हो गई, वह तो हो गई, बाकी राशि आज दूसरे मदों में डाइवर्ट कर दी। अब रहा सवाल सम्भागीय मुख्यालयों के ऊपर कच्ची बस्तियों का तो मैं उदाहरण देकर बताना चाहूंगा कि बीकानेर में कच्ची बस्तियों के लिए नो करोड़ रुपये की लागत से कच्ची बस्तियों के सुधार के कार्यक्रम हाथ में लिये गये थे, 22 करोड़ रुपये के सड़कों के कार्यक्रम हाथ

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

में लिये गये थे, 61.12 करोड़ रुपये की लागत से रेलवे के बाइपास बनाने का काम हाथ में लिया जाना था और इसी प्रकार से नौ करोड़ रुपये बीकानेर में पी.बी.एम. अस्पताल के लिए रखे गये थे। इस प्रकार 100 करोड़ रुपये आज बीकानेर में इन प्रोजेक्ट्स में रखे गये थे। कुल मिलाकर 213 करोड़ रुपये के थे।

सभापति महोदय, उसमें से 100 करोड़ रुपये इन्होंने डाइवर्ट कर दिये और मैं जानना चाहता हूं कि सम्भागीय मुख्यालयों के लिए, उसके सुधार के लिए आपने जो योजना बनाई, जिसमें जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, ये सभी सम्भागीय मुख्यालय थे, इन सम्भागीय मुख्यालयों के लिए कच्ची बस्तियों में पैसा कहां लगा और कहां नहीं लगा? जिस उद्देश्य के लिए यह योजना बनाई गई थी, वह तो खटाई में पड़ गई। आपको कच्ची बस्तियों में सड़क निर्माण करना था, वहां पर सीवरेज स्कीम लानी थी, वहां पर आपको अन्य व्यवस्था करनी थी, सीवरेज के अलावा ड्रेनेज की व्यवस्था करनी थी। यह सारी व्यवस्था खतम कर आपने यह सारा काम कर दिया।

दूसरा, आपने क्या किया? हाउस टैक्स माफ करने का वादा किया था। वह बड़ी मुश्किल से चार साल बाद में आपने उसको किया और अरबन डवलपमेंट टैक्स लगभग छह गुना आपने राजस्थान की जनता पर थोंप दिया तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, माननीय स्वायत्त शासन राज्य मंत्रीजी, इस बात को स्पष्ट करें कि आपने जो सम्भागीय मुख्यालयों के लिए जिन उद्देश्यों के लिए योजना बनाई थी, उन उद्देश्यों के क्रियान्वयन के लिए क्या कर रहे हैं? रेलवे बाइपास का क्या कर रहे हैं और अजमेर में भी एक बाइपास बनना है। बाकी बाइपास का आप क्या कर रहे हैं। आर.ओ.बी. का क्या कर रहे हैं? वहां आर.ओ.बी. बनाने की बात थी। एक आर.ओ.बी. बनाया, बाकी आर.ओ.बी. आपके नहीं बने तो इन सब बातों को आप स्पष्ट करें और कच्ची बस्तियों का जो पैसा आपने डाइवर्ट किया है, उसका आधार क्या रहा है, इस बात को भी स्पष्ट करें और अरबन डवलपमेंट टैक्स जो चार गुना आपने लागू किया है। उस हाउस टैक्स को, आपने हाउस टैक्स का माफ करने का वादा कर पिछले दरवाजे से छह गुना अरबन डवलपमेंट टैक्स लगाया है और यह टैक्स भी बढ़ता रहेगा। डी.एल.सी. की जैसे-जैसे रेट बढ़ेगी, यह सात गुना, आठ गुना, 10 गुना, 20 गुना हो सकती है इसलिए इस टैक्स को यदि कम नहीं करेंगे, जो शहरी पढ़े-लिखे लोग हैं, आपको कोई वोट नहीं देगा।

श्री सभापति: विराजिये। माननीय श्री महीपालजी मदेरणा साहब। (व्यवधान) आपका नम्बर उसके बाद में है। मदेरणा साहब. Do you want to say something? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): माननीय सभापति महोदय, मैं उनको करेक्ट कर देता हूं। जैसा कि बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी आर.यू.आई.डी.पी. में कच्ची बस्तियों के बारे में जिक्र किया है, मैं इनको बता दूं। पहले तो जो आपने 100 करोड़ रुपये की बात की बीकानेर की, उसके अन्दर आपका रेलवे का पुल का था तो दो पुल तो बन रहे हैं...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पुल का नहीं था, रेलवे बाइपास था, आप नये मंत्री हो, आप पुराने मंत्रियों से पता कर लो।

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): हां, आठ जगह रेलवे क्रासिंग है, दो जगह...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं स्वयं स्वायत्त शासन मंत्री रहा हुआ हूं, मैंने 61 करोड़ 12 लाख रुपये मंजूर किये थे रेल बाइपास के लिए।

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): आप मेरी बात सुन लें, आपने बोल लिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वह स्वीकृति कहां अटकी। रेलवे बाइपास की मंजूरी भारत सरकार ने नहीं की।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): भारत सरकार में कहीं नहीं अटकी, आप तो बीच में हर जगह ऐसे-ऐसे करते रहते हो। लालूप्रसादजी से मिलकर आया हूं मैं। लालूप्रसादजी ने कहा, आज राजस्थान सरकार आये, मैं एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप असत्य वाचन कर रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं कर रहा हूं मैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप ऐसे-ऐसे करके क्या, ऐसे कोई, आप असक्षम हैं, आपने बीकानेर का प्रतिनिधित्व ठीक नहीं किया।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): क्या ठीक नहीं किया? हां, आप चलिये मेरे साथ, मैं एग्रीमेंट कराने के लिए तैयार हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अब लालूप्रसाद से मिलना याद आया आपको।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप जानबूझ कर एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप भूल रहे हैं कि मुख्य मंत्रीजी ने सबको बुलाया था, इस पर पूरी विस्तृत चर्चा हुई थी। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): और सभापति महोदय, इनकी वहां तो चलती नहीं है...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): रेल मंत्रालय एग्रीमेंट करने के लिए तैयार है, आप एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, आप यह कह रहे हैं कि रेल... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मुझे वह दिन, सभापति महोदय...

श्री सभापति: बिराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह तीन-तीन घंटे... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपको मालूम नहीं है। आपको मालूम नहीं है।

श्री सभापति: प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह तीन घंटे लालूप्रसादजी के चपरासी बेणीप्रसादजी के साथ बैठे रहे, इनसे बात नहीं की उन्होंने।

श्री सभापति: बिराजें, बिराजें आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): क्या बात कर रहे हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): लालूप्रसादजी के चपरासी बेणीप्रसाद के साथ बैठे रहे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपको मालूम नहीं है, आप बिलकुल असत्य बोल रहे हैं।

श्री सभापति: गोयल साहब, बैठिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं रेल मंत्री के साथ वहां पर जब भरतपुर में...(व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजें गोयल साहब। गोयल साहब।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नई रेल लाइन मथुरा की शुरू हुई थी, उनके साथ स्पेशल ट्रेन में बैठकर आया था और उन्होंने रेल के...(व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अधिकारियों को निर्देश दिये थे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): किस जगह बैठे थे आप, किस जगह बैठे थे, सही-सही बताऊं, कहां बैठे थे आप।

श्री सभापति: प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, कुछ बातें ऐसी हैं, चलो कोई बात नहीं, पर आप...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं रेल लाइन की शुरूआत में उनके साथ आया हुआ हूं, साथ गया हुआ हूं और बीकानेर का प्रतिनिधि मण्डल जिसमें आपकी पार्टी के लोग भी सम्मिलित थे...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप तो यह स्वीकार करें कि भारत सरकार ने बीकानेर के साथ अन्याय किया है और उस अन्याय में बी. डी. कल्ला साहब शामिल हैं। भारत सरकार ने अन्याय किया।

श्री सभापति: विराजिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपकी पार्टी के लोग भी सम्मिलित थे, उन्होंने यह साफ कहा था कि राजस्थान की सरकार आये, जो एग्रीमेंट हमने भेजा है उसको दस्तखत करे, मैं आज भी उसको डिपोजिट वर्क के रूप में कराने के लिए तैयार हूं। आपको मालूम तो है नहीं।

श्री सभापति: गोयल साहब कुछ कह रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपने तो वहां पर प्रभारी मंत्री रहते हुए कहा, हम बीकानेर की सड़कों को चमाचम बना देंगे।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्रीजी बोल रहे हैं, गोयल साहब कुछ कह रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सारा बीकानेर आपको कोस रहा है।

श्री सभापति: माननीय कल्ला साहब, गोयल साहब कुछ कह रहे हैं, प्लीज कम्पलीट इट विद-इन टू मिनट्स।

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): एक मिनट में बताता हूं। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा, मैं इनको निवेदन कर दूं कि यह...

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने...(व्यवधान)

श्री सभापति: दो मिनट में कम्पलीट करें। हर चीज में एक्सप्लेन करना कोई आवश्यक नहीं है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन) : माननीय सदस्य ने यह कहा, मैं इनको निवेदन कर दूं कि यह छह शहरों के लिए 1656.49 करोड़ के पैकेज मंजूर हुए थे, इसमें 208 पैकेज थे। यह 1656.49 करोड़ थे, 208 पैकेज थे और जिसमें से 186 पैकेज पूरे हो गये हैं, 22 पैकेज पर काम चल रहा है और मैं आपको बता दूं, चार आरओबी के लिए कहा था, दो आरओबी का रेलवे बोर्ड ने माना कि यह फिजीबल नहीं हैं, एक तो यह बात है। दूसरा आपने कहा कच्ची बस्ती के मामले में, कच्ची बस्ती के लिए बीकानेर में जब एक बार टेण्डर किया तो डबल रेट आ गई, तो निरस्त किया, दोबारा टेण्डर काल किया तो कोई टेण्डर देने नहीं आया। सभापति महोदय, मैं निवेदन कर दूं कि तीन जगह कच्ची बस्तियों में, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, इनमें काम नहीं हुआ कच्ची बस्ती का। 2002 के पहले अस्पतालों का डवलपमेंट करने के लिए मंजूरी नहीं थी, फिर बाद में सहमति से अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण करने के लिए वह पैसा डाइवर्ट किया गया था, पहला और दूसरा यह जयपुर-बीसलपुर योजना थी, उसमें पैसे की कमी थी और इस कारण पैसा उसमें डाइवर्ट किया गया था और यह सब उनके टाइम में हुए हैं, 2002 में। 2002 में हुए हैं। 2002 की बात बता रहा हूं आपको। (व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजें आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): बिलकुल गलत बात है।

श्री सभापति: बहुत बढ़िया, बढ़िया।

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): मेरा निवेदन है सभापति महोदय, कि हमारा इंटेंशन बिलकुल क्लियर है, हम राजस्थान के शहरों का विकास करना चाहते हैं। पहले छह सम्भागीय स्तर को लिया और अब सत्रह शहरों को और 1560 करोड़ रुपये खर्च करके उनकी आधारभूत संरचनाओं का विकास करेंगे। सभापति महोदय, हमारी नीयत साफ है।

श्री सभापति: बिराजें। महीपालजी मदेरणा साहब।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक मिनट। सभापति महोदय, इन्होंने कच्ची बस्तियों के बारे में तो स्वीकार किया है कि उदयपुर, जयपुर और बीकानेर की कच्ची बस्तियों का पैसा डाइवर्ट किया है और बीकानेर का तो...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): किसने किया है?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): रेलवे बाइपास की योजना थी, आरओबी बनाने की योजना ही नहीं थी और मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं...(व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपके समय में डाइवर्ट हुआ है सभापति महोदय, सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि मैं रेलवे बाइपास बनाऊंगी।

श्री सभापति: आप दोनों विद्वान हैं, बाद में बात कर लेना, आप डिसकसन कर लेना, बैठें आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): लेकिन उसके बाद बीकानेर की जनता के साथ धोखा किया। 70 करोड़ रुपये अजमेर की जनता के साथ आपने सीवरेज स्कीम में बचाया तो यह धोखा चलने वाला नहीं है और फिर आपने अरबन डवलपमेंट टैक्स लगाया है।

श्री सभापति: विराजिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उससे राजस्थान के उन सम्भागीय मुख्यालयों के लोगों में रोष है और मैं कहना चाहता हूं....

श्री सभापति: विराजिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कि आपने मूल रूप से इन योजनाओं को लागू नहीं किया तो कोई भी व्यक्ति आपका साथ नहीं देंगे।

श्री सभापति: माननीय मदेरणा साहब। (व्यवधान) बिराजें, आप बिराजें। सांगसिंहजी, ऐसा तो चलता रहता है।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: यह आवश्यक नहीं है, यह तो चलते रहते हैं, बिराजो आप।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): आप कितनी बार केबिनेट मंत्री रहे हो, आपने बीकानेर की जनता के साथ कितनी बार धोखा किया?

श्री सभापति: विराजिये।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): आपने सूरसागर का क्या किया?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सूरसागर की योजना मंजूर है, सूरसागर की योजना के लिए 42 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं और सूरसागर का काम पूरा होने वाला है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मदेरणा साहब।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): और यह आरओबी, यह रेल बाइपास का काम भी मैंने ही मंजूर किया था।

श्री सभापति: कल्ला साहब, बिराजें। यह क्या डिबेट चालू कर दी।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): क्या बात करते हैं आप। दो-दो विश्वविद्यालय किसने बनाये वहां पर, इंजीनियरिंग कालेज किसने खोले?

श्री सभापति: माननीय मदेरणा साहब। मदेरणा साहब।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): सभापति महोदय, होली का दिन, रंगों का त्यौहार है।

श्री सभापति: ज्यादा समय खराब मत करिये। बार-बार में खड़े हो जाते हैं यह, बोलने तो दो आपको।

होली के दिन पाली जिले के बर कस्बे में बिगड़ी कानून-व्यवस्था

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): होली के दिन, रंगों का त्यौहार जिसके ऊपर भाईचारा रहना चाहिए और उस दिन हिंसक ताण्डव, कानून-व्यवस्था की बदहाल स्थिति बर कस्बे की और वह भी ऐसा हिंसक ताण्डव, जो एक डीवाईएसपी की शह पर हुआ और उसकी शह पर कस्बे के असामाजिक तत्वों ने एक मिठाई के छोटे प्रतिष्ठान को पैट्रोल बम को फेंक कर जला कर

(श्री महीपाल मदेरणा)

राख कर दिया और पास की दुकानें भी जल गईं। यह एक डीवाईएसपी का षडयंत्र, पूर्व दुराग्रह, टारगेटेड रूप से उस कस्बे की कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए कार्य किया गया। मुझे नहीं मालूम क्या कारण रहे होंगे कि एक डीवाईएसपी इस तरीके का कार्य करे जिसकी स्वयं की जिम्मेदारी और जवाबदारी होती है और वह स्वयं वहां पर इस कस्बे के अन्दर कानून और शांति व्यवस्था को भंग कर रहा था। मैं समझता हूं कि इतनी शर्मनाक घटना शायद ही...I do condemn and government should also condemn such situations. यह भी नहीं, इन तत्वों ने गरीब लोगों के घर जला दिये। जब उग्र रूप हो गया, सिचुएशन आउट आफ कंट्रोल हो गई, डीवाईएसपी का बस नहीं चला और उन असामाजिक तत्वों ने मिलकर गरीब लोगों के जो छोटे घर हैं, बस्ती रहते हैं, वह भी जला दिये और उन लोगों को उकसाया गया, डीवाईएसपी महोदय स्वयं मौके पर उनको उकसाते रहे और उकसाने के बाद जो लोग रक्षक हैं...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र का मामला है। आप इस प्रकार से गलतबयानी नहीं कर सकते यहां हाउस के अन्दर। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): सभापति महोदय, डीवाईएसपी आपका मर्जीदान हो सकता है, माननीय गृह मंत्रीजी, इसकी जांच सदस्यों से करा दें।

श्री सभापति: बिराजें। बिराजें।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अगर डीवाईएसपी की मौजूदगी में नहीं जलाई गई हो दुकानें तो मैं विधान सभा से त्यागपत्र देने को तैयार हूं, यह बिलकुल उसका साफ-साफ पक्ष ले रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): एस.पी जैतारण का, एसडीओ जैतारण डाक बंगले में बैठा हुआ था और डीवाईएसपी मौके पर खड़ा था।

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी, बोलिये आप। लेट हिम स्पीक, बोलने दें आपको।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय सभापतिजी, आप सदस्यों की यहां कमेटी बना दीजिये।

श्री सभापति: आप बोल रहे हैं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अगर डीवाईएसपी की मौजूदगी में नहीं किया हो...

श्री सभापति: आप अपना बोल सकते हैं, बिराजें आप।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): चार घंटे तक पुलिस खड़ी रही, जला दिया और यह उसका पक्ष कर रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय मदेरणा साहब।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): उन गरीब लोगों के घर जला दिये, आप लोगों को पता नहीं है। अब आप उसके पक्ष की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: मदेरणा साहब को बोलने दीजिये आप। (व्यवधान) प्लीज। (व्यवधान) आप मदेरणा साहब को बोलने दीजिये।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): अगर आप स्वयं जवाब देना चाहते हैं तो होम का पोर्टफोलियो ले लीजिये। या तो कह दीजिये, होम मिनिस्टर सिचुएशन का वक्तव्य नहीं दे सकते, आप स्वयं खड़े होकर के जवाब देने लग गये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): मैं यह बात नहीं कर रहा।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): आप नहीं हैं।

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): एक मिनट, माननीय सदस्य। मैं, माननीय सदस्य, यह निवेदन कर रहा हूं आपसे कि हाउस के अन्दर कम से कम साफ-सुथरी बात आनी चाहिए।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): बिलकुल साफ-सुथरी बात कह रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): कम से कम साफ भी आना चाहिए।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अगर डीवाईएसपी की मौजूदगी में दुकानें नहीं जलाई गई हो तो सदन के सदस्यों की एक समिति बना दें और अगर गलत निकल जाय तो मैं इस्तीफा दे दूं, नहीं तो सुरेन्द्र गोयल इस्तीफा दें। आप उसका पक्ष कर रहे है। माननीय सुरेन्द्रजी गोयल, आप मंत्री हैं लेकिन, मैं कह रहा हूं सभापति महोदय...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): डीवाईएसपी, एसडीओ वहीं थे।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): होम मिनिस्टर की अध्यक्षता में बना दीजिये।

श्री सभापति: बैठिये। बैठिये आप। विराजिये।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): और उसके बाद फैसला करा दीजिये।

श्री सभापति: विराजिये, बिराजें आप। आप विराजिये, वह कह रहे हैं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): एक डीवाईएसपी खड़ा रहे और एसडीओ जैतारण का वहां डाक बंगले में बैठा हुआ है और...

श्री सभापति: मंत्रीजी, आप (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): मैं कह रहा हूं न।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): और चार घंटे बाद में दुकान को जला दिया गया, मैंने गृह मंत्रीजी से उदयपुर में बात की, मैंने एस.पी. से बात की।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): थानेदार को कहा, थानेदार की ड्यूटी सोजत लगी हुई थी, वहां उसको बुलाया और यह उसका पक्ष कर रहे हैं विधान सभा के अन्दर।

श्री सभापति: मदेरणा साहब को कम्पलीट करने दें, प्लीज, आप बैठें। मंत्रीजी, आप भी बैठें अब। मंत्रीजी, बिराजें।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): गरीब लोगों की, जो पैंतालीस-चालीस लोगों के, गरीबों के... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): माननीय सभापति महोदय, मैं एक मिनट में कह दूं, यह बात कर रहे हैं... (व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट आपको क्या बात करने दें, आप तो बाद में जवाब दे दीजिये। आप विराजिये। आप विराजिये।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): यह असत्य बोल रहे हैं तो इसका फैसला कर दीजिये।

श्री सभापति: आप विराजिये ना।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अगर डीवाईएसपी की मौजूदगी में...

श्री सभापति: आप विराजिये न। आपको बोलने दें पहले आप। मंत्रीजी, आप भी विराजिये। आप पहले अपना कथन कम्पलीट करें, प्लीज। कोई बीच में नहीं बोले। क्या है बीच-बीच में। यह कोई सब्जी बाजार है क्या। This is not a torture chamber.

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): सभापति महोदय, मैं सोमवार को पाली जिले के दौरे पर था और इस हिंसक घटना के बारे में जानकारी मुझे मिली और मुझे पता लगा कि ऐसी घटना घटित होना सब के लिए शर्म की बात है। कस्बे के अन्दर कानून-व्यवस्था को बिगाड़ना, उसको उग्र रूप करना, एक व्यापारिक प्रतिष्ठान को जलाना और पुलिस मूकदर्शक बनी रहे, पुलिस प्रशासन, एस.पी. सोते रहे, उस मुख्यालय पर उसने कोई भी इसको निपटने के लिए कोई कठोर प्रयास नहीं किये, ठोस प्रयास नहीं किये और पुलिस प्रशासन की इतनी ढीली नीति के कारण क़स्बे के अन्दर कई घंटों तक यह सारी लूटपाट इन असामाजिक तत्वों के हवाले होती रही और सख्त कदम उठाने के लिए कोई भी अधिकारी वहां नहीं आया। इस सिचुएशन को इतनी बिगाड़ दी इसके लिए पुलिस प्रशासन दोषी है। इस तरह से पुलिस फोर्स ने सिचुएशन की अनदेखी की। यह स्वाभाविक है कि पुलिस पर संदेह ज्यादा है। इसके कारण स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश और भय व्याप्त है कि जो प्रशासन हमारी रक्षा करेगा, वह स्वयं नहीं उठा। एस.पी. डा. प्रशाखा माथुर ने कोई भी सिचुएशन कंट्रोल करने में उदासीनता दिखाई है, the S.P. totally failed to control the situation. She did not take any immediate steps to ensure normal situation in the town. She didn't care. She was sitting and playing Holi with her family. She didn't have time कि हमारा काम क्या है? हमको कानून व्यवस्था के लिए कितना समय दिया जाना चाहिए? किस तरीके से जो हमारे पास जिम्मेदारी है, जवाबदारी है? मैं यह मानूंगा, it is being presumed, the public will presume that the S.P. has failed in controlling the situation and she is wholly responsible for this.

श्री सभापति: विराजें आप, हो गया।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): पाली ज़िले के घर पर बैठे सिचुएशन का आंकलन नहीं कर सकी, फोर्स को टाइमली वहां भेज नहीं सकी, मैं तो कहता हूं कि it is a very critical situation. Why wasn't the S.P. active there?

श्री सभापति: विराजें आप।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): अगर यही बात है कि एस.पी. लगाओ और वह एक्टिव नहीं है और उनकी वजह से, उनके आंकलन की वजह से, उनके सही निर्णय की वजह से, टाइमली एक्शन की वजह से अगर स्थिति बिगड़ती है तो कोई दोषी नहीं है, पुलिस प्रशासन का एस.पी. दोषी है, वह टीम का कप्तान होता है।

श्री सभापति: आप विराजें, हो गई बात आपकी पूरी।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): एक मिनट सर, साथ ही साथ जिला कलक्टर जिसकी जिम्मेदारी और जवाबदारी है कि ज़िले के अन्दर शांति व्यवस्था कायम रहे, वह अपने परिवार और आमजन नागरिकों के साथ पाली मुख्यालय पर होली खेलता रहे। उन्हें कोई चिंता नहीं थी कि गरीब के घर जले, क़स्बे जले और वह चैन से बैठे रहे। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें आप...(व्यवधान) विराजें-विराजें, उनकी कोई डिबेटिंग नहीं है इसमें।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): डिबेटिंग नहीं है तो पाइंट (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें आप।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): पकड़ो न, आप पकड़ो...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप लोग विराजें, माननीय राठौड़ साहब विराजें।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): आपका रिश्तेदार भी कर रहा था तो उसको भी पकड़वाओ, मेरा रिश्तेदार भी करता है तो उसको भी पकड़वाओ।

श्री सभापति: हो गई आपकी बात, मदरेणा साहब विराजें आप।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): एक और देख लीजिए...

श्री सभापति: बस हो गई आपकी बात, गृह मंत्रीजी के नालेज में भी आ गई है, कंसर्निंग मिनिस्टर के भी आ गई है।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): आप सुनिए तो सही, पुलिस फोर्स पुलिस लाइन में बैठी थी, एडीशनल एस.पी. को यह कहा गया कि टाइमली फोर्स वहां पर उपलब्ध कराई जाए। जब वह पुलिस लाइन पहुंचे तो पता नहीं वह फोर्स किस मूड में थी और जिसके कारण क्या स्थिति में थी? वह खुद ही नहीं सम्भली हुई थी, वो स्थिति क्या सम्भालती? The entire Police Line was in a mood of 'masti' जिसके कारण समय पर फोर्स वहां नहीं पहुंच सकी।

श्री सभापति: विराजें आप, हो गया आपका।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): और उसके कारण एस.पी. नहीं कह सका और कलक्टर को सही समय पर सिचुएशन का पता नहीं चला।

श्री सभापति: मदरेणा साहब विराजें आप प्लीज।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): इनके खिलाफ एस.डी.ओ., कलक्टर, एस.पी. मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर यह घटना नहीं घटित हो तो इन सबको तुरन्त प्रभाव से सरकार को निर्णय लेकर के, आप तो बहुत... (व्यवधान) इन सबको निम्लबित करना चाहिए, दोषी अधिकारियों को निम्लबित करना चाहिए।

श्री सभापति: विराजें आप, क्या कहना है आपको?

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सभापति महोदय, एक मिनट.. (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें प्लीज। एक मिनट बैठे आप। गृह मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, एक मिनट मेरा गृहमंत्री महोदय आपसे यह है कि बर की घटता तो है ही, साथ-साथ में चित्तौड़ की घटना का भी आप वक्तव्य फरमा दें।

श्री सभापति: विराजें आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूं, वह तो जैसा आसन आदेश करेगा...(व्यवधान).

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आसन से प्रार्थना है, गुजारिश है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सभापति महोदय, कल नहीं हो पाया, आज आप स्टेटमेंट करा दीजिए। मंत्रीजी तैयार हैं, आप निर्देश दे दीजिए।

श्री सभापति: विराजें तो सही आप। आप सब एक साथ बोलने लग जाते हैं, एक माननीय सदस्य कहेगा तो वही बात, दस माननीय सदस्य कहेंगे तो भी वही बात, उससे क्या फर्क पड़ता है?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, हम बोलना नहीं चाहते हैं।

श्री सभापति: अभी आपने कहा था पहले और अब अभी पूछते हैं हम। इस बारे में बोल रहे हैं कुछ आप, इसी बारे में कह रहे हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): हां।

श्री सभापति: आप फरमायें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): सभापति महोदय, यह जो बर की घटना है, जो कही है एक तो थोड़ा सा यह कन्फ्यूजन हो रहा है कि यह धुलेंडी के दिन थी या यह होली का दिन था। यह होली का दिन था, न कोई रंग खेल सकता है, न कोई रंग खेल रहा था, यह होली का त्यौहार था। उस दिन बारावफात भी साथ थी, होली भी साथ में थी और इसके कारण से सारे ज़िले में और सारे प्रदेश में जो भी पुलिस ला एण्ड आर्डर को मेंटेन करने के लिए थी, सब अपनी-अपनी जगह जहां-जहां उनको रहना आवश्यक था और विशेषकर के जहां साम्प्रदायिक उन्माद होने की सम्भावना है, उसके अनुसार उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई। फिर भी जो घटना हुई है वह मैं सदन के सामने रख रहा हूं और मैं माननीय सदस्यों से आग्रह कर रहा हूं कि किसी भी बात को बढ़ा-चढ़ा कर के बताने से नहीं अगर उसमें कोई कमी रही तो आप जरूर उसको इंगित करें कि यहां कमी रही है। उसके बारे में मैं जो भी वस्तुस्थिति है वह आपके सामने रख रहा हूं। उसके बाद में कोई सवाल आपके दिमाग में आये, अगर मैंने कोई भी चीज छिपाई हो, कोई मैंने कमी रखी हो तो फिर आप उसे बतायें। दिनांक 21.03.2008 को प्रात:काल के लगभग साढ़े नो बजे बर बस स्टैण्ड के निकट चौराहे पर न्यू जोधपुर स्वीट होम नामक मिठाई की दुकान के सामने कुछ लोगों ने तीन गायें और दो बछड़ों के शव लाकर के रख दिये तथा यह आरोप लगाया कि यह गाय और बछड़े उक्त दुकान में थैले का पानी जो वेस्टेज निकलता है, पीने से मर गई। इसको लेकर यहां लगभग ढाई सौ-तीन सौ की भीड़ इकट्ठी हो गई। 9.40 ए.एम. पर दुकान मालिक कमल किशोर वैष्णव द्वारा थाना रायपुर पर फोन किया गया। जिस पर थाने से एक सहायक उप निरीक्षक और चार कानिस्टेबल बर के लिए रवाना हुए। चौकी बर पर तैनात एक हैड कानिस्टेबल और तीन कानिस्टेबल मौक़े पर मौजूद थे। उत्तेजित भीड़ दुकान को बंद कराने एवं वहां से हटाने की मांग कर रही थी। आप विषय को समझिए। उनकी मांग यह थी कि दुकान यहां से हटाई जाए और इसको हमेशा के लिए बंद कराई जाए। यह विषय था उनका। भीड़ धीरे-धीरे बढ़ने लगी और उत्तेजित थी। 10.45 ए.एम. तक वृत्ताधिकारी जो डी.वाई.एस.पी. जिसके बारे में कह रहे हैं वह जैतारण, थानाधिकारी सेंदड़ा, थानाधिकारी जैतारण और रायपुर मय पुलिस बल के वहां पहुंचे तथा भीड़ को समझाइश करने लगे। परन्तु उसके बावजूद भीड़ शांत नहीं हुई। इस दौरान... (व्यवधान) आप मेरी बात खतम होने के बाद कहिए, आपको पूरा अधिकार है, मेरी बात से कहीं भी आप असहमत हैं तो आप जरूर कहें।

श्री सभापति: You have no right to interrupt like this. Please hear him patiently. आपकी बात सुन ली है, इनकी बात सुनें आप, बाद में करना आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): कहीं भी असहमत हो आप में से कोई भी हो जरूर कहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भीड़ शांत नहीं हुई। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने इन्हें समझाइश की लेकिन इसके दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बाली, एस.डी.एम. जैतारण, तहसीलदार जैतारण भी मौके पर पहुंचे। लगभग 12 बजे तक पहुंच गए। इन अधिकारियों द्वारा समझाइश के बावजूद भी भीड़ शांत नहीं हुई। एस.डी.एम. जैतारण और पुलिस के अधिकारी उत्तेजित व्यक्तियों से वार्ता करने हेतु दुकान के पास स्थित डाक बंगले गये। उनके साथ में भीड़ में से लगभग डेढ़ सौ-दौ सौ व्यक्ति भी गये। यह भीड़ दुकान को तुरन्त बंद कराने तथा उसे बर में नहीं चलने देने की मांग कर रहे थे। उनको एफ.आई.आर दर्ज कराने और आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आश्वस्त किया गया था। परन्तु उनमें से 50-60 व्यक्ति वार्ता से असंतुष्ट होकर सीधे घटनास्थल पहुंचे तथा वहां मौजूद भीड़ के साथ मिलकर उक्त मिठाई की दुकान में तोड़फोड़, लूटपाट प्रारम्भ की तथा अंततः दुकान में एक गैस सिलेंडर से आग लगा दी। इस दौरान कुछ अन्य गैस सिलेंडर में आग लगने से आग और भी फैल गई। इस समय तक भीड़ की संख्या लगभग 700-800 हो गई। एस.डी.एम. जैतारण द्वारा चेतावनी देने पर भीड़ नहीं हटी तब उस भीड़ को हल्के बल प्रयोग द्वारा तीतर-भीतर किया गया। 25 व्यक्तियों को निरोधात्मक रूप से 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। पथराव से 17 पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों के चोटें आई। मिठाई की दुकान में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी के सम्बन्ध में मुकदमा नम्बर 91/08 धारा 147, 48, 149, 436, 455, 380 दर्ज किया गया तथा राज्य कार्य में बाधा पहुंचाने और पुलिस बल पर हमला करने के सम्बन्ध में मुकदमा नम्बर 92/08, 147, 148, 149, 322, 353, 30 और 336 दर्ज किया गया। मृतक गायों की फोटोग्राफी करवाई, उनका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया तथा विसरा लिया गया, जिसे जांच हेतु एफएसएल भेजा गया। मिठाई की दुकान से खोली के पानी का नमूना भी लिया जिसकी जांच कराई जाएगी, उसको भेजा है जांच के लिए, मुकदमा नम्बर 91/2008 में कुल पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जो 27.3.2008 तक पुलिस अभिरक्षा में हैं तथा मुकदमा नम्बर-92 जिसमें मुल्जिमों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 18 मुल्जिम न्यायिक

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अभिरक्षा में हैं, एक बाल अपचारी की जमानत हो गयी है, अन्य अभियुक्तगणों की तलाश जारी है। जो विषय आपने कहा कि डीवाईएसपी व पुलिस मौजूदगी है, मैंने इसमें छिपाया नहीं कि मौजूदगी नहीं है। मैंने यह कहा है कि डाक बंगले में समझाइश के लिए प्रयास किया और उसके लिए वो लोग वहां गये थे और आये तब तक आग लग गयी, पुलिस प्रजेंट थी और इसमें...(व्यवधान) एक सेकण्ड आपको जहां भी लगे, आपको लगे कि इसमें मैं सोचता हूं कि मैं किसी व्यक्ति को यहां टॉरगेट बनाने के लिए तो नहीं हूं पर यह जरूर है कि मैं यह सारी जांच सम्भागीय आयुक्त को दे रहा हूं 15 दिन में अगर इसमें कहीं भी पुलिस की या मेरे किसी अधिकारी की कोई कमी रही है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर मैं कार्यवाही करूंगा। मैं किसी को बचाने के लिए नहीं हूं, लेकिन किसी को इंटेंशनली टारगेट बना करके और किसी पुलिस अधिकारी को आप यहां सज़ा दिलाने का दबाव डालेंगे यह सम्भव नहीं हो सकेगा।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): सभापति महोदय।

श्री सभापति: Matter ends now.

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री...

श्री सभापति: खतम हो गयी बात।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): मेरी बात नहीं। बात कहां हुई है। माननीय गृह मंत्रीजी ने जो बात कही है डाक बंगले में..(व्यवधान)

श्री सभापति: आपने कह दिया है कि जांच होगी तब पता लगेगा। माननीय, विराजिये आप। नो।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): बता दिया। कह दिया।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): वो ही आदमी तफ़तीश कर रहे हैं चालीस-पचास आदमियों को पकड़ लिया ।

श्री सभापति: नो-नो, बैठिये आप। आपने पूरी बात कह दी. No, no, this is not the stage now. Please sit down.

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): जिस पुलिस बल ने किया वो ही उसकी तफ़तीश कर रहा है आप कम से कम ये करायें कि मुक़दमों को सीआईडी (सीबी) में दीजिये। आप मुक़दमों को सीआईडी (सीबी) में दीजिये, वो ही डीवाईएसपी इसकी तफतीश कर रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): एक सेकण्ड आपको लगता है... (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये आप। विराजिये आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): एक मिनट। आपको लगता है कि जो पुलिस वहां मौजूद थी और जिसके खिलाफ शिकायत है वो ही जांच करेगी तो निर्दोष लोगों को फंसायेगी। मैं निश्चित रूप से जांच बदल करके उस क्षेत्र से निकाल करके दूसरे क्षेत्र में दूंगा और सही जांच होगी।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): पाली जिले से बाहर आप कहीं करा दें। आप सीआईडी (सीबी) में नहीं कराना चाहते हैं तो पाली जिले से बाहर कहीं करा दें, दोनों मुक़दमों की जांच करवायें।

श्री सभापति: विराजिये। विराजिये। Matter ends now.

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आपको जो इन्फोर्मेशन दी गयी है गृह मंत्रीजी, वो गलत दी गई है जिसमें डाक बंगले के...(व्यवधान) माननीय सभापतिजी...(व्यवधान)

श्री सभापति: बात हो गयी सारी। सारे लोग गिरफ्तार हैं एक अपचारी बालक है, एक माइनर बच्चा है वो हो गया है, उसकी हो गयी न बात।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): प्रश्न यह नहीं है, आपको जो इन्फोर्मेशन दी गयी है गलत दी गई है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): एक बात सभापति महोदय, ...

श्री सभापति: आप क्या चाहते हो आगे हाउस चले नहीं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): (व्यवधान) डाक बंगले के अन्दर समझौते की वार्ता हुई उसके बाद में डीवाईएसपी पास में खड़े हुए थे और उसके बाद में आग लग गयी है। अगर समय पर...(व्यवधान) डीवाईएसपी निषेधात्मक कार्यवाही करते तो यह घटना ही नहीं होती।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): सभापति महोदय, एक बात माननीय सदस्य को और सदन को...

श्री सभापति: विराजिये आप। एक मिनट विराजिये आप। प्लीज।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): लेकिन इन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की उसके परिणामस्वरूप...(व्यवधान) इससे ज्यादा पुलिस फेल्योर हो नहीं सकती... (व्यवधान)

श्री सभापतिः हो जाएगी । जांच हो जाएगी। (व्यवधान) विराजिये। विराजिये।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप बतायें क्या है यह? इतनी घटना हो और आप...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): सभापति महोदय, रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य...(व्यवधान) इतना होने के बाद आप जो आरोप लगा रहे हो...

श्री सभापतिः आहोर से आने वाले माननीय सदस्य, विराजिये आप। नो।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आपको मैंने स्वयं ने उदयपुर में टेलीफोन किया है एसपी को दस टेलीफोन किये होंगें। (व्यवधान)

श्री सभापतिः आप सब...(व्यवधान) कोई भी अंकित नहीं हो। बैठिये आप (व्यवधान) बैठिये आप।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री सभापतिः बैठिये आप। क्या कह रहे हो आप?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं आज दिन तक पुलिस...(व्यवधान) पचास साल में कभी सदस्यों की कोई कमेटी गयी है क्या?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): सदस्यों की कमेटी जाएगी क्या? सदस्यों की कमेटी पुलिस की जांच करेगी यहां से जाकर? सम्भागीय आयुक्त उसके लिए अधिकृत हैं। (व्यवधान)

श्री सभापतिः विराजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): एक बात समझ लें आप अगर आप किसी दबाव में यह करना चाहें तो...(व्यवधान) कुछ भी कर लो...(व्यवधान) मानने के लिए तैयार हूं...(व्यवधान) दबाव से आप कुछ कराना चाहें तो (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री सभापतिः देवल साहब, विराजिये न आप। देवल साहब, विराजिये प्लीज।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): × × ×

श्री सभापति: देवल साहब, विराजिये।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): × × ×

श्री सभापति: बैठिये आप। राजपुरोहित साहब, विराजिये आप। कोई अंकित नहीं होगा। राजपुरोहितजी, बैठिये। आपकी कोई बात अंकित नहीं हो रही है. Please sit down. बैठिये आप। प्लीज, बैठिये आप।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): × × ×

श्री सभापति: No, not allowed. यह डिबेटिंग का प्रश्न नहीं है। आपको क्या कहना है? (व्यवधान) आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): × × ×

श्री सभापति: नहीं, आप नहीं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): × × ×

श्री सभापति: एक मिनट, हां बोलिये साहब।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): सभापति महोदय, हमने किसी भी अधिकारी को टॉरगेट नहीं किया है जो सिचुएशन हमको पता थी वो बतायी है। हमारा कोई टॉरगेटेड नहीं है – वन। सेकण्ड – आपने सम्भागीय आयुक्त से जांच कराने का फैसला किया है मैं आपके इस फ़ैसले का स्वागत करता हूं और निष्पक्ष जांच 15 दिन में आप करायेंगे मुझे पूरा भरोसा है।

श्री सभापति: पूनियाजी। एक मिनट, पूनियाजी कुछ कह रहे हैं। वो बहुत देर से...(व्यवधान) एक मिनट विराजिये आप। प्लीज।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): × × ×

श्री सभापति: पूनिया साहब। पूनियाजी, फरमायें क्या कह रहे हैं आप।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): सभापति महोदय, भादरा कस्बे में 112 दिन से हजारों किसान धरने पर बैठे हुए हैं उनकी मांग है कि उनको पानी पूरा दिया जाए और जो स्टाफ की कमी है उसको पूरा किया जाए।

श्री सभापति: यह कहां से आ गया बीच में ही?

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): आपने मुझे परमीशन दी थी।

श्री सभापति: विराजिये। मैंने देखा आप कोई विशेष बात कह रहे हैं। आपको कहना था, वो कह ही दिया।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर)ः मैं पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के माध्यम से बताना चाहता हूं, साहब।

श्री सभापतिः अब विराजिये आप।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर)ः...(व्यवधान) कोई स्टाफ नहीं है और चार एईएन की पोस्टें सारी खाली पड़ी हुई हैं, साठ पटवारियों की खाली पड़ी हैं, 725 वर्कचार्ज की वो सारी खाली पड़ी हैं।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा)ः×××

श्री सभापतिः पूनिया साहब, आपकी बात आ गयी। प्लीज, बैठिये आप।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर)ः हजारों किसान वहां बैठे हुए हैं धरने पर...(व्यवधान) लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। न पानी उनको दिया जा रहा है...(व्यवधान) औरतों ने एसडीएम को चूड़ियां भेंट की हैं।

श्री सभापतिः विराजिये।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा)ः×××

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर)ः सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि...(व्यवधान)

श्री सभापतिः बैठिये आप। एक मिनट बैठिये आप।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर)ः सभापति महोदय, काश्तकारों से बात करके उनके धरने को समाप्त किया जाना चाहिए।

श्री सभापतिः माननीय शर्मा साहब, विराजिये एक मिनट। (व्यवधान) अब विराजिये आप। पूनिया साहब, विराजिये आप प्लीज।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर)ः यह सरकार काश्तकारों के प्रति संवेदनशील नहीं है यह गोली चलाना चाहती है ऐसी सरकार, मैं कहता हूं कि काश्तकारों की जायज मांग है इस जायज मांग को...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक)ः×××

श्री सभापतिः आपकी सारी बात आ गयी है, विराजिये प्लीज। आप क्या कहना चाहते हैं? एक मिनट, आप क्या कह रहे हैं?

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर)ः सभापति महोदय, मेरा एक प्रकरण मलारणा डूंगर थाने से संबंधित है जिला सवाईमाधोपुर का मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था, आपने मुझे दो मिनट का टाइम दिया था।

श्री सभापति: वो तो रिजेक्ट हो गया न।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): आपसे मैंने जब निवेदन किया तो आपने अलाउ किया था कि दो मिनट का टाइम दूंगा।

श्री सभापति: वो तो डिक्टेट हो गया न । अब मैं पर्ची ले रहा हूं और आप गृह मंत्रीजी से मिल कर बात कर लेना। बैठिये आप। आपकी बात हो गयी न।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): आदरणीय सभापति महोदय, दस महीने से वो (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): केवल उनका कसूर यह है कि थाना मलारणा डूंगर के सामने उनकी दुकान थी चाय की...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): उनसे थाने वाले चाय लेते थे सभापति महोदय, इस प्रकार एक सब्जी की दुकान थी उससे भी पुलिस वाले सब्जी लेते थे...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये आप। अब मैं पर्ची ले रहा हूं।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): उन्होंने लगातार चाय खरीदी और पैसा मांगा...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री सभापति: विराजिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री सभापति: विराजिये।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): सभापति महोदय, उन पर ऐसा केस कर दिया कि वो दस महीने से जेल के अन्दर हैं।

श्री सभापति: आपकी बात आ गयी आप विराजिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री सभापति: आपकी बात हो गयी न ।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): ...(व्यवधान) इसी प्रकार गुर्जर आंदोलन हुआ, गुर्जर आंदोलन के अन्दर...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय अध्यक्षजी आपकी बात को अस्वीकार कर चुके हैं। (व्यवधान) मैं तो समझा कोई विशेष कह रहे होंगे।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): ...(व्यवधान) इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है दस महीने से...(व्यवधान) मारे-मारे फिर रहे हैं।

श्री सभापति: विराजिये। हो गयी। आपकी बात आ गयी विराजिये आप।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): मैं इस बात को यहां नहीं रखूंगा तो कहां रखूंगा? (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये आप।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर):...(व्यवधान) कोई सुनवाई नहीं हुई ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये न।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री सभापति: विराजिये आप।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री सभापति: विराजिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री सभापति: हो गयी, आपकी भी बात आ गयी। विराजिये आप।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री सभापति: कासनिया साहब, विराजिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री सभापति: वो तो नहीं है, आप तो माननीय सोचकर बैठे हुए हैं कि सदन मेरे अकेले का है, (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री सभापति: ...(व्यवधान) विराजिये। विराजिये। आपकी बात हो गयी।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री सभापति: विराजिये। (व्यवधान) प्लीज।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर):×××

श्री सभापति: विराजिए आप ।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर):×××

श्री सभापति: विराजिए आपकी बात आ गई । विराजिए आप । अब आधे घंटे तक क्यों बोल रहे हैं आप? विराजिए आप ।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर):×××

श्री सभापति: विराजिए आप । (व्यवधान) कोई अंकित नहीं होगा ।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर):×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री सभापति: आप विराजिए प्लीज । आप गृह मंत्रीजी से बात कर लेना, विराजिए आप । इस हाउस को इस तरह से यूज नहीं किया जा सकता, विराजिए आप ।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर):×××

श्री सभापति: आपके इतने जोर-जोर से कहने से थोड़े ही रिलीज हो जायेंगे, विराजिए आप ।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर):×××

श्री सभापति: 10 मिनट हो गये आपको, आपका रिजेक्ट कर दिया उसके बाद .. (व्यवधान) कोई अंकित मत करो ।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर):×××

श्री सभापति: विराजिए आप । कहीं का भी है आपने उठा दिया बहुत अच्छी बात विराजिए आप । माननीय शर्माजी क्या कह रहे हैं आप?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): सभापति महोदय, जो विषय पीलीबंगा से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया रेणु हत्या कांड के बारे में और उसके मुलजिम को गिरफ्तार करने के बारे में, मैं पहले दिन से इस केस को बराबर देख रहा हूं । उस सारे केस को देखने के बाद उसके पति को गिरफ्तार किया, बाकी लोगों को गिरफ्तार के लिये भी देख रहे हैं कि उनको कितना मुलजिम बनना है या नहीं । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अगर उसमें मुलजिम एक छोड़ कर पांच होंगे, तो पांचों गिरफ्तार होंगे । मैंने उनसे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

व्यक्तिगत बात भी की है । उन्होंने लाठीचार्ज के बारे में कहा मैंने कहा जांच करवा देते हैं लेकिन मैं एक बात मानता हूं वह चार नई बात मेरे सामने रख कर अपना अनशन जारी रखते हैं तो मेरी भी एक सीमा होती है । मैं एक सीमा तक तो किसी काम के लिये जा सकता हूं पर मैं एक मानूं और वह चार नई खड़ी करें, यह नहीं हो सकता । अगर उनको लगता है कि लाठीचार्ज गलत हुआ है तो निश्चित रूप से जिस अधिकारी से चाहे उससे जांच करवा लेंगे । जो भी इसमें मुलजिम बन रहे हैं अगर वह नहीं है तो मैं किसी और ऊपर के अधिकारी को देकर जो भी मुलजिम बनते हैं, उनको गिरफ्तार करेंगे, बचाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है ।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): × × ×

श्री सभापति: विराजिए आप । आप बैठ कर बात कर लेना यूं नहीं । विराजिए आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): × × ×

श्री सभापति: शर्माजी, शर्माजी कोई बात कह रहे थे गृह मंत्रीजी खडे हो गये, हां क्या कह रहे हो आप?

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): कल स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दी गई थी जिसमें तीन चित्तौड के और दौसा के मामले में जो पुलिस का अत्याचार हुआ था उस मामले में गृह मंत्रीजी को बयान देना था । अगर गृह मंत्रीजी उसके बारे में बयान दे दें।

श्री सभापति: विराजिए आप । संयमजी आप क्या कह रहे हैं ।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): क्या हुआ दौसा में बताओ जरा, कुछ नहीं हुआ । विधान सभा क्षेत्र आपका जयपुर में और करते हैं दौसा की बात ।

श्री सभापति: विराजिए आप । बंशीवालजी विराजिए आप ।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): रहते जयपुर में हैं बात करते हैं दौसा की ।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): क्या हो गया दौसा की बात करने में, फालतू बातें करते हैं ।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): क्या अत्याचार किया पुलिस ने, कोई अत्याचार नहीं किया ।

श्री सभापति: विराजिए आप ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, आपकी दी गई व्यवस्था के आधार पर माननीय गृह मंत्री महोदय ने बर की घटना के बारे में वक्तव्य दिया और आपने यह फरमाया कि आपसे बात भी पूछ सकते हैं । मैं एक बात आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं आपने तो अपने वक्तव्य में कहा कि इतने बजे आपके डीवाई एसपी वहां मौके पर पहुंच गये और दूसरे अधिकारी भी पहुंच गये और बाद में वार्ता के लिये डाक बंगले में गये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जिनका स्थगन प्रस्ताव था उन्होंने स्वयं ने स्वीकार कर लिया, वह संतुष्ट हो गये ।

श्री सभापति: वह कोई बात नहीं है आप जल्दी बोलें ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हाउस में आने के बाद वह हाउस की प्रोपर्टी है माननीय सचेतक महोदय और मेरे पड़ौस का जिला है । मैं कोई फंदा लगा रहा हूं क्या किसी के, कोई बात भी नहीं पूछ सकते हम ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जो स्वयं संतुष्ट हो गये, उसके बाद क्या रह गया ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): तो जरूरी है क्या कि हम भी हो जायें संतुष्ट ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हां जरूरी है ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कोई जरूरी नहीं है । मैं आसन की आज्ञा से बोल रहा हूं और आप आसन और मेरे बीच में कृपया नहीं आयें।

श्री सभापति: कृपया आप आधे मिनट में समाप्त करें ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं आधे मिनट में नहीं 15 सैकंड में ही कर रहा हूं । गृह मंत्रीजी, मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि जब डाक बंगले में साहब वार्ता कर रहे थे आपके अधिकारी भी पहुंच गये और जब आपके सारे अधिकारी पहुंच गये उसके बाद भीड़ ने वहां जाकर दुकान जला दी, तो फिर यह आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स नहीं है तो और क्या है?

श्री सभापति: विराजिए आप । सुन ली आपकी बात।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह प्रथम दृष्टया आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स प्रमाणित है कि आपके अधिकारी पहुंच गये, लोगों से वार्ता कर रहे थे और लोग असंतुष्ट होकर वहां से उस दुकान पर गये और दुकान जला दी ।

श्री सभापतिः विराजिए आप । हो गया । माननीय मदन राठौड़ पर्ची, पशुपालक को पशु बीमा लाभ सुलभ कराने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, इस तरह से गैर जिम्मेदार अधिकारियों को बचाने का काम इस सदन में होता रहा तो इस विधान सभा का महत्व खतम हो जायेगा ।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): सभापति महोदय, पर्ची खुली हुई है ।

श्री सभापतिः आप विराजिए प्लीज, चार दिन में चार बार महकमा खतम कर देते हो, सारी सरकार को खतम कर देते हो, बैठें आप । (व्यवधान) सरकार और महकमा खतम नहीं हो जाता, विराजिए आप ।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): सभापति महोदय, पर्ची पर व्यवस्था दें आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): चित्तौड का बयान दिलवाइए आप ।

श्री सभापतिः राठौड़ साहब ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): चित्तौड़ का बयान दिलवाइए सरकार से । पूरे राजस्थान का आपसी सद्भाव नष्ट हुआ है ।

श्री सभापतिः अब पर्चियां लेने दो, बैठो आप । (व्यवधान) कल दो बजे की बात थी।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): वह हुआ नहीं ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आज कह दीजिए दो बजे ।

श्री सभापतिः आज भी दो से ज्यादा बज गई, अभी पर्चियों का समय आने दीजिए, यह खतम होने दीजिए, फिर बाद में बात करते हैं ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप व्यवस्था दे दें कि चार बजे, पांच बजे कर देंगे।

श्री सभापतिः अभी व्यवस्था कर देंगे, बात करते हैं । अभी यहां से उठ कर बात करते हैं, विराजिए आप । (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप आसन छोड़ने से पहले व्यवस्था कर दीजिए ।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): टाइम की व्यवस्था कर दीजिए।

श्री सभापतिः आपने अभी अपनी बात कह दी ना... (व्यवधान) माननीय मदन राठौड़।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सभापति महोदय, आप आसन पर विराजें हुए हैं, आसन छोड़ने से पहले आप समय तय कर दीजिए ।

श्री सभापतिः अभी बात करते हैं, विराजिए आप । दो-दो मिनट में आप बात खतम करें ।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

पशुपालकों के लिए पशु बीमा

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, वर्तमान राजस्थान सरकार ने पशुपालकों के हितों की रक्षा के लिये बहुत कुछ किया है । पशु बीमा भी निश्चित रूप से एक वरदान साबित हुआ है । लेकिन कुछ बीमा कम्पनियों ने कुछ राइडर लगा दिये हैं । एक तो यह है कि जहां पशु का बीमा हुआ उसके 40 किलोमीटर क्षेत्र में यदि कोई पशु काल कल्वित होता है तो उसे बीमा का लाभ मिलता है इससे बाहर नहीं मिलता था । ठीक इसी प्रकार से एक दूसरा राइडर कम्पनी ने और लगाया कि कोई पशु यदि मर जाये तो उसके पोस्टमार्टम का फोटो पेश करना पड़ता है । यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण राइडर लगाया है। जब सरपंच वहां मौजूद रहता है, 5-6 लोगों की मौजूदगी में उसका पोस्टमार्टम होता है और पशु का टैग जब प्रस्तुत कर दिया जाता है तो फोटो मांगना निश्चित रूप से उन पशु पालकों के साथ अन्याय है । कभी भी फोटोग्राफर को लाकर पशु पालक उसका पोस्टमार्टम करायेगा, यह सम्भव नहीं है । फोटोग्राफर फोटो खींच कर क्या साबित करना चाहेगा । फोटो से उस पशु की पहचान होना भी सम्भव नहीं है । जब टैग प्रस्तुत कर दिया जाता है, लोगों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम हो जाता है तो फिर फोटो मांगना न्यायोचित नहीं है, एक तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा ।

दूसरा, यह है कि हमारे पाली जिले की घटना है कई पशु पालकों ने अपनी प्रीमियम राशि जमा करा दी लेकिन विभाग के अधिकारियों ने अपने हिस्से की राशि जमा नहीं कराई जिसके कारण कई पशुपालकों को बीमा लाभ नहीं मिल पाया । इसके लिये मैं आपके माध्यम से पशुपालन मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

श्री सभापतिः विराजिए आप । श्रीमती राजकुमारी जी ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, मुझे और भी निवेदन करना है । मैं यह भी निवेदन करुंगा जैसे नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने गधे के बीमे की बात की । लेकिन मैं घोड़े के बीमे की बात करना चाहूंगा । सभापति महोदय, आज मारवाड़ नस्ल का घोड़ा, आप जानते हैं आप तो खुद उस क्षेत्र से आते हैं जहां चेतक था, होर्स पावर के नाम से हम ऊर्जा शक्ति का आकलन भी करते हैं । घोड़े का बीमा राजस्थान में केवल 20 हजार रुपये तक का ही होता है जबकि 5-5 लाख रुपये के घोड़े होते हैं । अभी कासनियाजी बता रहे थे कि एक-एक लाख रुपये तो मिलन करने के ले लेते हैं । मैं सोचता हूं यह उन पशुपालकों के साथ अन्याय है । दूसरा, उनको कृषि क्षेत्र में नहीं माना गया । गाय को, बैल को तो एग्रीकल्चर में माना है लेकिन घोड़ापालक को कृषक नहीं माना गया है यह ठीक बात नहीं है । मैं आपके माध्यम से पशुपालन मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । कई ऐसे हमारे पाली जिले में भी हैं, बरकाना में भी हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र कोयटा में है, जहां पर 90-90 घोड़े पालते हैं। रेस फोर्स में घोड़ों का उपयोग होता है, पुलिस विभाग में भी घोड़ों का उपयोग होता है। कई पहाड़ी मार्गों पर भी घोड़ों का उपयोग होता है।

श्री सभापति: वह भी है और आप भी घोड़े पर चढ़कर गये थे, उसमें भी तो उपयोग हुआ था।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हुआ था, आप भी साथ में थे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): घोड़े पर नहीं गये थे घोड़ी पर गये थे, संशोधन कर लीजिए। (व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय सभापति महोदय, सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पर्ची के माध्यम से ध्यानाकर्षित कर यह बताया है, जो बीमा योजना अभी चल रही है इसमें अविका कवच, अविका रक्षक, अविका पालक, कामधेनु बीमा योजना और इसके साथ में गौरक्षक और गौपालक योजनाएं हमारी संचालित की जा रही हैं। जहां आपने प्रश्न उठाया कि मृत्यु के बाद बीमा कम्पनी, एक एरिया की बात आपने की, 40 किलोमीटर की परिधि और दूसरी मृत्यु के पश्चात पोस्टमार्टम के फोटो की जो बात कही है, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि बीमा कम्पनी ने जब बीमा किया था, तब यह प्रावधान इसलिए किया गया था क्योंकि भेड़ों की संख्या बहुत अधिक होती है और यदि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उसका फोटो और उसका आइडेंटीफिकेशन नहीं होता है तब तक बीमा कम्पनी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको चिन्हित करने के लिए, इसलिए यह प्रावधान किये गये हैं। जहां तक घोड़े की बात कही गई है...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, वह टैग मिलता है, सभापति महोदय, जब टैग पेश कर लेते हैं पशु का जिसका बीमा कराया है, यही नहीं मौजूद लोग ...(व्यवधान) वहां होते हैं, सरपंच....

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय 40 किलोमीटर वाला दायरा और दूसरा नेचुरल केलेमिटी ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): पोस्टमार्टम होता है और आप पोस्टमार्टम ...(व्यवधान) उसकी पहचान कैसे होगी, पोस्टमार्टम करते हुये का फोटो तो ...(व्यवधान) पशुओं को कैसे पहचानेंगे आप। इसलिए यह राइडर हटा देना चाहिए। मैं सोचता हूं यह पशुपालकों के हितों के लिए ठीक नहीं है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय, नेचुरल केलेमिटी पर मरने पर भी जैसे बाढ़, इसमें मरने पर इनको बीमा नहीं दिया जाता।

श्री सभापति: विराजिए, आपका नम्बर आने वाला है। सभी पर मास्टरी नहीं करनी, आपका नम्बर आने वाला है वैसे ही। राजकुमारी जी।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मंत्रीजी बोल रहे थे।

श्री सभापति: हो गई बात। बाद में बात कर लेना आप। राजकुमारी जी।

सीकर शहर में पानी की टंकियों का निर्माण

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): आदरणीय सभापतिजी, मैं निवेदन करना चाहूंगी सीकर शहर में 9 पानी की टंकियां बननी थी और 11 करोड़ की स्कीम थी। आदरणीय अटल बिहारीजी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब ही यह स्कीम चालू हुई थी। 7 टंकियां तो बन गई हैं 1 टंकी चालू है। एक पर हमारे कलक्टर महोदय थे, आदरणीय रामरखजी ने बिसातियों के मौहल्ले में इसके निर्माण के लिए पूरी मिट्टी परीक्षण भी हो गई थी, सब कुछ हो गया था लेकिन फिर यह टंकी नहीं बन सकी। फिर हमारे यहां कलक्टर महोदय अश्विनी जी आये उन्होंने अपने पीछे टंकी के लिए जगह दे दी थी। आदरणीय सांसद की, विधायक की नेमप्लेट भी लग गई थी, उसका मुहूर्त होना था, फिर यह कहकर पुलिस वालों ने सारा सामान उठा लिया और नेमप्लेट तोड़ दी कि यह हमारे पुलिस विभाग की जगह है। इसकी जांच हुई। अभी हमारे वर्तमान में कलक्टर है मंजू राजपालजी उन्होंने सब अधिकारियों को बुलाया और उन्होंने बुलाकर उस पूरे प्रकरण को पढ़ा। आदरणीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी न तो पुलिस विभाग की थी, न पीएचईडी

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)

की थी। पहले हमारे एक ब्राह्मण थे, उनकी थी, उन्होंने बाद में राजपूत को बेच दी थी। उनके पास पूरे कागज थे। उन्होंने उस प्रकरण को पूरा देखा और मंजू राजपालजी ने आदेश दे दिये कि टंकी का निर्माण होना चाहिए लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि आज तक वह टंकी नहीं बनी है। गृह मंत्रीजी से भी यह निवेदन करना चाहूंगी कि पुलिस विभाग वालों से भी वह भी पूछताछ करें और उनसे यह कहे कि हमारी टंकी बनने दी जाए, क्योंकि गर्मियों का मौसम आ रहा है।

आदरणीय भरतजी, जब हमारे प्रभारी थे, मीणा साहब जो सचिव थे उन्होंने 11 करोड़ की स्कीम को 18 करोड़ कर दी थी। पहले यह पैसा लैप्स हो रहा था, उन्हीं की दया-भाव से हमारा यह पैसा अभी तक लैप्स नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि हमारी यह टंकी जरूर-जरूर बन जाए। आदरणीय मंत्री महोदयजी से इसका वक्तव्य दिला दीजिए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अनिताजी। अनिताजी भदेल।

(समय : 15.05 बजे)

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़, सभापति, पदासीन)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सभापति महोदय, एक माननीय सदस्य 12 दिनों से अन्न छोड़ा हुआ है उसके बारे में कम से कम, जो भी ऊर्जा मंत्रीजी को कहें, आप करेंगे नहीं करेंगे जो भी आश्वासन देना चाहें, दे नहीं देंगे मना करें, ताकि हम लोग भी उनके साथ भूख हड़ताल पर बैठें। कोई व्यवस्था तो करो आप।

श्री सभापति: अभी कराते हैं, व्यवस्था कराते हैं। (व्यवधान) व्यवस्था सब है।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, किसानों का मामला है।

श्री सभापति: हां बोलें सदस्या।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, कुछ तो बोले आप हमेशा सदाशयता रखने वाले व्यक्ति है। (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): जो माननीय सभापतिजी आदेश देंगे, सभापतिजी इसमें व्यवस्था देंगे। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सभापतिजी, यह एक ऐसा इश्यू है एक माननीय सदस्य 12 दिन से अन्न नहीं खा रहे।

श्री अमराराम (धोद): सभापति महोदय, सदन के एक माननीय सदस्य ने 12 दिन से अन्न त्याग रखा है, हमारा सबका दायित्व है, इस सदन के एक माननीय सदस्य ने 12 दिन से अन्न छोड़ा हुआ है ...(व्यवधान) विद्युत मंत्रीजी को केवल यह कहना है कि इतने दिन में कनेक्शन कर देंगे। डूंगरगढ़ में स्पेशल का ...(व्यवधान) एक भी कनेक्शन नहीं हुआ है। उनके साथ जो ज्यादती हुई है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिये, बैठिये। (व्यवधान) हां बोलिए।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): सभापति महोदय, एक अप्रैल के बाद स्पेशल कनेक्शन का भी हम डिमांड नोटिस निकालना शुरू कर देंगे। एक अप्रैल के बाद।

श्री अमराराम (धोद): बाद में कब, अप्रैल में तो निकाल देंगे?

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): जितने भी स्पेशल हैं, उनको फेजआउट करके अप्रैल से शुरू कर देंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बड़ा सा ज्यूस पी लें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, यह उनकी मांग पर नहीं है, यह पालिसी डिसीजन है। यह नीतिगत निर्णय है। राजस्थान की सरकार ने राजस्थान के कृषकों के हितों को देखते हुए किये हैं। यह कोई नहीं सोचे कि हमारे दवाब से या ...(व्यवधान) उन्होंने अन्न त्याग दिया तो ...(व्यवधान) विनोबा भावे ने भी अन्न त्याग दिया था। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): चार साल तक नहीं किया, हमारे साथी को अन्न त्यागना पड़ा, जब किया। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपकी पालिसी थी तो पहले कर देते। किसानों से जुड़े हुए ...(व्यवधान) तो पहले ही कर देते। सरकार दवाब में काम करती है, मर्जी से नहीं कर रही है। (व्यवधान) यह अन्न त्याग नहीं करते तो आप कुछ नहीं करते।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपने 12 दिन तक इनको भूखा क्यों रखा ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप सभी माननीय सदस्यों को सदन की तरफ से बधाई। बैठिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 12 दिन के बाद ...(व्यवधान) आप पहले ही घोषणा कर देते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नीतिगत निर्णय है। पहले लिया जा चुका था, किसी के कहने से नहीं लिया। राजस्थान के किसानों के लिए एक बार नहीं, दो बार नहीं ...(व्यवधान) दस बार निर्णय लेने पड़े, निर्णय लेंगे।

एक माननीय सदस्य: आप किसानों के दुश्मन हो ...(व्यवधान) कट्टर दुश्मन हो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): किसानों के हितैषी नहीं हो, आप हो ही नहीं सकते।

श्री अमराराम (धोद): चार साल से वह आपका इन्तजार कर रहे थे अब आपको याद आई है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, यह तो वह लोग हैं, जिन्होंने वर्ल्ड बैंक से करार किया और आज इनका करार (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपने 2200 करोड़ रुपये किसानों से ज्यादा वसूल किये हैं ...(व्यवधान) आपने 2200 करोड़ रुपये किसानों से ज्यादा वसूल किये हैं आप किसानों के कभी हितैषी नहीं हो सकते।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): अन्न जल त्याग दे और जीवन भी त्याग दे तो भी यह सरकार दवाब में आकर करने वाली नहीं है, यह तो नीतिगत निर्णय है और माननीय मुख्य मंत्रीजी और मंत्री मण्डल की कैबिनेट में पास होता है, हर बार होता है यह तो। किसानों के हितों के लिए और कुछ करना पड़े तो करेंगे । (व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप मंत्रीजी को बोलने दें ना। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): किसी के दवाब में नहीं है यह। (व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): फल भी त्याग दें, सेब भी त्याग दें, ज्यूस भी त्याग दें तो दवाब में आकर करने वाले नहीं है माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप मंत्रीजी की बात सुनें दो मिनिट। (व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, यह किसान हितैषी सरकार ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठिये ना, मंत्रीजी खड़े हुए हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय सभापति महोदय, हमारी एग्रीकल्चर पालिसी है, उसके मुताबिक एक अप्रैल से जो यह वित्तीय वर्ष शुरू होगा इसमें लगभग 1 लाख करीबन 25 हजार डिमांड नोटिस इश्यू किये जाएंगे। इसमें जो भी लम्बित स्पेशल कनेक्शन हैं उनको लिक्विडेट कर दिया जाएगा। हमारी सरकार जब आई थी हमने बोला था 2003, 31 मार्च तक जितने भी कनेक्शन हैं वह रिलीज कर दिये जाएंगे, अकोर्डिंग टू एग्रीकल्चर पालिसी वह रिलीज हो जाएंगे।

श्री सभापति: चलो ठीक है। भई आपका विषय आ गया है, आपने 12 दिन से कुछ खाया नहीं है केन्टीन में जाकर खाना खा लें आप। (व्यवधान) केन्टीन में जाकर खाना खायें आप। आपकी बात आ गई। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): मुझे बोलने दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आसन से व्यवस्था आ गई, केन्टीन में जाकर खाना खा लें। आसन की अवहेलना कर रहे हैं। यह आसन की अवहेलना कर रहे हैं। आपने व्यवस्था दे दी खाना खायें जाकर। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप यह चाहते हैं कि यह शाम को नहीं आयें, केन्टीन में ही खिलायें आप इनको, आप यह चाहते हैं माननीय पार्लियामेंट अफेयर्स ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आपको अकेले खाने में दिक्कत है तो बीकानेर के माननीय सदस्य आपके साथ चले जाएंगे।

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): माननीय सभापति महोदय, मेरा एक और निवेदन है जो डबल बिल निकाल रखे हैं किसानों के ... (व्यवधान)

श्री सभापति: देखिये जब भी माननीय अनिताजी बोलती हैं आप लोग डिस्टर्ब करते हैं, इनको बोलने दें।

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): उनकी जांच करायें ...(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन है जो किसानों के डबल बिल निकाल रखे हैं उनकी जांच कब तक करा देंगें यह भी आश्वासन दे दें। (व्यवधान)

श्री सभापति: चलो ठीक है। अनिताजी बोलिए।

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): मंत्रीजी, डबल बिल है ... (व्यवधान)

श्री सभापति: बात आ गई न, एक बात को लंबा क्यों करते हो, बात आ गई। (व्यवधान)

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): डबल बिल निकाल रखे हैं साहब। (व्यवधान) किसान कहां से पैसा लाएगा।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): एक ही तो सवाल है माननीय सभापतिजी, यह आराम से डबल रोटी खायेंगे, आप कहलवा दीजिए उनसे, कहां दिक्कत है?

श्री सभापति: हां, बोलिए अनिताजी।

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): सभापतिजी, वह जवाब तो देते। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपका विषय सदन में आ गया ना। (व्यवधान) ज्यादा घोषणा करने से कब्जी हो जाती है, बैठिये, आप। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): क्या बात है, बार-बार खड़े हो जाते हैं, बोलने ही नहीं देते। (व्यवधान)

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): नहीं, कब्जी नहीं होगी, सभापति महोदय, कब्जी नहीं होगी। सारी कब्जी दूर हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री सभापति: उनको बोलने दें, काफी देर हो गयी। (व्यवधान)

बस्सी तहसील की ग्राम पंचायत राजपुरा पाटनवास में वर्ष 1991 में जारी पट्टों का कब्जा

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): माननीय सभापति महोदय, मैं ग्राम पंचायत राजपुरा पाटनवास, तहसील बस्सी के जो सरपंच साहब हैं, उन्होंने कुछ पट्टे जारी किये थे, उसके विषय में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी और मंत्री महोदय से चाहूंगी कि कुछ व्यवस्था दें। सन् 1991 में 23 तारीख को ग्राम पंचायत में एक प्रस्ताव पारित हुआ, उस प्रस्ताव के माध्यम से 22 लोगों को, जिनके पास भूमि नहीं थी, जिनके पास आवास की सुविधा नहीं थी, ऐसे 22 लोगों को पट्टे जारी करने की अनुशंसा की गई और

(श्रीमती अनिता भदेल)

उसके आधार पर सचिव महोदय ने 22 लोगों को पट्टे जारी किये जिनके नाम मैं आपको यहां उल्लेख करना चाहूंगी, मोहनलाल, गोपाललाल, ग्यारसीलाल, बाबूलाल, लालाराम, जगदीश, चौथमल, कजोड़मल, बजरंग, नानकराम, छीतरमल, नन्दलाल, सीताराम, भौंरीलाल, खैरातीलाल, राजेन्द्र, मूलचन्द, सोहनलाल आदि जो 22 लोग थे, उनको पट्टे जारी किये, पट्टे जारी होने के बाद में जब वे लोग अपना कब्जा लेने के लिये उस भूमि पर गये तो कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा और कुछ मैं बोलना नहीं चाहूंगी, आप इनको अन्यथा नहीं लें, कुछ कांग्रेस के भी पदाधिकारी उसमें शामिल हैं, उन्होंने उन अनुसूचित जाति के लोगों को, जिनको ग्राम पंचायत ने पट्टे जारी किये हैं, उन पट्टों के आधार पर जो वे कब्जा लेना चाहते थे तो उनको कब्जे नहीं लेने दिया गया। और जब पट्टों के आधार पर वे कब्जा नहीं कर पाये तो उन्होंने उप खण्ड अधिकारी के यहां अपनी एप्लीकेशन लगाई कि हमें पट्टे जारी हुए हैं तो कृपा कर आप हमें यहां पर कब्जा दिलाने में हमारी मदद करें और यह चिट्ठी उन्होंने 24.08.2006 को, जब सब जगह थक गये, 9-10 साल हो गये, उनको कब्जा नहीं लेने दिया गया तब उप खण्ड अधिकारी के यहां उन्होंने एप्लीकेशन लगाई, बार-बार आग्रह किया कि आप इनको यहां कब्जा लेने दीजिये। इसके बावजूद उनको कब्जा नहीं मिला। जब यह यहां एप्लीकेशन लगाने के बाद भी उनको कब्जा नहीं मिला तो उसके बाद उन्होंने 18.09.2006 को जिलाधीश महोदय के यहां अपनी एप्लीकेशन लगाई और जो सरपंच हैं, वर्तमान में, उन सरपंच महोदया ने आग्रह किया जिलाधीश महोदय को कि इनको जो पट्टे हमने जारी किये हैं वह लीगल जारी किये हैं। यह इसके हकदार थे। ग्राम पंचायत ने यह पट्टे जारी किये हैं, कृपया आप, जिलाधीश महोदय, प्रशासन इसमें सहयोग करे और इन सबको कब्जा दिलाया जाए। इस प्रकार की चिट्ठी उन्होंने 18.09.2006 को जारी की ग्राम पंचायत के माध्यम से। जब यह काम भी, जिलाधीश महोदय को वह लिख करके हार चुकीं, उसके बाद में उन्होंने सतर्कता समिति में यह मैटर रखने के लिये, विषय रखने के लिये...

श्री सभापति: यह पट्टे कौनसा डिपार्टमेंट देगा?

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): यह पट्टे जारी किये जा चुके हैं, ग्राम पंचायत ने पट्टे जारी कर दिये, सिर्फ कब्जा दिलाना है। और वह ग्राम पंचायत, जिसकी सरपंच वह हैं, उन्होंने भी सब प्रशासन को, यहां तक कि उन्होंने जिलाधीश महोदय को, सम्भागीय आयुक्त को, सतर्कता समिति में और एक चिट्ठी उन्होंने मुख्य मंत्री महोदया को भी दी। उसमें उन्होंने उल्लेख किया, मैं दो उसके पैराग्राफ पढ़कर आपको सुनाना चाहती हूं, मेरे से और मेरे वार्ड पंचों से दबावपूर्वक तरीके से कुछ कतिपय लोग, जो नहीं चाहते हैं कि यह कब्जा लें, उन्होंने हस्ताक्षर कराये हैं। लेकिन पंचायत में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। गरीब लोगों के हितों की रक्षा की जाए। आश्चर्य इस बात का है कि पंचायत ने आवासीय भू-खण्डों के आबंटन सम्बन्धी निर्णय, जो पंचायत ने लिया था उसकी प्रतिलिपि विकास अधिकारी ने प्रमाणित की। अब वह पंचायत रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है। गरीब लोगों की समस्या का हल किया जाए ताकि तनाव समाप्त हो और कोई अप्रिय घटना नहीं हो। इस पत्र पर वार्ड पंचों के साइन हैं और जो वहां के सरपंच हैं उसने साइन करके माननीय मुख्य मंत्रीजी से करने का आग्रह किया है। मेरा तो आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह है कि जिन लोगों के पट्टे हैं और पट्टेशुदा हैं उनको कब्जा दिलाया जाए और प्रशासन इसमें मदद करे। मेरा गृह मंत्री महोदय से भी आग्रह रहेगा कि वह पुलिस प्रशासन के प्रोटेक्शन में, इनके संरक्षण में, इन गरीब लोगों को कब्जा दिलायें। वह 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, लीगल हैं, उनके पास पट्टे हैं, उसके बावजूद भी कुछ असामाजिक तत्व जो नहीं चाहते कि वह लोग वहां आकर के बसें, उनको परेशान करने के लिये उनको कब्जा नहीं दिया जा रहा है। जब वह वहां सामान डालते हैं, अपना आवास बनाने के लिये मशीनें डालते हैं तो उन मशीनों को तोड़ा गया, तनाव व्याप्त किया गया, आपस में लड़ाई झगड़े हुए, एक-दूसरे के सिर फोड़े गये, तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह है कि वह कोई न कोई व्यवस्था करें ताकि वह एस.सी., एस.टी. के लोग वहां बस सकें, जिनके पास भूमि नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है, वह अपना मकान वहां बना सकें।

श्री सभापति: बैठिये। माननीय सदस्य श्री खुशवीरसिंहजी।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय को आप..

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री नदारद हैं।

श्री सभापति: हां, बोलें, माननीय सदस्य।

खारची में नियम विरुद्ध बदले जा रहे विद्युत मीटर

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): सभापति महोदय, सन् 2003 में जब हमारे चुनाव हुए विधान सभा के तो इस सदन के पहले सत्र में यह आवाज सत्तापक्ष की तरफ से आती रही कि कांग्रेस के तो बिजली का करण्ट का झटका लग गया और 156 में से 56 रह गये और आज उसी बात को मैं दोहरा रहा हूं, सभापति महोदय कि यह करण्ट का झटका अब लगेगा और 120 में से 20 ही रहेंगे।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जो इलेक्ट्रानिक मीटर लगाये जा रहे हैं और चालू हालत के मीटर, जो मीटर चल रहे हैं चकरी वाले, वे मीटर बदले जा रहे हैं, जबकि वह नियमों के विरुद्ध है। मंत्री महोदय से हमें उम्मीद है और मंत्री महोदय हमारी बात पर भी गौर करेंगे। सभापति महोदय, जो मीटर लग रहे हैं, वह अन्ट्रेण्ड लोगों द्वारा मीटर लगाये जा रहे हैं, नियमों के विरुद्ध मीटर लगवाये जा रहे हैं और इन मीटरों के ऊपर लिखा होता है, सभापति महोदय, एक्युरेसी टेस्ट 27 डिग्री सेंटिग्रेड। मतलब 27 डिग्री सेंटिग्रेड पर वह मीटर सही बतायेगा। हमारे यहां 48 डिग्री और जीरो डिग्री टेम्प्रेचर भी होता है तो इन परिस्थितियों में...

व्यवस्था का प्रश्न

आफिसर दीर्घा में अशासकीय व्यक्तियों की उपस्थिति

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): On a point of order. सभापति महोदय, मेरा पाइण्ट आफ आर्डर यह है कि आफिसर दीर्घा के अन्दर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लोग बैठे हुए हैं। यह सरासर सदन के स्थापित नियम, परम्परा, व्यवस्था, सबका उल्लंघन है। इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं जिनकी वजह से आफिसर्स दीर्घा के अन्दर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लोग आकर के बैठ गये और राजस्थान के इस सर्वोच्च सदन का मखौल बनाने का काम इस सरकार ने किया है। माननीय सभापति महोदय, आप सरकार का इस बारे में स्पष्टीकरण कराएंगे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अभी बात करके।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नहीं, सभापति महोदय, यह साधारण मामला नहीं है। आप इतना हल्का मत लीजिये इसको। आफिसर्स दीर्घा के अन्दर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लोग कैसे आकर के बैठ गये।

श्री रमेश खींची (कठूमर): यह तो बहुत गम्भीर मामला है। (व्यवधान) सभापति महोदय, इस मामले पर...

श्री सभापति: चलो, आपने अपना विषय रख दिया है, बात कर लेते हैं।

श्री रमेश खींची (कठूमर): विषय क्या, दिलवाइये, मंत्रीजी विराजमान हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, मंत्रीजी बैठे हुए हैं। कौन जिम्मेदार हैं इसके लिये, यह सदन नियम, परम्परा, व्यवस्था से चलता है।

श्री सभापति: यह तो पूरे सदन को पता है, सारी व्यवस्थाएं, नियम से चलती हैं, आपने अपने विषय को रख दिया, बता देंगे आपको।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): विराजो की बात नहीं है। यह व्यवस्था की बात है। यह कोई मजाक है क्या। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय खुशवीरसिंहजी बोलिये। माननीय खुशवीरसिंहजी बोलिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): तब तो कल अनजान आकर बैठ जाएंगे विधान सभा के अन्दर। यह कोई बात हुई क्या।

श्री सभापति: माननीय खुशवीरसिंहजी, बोलिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, आप सरकार को निर्देश तो दें, इस बारे में जो भी हो, अपना स्पष्ट करें।

श्री सभापति: आपने अपना विषय रख दिया, अभी कर देंगे निर्देश, बैठिये, आप। आपने विषय को रख दिया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): निस्तारण तो करो।

श्री सभापति: हां, हो जाएगा निस्तारण।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इनके बाद करेंगे।

श्री सभापति: हो जाएगा, अभी बैठिये।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

खारची में नियम विरुद्ध बदले जा रहे विद्युत मीटर

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में मीटर बदले जा रहे हैं और वह केबल जो उपभोक्ताओं के द्वारा लगाई गई है वह केबल भी जो ठेकेदार के माध्यम से मीटर बदले जा रहे हैं, वह केबल भी उनकी लेकर जा रहे हैं और साथ में ही मंत्री महोदय, वहां पर किसी प्रकार का जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से यह जो घरों में कनेक्शन दिया जा रहा है, सभापति महोदय, वहां पर किसी प्रकार का अर्थ-वायर नहीं दिया जा रहा है, न्यूट्रल और फेस, दो ही वायर दिये जा रहे हैं, जबकि मंत्री महोदय आप स्वयं जानते हैं, आप जांच करवायें, हमें आपसे उम्मीद है, हमें विश्वास है आपकी ईमानदारी पर कि आप निश्चित रूप से इस चीज की जांच करवाएंगे कि कॉपर की प्लेट लगती है और खड्डा खोदा जाता है 12-13 फीट तक और उस खड्डे में कापर की प्लेट के साथ, कॉपर की वायर के साथ कोयले की चूरी और नमक डालने के बाद में उसका अर्थ बनाकर उपभोक्ताओं तक ले जाया जाता है, घर तक पहुंचाया जाता है। न तो आपके कॉपर प्लेट है, न कॉपर का वायर है। सभापति महोदय, वह जी.आई. पाइप उपयोग कर रहे हैं और मात्र 2-3 फीट और कहीं-कहीं तो मिट्टी में ही डाल रहे हैं, 6-6 इंच पर इन्होंने प्लेट डालकर इतिश्री कर दी है। तो इस वजह से उपभोक्ताओं पर अधिक भार आ रहा है और यह जो इलेक्ट्रानिक मीटर है, वह मीटर एक पिको एम्पीयर तक भी बताता है। इस मीटर से 10 हजार गुणा अधिक मापता है, ऐसी परिस्थिति में माननीय सभापति महोदय, विभाग की गलती से आज उपभोक्ताओं को यह अधिक भार झेलना पड़ रहा है तो ऐसी परिस्थिति में, मंत्री महोदय, आप इसकी पूरी जांच कराएं। आप तो मेरा विधान सभा क्षेत्र ले लीजिए कि वहां पर कितने सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स लगे हैं और कितने उनमें प्रोपर उनका अर्थवायर अर्थिंग हुआ है, माननीय सभापति महोदय, इसके साथ में यह जो ई.टी.डी.सी., भारत सरकार द्वारा करोड़ों रुपये खर्च करके इलेक्ट्रोनिक टेस्टिंग एण्ड डवलपमैंट सेंटर खोल रखा है, जयपुर में, आपके ट्रांसफार्मर इन अधिकारियों की मिलीभगत से यह हैदराबाद जा रहे हैं और वहां से टैस्ट होकर आ रहे हैं जबकि जिस कम्पनी द्वारा यह टैस्ट करवाया जा रहा है वह कम्पनी स्वयं पूरा मापदंड नहीं रखती है टैस्ट करने का। उसके बावजूद भी यह जहां 40 हार्स पावर, 40 के.वी.ए. का ट्रांसफार्मर बताते हैं वह मात्र 30 का ही निकलता है और वह जब मोटर की टैस्टिंग की जाती है और

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

उस मोटर की टैस्टिंग करने पर, माननीय सभापति महोदय, वह 15 हार्स पावर का मोटर है तो उन नियमों के तहत जब वह उनके मापदंड से टैस्ट करते हैं, उनके मीटर से तो वह मोटर 20 हार्स पावर बताएगी और उसका भार किसानों पर पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मंत्री महोदय, आप इन चीजों का ध्यान करें और इसका जरूर हमें अवगत करवाये कि क्या चालू हालत के मीटर जो बदल रहे हैं, वह कौन से नियमों के तहत हमारे मीटर बदले जा रहे हैं और मीटर बदल रहे हैं, कोई बात नहीं लेकिन प्रोपर अर्थ दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, यह इस बात से भी हमें अवगत कराएं, धन्यवाद।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, यह इतना गम्भीर मामला है कि पूरे राजस्थान में इन मीटर के माध्यम से लूट हो रही है। पुष्कर क्षेत्र की स्थिति भी यही है और अजमेर जिले की स्थिति यही है कि इस सरकार के आने के बाद तीन बार मीटर चेंज हुए हैं। तीन बार। एक बार नहीं। पता नहीं क्या होता है और यह मीटर तेज भी चलते हैं। इनके अफसरों से मिलते हैं तो ...(व्यवधान) कनेक्शन सही करवाते हैं इसलिए गम्भीरता से लेकर मंत्री महोदय, इसको बिना किसी राजनीति से दिखाकर और कंजूमर को राहत दिलायें आप। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय सभापति महोदय, ... (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। मैं यह कहना चाहूंगी कि यह मीटर किस राज के अन्दर बदलने शुरू हुए थे? यह बात और बता दें। मैं यह बात कहना चाहूंगी ...(व्यवधान) यह क्या बात कर रहे हैं कि अभी बदल दिये गये। यह तो जो पुराने है, वह बदल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: अजी, मीटर किसी के भी राज में लगे हों, अगर विधान सभा में समस्या आयी है तो मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): लूट की छूट है क्या?

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय सभापति महोदय, यह जो इलेक्ट्रोनिक मीटर्स लगे हैं राजस्थान के अन्दर यह जब कांग्रेस सरकार थी, उस टाइम भी लगे थे, उस टाइम उन्होंने कोई मैनुअल मीटर कभी नहीं लगाया और ...(व्यवधान)

श्री सभापति: नहीं, माननीय मंत्रीजी, अगर कांग्रेस सरकार ने लगाये हैं यह मीटर तो उसमें जनता को किसी प्रकार की प्राब्लम आ रही है तो उसका वाया-मीडिया निकलना चाहिए न। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय सभापति महोदय, सी.ई.ए. ...(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): बहुत तेजी से चलते हैं यह मीटर। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपकी सरकार ने खरीदे मीटर। (व्यवधान) आपने इलेक्ट्रोनिक मीटर्स का विरोध किया था पहले कि यह सरकार गलत है, मीटर गलत है, फिर आपने इलेक्ट्रोनिक मीटर क्यों खरीदे आपने? (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आप मेरी बात तो सुनिये न। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, सी.ई.ए. ने 17 मार्च, 2006 में और जो हमारे नियामक आयोग है उन्होंने इलेक्ट्रोनिक मीटर्स लगाना मेंडेटरी किया। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 के तहत भी इलेक्ट्रोनिक मीटर्स लगाना मेंडेटरी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी नियुक्त की थी, आज से एक वर्ष पहले और कमेटी ने यह पाया कि इलेक्ट्रोनिक मीटर्स जो अभी बन रहे हैं, वह इलेक्ट्रोनिक मीटर्स बिलकुल करेक्ट फंक्शनिंग कर रहे हैं। जो कंजम्प्शन है जनता का बढ़ा ही है। लीविंग स्टेण्डड्र्स बढ़े हैं तो जब कंजम्प्शन बढ़ा है तो मीटर भी रीडिंग ज्यादा बताएगा। पहले जब इलेक्ट्रोनिक मीटर इण्ट्रोड्यूस हुए थे, उस टाइम बहुत अच्छी कम्पनीज नहीं थीं जो इलेक्ट्रोनिक मीटर्स बना रही थी। आज जब राजस्थान के अन्दर हम जो मीटर्स खरीद रहे हैं वर्ल्ड रेपुटेड कम्पनीज जैसे आपके क्रॉम्प्टन ग्रीव्ज है, एल. एण्ड टी. है, यह आपकी बड़ी वेल रेपुटेड कम्पनीज हैं, उनके मीटर्स भी हमारे पास आ रहे हैं तो यह नहीं कि हम कोई घटिया सामग्री खरीद रहे हैं या कोई बहुत चीप क्वालिटी की हो, मतलब सब स्टेण्डर्ड मीटर्स खरीद रहे हैं। यह मीटर्स सील प्रूफ है, टैम्पर प्रूफ है, इनके अन्दर कोई वर्किंग पाट्र्स नहीं होता है। (व्यवधान)

श्री सभापति: नहीं, आपके डिपार्टमैंट में उन कम्पनियों की लिस्ट है क्या, जिनसे हम मीटर्स खरीदते हैं? (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): हां, सब कम्पनीज की लिस्ट है हमारे पास, करीबन छह-सात ...(व्यवधान)

श्री सभापति: टेंडर होकर निकलते हैं? (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): हां, टेंडर होकर निकलते हैं बिलकुल । They are taken by the tender process. और इसके अन्दर हम जो कोई भी उपभोक्ता अगर कहता है कि साहब, मेरा मीटर, इलेक्ट्रोनिक मीटर मेरा सही नहीं है तो हम थर्ड पार्टी से टैस्टिंग करवा लेते हैं तो इसके अन्दर यह मैग्नेट से इसको रोक नहीं सकते हैं। इसको कनेक्शन को रिवर्स करने से इसको नहीं, मीटर को वापस नहीं घूमा सकते हैं तो इसके अन्दर कोई वर्किंग पार्ट्स भी नहीं होते हैं। मतलब, कोई रिवोल्विंग पार्ट्स ही नहीं होता है, जैसे यह घड़ी है, देखिये न क्वॉर्टज मूवमेंट है इसमें हर घड़ी आपको सेम मूवमेंट बताएगी और वह आप अगर सूइयों वाली घड़ी लोगे तो उसमें वह एक्यूरेसी नहीं है तो इसके अन्दर यदि कोई सर्टेन एरिया के अन्दर कोई आपकी विशेष कोई मीटर्स की प्राब्लम है, माननीय सदस्य ने जैसा फरमाया कि यह अर्थिंग नहीं होता है। सही अर्थिंग नहीं होता है तो सही अर्थिंग या ट्रांसफार्मर की गड़बड़ से मीटर्स में कोई इफेक्टिव नहीं होता है। उन्होंने 27 डिग्रीज का जो एक टेम्परेचर बताया है, यह जो 27 डिग्री का टेम्परेचर लिखा हुआ होता है, उसका कोई बेयरिंग नहीं होता है कि 45 डिग्री के अन्दर वह मीटर नहीं चलता है या 50 डिग्री सेल्सियस के अन्दर नहीं चलता है और इसके अलावा आपकी कोई पर्टिकूलर जो कोई प्राब्लम है, आप इसको जनरलाइज मत करिये कि यह सभी जगह मीटर सभी फॉल्ट ही है, हां, यह जरूर है माननीय सभापति महोदय, कि बिजली का कंजम्प्शन आज हम टी.वी. को भी ऑफ करते हैं तो ऑफ करने के बाद जो स्टेंड बाई के अन्दर लाल लाइट भी जलती है तो वह मीटर उसको रिकार्ड करता है। वह कंजम्प्शन लाल लाइट जलने का, मतलब बिजली का कंजम्प्शन हो रहा है तो बिजली, जो पुराने मीटर थे वह तीन ट्यूबलाइट नहीं जलती थीं जब तक वह काम नहीं करते थे तो अगर कोई पुराना सिस्टम फाल्टी है तो आप यह नहीं कह सकते कि वह सिस्टम सही है। जहां तक विभाग का मामला है, विभाग यह कहता है कि भाई, अगर आप जो भी आप कंजम्प्शन करोगे बिजली का, उसका आपको बिलिंग होगा तो अगर आपकी लाइट ऑन होती है, आपकी टी.वी. की जो स्टेंड बाई की तो कंजम्प्शन जरूर होता है । It is very accurate. और वह थोड़ा भी कंजम्प्शन उसको रिकार्ड करता है और जो आपको बताया है जो कम्पनीज जिनसे हम मीटर्स ले रहे हैं वह बहुत अच्छी स्टेण्डर्ड की दो-तीन कम्पनीज तो ऐसी हैं जिसके ऊपर तो कोई डाउट ही नहीं कर सकता है। एल. एण्ड टी. का जो मैटीरियल है, क्रॉम्प्टन ग्रीव्ज है, They are international companies. इण्डिया की टॉप कम्पनीज में से हैं तो ऐसी मुझे, कोई विशेष आपको कोई प्राब्लम है, आपके जोन के अन्दर कोई प्राब्लम है तो उसको हम देख लेंगे। आप मुझे अलग से बता दें। We are here to serve.

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय सभापति महोदय, प्रोपर अर्थिंग नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं-नहीं, आपने चुनावों के समय इलेक्ट्रोनिक मीटर्स की डटकर आलोचना की थी कि यह गलत है और आज आप यह कह रहे हो कि इलेक्ट्रोनिक मीटर ठीक है तो कम से कम जनता में आपने असत्य बयान किया, उसके लिए तो क्षमा याचना करो। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय सभापति महोदय, नहीं-नहीं ...(व्यवधान) आपके टाइम में जो मीटर्स खरीद रहे थे they were not quality metres. और वह सही टेक्नोलॉजी नहीं थी। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने उन मीटर्स की ...(व्यवधान) उन कम्पनियों को भी आर्डर दिया है।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय सभापति महोदय, ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हमारे टाइम पर जो मीटर खरीदे, उन कम्पनियों को भी आपने आर्डर दिया है। उन कम्पनियों को भी आपने आर्डर दिया है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अगर हमारे वक्त में घटिया क्वालिटी के मीटर खरीदे गये तो आप उसकी जांच करवाओगे? आप उसकी जांच करवाओगे क्या? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हमारे टाइम का, जो कांग्रेस शासन में मीटर की जो कम्पनियां थीं उनको आपने भी आर्डर दिया है। उनको आपने फिर क्यों आर्डर दिया अगर खराब है तो क्यों दिया आपने? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हमारे वक्त में अगर घटिया क्वालिटी के मीटर खरीदे गये तो क्या सरकार इसकी जांच करवाएगी? जिन अधिकारियों ने घटिया क्वालिटी के मीटर खरीदे हैं, क्या सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी? (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय सभापति महोदय, मेरे विभाग में कोई भी चीज, अनियमितता पायी हो, चाहे वह मीटर्स हो, चाहे ट्रांसफार्मर्स हो, उजागर करिये, हम हर चीज की जांच कराने के लिए तैयार हैं। हम हर चीज की जांच कराने के लिए तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप फिर यह किस आधार पर कह रहे हो कि हमारे वक्त में घटिया खरीदे गये हैं? आप किस आधार पर कह रहे हो फिर यह? किस आधार पर कह रहे हो आप? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप खुद कह रहे हो, आपने खुद ने कहा है कि आपके समय में घटिया मीटर खरीदे गये हैं। घटिया कम्पनी के खरीदे हैं, आप जांच क्यों नहीं करवाते हो इसकी फिर? आप जांच क्यों नहीं करवा रहे हो? (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय सभापति महोदय, प्रोपर अर्थ के बारे में थोड़ा सा मंत्री महोदय बतायें और वह अर्थ हमारे वहां सही नहीं हो रहा है, वह गड्ढा प्रोपर नहीं खुद रहा है। वह कॉपर काम नहीं आ रहा है। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): इससे इस मीटर के कंजम्प्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): आपके वक्त से ही घटिया किस्म के खरीदे गये थे चूंकि, यह 156 की जगह 56 आ गये तो जनता ने फैसला कर दिया। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह 20 ही आएंगे, वह चिन्ता छोड़ो आप। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप भी माननीय सदस्य, थोड़ा जनहित में बात करो। यह खुद कह रहे हैं कि पहले घटिया मीटर थे तो जांच क्यों नहीं करवायी और उन्हीं कम्पनियों से इन्होंने मीटर क्यों खरीदें? इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रोनिक मीटर गलत है, सरकार को हटाओ, यह मीटर को बदल देंगे, फिर इलेक्ट्रोनिक मीटर क्यों लगा रहे हैं? फिर इलेक्ट्रोनिक मीटर क्यों लगा रहे हो आप? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, आपकी मौजूदगी में सरकार ने यह ...(व्यवधान)

श्री सभापति: पहले तो आप यह तय कर लो कि आप में से बोलेगा कौन। आप तय कर लें, पहले बोलेगा कौन। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, आपकी मौजूदगी में सरकार ने यह कहा है कि कांग्रेस की सरकार में घटिया मीटर की खरीद हुई है। हम आपसे यह निवेदन करना चाहते हैं कि आप निर्देश दीजिए कि उसके लिए जांच की घोषणा करें कि कितने मीटर घटिया खरीदे गये, कांग्रेस सरकार में, आप इसकी जांच की घोषणा करिये। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): और उसी कम्पनी को आपने आर्डर क्यों दिये? आपने उस कम्पनी को आर्डर क्यों दिये? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप वापस का वापस उन्हीं को दे रहे हो। आपके वक्त में तो अच्छी हो गयी? (व्यवधान)

श्री सभापति: चलो आपका सब का विषय आ गया है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नहीं, कोई विषय नहीं आया है, माननीय सभापति महोदय, इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य सरकार के मंत्री अगर सदन में देते हैं तो आप प्रताड़ित करिये इनको। आप प्रताड़ित करिये इनको। (व्यवधान)

श्री सभापति: अभी करते हैं। अभी करते हैं। (व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय सभापति महोदय, इस बात को पर्ची के माध्यम से जिस माननीय सदस्य ने उठाया और वह व्यक्ति मतलब संतुष्ट है, माननीय सदस्य संतुष्ट हैं, जिस पर्ची के माध्यम से यह जिसने उठाया है मामला, वह उस मामले से संतुष्ट हैं और आप यह कह रहे हैं कि ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उनके संतुष्ट और असंतुष्ट होने का सवाल नहीं है। उनके संतुष्ट और असंतुष्ट होने का सवाल नहीं है। सवाल सदन के पूरे माननीय सदस्यों के संतुष्ट होने का सवाल है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि बिजली बोर्ड है, वह जनता के लिए है। उसमें काश्तकार भी हैं, कंजूमर भी हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका पूरा विषय आ गया, मंत्रीजी ने जवाब दे दिया है। कोई पर्टीकूलर केस आपके ध्यान में हो, वह मंत्रीजी को बता दें।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): वह मैं बता रहा हूं। हमने अजमेर डिस्कॉम में आपके सी.एम.डी. साहब को तीन एग्जाम्पल दिये। जिस परिवार में पहले एक बल्ब था, आज भी एक बल्ब है और बिल 700 रुपये से 2000 रुपये हो गये हैं। इसलिए आपके यह मीटर गलत हैं। इन मीटरों को दिखवाओ आप। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): सभापति महोदय, अभी हमारे माननीय सदस्य ने पाइंट आफ आर्डर उठाया, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लोग ...(व्यवधान)

श्री सभापति: पहले आप तय कर लो दोनों में से कौन बोलेगा? तय कर लो।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): सरकार ने एक बार मीटर बदले, दो बार मीटर बदले, तीन-तीन बार मीटर बदले हैं तो ऐसी कौनसी आफत आ गयी है। बार-बार इनके सेंट्रल लेब पर परचेज होती है, यह मीटर खरीद लेते हैं और लगा देते हैं और हम इनको कम्पलेंट करते हैं कि कंजूमर की अनुपस्थिति में यह मीटर लगाकर देते हैं, यह स्थिति इनकी है। इनके मीटर में 30 प्रतिशत फास्ट प्रोग्रामिंग हैं तो मेहरबानी करके जनता को बैक डोर से मत लूटिये और कृपा करके जनता पर मेहरबानी कीजिये। मीटर ठीक करवाइये। दूसरी बात आपने अभी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मीटर में घपला किया तो जांच करवाइये आप उसकी, कहां दिक्कत है आपको? जांच कराओ आप।

श्री सभापति: चलिये, आपका विषय आ गया। याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, चित्तौड़ ...(व्यवधान)

श्री रमेश खींची (कठूमर): सभापति महोदय, आफिसर्स गैलेरी में प्राइवेट लोग आ गये थे, उसके बारे में आप मंत्रीजी से क्या जवाब दिलवाना चाह रहे हैं, किसने काम किया, कैसे बने, जिम्मेदारी तय करो। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कोई जिम्मेदारी तो तय करो उसकी कि इस प्रीमिसेज में कैसे आये?

श्री सभापति: आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो, आप माननीय अध्यक्ष जी के चैम्बर में जाकर मिल लें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कैसे एन्टर हो गये इस प्रीमिसेज के अन्दर।

श्री सभापति: आप अध्यक्षजी के चैम्बर में जाकर मिल लें। (व्यवधान) याचिकाओं का उपस्थापन। माननीय सदस्य, श्री शंकर सिंहजी राजपुरोहित।

श्री रमेश खींची (कठूमर): ...(व्यवधान) आपके क्या दर्द हो गया, जब सदन में इस बात का सवाल आ गया। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपने विषय रख दिया, मैंने कह दिया कि माननीय अध्यक्षजी के चैम्बर में जाकर मिल लीजिये। (व्यवधान)

श्री रमेश खींची (कठूमर): कैसे आफिसर्स गैलेरी में आ गये? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हमारा एक ज्वलन्त जवाब बाकी है सरकार से, माननीय सभापति महोदय, पूरे राजस्थान में होली के अवसर पर इस सरकार की लापरवाही और उदासीनता से पूरे प्रदेश का सद्‌भाव नष्ट हुआ है। हमारे स्थगन प्रस्ताव पर आसन से व्यवस्था दी गई है कि सरकार इस पर वक्तव्य देगी। पिछले दो घंटे से हम आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि सरकार चित्तौड़ के उस शर्मनाक हादसे के ऊपर अपना वक्तव्य दे और माननीय चिकित्सा मंत्रीजी ने खुद ने यह स्वीकार किया है कि इसमें प्रशासनिक लापरवाही रही है। उसके बाद भी माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: यह जो भी माननीय सदस्य मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं, आप स्टेण्ड रूप से अपने दिमाग में बिठा लें, लिखेंगे नहीं। अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, आप बोलिये। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): ×××

श्री सभापति: आप इतने बढ़िया सदस्य हैं, आपको आसन का अपमान करने में मजा आता है बार-बार।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री सभापति: आपने अपना विषय रख दिया, अब बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री सभापति: जब आसन ने कह दिया कि आप अपना स्थान ग्रहण करिये। (व्यवधान) जब आसन ने कह दिया कि आप अपना स्थान ग्रहण करिये तो बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री सभापति: आपका यह अधिकार नहीं है कि आप बार-बार आसन का अपमान करें। आपको अधिकार नहीं है। आपने अपना विषय रख दिया है। मैंने आपसे आग्रह कर दिया है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) माननीय संयमजी लोढ़ा आप अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री सभापति: आपने अपना विषय रख दिया है, मैंने आपकी बात सुन ली है और मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): × × ×

श्री सभापति: मेरा आपसे पुनः आग्रह है, आपने अपने विषय को रख दिया है। मैंने अत्यन्त गम्भीरता से आपका विषय सुन लिया, अब आप अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान).

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): × × ×

श्री सभापति: अभी बता दूंगा आपको। (व्यवधान) अभी बता देंगे। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): × × ×

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): × × ×

श्री सभापति: एक ही बात को बार-बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। आपने अपना विषय रख दिया है, बात मेरे समझ में आ गयी है। अभी बता देंगे आपको । (व्यवधान) श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): × × ×

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार तीन याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं :-

आहोर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आहोर, जिला जालौर में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध कराना

(1) आहोर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आहोर, जिला नागौर में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध कराने बाबत,

उम्मेदपुर ग्राम (आहोर) में स्थित 132 के.वी.जी.एस.एस. को 220 के.वी.जी.एस.एस. लेटा (जालौर) से जोड़ना

(2) उम्मेदपुर ग्राम (आहोर) में स्थित 132 के.वी. जी.एस.एस. को 220 के.वी.जी.एस.एस. लेटा (जालौर) से जोड़ने बाबत,

आहोर में जंवाई कमाण्ड क्षेत्र में कच्ची खालों व नहरों को पक्का करना

(3) आहोर में जंवाई कमाण्ड क्षेत्र में कच्ची खालों व नहरों को पक्का करने बाबत।

श्री सभापति : माननीय श्रीमती राजकुमारी शर्मा।

सीकर शहर कस्बे में पानी की टंकी के निर्माण कार्य में हो रही बाधा

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) : माननीय सभापित महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्न एक याचिका का उपस्थापन करती हूं :-

(1) सीकर शहर कस्बे में पानी की टंकी के निर्माण कार्य में हो रही बाधा की समस्या के समाधान बाबत।

श्री सभापति : श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल।

सादड़ी (देसूरी) में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में शैय्याओं की संख्या बढ़ाना

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्न एक याचिका का उपस्थापन करती हूं:-

(1) सादड़ी (देसूरी) में सामुदायिक स्वासथ्य केन्द्र में शैय्याओं की संख्या 30 से बढ़ाकर 50 करन बाबत।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मुझे एक कार्यक्रम में जाना है, विशेष बात थी, इसलिये मैं पहले ही निवेदन कर रहा हूं। संकल्प का उपस्थापन करना है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको इन्फोर्म करता हूं कि चित्तौड़ के मामले में माननीय गृह मंत्रीजी से वक्तव्य दिलवायें और यह बिलों पर विचार करने से पूर्व ही इनका वक्तव्य होना जरूरी है। कल देने की घोषणा की थी। आप अपना वक्तव्य दिलवा दें। (व्यवधान) आप वक्तव्य दिलवा दें। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): और आज भी चित्तौड़ जल रहा है। (व्यवधान) आज भी वहां कर्फ्यू लगा हुआ है। इसलिए आप इसकी व्यवस्था करायें। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप वक्तव्य दिलवाइये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): आप फरमा दें, गृह मंत्रीजी बयान दे देंगे। (व्यवधान) जिनको सवाल पूछने हैं, वह सवाल पूछ लेंगे। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): आप सुनना ही नहीं चाहते थे। (व्यवधान) आप सुनना ही नहीं चाहते थे, आप भाग गये। (व्यवधान)

श्री हरिमोह्न शर्मा (हिण्डौली): बिलों के पहले, बिलों के पहले... (व्यवधान)

श्री सभापति: सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर बैठें। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): यह सभापति महोदय, बिल रखकर भाग जायेंगे, इसलिए पहले आप गृह मंत्रीजी से स्टेटमेंट दिलवायें। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप माननीय सदस्य, एक ही बात को बार-बार रिपीट नहीं करें।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आज भी चित्तौड़ में अशांति है। (व्यवधान) आज लोगों की जान और माल सुरक्षित चाहिये। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपसी सद्‌भाव तार-तार करने का काम इस सरकार ने किया है सभापति महोदय।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप गृह मंत्रीजी से स्टेटमेंट दिलवायें। (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिये, आप स्थान ग्रहण कीजिये। समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन, श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

समिति का प्रतिवेदन

महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति

वर्ष 2007-08 का प्रतिवेदन (क्रम सं. 11)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से महिला एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति, 2007-2008 के ग्यारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करती हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, आसन की तरफ देखें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपकी पार्टी ने दंगे करवाये हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपस में बहस नहीं करें आप लोग। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ...(व्यवधान) नारा लगाने वाले लोगों को हम सहन नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपकी पार्टी ने दंगे करवाये। (व्यवधान) पूरे राजस्थान का अमन-चैन नष्ट किया है आपके लोगों ने। (व्यवधान).

श्री सभापति: राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, बैठें। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप वक्तव्य दोगे? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप आपस में बहस क्यों कर रहे हैं? आप जज बन गये क्या विधान सभा के? या आपको जज बनने का अधिकार दे दिया है। (व्यवधान) या न्यायविद् बन गये विधान सभा के? (व्यवधान) यह आसन क्यों बना रखा है यहां पर? ... (व्यवधान).

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बस-बस हुक्म। (व्यवधान) आ गया हुक्म। (व्यवधान).

श्री सभापति: शासकीय संकल्प।

शासकीय संकल्प

राज्य में अस्पताल, परिचर्यागृहों, औषधालयों इत्यादि के लिए विनियमन का उपबन्ध करना

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित संकल्प विचार एवं पारण हेतु प्रस्तुत करता हूं। यतः राज्य में अस्पताल, परिचर्यागृहों, प्रसूतिगृहों, औषधालयों इत्यादि को सम्मिलित करते हुए क्लिनिकल स्थापनों के विनियमन का उपबन्ध करना और उनके लिये न्यूनतम मानक विहित करना समीचीन है। और यतः संसद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 249 और 250 में यथा उपबन्धित के सिवाय उपर्युक्त ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है। यह जो संकल्प है, यह सबसे नीचे है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह व्यवस्थाओं में है, सभापति महोदय, आसन सर्वोपरि है। यह क्रम को बदल सकते हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह सदन सर्वोपरि है, आपको सदन से परमिशन लेनी चाहिये कि (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपकी अनुमति ली है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सदन से परमिशन लेनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मेरा पाइंट आफ आर्डर सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्षीय व्यवस्थाओं में एक-दो नहीं, अनेकों अध्यक्षीय व्यवस्थाओं में हैं कि आसन क्रम में परिवर्तन कर सकता है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप कृपया मेरा पाइंट आफ आर्डर सुन लीजिये। (व्यवधान) Mr. Parliamentary Affairs Minister I will request you आपकी जो इंटरप्शन करने की आदत पड़ गयी है, कृपया अपने ऊपर आप संयम बरतें और इंटरप्ट ना करें। आप हाउस से रिक्वेस्ट करें यहां पर, क्योंकि

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

जो आज का बिजनैस है, बिजनैस तय हो गया है। बिजनैस के अन्दर आप हमारी कार्य सूची के अन्दर देखें। आज यह आइटम है, लेकिन काफी नीचे है। आप ओवर-लेपिंग करके, सम्भव है कि माननीय मंत्रीजी को कहीं जाना हो, कोई आवश्यक कार्य हो, आप रिक्वेस्ट करें, चेयर से रिक्वेस्ट करें। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अनुमति ले ली। (व्यवधान)

श्री सभापति: नहीं, सूर्य अस्त होने से पहले (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ना, फिर वह सदन से परमिशन लेंगे, क्या परमिशन दी है? हम अपनी सहृदयता का परिचय देते हुए आपको परमिशन देने के लिए कह देंगे, हम उसमें रोका-टोकी नहीं करेंगे लेकिन यह एस्टेब्लिशड प्रोसीजर है, इसको तो आपको फॉलो करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपका विषय समझ में आ गया, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): नहीं, सभापति महोदय, जो अपने कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन जाता है, माननीय सदस्यों के पास में, नीचे हमेशा लिखा हुआ रहता है कि माननीय अध्यक्ष इसके क्रम में परितर्वन कर सकते हैं। क्रम परिवर्तन करने के लिए माननीय सभापतिजी से या माननीय अध्यक्षजी से केवल आग्रह करना पड़ता है, इसमें सदन की हां, ना की सहमति आवश्यक नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आवश्यक है। तिवाड़ीजी, ऐसा है ...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सदन तो सर्वोपरि है, अध्यक्ष महोदय कर सकते हैं सदन की परमिशन लेकर।

श्री अमराराम (धोद): अगर जरूरत नहीं थी तो बी.ए.सी. का जो कार्यक्रम 27 तारीख तक था, उसको चैंज करने के लिए दोबारा बी.ए.सी. को बुलाया है इसलिए अगर अध्यक्षजी के इसलिए आवश्यकता है, कोई भी कार्यक्रम को चैंज करते हैं तो सदन की अनुमति की जरूरत होती है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आज का बिजनैस तय हो गया है। (व्यवधान)

श्री सभापति: इसकी पहले से रूलिंग आ गयी है, आप बैठिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आज का बिजनैस तय हो गया है। जो कार्य सूची है आज की, जारी कर दी गयी है अगर आप उसके क्रम को तोड़ना चाहते हैं तो बहुत साधारण सी बात है, आप सदन की परमिशन ले लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सिर्फ चेयर की परमिशन की आवश्यकता है, चेयर चाहे तो सदन की परमिशन ले बाकी चेयर स्वयं के परिवर्तन कर सकती है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): चाहे नहीं है वर्ड, तिवाड़ीजी, ऐसा है कि आप दिखवा लीजिए, अगर आप नहीं करना चाहें ...

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, इसमें पुराने के देखने के बाद ही मैंने कहा है, रिक्वैस्ट की है।

श्री सभापति: इसमें काई तकनीकी समस्या नहीं है, यह वैसे भी उजाले में कोई संकल्प लिया जाता है उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 'और यतः संसद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 249 और 250 में यथा उपबन्धित के सिवाय उपर्युक्त विषयों में से किसी के सम्बन्ध में राज्यों के लिये विधियां बनाने की शक्ति नहीं है, क्योंकि लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्यसूची की प्रविष्टि-6 में प्रगणित है।

और यतः भारत सरकार चाहती है कि क्लिनिकल स्थापनों को विनियमित करने और क्लिनिकल स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) विधेयक, 2007 को अधिनियमित करने के लिये संसद को सशक्त करने के लिये राज्य विधान मण्डल द्वारा एक संकल्प पारित किया जाय।

अतः अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद-252 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह सदन इसके द्वारा यह संकल्प करता है कि क्लिनिकल स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) विधेयक, 2007 संसद द्वारा पारित किया जाये जिसका विस्तार भारत के सभी राज्यों में होगा।'

श्री सभापति: कोई माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इसमें विचार नहीं, हां, ना में होता है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

संकल्प पारित किया गया।

मांग

चित्तौड़गढ़ में साम्प्रदायिक दंगों पर वक्तव्य की मांग

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं, सभापति महोदय, पहले वक्तव्य होगा। आप बोलो न। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): चित्तौड़ के बारे में वक्तव्य कल देना था, कल विधान सभा की कार्यवाही नहीं चल सकी इसलिए वो वक्तव्य नहीं हो सका इसलिए आज मैंने सुबह ही निवेदन कर दिया था, वक्तव्य दिला दिया जाय फिर उसके बाद में विधेयक ले लिये जाएं। मंत्रीजी तैयार हैं, वक्तव्य तैयार है, इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, कल माननीय गृह मंत्रीजी ने वक्तव्य का समय कल नियत किया, तय किया गया था और उसके अनुसार वक्तव्य उन्होंने देना प्रारम्भ भी कर दिया था। अब कोई सुनना ही नहीं चाहे, उसका कोई इलाज क्या है?

श्री अमराराम (धोद): तैयार बैठे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह तो प्रतिपक्ष जब चाहे जब किसी चीज को सुने, जब चाहे जब नहीं सुने, यह थोड़ी होगा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): गृह मंत्रीजी ने स्वयं ने कहा था मैं तैयार हूं, आसन से व्यवस्था हो जाए, तो आपको क्या दिक्कत है अगर आसन से व्यवस्था हो जायेगी तो? (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): कल आपने यह थोड़ी ही एग्री किया था ए.जी. से रिपोर्ट मांगने का, ए.जी. से रिपोर्ट मांगने की तो आज आपने एग्री किया तभी तो हाउस में गतिरोध समाप्त हुआ। जब हाउस में गतिरोध समाप्त हो गया, वक्तव्य आ जावे, इसमें दिक्कत कहां है?

आप अगर चाहते हैं, आप यह चाहते हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के बारे में जो साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं, जिससे पूरा प्रदेश जल रहा है उसके बारे में चर्चा नहीं हो हाउस में? इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप इसको टालना चाहते हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): हम तो चाहते थे, आप करना नहीं चाह रहे हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): करनी ही नहीं चाही, उसका कारण था। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, कल स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से माननीय सदस्यों ने चर्चा उठायी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

थी और कल स्थगन प्रस्ताव जो विचारार्थ आये और उसमें आपने बोलने की जो अनुमति दी उसके बाद स्टेटमेंट की बात थी। अब कल का बिजनैस, तो स्थगन प्रस्ताव तो कल डिसपोज आफ हो गये, उन पर आज कैसे चर्चा की जा सकती है? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): स्थगन प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति कोई नहीं दी थी, यह व्यवस्था दी थी क्योंकि गृह मंत्रीजी वक्तव्य देंगे इसलिए अगर पाइंटेड पूछने हैं तो उनके वक्तव्य के बाद पूछ लेंगे और आज जब यहां सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने और नेता प्रतिपक्ष ने यह बात उठायी, गृह मंत्रीजी ने कहा, मैं तैयार हूं, आसन से व्यवस्था हो जाए। आपसे निवेदन है, सभापति महोदय, कि आप व्यवस्था दे दें कि इतना महत्वपूर्ण है, गृह मंत्रीजी अपनी बात कह दें और किसी को पाइंटेड सवाल पूछने हों तो पूछ लेंगे बाकी बाद में बिल लाइये और पास कराइये। गृह मंत्रीजी तैयार होने के बाद भी अगर वक्तव्य नहीं कराते ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक। सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008.

अनेक माननीय सदस्य: पहले वक्तव्य होगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): पहले वक्तव्य होगा, सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सभापति महोदय, वक्तव्य कराइये पहले। (व्यवधान) विश्वविद्यालय बिल पारित होने के बाद यह भाग जायेंगे।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, पहले वक्तव्य दिलाया जाए। पहले भी आसन से शुरूआत में यह निवेदन किया था तब आसन ने कहा था कि ...(व्यवधान) इसमें व्यवस्था दी जाय।

श्री सभापति: आप बार-बार कह रहे हैं कि आसन से व्यवस्था कर दी जाए तो मैंने व्यवस्था कर दी है, मैंने अगला बिजनैस पुकार लिया है। सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008.

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं, पहले वक्तव्य होगा, सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सभापति महोदय, पहले वक्तव्य कराइये, बड़ा महत्वपूर्ण मामला है।

श्री सभापति: चारों विधेयक एक साथ ही रख दें।

सदन में नारेबाजी

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): बिल पास हो जायेगा, पहले वक्तव्य कराइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, प्रतिपक्ष की हठधर्मिता है, कल जब गृह मंत्रीजी वक्तव्य देना चाह रहे थे गृह मंत्रीजी तब तो इन्होंने सुना नहीं, अब प्रतिपक्ष ...(व्यवधान)

ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाय।

भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर विधेयक, 2008

सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाय।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अमराराम (धोद): वक्तव्य देना ही पड़ेगा।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): सभापति महोदय, यह इनका कोई आचरण है ...(व्यवधान) वैल में आ जाते हैं और यह सदन का समय वेस्ट कर रहे हैं और, सभापति महोदय, आपके निर्णय को चुनौती दे रहे हैं यह। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): चारों रखवा दो, साहब।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): चारों कह दिये न। कह दिये।

श्री सभापति: हां, मैंने चारों ही बोले हैं। ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008.

जगन नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि जगन नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाय।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री सभापति: भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर विधेयक, 2008.

माननीय सदस्य, श्री सुभाष चन्द्रजी बहेड़िया। माननीय सदस्य, श्री रामनारायणजी मीणा। श्री रामप्रतापजी कासनिया। श्री बाबूलालजी नागर। डा. कन्हैयालालजी मीणा। श्री राकेशजी मेघवाल। श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल। माननीय सदस्य, डा. बुलाकीदासजी कल्ला। डा. श्रीगोपाल बाहेती। श्री प्रहलादजी गुंजल। श्री वीरेन्द्रजी बेनीवाल। माननीय सदस्य, श्री संयमजी लोढ़ा। श्री शान्तिलालजी चपलोत। श्री तगारामजी चौधरी। श्री हरिमोहनजी शर्मा।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

माननीय सदस्य, श्री सुभाष चन्द्रजी बहेड़िया। श्री रामनारायणजी मीणा। श्री बाबूलालजी नागर। डा. कन्हैयालालजी मीणा। श्री राकेशजी मेघवाल। श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल। माननीय सदस्य, डा. बुलाकीदासजी कल्ला। श्री जुबेर खान। डा. श्रीगोपाल बाहेती। श्री प्रहलाद गुंजल। श्री वीरेन्द्र बेनीवाल। श्री संयम लोढ़ा। श्री शान्तिलालजी चपलोत। श्री तगाराम चौधरी। श्री हरिमोहनजी शर्मा।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, यह इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, आज पूरे प्रदेश में, साम्प्रदायिकता की आगे में प्रदेश जल रहा है। सरकार वक्तव्य नहीं देना चाहती। (व्यवधान) सभापति महोदय, सरकार को इसके बारे में वक्तव्य देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाय?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, सरकार को उत्तर देना चाहिए। (व्यवधान) साम्प्रदायिक सौहार्द यहां हमेशा से रहा है ...(व्यवधान) साम्प्रदायिकता का जो जहर घोला जा रहा है प्रदेश में, सभापति महोदय, उस पर रोक लगायी जानी चाहिए। जो लोग इसमें लिप्त हैं (व्यवधान) सरकार कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती ...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल। श्री देवीशंकर भूतड़ा। श्री सुभाषचन्द्र बहेड़िया। श्री रामनारायण मीणा। श्री बाबूलाल नागर। डा. कन्हैयालाल मीणा। श्री रामप्रताप कासनिया। श्री राकेश मेघवाल। श्री हेमराज मीणा। श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल। डा. बुलाकीदास कल्ला। श्री जुबेर खान। डा. श्रीगोपाल बाहेती। श्री प्रहलाद गुंजल। श्री वीरेन्द्र बेनीवाल। श्री संयम लोढ़ा। श्री हरिमोहन शर्मा। श्री तगाराम चौधरी।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) सरकार मिली हुई है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह पहली बार राजस्थान के इतिहास में ...(व्यवधान) कांग्रेस ने अपने इतिहास में (व्यवधान)

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, हमने पहले भी आपसे निवेदन किया सरकार को इस बात पर ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आन ए पाइंट आफ आर्डर सर। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया। श्री रामनारायण मीणा। श्री बाबूलाल नागर। डा. कन्हैयालाल मीणा। श्री रामप्रताप कासनिया। श्री राकेश मेघवाल। श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल। डा. बुलाकीदास कल्ला। श्री जुबेर खान। डा. श्रीगोपाल बाहेती। श्री प्रहलाद गुंजल। श्री वीरेन्द्र बेनीवाल। श्री संयम लोढ़ा। श्री हरिमोहन शर्मा। श्री तगाराम चौधरी।

बहिर्गमन

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का सदन से बहिर्गमन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, प्रतिपक्ष का जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार रहा, कल चित्तौड़ पर जब गृह मंत्रीजी वक्तव्य दे रहे थे तब तो उनको सुना नहीं और इनको कहने को कुछ है नहीं। सभापति महोदय, पूरा राजस्थान जान चुका है, यह प्रतिपक्ष बंटा हुआ प्रतिपक्ष है, मुद्दा विहीन प्रतिपक्ष है। आज अच्छा होता विश्वविद्यालय हैं चार-चार, विश्वविद्यालय के चार-चार महत्वपूर्ण बिल आ रहे हैं, आज राजस्थान के अन्दर उच्च शिक्षा की जो मुहिम चली है उसके अन्दर उनके रचनात्मक सुझाव आते परन्तु बिना किसी बात पर हो-हल्ला करके सदन का समय जाया किया, यह भर्त्सना लायक बात उन्होंने की है।

श्री अमराराम (धोद): ...(व्यवधान) वाक आउट करता हूं।

बहिर्गमन

(श्री अमराराम धोद, सदस्य, मा.क.पा. का सदन से बहिर्गमन)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, जब प्रतिपक्ष पिछले चार साल से गम्भीर नहीं है तो अपेक्षा क्यों करते हैं।

जगन नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि जगन नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008

खण्ड-2 से 7 – कोई संशोधन नहीं

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 7 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 7 स्वीकार किये गये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जिनके नाम पुकारे जाते हैं, स्वयं कांग्रेस ने भी कहा है यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जब यह उपस्थित नहीं रहते और छोटे-छोटे मामलों में सदन से बाहर चले जाते हैं, मांग करते हैं और मांग करने के बाद यहां पर रहते नहीं हैं, उस विषय पर चर्चा करना नहीं चाहते इसलिए इस निंदनीय व्यवहार के लिए इनकी निंदा किया जाना आवश्यक है।

श्री सभापति: बिलकुल आप भरपूर निंदा करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं विपक्ष के इस आचरण की हम सब निंदा करते हैं। विपक्ष के इस आचरण की हम निंदा करते हैं। यह प्रस्ताव पास हुआ है।

श्री सभापति: बिलकुल।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मेरे इस निंदा प्रस्ताव पर भी तो देओ।

श्री सभापति: खण्ड-8- डा. बुलाकीदास कल्ला । (अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खण्ड-8 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड – 8 स्वीकार किया गया।

खण्ड 9 से 11 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 9 से 11 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 9 से 11 स्वीकार किये गये।

खण्ड-12

डा. बुलाकीदास कल्ला।

प्रश्न यह है कि खण्ड-12 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-12 स्वीकार किया गया।

खण्ड-13 से 21 कोई संशोधन नहीं

प्रश्न यह है कि खण्ड 13 से 21 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 13 से 21 स्वीकार किये गये।

खण्ड – 22

डा. बुलाकीदास कल्ला।

प्रश्न यह है कि खण्ड 22 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 22 स्वीकार किया गया।

(श्री सभापति)

खण्ड 23 से 28 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 23 से 28 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 23 से 28 स्वीकार किये गये।

खण्ड–29

श्री मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह संशोधन प्रस्ताव वापस लेना चाहता हूं।

(समय : 15.55 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड–29 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 29 स्वीकार किया गया।

खण्ड–30

श्री मदन राठौड़ ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मेरा संशोधन प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-30 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-30 स्वीकार किया गया।

खण्ड-31 से 47 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-31 से 47 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 31 से 47 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 एवं 2 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाय?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की गयी।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008 को पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008 को पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008

खण्डश :विचार

खण्ड 2 से 7- कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 7 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 7 स्वीकार किये गये।

खण्ड-8

डा. बुलाकीदास कल्ला- संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

प्रश्न यह है कि खण्ड-8 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-8 स्वीकार किया गया।

खण्ड- 9 से 11 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 9 से 11 स्वीकार किये जाएं?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

खण्ड 9 से 11 स्वीकार किये गये।

खण्ड-12

डा. बुलाकीदास कल्ला - संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

प्रश्न यह है कि खण्ड-12 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-12 स्वीकार किया गया।

खण्ड 13 से 21 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 13 से 21 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 13 से 21 स्वीकार किये गये1

खण्ड-22

डा. बुलाकीदास कल्ला – संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

प्रश्न यह है कि खण्ड-22 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-22 स्वीकार किया गया।

खण्ड-23 से 28 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 23 से 28 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 23 से 28 स्वीकार किये गये।

खण्ड-29

श्री मदन राठौड़ – संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह संशोधन वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: खड़े ही मत होओ ।

प्रश्न यह है कि खण्ड-29 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-29 स्वीकार किया गया।

खण्ड-30 श्री मदन राठौड़-संशोधन प्रस्तुत करेंगे। (व्यवधान)

वह हो गया। रहने दीजिये क्यों कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन करना है कि खण्ड-30 का जो पैरा (4) है जिसमें राज्य सरकार को बाध्य किया गया है। एक बार इसकी भाषा सुन लेवें कि 'विद्या परिषद् या तो राज्य सरकार के सुझावों को सम्मिलित करते हुए आर्डिनेन्सों को उपान्तरित करेगी या राज्य सरकार द्वारा दिये गये किन्हीं भी सुझावों को सम्मिलित न करने के कारण देगी और ऐसे कारण, यदि कोई हों, के साथ आर्डिनेन्स राज्य सरकार को वापस भेजेगी और उनकी प्राप्ति पर राज्य सरकार विद्या परिषद् की टिप्पणियों पर विचार करेगी और विश्वविद्यालय के आर्डिनेन्सों को ऐसे उपान्तरणों सहित या उनके बिना अनुमोदित करेगी'। मैं यह चाहता हूं कि 'अनुमोदित' करेगी की जगह पर 'निस्तारित' करेगी, यह शब्द होना चाहिये क्योंकि अनुमोदित करना यह आवश्यक नहीं है। कई ऐसे सुझाव, ऐसे भी परिनियम हो सकते हैं कि जिसको राज्य सरकार स्वीकार करे और नहीं भी करे लेकिन यह बाध्यता राज्य सरकार पर कोई भी एक ऐसा निजी विश्वविद्यालय बाध्य करे राज्य सरकार को कि अनुमोदित करेगी, इसके लिये मैंने संशोधन दिया है कि 'अनुमोदित' करेगी के स्थान पर 'निस्तारित' करेगी शब्द होना चाहिये ताकि राज्य सरकार चाहे तो अनुमोदन करे, चाहे तो नहीं करे। इस प्रकार का मैंने यह सुझाव दिया। यदि आपको ठीक लगे तो इसको स्वीकार करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जवाब देओ आप। इनको जवाब देना है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निजी विश्वविद्यालयों के पहले 5 विधेयक यहां पारित हो चुके हैं और निजी विश्वविद्यालयों की आवश्यकता क्यों है, क्या कारण हैं कि हम राजस्थान में निजी विश्वविद्यालयों को लाना चाहते हैं? इसके बारे में मैं विस्तार से पहले बता चुका हूं पर क्योंकि आज पुन: 4 निजी विश्वविद्यालयों के विधेयक यहां हम पारित कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): पारित नहीं, खंडश: है। अभी खण्ड का दें। पारित का तो फिर पारित में दे देना।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): खण्ड का तो, सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है वह स्वीकार योग्य नहीं है इसलिये इसको अस्वीकार किया जाय।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): क्यों नहीं है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह संशोधन वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: अब बहस नहीं। वापस लेने की स्वीकृति दी जाती है।

'प्रश्न यह है कि खण्ड-30 स्वीकार किया जाय?'

(स्वीकृत)

खण्ड-30 स्वीकार किया गया।

खण्ड-31 से 47-कोई संशोधन नहीं।

'प्रश्न यह है कि खण्ड-31 से 47 स्वीकार किये जाएं?'

(स्वीकृत)

खण्ड-31 से 47 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 एवं 2 – कोई संशोधन नहीं।

'प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाय?'

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की गयी।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि- कोई संशोधन नहीं।

'प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय?'

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री कालीचरण सर्राफ, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008 को पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: 'प्रश्न यह है कि ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008 को पारित किया जाय?'

(स्वीकृत)

ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008 पारित किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

विधेयक पर विचार

भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर विधेयक, 2008

खण्डश :विचार

खण्डश: विचार

खण्ड-2 से 7 कोई संशोधन नहीं।

'प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 7 स्वीकार किये जायं?'

(स्वीकृत)

खण्ड-2 से 7 स्वीकार किये गये।

खण्ड-8- डा. बुलाकीदास कल्ला-संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

'प्रश्न यह है कि खण्ड-8 स्वीकार किया जाय?'

(स्वीकृत)

खण्ड-8 स्वीकार किया गया।

खण्ड-9 से 11-कोई संशोधन नहीं।

'प्रश्न यह है कि खण्ड-9 से 11 स्वीकार किये जाएं?'

(स्वीकृत)

खण्ड-9 से 11 स्वीकार किये गये।

खण्ड-12- डा. बुलाकीदास कल्ला-संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

'प्रश्न यह है कि खण्ड-12 स्वीकार किया जाय?'

(स्वीकृत)

खण्ड-12 स्वीकार किया गया।

खण्ड-13 से 21-कोई संशोधन नहीं।

'प्रश्न यह है कि खण्ड-13 से 21 स्वीकार किये जायं?'

(स्वीकृत)

खण्ड-13 से 21 स्वीकार किये गये।

खण्ड-22- डा. बुलाकीदास कल्ला-संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

'प्रश्न यह है कि खण्ड-22 स्वीकार किया जाय?'

(स्वीकृत)

खण्ड-22 स्वीकार किया गया।

खण्ड-23 से 28-कोई संशोधन नहीं।

'प्रश्न यह है कि खण्ड-23 से 28 स्वीकार किये जाएं?'

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

खण्ड-23 से 28 स्वीकार किये गये।

खण्ड-29- श्री मदन राठौड़-संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खण्ड-29 (3) का थोड़ा सा हवाला देना चाहूंगा जिसमें यह है कि 'राज्य सरकार विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये परिनियमों पर विचार करेगी और ऐसे उपान्तरणों, यदि कोई हों, सहित, जो वह आवश्यक समझे, उनकी प्राप्ति की तारीख से दो मास के भीतर-भीतर उनका अनुमोदन करेगी1' यह बाध्यता सरकार पर डाली जा रही है। मैं समझता हूं कि 'अनुमोदन' करेगी के स्थान पर 'निस्तारण' करेगी हो, तो ज्यादा ठीक रहेगा ताकि वह अनुमोदन करे भी और नहीं भी करे यह राज्य सरकार के अधिकार में हो। यह मेरा निवेदन है।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): यह संशोधन स्वीकार योग्य नहीं है इसलिये इसको रिजेक्ट किया जाय।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुमति चाहूंगा कि यह संशोधन मैं वापस लूं।

श्री उपाध्यक्ष: संशोधन वापस लिया गया।

'प्रश्न यह है कि खण्ड-29 स्वीकार किया जाय?'

(स्वीकृत)

खण्ड-29 स्वीकार किया गया।

खण्ड-30-श्री मदन राठौड़-संशोधन प्रस्तुत करेंगे। प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

'प्रश्न यह है कि खण्ड-30 स्वीकार किया जाएं?'

(स्वीकृत)

खण्ड-30 स्वीकार किया गया।

खण्ड-31 से 47-कोई संशोधन नहीं।

'प्रश्न यह है कि खण्ड-31 से 47 स्वीकार किये जाय?'

(स्वीकृत)

खण्ड-31 से 47 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 एवं 2-कोई संशोधन नहीं।

'प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाय?'

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की गयी।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि- कोई संशोधन नहीं।

'प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय?'

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री कालीचरण सर्राफ, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर विधेयक, 2008 को पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

भगवन्त विश्वविद्यालय अजमेर, विधेयक, 2008

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर विधेयक, 2008 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: 'प्रश्न यह है कि भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर विधेयक, 2008 को पारित किया जाय?'

(स्वीकृत)

भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर विधेयक, 2008 पारित किया गया।

श्री कालीचरण सर्राफ (व्यवधान) कर दिया।

विधेयक पर विचार

जगन नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008

खण्डश :विचार

खण्डश: विचार

खण्ड-2 से 7 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 7 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 से 7 स्वीकार किये गये।

खण्ड-8

डॉ. बुलाकीदास कल्ला संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

प्रश्न यह है कि खण्ड-8 स्वीकार किया जाये?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

खण्ड-8 स्वीकार किया गया।

खण्ड-9 से 11 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-9 से 11 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-9 से 11 स्वीकार किये गये।

खण्ड-12

डा. बुलाकीदास कल्ला संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

प्रश्न यह है कि खण्ड-12 स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड-12 स्वीकार किया गया।

खण्ड-13 से 21 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-13 से 21 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-13 से 21 स्वीकार किये गये।

खण्ड-22

डा . बुलाकीदास कल्ला संशोधन प्रस्तुत करेंगे। (अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खण्ड-22 स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड-22 स्वीकार किया गया।

खण्ड-23 से 28 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-23 से 28 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-23 से 28 स्वीकार किये गये।

खण्ड-29

श्री मदन राठौड़ संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मेरा संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रस्ताव वापिस लेने की स्वीकृति दी जाती है।

प्रश्न यह है कि खण्ड-29 स्वीकार किया जाये?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

खण्ड-29 स्वीकार किया गया।

खण्ड-30

श्री मदन राठौड़ संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मेरा संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की स्वीकृति दी जाती है।

प्रश्न यह है कि खण्ड-30 स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड-30 स्वीकार किया गया।

खण्ड-31 से 47 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-31 से 47 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-31 से 47 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 एवं 2 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाये?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की गयी।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि

डॉ. बुलाकीदास कल्ला संशोधन प्रस्तुत करेंगे। (अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खण्ड-1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री कालीचरण सर्राफ, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि जगन नाथ विश्वद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008 को पारित किया जाये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अभी यह प्रस्ताव पारण के साथ ही सदन का समापन भी हो जायेगा। हम सब लोग आपको धन्यवाद भी देना चाहेंगे। एक निवेदन है कि सभी माननीय सदस्यों को और आप श्रीमान को भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आज बजट सत्र समापन के अवसर पर एंटरटेनमेंट पेरेडाइज के अन्दर फिल्म और स्वरूचि भोजन के लिए आमंत्रित किया है, सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि सात बजे कृपया सपरिवार जरूर पहुंचें।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रस्ताव है 26 मार्च, 2013 तक विपक्ष की छुट्टी मंजूर की जाये, यह निवेदन है।

विधेयक का पारण

जगन नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): यह तो कर लेने दो ..(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि जगन नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008 को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जगन नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

जगन नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008 को पारित किया गया।

घोषणा

भगवान परशुराम जयन्ती पर ऐच्छिक अवकाश

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि जैसे विभिन्न समाजों के महापुरूषों की जयन्ती पर अवकाश की घोषणा की गयी है, उसी प्रकार भगवान परशुराम जयन्ती पर अवकाश की घोषणा की जाये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं भी माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करूंगा कि भगवान परशुराम जयन्ती पर छुट्टी करवाने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है ...(व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से भगवान परशुराम जयन्ती, अक्षय तृतीया के दिन ऐच्छिक अवकाश की घोषणा करना चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की बैठक अनिश्चितकाल (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में सबको कहना चाहती हूं, अपील करना चाहूंगी कि हमारे प्रतिपक्ष के सब दोस्तों से, कि इतना अच्छा सत्र निकला है और इस आखिरी दिन की शाम को

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

हम सबका भोजन वगैरह होगा। ऐसे अवसर हुए हैं, कुछ कटु हैं, कुछ मधुर रहे हैं परन्तु मैं समझती हूं कि अच्छा समय गुजरा है और अच्छा यह रहेगा, राजस्थान के इंट्रेस्ट में रहेगा कि अगर हम सब लोग मिलकर के शाम के इस कार्यक्रम में एक साथ शामिल हों और पूरे राजस्थान को दिखायें कि राजस्थान का विकास और राजस्थान का काम यह हम लोगों के लिए सर्वप्रथम है।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 16.16 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई)

राष्ट्र गान

जन गण मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता।
पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा
द्राविड़ उत्कल बंगा।
विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा
उच्छल जलधि तरंगा।
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशिष मांगे।
गाहे तव जय गाथा।
जन गण मंगलदायक जय हे
भारत भाग्य विधाता।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे।

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य की निजी शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रबन्धन ''कोटा''

399. श्री लालचन्द कटारिया (आमेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जयपुर में कितने राजकीय एवं निजी बी.एड. एवं एस.टी.सी. महाविद्यालय संचालित हैं? स्थानवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त महाविद्यालयों में प्रवेश के लिये क्या प्रक्रिया निर्धारित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पंजाब, हरियाणा एवं जम्मू कश्मीर राज्यों में निजी महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रबन्धन कोटा निधारित है? यदि हां, तो क्या सरकार राज्य में बी.एड. एवं एस.टी.सी. महाविद्यालयों में प्रबन्धन कोटा व्यवस्था लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में निम्नानुसार राजकीय/निजी बी.एड. एवं एस.टी.सी. महाविद्यालय/विद्यालय/संस्थान संचालित हैं :-

क्र.सं.	महाविद्यालय/विद्यालय/संस्थान	संख्या
1	राजकीय बी.एड.	00
2	गैर राजकीय बी.एड.	93
3	गैर राजकीय शिक्षा शास्त्री	09
4	राजकीय एस.टी.सी. (सामान्य)	01
5	गैर राजकीय एस.टी.सी (सामान्य)	32
6	राजकीय एस.टी.सी. (संस्कृत)	01
7	गैर राजकीय एस.टी.सी. (संस्कृत)	05

स्थानवार सूची परिशिष्ट 'क' में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) बी.एड./एस.टी.सी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आशार्थियों को नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा मनोनीत समन्वयक, संस्था को आवेदन करना होता है। समन्वयक, संस्था द्वारा पूर्व प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों एवं निर्धारित नियमों के आधार पर मैरिट तैयार कर घोषित की जाती है। तत्पश्चात

(शिक्षा मंत्री)

काउंसलिंग में उपस्थित आशार्थियों को उनकी मांग एवं सीट की उपलब्धता के अनुसार प्रवेश हेतु महाविद्यालय/विद्यालय/संस्थान आबंटित किया जाता है।

(3) पंजाब में निजी महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रबन्धन कोटा निर्धारित है। हरियाणा एवं जम्मु कश्मीर में निजी महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रबंधन कोटे के क्रियान्वयन की जानकारी उपलब्ध नहीं है। राज्य में बी.एड. एवं एस.टी.सी. पाठ्यक्रमों में प्रबंधन कोटा व्यवस्था लागू करना विचाराधीन है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके

तारांकित प्रश्नोत्तर

कपासन विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित/स्वीकृत कार्य

401. श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें :-

(1)सरकार द्वारा कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से सड़क निर्माण के अलावा अन्य कौन-कौनसे कितने-कितने कार्य दिसम्बर, 2003 से अब तक स्वीकृत किए गए ?

(2) विधान सभा क्षेत्र कपासन में दिसम्बर, 2003 से अब तक कौन-कौन से कार्य स्वीकृत कर चालू किए गये व कौन-कौन से कार्य स्वीकृति हेतु प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिसम्बर 2003 से अब तक कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से सड़क निर्माण के अलावा स्वीकृत अन्य कार्यों के सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र कपासन में दिसम्बर 2003 से अब तक स्वीकृत कर चालू किये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट 'क' के अनुसार संलग्न है एवं वर्तमान में स्वीकृति हेतु कोई नवीन कार्य प्रस्तावित नहीं है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

सरपंच पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण

402. श्री रामचन्द्र सराधना (जमुआरामगढ़): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत के अनपढ़ सरपंच के कारण

(श्री रामचन्द्र सराधना)

जांच उसके द्वारा पंचायत कार्यवाही की जांच नहीं हो पाती और वह अपने कर्मचारी के अनुचित लाभ का शिकार होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार सरपंच पद के लिये सामान्य पढ़े-लिखे होने की बाध्यता तय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लिखी हुई और कोरम द्वारा पारित निर्णय के प्रति अकेला सरपंच ही जिम्मेदार है? यदि नहीं, तो क्या प्रदेश में इस आधार पर सरपंचों को अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया पर सरकार रोक लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या नियमों की पालना और पंचायत कार्यवाही की प्रक्रियाओं की पूर्ति करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत सचिव की भी होती है ? यदि हां, तो किस नियम के तहत व नहीं, तो क्या सरकार इसके लिये नियम बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। कोरम द्वारा पारित निर्णय के लिये अकेले सरपंच को दोषी नहीं माना जाकर गुणावगुण के आधार पर सभी दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

(3) जी हां। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 44 व 331 के तहत ग्राम पंचायत सचिव के कर्तव्य निर्धारित किए हुए है।

प्रश्न संख्या-403

(स्थगित)

सीकर जिले के सामान्य कृषि कनेक्शन हेतु लम्बित प्रकरण

404. **श्री केसरदेव बाबर** (लक्ष्मणगढ़) (सीकर) : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सीकर में सामान्य श्रेणी के कृषि विद्युत कनेक्शनों के आवेदन पत्र कब से लम्बित हैं? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला सीकर में सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन जारी करने की कट ऑफ डेट क्या है ?

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ का अधिकांश भाग फ्लोराइड युक्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र

(श्री केसरदेव बाबर)

लक्ष्मणगढ़ के लिये कट आफ डेट पृथक से तय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों ?

(4) सरकार जिला सीकर के बकाया सामान्य कृषि कनेक्शनों के आवेदन पत्रों में से कब तक के आवेदकों को कनेक्शन इस वर्ष जारी करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जिला सीकर में वर्तमान में सामान्य श्रेणी के कृषि विद्युत कनेक्शनों के 6075 आवेदन पत्र वर्ष 1993-94 से लम्बित हैं जिनका विधान सभा क्षेत्रवार संख्या विवरण परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जिला सीकर में वर्ष 2007-08 में जारी होने वाले सामान्य श्रेणी की कट ऑफ डेट (पंचायत समिति फतेहपुर को छोड़कर) माह मार्च, 1993 है तथा पंचायत समिति फतेहपुर की कट ऑफ डेट माह मार्च, समिति 1994 है।

(3) जी हां। पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ के सामान्य श्रेणी के माह मार्च, 2003 तक जमा आवेदकों को मांग पत्र जारी कर वर्ष 2008-09 में कनेक्शन देना प्रस्तावित है।

(4) जिला सीकर के सामान्य श्रेणी के कृषि आवेदकों (पंचायत समिति फतेहपुर को छोड़कर) को, जिनकी कट ऑफ डेट माह मार्च, 1993 है एवं पंचायत समिति फतेहपुर, जिसकी कट ऑफ डेट माह मार्च, 1994 है, तक के विचाराधीन आवेदनों के मांग पत्र जारी कर इसी वर्ष 2007-08 में कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं तथा दिनांक 31.3.2003 तक के सीकर जिले में लम्बित कृषि आवेदकों को आगामी वर्ष 2008-09 में निस्तारित करना प्रस्तावित है। दिनांक 01.4.2003 से दिनांक 31.12.2007 तक के विचाराधीन आवेदकों को वर्ष 2009-10 में कनेक्शन देने का प्रस्ताव।

परिशिष्ट 'अ'

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

जिला सीकर में सामान्य श्रेणी के लम्बित कृषि विद्युत कनेक्शनों के आवेदन पत्रों की विधान सभा क्षेत्रवार संख्या सूची

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र	कृषि सामान्य श्रेणी आवेदन जब से लम्बित हैं की तिथि	लम्बित आवेदनों की संख्या
1.	सीकर	1.4.93 से	903

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र	कृषि सामान्य श्रेणी आवेदन जब से लम्बित हैं की तिथि	लम्बित आवेदनों की संख्या
2.	धोद	1.4.93 से	819
3.	लक्ष्मणगढ़	1.4.93 से	608
4.	फतेहपुर	1.4.94 से	370
5.	खण्डेला	1.4.93 से	804
6.	श्रीमाधोपुर	1.4.93 से	924
7.	नीम का थाना	1.4.93 से	759
8.	दाता रामगढ़	1.4.93 से	888
	योग		**6075**

युवा वर्ग में अनुशासन हेतु एन.सी.सी. भर्ती की अनिवार्यता

405. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में नेशलन कैडिट कोर (एन.सी.सी.) जूनियर व सीनियर डिविजन में छात्रों की कुल संख्या कितनी हैं? प्रदेश में कुल संख्या के अनुपात में एन.सी.सी. से जुडे छात्रों का अनुपात क्या है? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार द्वारा एन.सी.सी. पर प्रतिवर्ष कितनी राशि व्यय की जाती है तथा केन्द्र सरकार से सहायता रूप में कुल कितनी राशि प्राप्त होती है?

(3) युवाओं में अनुशासन की आवश्यकता को ध्यान में रखकर क्या राज्य सरकार एन.सी.सी. के छात्रों की संख्या में वृद्धि करने एवं एन.सी.सी में भर्ती अनिवार्य करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्रदेश में नेशनल कैडिट कोर (एन.सी.सी.) जूनियर व सीनियर डिविजन में छात्रों की कुल संख्या 49939 है । जिलेवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। प्रदेश में कुल छात्रों की संख्या 26,95,997 है। एन.सी.सी. से जुड़े छात्रों का कुल छात्रों में अनुपात 1:54 है।

(2) एन.सी.सी. पर गत 5 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा व्यय की गई राशि व केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता/व्यय राशि लगभग इस प्रकार है:-

(उच्च शिक्षा मंत्री)

(राशि लाखों में)

वर्ष	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार
03-04	841.03	1523.58
04-05	874.93	1620.87
05-06	916.34	1779.52
06-07	895.33	1974.47
07-08	967.64	24049.32
कुल राशि	**4495.27**	**9307.77**

(3) जी हां। एन.सी.सी. छात्रों की संख्या महानिदेशक, एन.सी.सी. नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रतिवर्ष 400 छात्रों की संख्या में औसतन वृद्धि की जाती रही है। एन.सी.सी. अनिवार्य करने का प्रश्न भारत सरकार की नीति पर निर्भर है।

परिशिष्ट-1

DISTRICTWISE STRENGTH NCC CADETS OF RAJASTHAN

S. No.	Name of District	Strength of cadets		TOTAL
		SD	JD	
1	Ajmer	1757	3500	5257
2	Alwar	662	2100	2762
3	Banswara	106	250	356
4	Baran	107	150	257
5	Barmer	133	550	683
6	Bharatpur	543	1300	1843
7	Bhilwara	413	450	863
8	Bikaner	1157	1450	2607
9	Bundi	159	600	759
10	Chittorgarh	313	850	1163
11	Churu	533	1100	1633
12	Dausa	160	450	610
13	Dholpur	110	600	560

S. No.	Name of District	Strength of cadets		TOTAL
		SD	JD	
14	Dungarpur	103	250	353
15	Hanuman Garh	320	250	570
16	Jaipur	2436	4550	6986
17	Jaisalmer	67	100	167
18	Jalore	124	200	324
19	Jhalawar	160	300	460
20	Jhunjhunu	734	2100	2838
21	Jodhpur	1419	2450	3969
22	Karauli	160	200	36
23	Kota	730	1250	1980
24	Nagaur	530	950	1480
25	Pali	423	1500	1923
26	Pratap Garh	106	650	106
27	Rajsamand	154	200	804
28	Sawai Madhopur	213	1250	413
29	Sikar	1067		2317
30	Sirohi	76		1126
31	Sri Ganganagar	467	700	1167
32	Tonk	106	350	456
33	Udaipur	1241	1650	2891
	TOTAL	**16789**	**33150**	**49939**

कृषि आय से मण्डी क्षेत्रों में किसानों हेतु पेयजल सुविधा

406. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कृषि उपज मण्डी समिति की आय से कौन-कौन से कार्य करवाये जा सकते हैं? कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री राकेश मेघवाल)

(2) क्या कृषि मण्डी की आय से क्षेत्र के किसानों को पेयजल की सुविधा के लिये राशि स्वीकृत की जा सकती है? यदि हां, तो कितनी सीमा तक व नहीं, तो क्यों?

(3) नागौर जिले में कितनी व कौन-कौनसी कृषि उपज मण्डी समितियां हैं? इसमें वर्ष 2003 से अब तक किस-किस मद से कितनी आय हुई है व इस आय को किस-किस कार्य के लिये उपयोग किया गया ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम 1961 की धारा 19 में मण्डी समितियों की आय में से खर्च किये जाने का प्रावधान है। विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम 1961 की धारा 19 के बिन्दु संख्या 9ए में उल्लेखित प्रावधानानुसार पानी की सुविधाऐं उपलब्ध कराने हेतु मण्डी समिति की आय में से राशि स्वीकृत की जा सकती है।

(3) नागौर जिले के अन्तर्गत निम्न मण्डी समितियां स्थापित हैं :-

1. नागौर
2. कुचामन सिटी
3. डेगाना
4. डीडवाना
5. मेड़तासिटी

नागौर जिले की कृषि उपज मण्डी समितियों की वर्ष 2003 से 2007-08 (जनवरी 2008) तक की आय एवं व्यय का विवरण परिशिष्ट 'अ'-1 से 'अ'-5 पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

धौलपुर जिले में टी.एफ.सी. एवं एस.एफ.सी. मद में पंचायतों हेतु आबंटित राशि

407. श्री बनवारी लाल (धौलपुर):- क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला धौलपुर में वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में टी.एफ.सी एवं एस.एफ.सी. मद में पंचायतवार एवं पंचायत समिति स्तर पर कितनी-कितनी

(श्री बनवारी लाल)

राशि केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा आबंटित की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2006-07 की आबंटित राशि में से कितनी राशि का व्यय कर समायोजन कराया गया तथा दिनांक 1 अप्रैल, 2007 को कितना अवशेष रहा ? पंचायत/पंचायत समिति वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2006-07 का अवशेष एवं वर्ष 2007-08 की आबंटित राशि में से दिनांक 15 फरवरी, 2008 तक कितनी-कितनी राशि ग्राम पंचायत पंचायत समिति वार व्यय करना शेष है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि वर्ष 2007-08 की आबंटित राशि को दिनांक 31 मार्च, 2008 तक व्यय किया जाना है ? यदि हां, तो दिनांक 15 फरवरी, 2008 तक अवशेष राशि को कब तक व्यय किया जावेगा ? क्या सरकार उक्त राशि को दिनांक 31 मार्च, 2008 तक व्यय करने का विचार रखती है?

(5) टी.एफ.सी एवं एस.एफ.सी. की वार्षिक कार्य योजना ग्राम पंचायत स्तर पर किस-किस आधार पर तैयार की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) पंचायत समिति, धौलपुर की पंचायत समिति स्तर की वर्ष 2007-08 की टी.एफ.सी. एवं एस.एफ.सी की वार्षिक कार्यकारी योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला धौलपुर में टी.एफ.सी. मद में केन्द्र सरकार द्वारा पंचायतवार एवं पंचायत समिति स्तर पर वर्ष 2006-07 में कुल राशि रु. 420.60 लाख एवं 2007-08 में कुल राशि रु. 177.27 लाख आबंटित की गई तथा एस.एफ.सी मद में राज्य सरकार द्वारा पंचायतवार एवं पंचायत समिति स्तर पर वर्ष 2006-07 में कुल राशि रु. 314.24 लाख एवं 2007-08 में कुल राशि रु. 157.31 लाख आबंटित की गई।

टी.एफ.सी. एवं एस.एफ.सी मद में आबंटित राशि का पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

टी.एफ.सी. मद में आबंटित राशि का ग्राम पंचायतकार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है एवं एस.एफ.सी मद में आबंटित राशि का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(पंचायतीराज मंत्री)

(2) टी.एफ.सी. मद में वर्ष 2006-07 की आबंटित राशि में से राशि रु. 460.23 लाख का व्यय कर समायोजन कराया गया एवं दिनांक 1 अप्रैल 2007 को अवशेष राशि रु. 236.20 लाख का रहा तथा एस.एफ.सी. मद में वर्ष 2006-07 की आबंटित राशि में से राशि रु. 346.38 लाख का व्यय कर समायोजन कराया गया एवं दिनांक 1 अप्रैल 2007 को अवशेष राशि रु. 149.22 लाख का रहा।

पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है। टी.एफ.सी. मद में समायोजित व्यय एवं अवशेष राशि का ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है तथा एस.एफ.सी. मद में समायोजित व्यय एवं अवशेष राशि का ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(3) वर्ष 2006-07 का अवशेष पूर्व में बिन्दु संख्या 2 के जवाब में दिया जा चुका है। टी.एफ.सी. नद में दिनांक 15 फरवरी 2008 के कुल अवशेष राशि रु. 182.58 लाख है तथा एस.एफ.सी. मद में दिनांक 15 फरवरी 2008 का कुल अवशेष राशि रु. 147.45 लाख है।

पंचायत समितिवार अवशेष का विवरण परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

टी.एफ.सी. मद में ग्राम पंचायतवार अवशेष का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

एस.एफ.सी. मद में ग्राम पंचायतवार अवशेष का विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। इन योजनाओं की राशि को 31 मार्च, 2008 तक व्यय किया जाना बाध्यकारी नहीं है।

(5) टी.एफ.सी एवं एस.एफ.सी की गाइड लाइन के आधार पर निर्धारित प्राथमिकताओं को दृष्टिगत रखते हुए इन योजनाओं की वार्षिक कार्ययोजना ग्राम पंचायत स्तर की ग्राम सभाओं में तैयार की जाती है। पंचायत समिति स्तर की कार्ययोजना पंचायत समिति की साधारण सभा में इन योजनाओं की उपलब्ध राशि के आधार पर तैयार की जाती है। तत्पश्चात स्वीकृतियां जारी की जाती हैं।

(6) पंचायत समिति धौलपुर की पंचायत समिति स्तर की वर्ष 2007-08 की टी.एफ.सी. एस.एफ.सी. की वार्षिक कार्यकारी योजना (परिशिष्ट-य) पर संलग्न है।

(योजना का विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

नगरपालिका चित्तौड़गढ़ में जनसहभागिता योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

408. श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा):- क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा शहरी जन सहभागिता योजना के माध्यम से योजना के प्रारम्भ से वर्ष 2007-08 तक राज्य में कितने कार्य स्वीकृत किये गये एवं नगरपालिका, जनसहयोग एवं राज्य मद से कितनी राशि व्यय की गई? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) चित्तौड़गढ़ जिले की नगरपालिकाओं द्वारा इस योजना के अन्तर्गत कितने कार्य स्वीकृत करवाये गये ? नगरपालिका स्वीकृत कार्यों की सूची नगरपालिका, जनसहयोग एवं राज्य मद से स्वीकृत राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इस योजना को आगामी वर्षों में जारी रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) शहरी जन सहभागिता योजना के प्रारम्भ से वर्ष 2007-08 तक योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये कार्यों एवं नगरपालिका, जनसहयोग व राज्य मद से किये गए व्यय का जिलेवार विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) चित्तौड़गढ़ जिले की नगरपालिकाओं द्वारा इस योजना में कुल 48 कार्य स्वीकृत कराये गए।

नगरपालिका स्वीकृत कार्यों की सूची मय नगरपालिका, जन सहयोग एवं राज्य मद से स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(3) जी हां। वर्ष 2008-09 हेतु योजनान्तर्गत 1500 लाख रुपये का बजट प्रावधान स्वीकृत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बेगूं विधान सभा क्षेत्र के अविद्युतीकृत मजरे/ग्राम

409. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं):- क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में कितने और कौन-कौन से ग्राम व मजरे अविद्युतीकृत हैं? क्या सरकार उन्हें विद्युतीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ?

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

(2) उक्त ग्रामों व मजरों में अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य कितने और कौन-कौन से ग्राम/मजरे हैं ? क्या इनके लिये कोई विशेष योजना है ? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में विगत चार वर्षों में कितने नये कृषि कनेक्शन कहां-कहां दिये गये ? अब तक किस वर्ष तक की जमाशुदा फाइलों के कनेक्शन दिये जा चुके हैं व बकाया कनेक्शन किस वर्ष के कब तक दे दिये जायेंगे ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में कहां-कहां के व किस-किस श्रेणी के नये ग्रिड सब-स्टेशन लगाना प्रस्तावित हैं? यह कब तक लगा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में 23 गांव एवं 123 मजरे अविद्युतिकृत हैं जिनमें से 23 गांव एवं 6 मजरे/ढ़ाणियों का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है जिनका विवरण परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है। उक्त योजना की स्वीकृति ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से माह मार्च, 2008 में प्राप्त हो गई है। शेष मजरों एवं ढाणियों का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण/पूरक योजना में किया जाना प्रस्तावित है।

(2) उक्त ग्रामों में अनुसूचित जाति बाहुल्य के 2 तथा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य के 4 गांव राजीव गांधी ग्रामीण योजना में शामिल हैं।

अनुसूचित जाति बाहुल्य के 16 मजरे तथा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य के 13 मजरे हैं। वर्तमान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य का कोई भी मजरा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में विद्युतिकृत किया जाना प्रस्तावित नहीं है। शेष मजरों एवं ढ़ाणियों का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण/पूरक योजना में किया जाना प्रस्तावित है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में विगत चार वर्षों में कुल 1379 कृषि कनेक्शन जारी किये गये हैं जिनमें पंचायत समिति बेगूं में 789 एवं पंचायत समिति भैंसरोडगढ़ में 390 कृषि कनेक्शन जारी किये गये जिनकी पंचायत समितिवार, ग्रामवार संख्या सूची परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है। अनुसूचित जाति के लम्बित आवेदकों को माह दिसम्बर, 2007 तक के मांग पत्र जारी के सापेक्ष में जमा मांग पत्र युक्त आवेदकों को कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं तथा सामान्य श्रेणी में बेगूं में कट ऑफ डेट माह मार्च, 1993 एवं पंचायत

(ऊर्जा मंत्री)

समिति भैंसरोडगढ़ में माह मार्च, 1995 तक के जारी मांग पत्रों के सापेक्ष में जमा मांग पत्र युक्त सामान्य श्रेणी के आवेदकों को कृषि कनेक्शन दिये जा रहे हैं। माह मार्च, 2003 तक के लम्बित सामान्य कृषि श्रेणी के आवेदकों को माह मार्च, 2009 तक कनेक्शन जारी करना प्रस्तावित है तथा दिनांक 01.4.2003 से दिनांक 31.12.2007 तक के विचारधीन आवेदकों को वर्ष 2009-2010 में कनेक्शन देने का प्रस्ताव है।

(4) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में 33/11 के.वी. के नये सब-स्टेशन मेघपुरा, धामन्चा एवं भैंसरोडगढ़ में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है जिसमें से भैंसरोडगढ़ तथा मेघपुरा का कार्य माह जून, 2008 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। धामन्चा सब-स्टेशन की लाइन हेतु वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त होना शेष है। 132 के.वी. का कोई ग्रिड सब-स्टेशन फिलहाल प्रस्तावित नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

टोडाभीम के विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के रिक्त पद

410. श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 2004 से 2007 तक क्रमोन्नत हुए माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति कर दी गई हैं? यदि हां, तो कब व नहीं, तो किस-किस विद्यालय में नियुक्ति नहीं, की गई व क्यों ?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में नव क्रमोन्नत माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नियुक्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 2004 से 2007 तक क्रमोन्नत हुए माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निम्नानुसार प्रधानाध्यापकों व प्रधानाचार्यों की नियुक्ति उनके नाम के सामने अंकित दिनांक से कर दी गई है:-

(शिक्षा मंत्री)

विद्यालयों क्रमोन्नति का वर्ष	क्रमोन्नत विद्यालय का नाम	पद भरने की तिथि
2004-05	रा.मा.वि., पहाड़ी	09.11.05
2004-05	रा.मा.वि., दलपुरा	13.09.07
2004-05	रा.बा.मा.वि., गुढाचन्द्रजी	14.10.05
2004-05	रा.उ.मा.वि., पाटौली	31.10.05
2005-06	रा.मा.वि., मडेरू	24.12.05
2005-06	रा.मा.वि., तिमावा	रिक्त
2005-06	रा.उ.मा.वि., पदमपुरा	24.11.05
2006-07	रा.मा.वि./रा.उ.मा.वि.	क्रमोन्नत नहीं
2007-08	रा.उ.मा.वि., मोरड़ा	रिक्त
2007-08	रा.उ.मा.वि., दलपुरा	रिक्त
2007-08	रा.बा.उ.मा.वि., नादौती	रिक्त

वर्ष 2007-08 में क्रमोन्नत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अभी तक प्रधानाचार्य के पद सृजित नहीं होने से पूर्व प्रधानाध्यापक ही कार्यरत है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में नवक्रमोन्नत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यलायों में नव पद सृजित होने के पश्चात रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जावेगी।

गौण कृषि उपज मण्डी, जहाजपुर में प्रस्तावित विकास कार्य

411. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, देवली (टोंक) के अधीन कौन-कौनसी गौण मण्डी शामिल है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति देवली द्वारा जनवरी, 2004 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 तक क्या-क्या विकास कार्य करवाये गये एवं इनमें से जहाजपुर गौण मण्डी क्षेत्र में कौन-कौन से कार्य करवाये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) सरकार द्वारा गौण मण्डी जहाजपुर क्षेत्र में कौन-कौन से विकास

(श्री शिवजीराम मीणा)

कार्य करवाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं एवं उन पर कब तक निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति देवली (टोंक) में निम्नांकित गौण मण्डियां शामिल है :-

1. दूनी 2. जहाजपुर 3. घाड़ 4. शक्करगढ़ 5. रोपा

(2) कृषि उपज मण्डी समिति देवली के अन्तर्गत जनवरी-2004 से 31.12.2007 तक करवाये गये विकास कार्यों का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(3) गौण मण्डी प्रांगण जहाजपुर की शेष चारदीवारी हेतु 2.58 लाख रुपये की राशि स्वीकृत है। यह कार्य भूमि अवाप्ति से मुक्ति पर निर्णय न होने के कारण लम्बित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

फलासिया में शिक्षा प्रसार अधिकारियों के रिक्त पद

412. **श्री बाबू लाल खराड़ी** (फलासिया) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र फलासिया की तहसील कोटड़ा में शिक्षा प्रसार अधिकारियों के कितने पद कब से रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र फलासिया की तहसील कोटड़ा में शिक्षा प्रसार अधिकारियों के 03 पद स्वीकृत हैं तथा तीनों ही रिक्त है। ये पद क्रमश: 26.6.2003, 28.8.2004 एवं 26.9.2005 से रिक्त है। विभागीय पदौन्नति से उक्त रिक्त पदों को शीघ्र भरा जायेगा।

जयपुर शहर की प्रस्तावित रिंग रोड

413. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर में रिंग रोड बनाने की परियोजना का क्या प्रारूप है व इस

(श्री अमराराम)

हेतु कितनी चौड़ाई में भूमि अवाप्त की जायेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) परियोजना में भूमि अवाप्ति हेतु किसानों को कितना मुआवजा दिया जाना प्रस्तावित किया गया है तथा उनके पुनर्वास की क्या योजना बनाई गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) इस परियोजना को पूर्ण करने की जिम्मेदारी किस कम्पनी को तथा किन शर्तों पर यह कार्य दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर के चारों तरफ बनने वाली रिंग रोड का कार्य सुओ-मोटो (बीओटी) के तहत होगा इसकी कुल लम्बाई 144.75 कि.मी. है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दक्षिण ओर के क्ष्ेात्र हेतु (अजमेर रोड से टोंक रोड आगरा रोड के बीच) 47 किमी. लम्बाई में 360 मीटर की चौड़ाई में भू-अवाप्ति की प्रक्रिया जुलाई 2005 में प्रारम्भ कर दी है तथा उत्तर क्षेत्र के 97.75 किमी में भी 360 मीटर की चौड़ाई में ही जयपुर विकास प्राधिकरण भू-अवाप्ति की कार्यवाही करेगी । 360 मीटर चौड़ाई में 90 मी. का ट्रासपोर्ट कॉरिडोर होगा जिसमें 12 मीटर BRTS हेतु आरक्षित रहेगा, 6 लेन का ''एक्सप्रेस वे'' व 6 लेन की (3-3 लेन दोनों तरफ) सर्विस लेन होगी तथा 135-135 मीटर दोनों ओर विकास हेतु क्षेत्र रहेगा । विस्तृत सूचना परिशिष्ठ ''अ'' पर संलग्न है।

(2) परियोजना में भूमि अवाप्ति के एवज में किसानों को 25 प्रतिशत (20 प्रतिशत आवासीय+5 प्रतिशत वाणिज्यिक) विकसित भूमि भू-स्वामी को मुआवजे की दी जावेगी । यह भूमि अधिकांश किसानों को उनके पुनर्वास के लिए उसी गांव में ही दी जावेगी तथा जिन खातेदारान/हितधारान द्वारा विकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया है। उनकी भूमि का धारा 4(1) की अधिसूचना के अन्तिम प्रकाशन दिनांक के समय की बाजार दर व भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत देय अन्य परिलाभ अनुसार मुआवजा राशि दी जावेगी । पुनर्वास संबंधी अन्य कोई प्रावधान नहीं है।

(3) परियोजना हेतु निविदा आमंत्रित की जायेगी। निविदा होने पर ही यह निर्णय होगा कि कार्य कौनसी कम्पनी करेगी। निविदा की शर्ते प्रक्रियाधीन है।

(सूचना/नक्शे की प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

आनासागर झील (अजमेर) के संवर्धन एवं पर्यटकीय विकास हेतु योजना

414. श्रीमती अनीता भदेल (अजमेर पूर्व): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अजमेर में पर्यटन विकास हेतु आनासागर झील के संरक्षण व संवर्धन हेतु योजना स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो इस योजनान्तर्गत क्या-क्या कार्य कराये जाने हैं व इनकी अनुमानित लागत तथा कार्य पूर्ण होने की अवधि क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार आनासागर झील की परिधि में होने वाले अतिक्रमणों को रोकने के लिए क्या प्रयास कर रही है?

उत्तर

(1) जी हां। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत स्वीकृत योजनान्तर्गत निम्नलिखित कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं :-

1. झील व जल का सफाई कार्य
2. जल आवक क्षेत्र के सुधार कार्य (वृक्षारोपण, फव्वारों का निर्माण, चैक डैम इत्यादि)
3. आनासागर झील एवं फायोसागर झील के सुदृढ़ीकरण एवं सौन्दर्यकरण के कार्य
4. कन्सट्रक्टेड वैटलैण्ड का निर्माण
5. जनचेतना एवं संस्थागत प्रबंधन

इस योजना की परियोजना लागत 15.28 करोड़ रुपये की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है एवं कार्य पूर्ण करने की अवधि 24 माह है।

(2) आनासागर झील की परिधि में होने वाले अतिक्रमणों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय) की अध्यक्षता में जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 29.06.2007 से कमेटी गठित की जाकर झील की परिधि के डूब क्षेत्र एवं कैचमैन्ट एरिया के अतिक्रमणों को चिन्हित करने हेतु सर्वे की कार्यवाही की जा रही है। अतिक्रमण चिन्हित होने पर अपेक्षित कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।

खण्डार के क्रमोन्नत विद्यालय

415. श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री अशोक बैरवा)

(1) विधान सभा क्षेत्र खण्डार में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय कितने है । पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्राथमिक विद्यालय कब-कब खोले गये एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को कब-कब क्रमोन्नत किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2003-04 से अब तक कितने प्राथमिक विद्यालयों को कब-कब उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया ? स्वीकृति आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान एवं विभाग के नियमों के तहत क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार नियमानुसार वरीयता के आधार पर वंचित रहे विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, कौन-कौन से व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खण्डार में 206 प्राथमिक एवं 121 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। पंचायतवार सूची परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(2) उक्त प्राथमिक विद्यालय खोले जाने एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नति का वांछित विवरण संग्लन परिशिष्ट ''क'' में ही सम्मिलित है।

(3) वर्ष 2003-04 से 2007-08 में विधान सभा क्षेत्र खण्डार में प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में की गई क्रमोन्नति का विवरण परिशिष्ट ''ख'' में दर्शित है एवं आदेशों की प्रति भी परिशिष्ट ''ख'' के साथ ही संलग्न है।

(4) प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नति के मापदण्डों की प्रति परिशिष्ट-''ग'' संलग्न है।

(5) सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों को ध्यान में रखते हुये गुणावगुण के आधार पर उपलब्ध वित्तीय प्रावधानान्तर्गत विद्यालय क्रमोन्नत किये जाते हैं।

(सूची/विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया ।)

कृषि उपज मण्डी, खैरथल में भू-खण्ड आबंटन में अनियमितताएं

416. श्री महीपाल यादव (बानसूर) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री महीपाल यादव)

(1) क्या यह सही है कि कृषि मण्डी, खैरथल के सचिव द्वारा 14 भूखण्डों का नई आबंटन नीति, 2005 के अनुसार आबंटन नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उक्त 14 भूखण्डों का आबंटन आधी रेट पर किया गया है? यदि हां, तो क्यों व क्या इस हेतु सरकार की अनुमति ली गई? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि डी.एल.सी. दरों के आधार पर उक्त दुकानों का आबंटन नहीं करने से सरकार को एक करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार सचिव द्वारा की गई अनियमितता की जांच करवाकर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। संदर्भित 14 भूखण्डों का आबंटन, आबंटन समिति की बैठक दिनांक 29.1.2001 के कार्यवाही विवरण को रिव्यू किया जाकर किया गया है।

(2) जी नहीं । उक्त 14 भूखण्डों का आबंटन, आबंटन समिति की बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 29.1.2001 को रिव्यू किये जाने के कारण पूर्व आबंटन हेतु निर्धारित आरक्षित दर पर राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर किया गया है।

(3) जी नहीं। प्रथम चरण के तहत किये जाने वाले आबंटन में डी.एल.सी. दर के आधार पर आरक्षित दर आंकलित नहीं की जाती है। अतः कोई अनियमितता नहीं की गई है तथा ऐसी स्थिति में मण्डी समिति को नुकसान नहीं हुआ है।

जोधपुर जिले के बी.पी.एल. परिवारों को प्रदत्त सुविधाएं

417. श्री बाबू सिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में बी.पी.एल सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है? यदि हां, तो राज्य में कुल कितने परिवारों को बी.पी.एल. सूची में शामिल किया गया ? जोधपुर जिले की पंचायत समितिवार बी.पी.एल. की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) केन्द्र व राज्य सरकार की ओर से बी.पी.एल चयनित परिवारों को क्या-क्या सुविधाएं देय हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बाबू सिंह राठौड़)

(3) क्या यह सही है कि बी.पी.एल. चयनित सभी परिवारों को मेडिकल कार्ड व राशन सामग्री वितरण कार्ड वितरित किये जाते हैं? यदि हां, तो क्या राज्य में सभी नये बी.पी.एल. धारकों को उक्त कार्डों का वितरण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) जोधपुर जिले में किन-किन पंचायत समितियों में बी.पी.एल. धारकों को मेडिकल कार्ड व राशन सामग्री कार्ड का वितरण हो गया व नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि राज्य में अभी तक बी.पी.एल. कार्ड धारकों को मेडिकल कार्ड व राशन सामग्री कार्ड का वितरण नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों तथा अब इनका वितरण कब तक कर दिया जायेगा?

(6) क्या यह सही है कि बी.पी.एल. सर्वे के समय आवास विहीन परिवारों का सर्वे सही नहीं हुआ व कई परिवार इससे वंचित रहे ? यदि हां, तो क्यों व नहीं, तो क्या सरकार बी.पी.एल. परिवारों के आवास विहीन होने का सर्वे कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में बीपीएल सर्वे का कार्य पूर्ण कर दिनांक 15.9.2006 को बीपीएल सूची जारी कर दी गई थी जिसके अनुसार राज्य में कुल 17.36 लाख परिवारों को बीपीएल परिवारों की सूची में शामिल किया गया था । भारत सरकार के निर्देशानुसार निरन्तर द्विस्तरीय अपील प्रक्रिया के कारण चयनित परिवारों की संख्या में परिवर्तन हो रहे हैं। जोधपुर जिले में संशोधित बीपीएल सूची के अनुसार चयनित परिवारों की संख्या पंचायत समितिवार सूची निम्नानुसार है :-

क.सं.	पंचायत समिति	चयनित परिवार
1.	बालेसर	9524
2.	बाप	8945
3.	भोपालगढ़	2861
4.	बिलाडा	4142
5.	लूनी	7490
6	मण्डोर	3214
7.	औसिया	14018

(ग्रामीण विकास मंत्री)

क.सं.	पंचायत समिति	चयनित परिवार
8.	फलौदी	10763
9.	शेरगढ़	8398
	योग	**69355**

(2) बीपीएल परिवारों को दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। बीपीएल परिवारों को राशनकार्ड जारी करने हेतु खाद्य विभाग द्वारा राशनकार्ड मुद्रण के आदेश जारी किये गये थे। खाद्य विभाग द्वारा जारी आदेशों की क्रियान्विति के विरूद्ध जनहित याचिका संख्या 9098/07 में पारित अन्तरिम निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों की क्रियान्विति को स्थागित कर दिये जाने के कारण नवीन बीपीएल सूची के अनुसार अभी तक राशन कार्ड वितरित नहीं किये जा सके हैं।

मेडीकल कार्ड, चिकित्सा विभाग द्वारा मुद्रित कर राज्य के समस्त जिलों में भिजवाये जा चुके हैं जो कि जारी किये जाने की प्रक्रियाधीन है।

(4) जोधपुर जिले में बीपीएल धारकों को मेडिकल कार्ड व राशन सामग्री कार्ड जारी करने/जारी नहीं करने की सूचना निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	प.स.	मेडिकल कार्ड		बीपीएल राशन कार्ड	
		जारी	शेष	जारी	शेष
1.	बालेसर	9524	-	-	9524
2.	बाप	6871	274	-	8945
3.	भोपालगढ़	2305	556	-	2861
4.	बिलाड़ा	3800	342	-	4142
5.	लूनी	455	7035	-	7490
6.	मण्डोर	3214	-	-	3214
7.	औसिया	14018	-		14018
8.	फलौदी	9951	812	-	10763
9.	शेरगढ़	5820	2878		8398
	योग	**57758**	**11597**		**69355**

(ग्रामीण विकास मंत्री)

शेष परिवारों को मेडिकल कार्ड जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं राशन कार्ड मुद्रित करवाने के खाद्य विभाग द्वारा जारी आदेशों पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्रियान्विति को स्थापित किये जाने के कारण राशन कार्ड जारी किया जाना सम्भव नहीं है। पुराने बीपीएल राशन कार्ड पर राशन सामग्री वितरित की जा रही है।

(5) जी हां। मेडीकल कार्ड वितरण हेतु समस्त जिलों को भिजवाये जा चुके हैं। बीपीएल राशन कार्डो के मुद्रण आदेश पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा क्रियान्विति को स्थागित किये जाने के कारण आगामी कार्यवाही नहीं की गई है।

(6) जी नहीं। सर्वे के समय विद्यमान सभी ग्रामीण परिवारों का सर्वे किया गया है। अतः पुनः सर्वे की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि किसी को आपत्ति है तो उसके लिए द्विस्तरीय अपील का प्रावधान है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

नगरपालिका बारां द्वारा निर्मित कियोस्कों का आबंटन

418. श्री प्रमोद जैन ''भाया'' (बारां): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगरपालिका बारां द्वारा मुख्य मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत कितने कियोस्कों का निर्माण कराया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कियोस्कों पर कितनी राशि व्यय हुई एवं इनका निर्माण किस तारीख को पूर्ण हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कियोस्क पंजीकृत व चयनित आवेदकों को किस अधिकारी की लापरवाही से आबंटन नहीं किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा नगरपालिका, बारां के योग्य आवेदकों को किस दिनांक तक कियोस्क आबंटन कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) नगरपालिका बारां द्वारा मुख्य मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत 56 कियोस्कों का निर्माण कराया गया ।

(2) उक्त कियोस्कों पर कुल 8,06,117/- व्यय हुआ तथा दिनांक 11.10.2004 को कियोस्कों का निर्माण पूर्ण किया गया ।

(3) पालिका द्वारा निर्मित कियोस्क आबंटन की कार्यवाही को जिला

स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

कलक्टर, बारां के आदेश दिनांक 06.02.2004 द्वारा अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया एवं दिनांक 18.01.2005 को निर्णय पारित कर पूर्व आदेश को वेकेट करते हुए राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त कर आबंटन की कार्यवाही के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात प्रधानाचार्य, गर्ल्स स्कूल बारां द्वारा ए.सी.जे.एम. न्यायालय में वाद दायर कर, स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये जाने से आबंटन नहीं हो सका।

(4) न्यायालय में लम्बित वाद के निस्तारण पर आबंटन की कार्यवाही की जायेगी।

तारांकित प्रश्न संस्था-419

(स्थागित)

अतारांकित प्रश्नोतर

अतारांकित प्रश्न संख्या-798

(स्थगित)

नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता/अनुदान

799. श्री नन्दलाल बंशीलाल (दौसा): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि राज्य की कुछ नगरपालिकाओं/नगर परिषदों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिससे न तो सफाई कर्मियों की भर्ती हो पा रही है और न समय पर कर्मियों को वेतन दिया जा रहा है? यदि हां, तो इन्हें आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। राज्य की कतिपय निकायों की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं है।

नगरीय निकायों के स्वयं के स्त्रोतों से आय में वृद्धि हेतु प्रोत्साहित करने के लिये वित्तीय वर्ष 2007-08 के बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा की गई घोषणा अनुसार नगरीय निकायों को स्वयं की आय स्त्रोतों में वृद्धि हेतु प्रोत्साहित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा ''प्रोत्साहन योजना वर्ष 2007'' वित्त विभाग से अनुमोदनोपरान्त नगरीय निकायों को जारी की गई। योजना अनुसार नगरीय निकायों को इनके द्वारा कर, एवं गैर कर आय के रूप में वर्ष 2006-07 की तुलना में वर्ष 2007-08 में अर्जित अतिरिक्त आय की 50 प्रतिशत राशि अतिरिक्त अनुदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा जारी की जावेगी। वर्ष 2008-09 के लिये इस मद में विभाग द्वारा राशि 750 लाख का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

वर्ष 2007-08 में राज्य सरकार द्वारा नगरीय निकाय क्षेत्रों में नगरीय विकास कर लगाया गया है जिसकी वसूली के फलस्वरूप निकायों को अतिरिक्त आय प्राप्त होना सम्भावित है। साथ ही निकायों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु समय समय पर प्रमुख रूप से निम्न सुझाव दिये गये हैं :-

- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के तहत वर्तमान में वसूले जा रहे यूजर चार्जेज/फीस/शारित आदि की दरों में आवश्यक संशोधन कराने के लिये उपविधियां लागू की जाएं।

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

- लेण्ड बैंक का कम्प्यूटराइजेशन किया जावे। कृषि भूमि रूपान्तरण, भू उपयोग परिवर्तन, खाचां भूमि का आबंटन आदि के माध्यम से आय अर्जित करने के प्रयास किये जावें।
- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 105 में प्रदत्त अधिकारों के तहत कर संग्रहण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

स्थानीय निकाय कर्मियों को नियमित वेतन भुगतान हेतु कार्य-योजना

800. **श्री सुभाषचन्द्र बहेड़िया** (भीलवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान में कितनी नगरपालिकाओं में कर्मचारियों को नियमित वेतन भुगतान नहीं हो रहा है? इसका प्रमुख कारण क्या है ?

(2) क्या सरकार इनमें नियमित वेतन भुगतान हेतु कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व क्या ?

उत्तर

(1) राज्य की 183 नगरपालिकाओं में से छह नगरपालिकाओं के कर्मचारियों को नियमित वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसका प्रमुख कारण इन निकायों को राज्य सरकार द्वारा दिये जा रहे चुंगी पुनर्भरण अनुदान एवं सामान्य अनुदान की राशि की तुलना में वेतन-भत्तों पर होने वाले व्यय की राशि अधिक होना है साथ ही इन निकायों की स्वयं के स्त्रोतों से अर्जित आय भी बहुत कम है।

(2) राज्य सरकार द्वारा नियमित रूप से नगर निकायों को देय अनुदान की राशि का भुगतान करने के अतिरिक्त नगर निकायों को अपनी स्वयं की आय के स्त्रोतो को बढ़ाने के सुझाव व निर्देश दिये जाते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है।

अक्षय कलेवा योजना के संचालन में स्वयं सेवी संस्थाओं का योगदान

801. **श्री कन्हैया लाल मीणा** (बस्सी) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री कन्हैया लाला मीणा)

''भूख मुक्ति'' कार्यक्रम के तहत अक्षय कलेवा योजना किन-किन शहरों में प्रारम्भ की गई? इस योजना के तहत स्वायत्तशासी संस्थाओं व स्वयं सेवी संस्थाओं का कितना-कितना प्रतिशत योगदान है? क्या स्वयं सेवी संस्थाओं को स्थानीय निकायों द्वारा अनुदान भी दिया जाता है? यदि हां, तो कितना और कितने समय के लिये?

उत्तर

राज्य के शहरी निकायों के सभी निर्धन एवं जरूरतमन्द व्यक्तियों को न्यूनतम दर पर पौष्टिक एवं भरपेट भोजन उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रथम चरण राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर ''भूख मुक्ति'' कार्यक्रम के अन्तर्गत अक्षय कलेवा योजना लागू की गई ।

वर्तमान में यह योजना 75 नगरीय निकाय क्षेत्रों में 121 केन्द्रों पर स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से अथवा नगर निकायों द्वारा संचालित की जा रही है। जिसका विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर है।

योजना के अन्तर्गत स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा स्वयं सेवी संस्थाओं को आवश्यकतानुसार अनुदान दिया जा सकता है। जिसकी स्वीकृति राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 101 (X) के तहत राज्य सरकार से प्राप्त की जाती है।

स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा वहन की जा रही राशि तथा निकायों द्वारा स्वयं सेवी संस्थाओं को प्रति व्यक्ति उपलब्ध कराये गए अनुदान राशि अलग अलग निकायों में भिन्न-भिन्न है। निकायों द्वारा उपलब्ध करायी गई कुल अनुदान राशि व अवधि का विवरण संलग्न परिशिष्ट ''अ'' के कॉलम सं. 9, 10, व 11 में अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मंदिर माफी भूमि विवाद समाधान हेतु गठित समिति

802. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मंदिर की भूमियों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था? यदि हां, तो किन उद्देश्यों व किस आदेश के तहत? आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामनारायण मीणा)

(2) क्या समिति द्वारा सिफारिशें प्रस्तुत कर दी गई हैं? यदि हां, तो उन पर कब तक क्या कार्यवाही कर दी जावेगी व नहीं, तो अब कब तक सिफारिशें प्राप्त कर ली जायेंगी?

उत्तर

(1) जी हां। समिति गठन एवं समिति गठित करने के उद्देश्य से संबंधित आदेश की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां। समिति से प्राप्त सिफारिशों पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

नागौर जिले में वन विकास एवं संरक्षण हेतु व्यय राशि

803. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) :क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नागौर जिले में वर्ष 1999 से अब तक किन-किन विकास कार्यों के लिये किस-किस योजना के अन्तर्गत कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति जारी की गई? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में वर्ष 2003 से अब तक किस-किस क्षेत्र में किस-किस योजना में कितना वृक्षारोपण किया गया? क्या सरकार द्वारा इन वृक्षों के बचाव के लिये कोई उपाय किये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या व किस तरह? इस कार्य पर वर्ष 2003 से अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ?

उत्तर

(1) नागौर जिले में वन विभाग द्वारा वर्ष 1999 से जनवरी 2008 तक वृक्षारोपण कार्यों के अन्तर्गत पौधारोपण, बीजारोपण, वृक्षारोपण का संधारण तथा जल एवं मृदा संरक्षण कार्य के तहत वी-डिच, ट्रेन्च, चेकडेम्स, एनीकट इत्यादि कार्य कराये गये हैं। इन कार्यों हेतु उक्त अवधि में स्वीकृत राशि का योजनावार एवं विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्टि-क पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में अप्रैल 2003 से जनवरी 2008 तक विभिन्न योजनाओं में करवाये गये वृक्षारोपण कार्यो का कार्य स्थलवार मय क्षेत्रफल एवं व्यय का विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(वन राज्य मंत्री)

वृक्षारोपण क्षेत्रों में पौधों की सुरक्षा हेतु तारफैन्सिंग एवं खाई फैंसिंग करवाई जाती है तथा पांच वर्षों हेतु पशुरक्षक तैनात किये जाते हैं। साण वन प्रबंध के तहत गठित ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों के माध्यम से भी जनसहभागिता से वृक्षारोपण स्थलों की सुरक्षा करवाई जाती है। इसके अलावा पौधों की सिंचाई, निराई-गुड़ाई व शाख-तराशी की जाती है तथा अत्यधिक गर्मी तथा सर्दी में संवेदनशील प्रजातियों के पौधों पर स्थानीय झाड़ियों के झौंपे बांधकर लू तथा पाले से बचाया जाता है।

उक्त वृक्षारोपण में पौधों की सुरक्षा कार्यों पर किया गया व्यय अप्रैल 2003 से जनवरी 2008 तक किये गये कुल व्यय 4,31,46,237/- में सम्मिलित है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

मृत वन्य जीवों के अवशेषों से प्राप्त राजस्व

804. श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वन क्षेत्रों में वन जीवों की प्राकृतिक मृत्यु होती है और कई बार अवैध शिकार से वन्य जीव मारे जाते हैं?

(2) क्या ऐसे वन्य जीवों की खालों व अवशेषों को सुरक्षित रखा जाता है अथवा निस्तारण किया जाता है? यदि हां, तो किस प्रकार ? क्या इससे राजस्व प्राप्ति होती है ? यदि हां, तो कितनी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 की अनुसूची प्रथम तथा अनुसूची द्वितीय के पार्ट-द्वितीय के वन्य जीवों के शिकार होने/प्राकृतिक मृत्यु होने पर पशु चिकित्सकों के बोर्ड से पोस्ट-मार्टम करवाने के पश्चात शव को वन विभाग के अधिकारियों द्वारा पंचनामा बनाकर जिम्मेदार व्यक्तियों की उपस्थिति में जलाया जाता है।

उक्त अनुसूचियों के अलावा वन्य जीवों के शिकार/मृत्यु होने पर पशु-चिकित्सक से पोस्ट-मार्टम करवाने के पश्चात इनके अवशेष वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जमीन में गाड़ दिये जाते हैं।

शिकार के प्रकरणों में जब्त किये गये अंगों जैसे-खाल, नाखून आदि को न्यायालय में साक्ष्य की आवश्यकता तक सुरक्षित रखा जाता है। न्यायालय द्वारा शिकार प्रकरण निर्णित करने के पश्चात इन सुरक्षित रखे गये अंगों को न्यायालय आदेश या उपरोक्त वर्णित प्रकिया से निस्तारित किया जाता है।

इससे कोई राजस्व की प्राप्ति नहीं होती है।

फलासिया में कृषि पर्यवेक्षकों के रिक्त पद

805. श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र फलासिया की तहसील कोटड़ा एवं झाडोल में कृषि पर्यवेक्षक के कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र फलासिया की तहसील कोटड़ा में 17 एवं झाडोल में 17 कृषि पर्यवेक्षकों के पद रिक्त हैं। विभाग में कृषि पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

चूरू जिले के बेरोजगार युवकों को भत्ता

806. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार भत्ता देने के क्या नियम हैं?

(2) चूरू जिले के रोजगार कार्यालय में बेरोजगार युवकों को रोजगार भत्ता देने हेतु कितने लोगों का पंजीयन है? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) पंजीयन सूची में से कितने लोगों को रोजगार भत्ता दिया गया ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) पंजीकृत सूची में रोजगार भत्ते से वंचित रहे व्यक्तियों को कब तक रोजगार भत्ता दे दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) बेरोजगार व्यक्तियों को राजस्थान स्नातक बेरोजगारी भत्ता योजना 2007 (अक्षत योजना) के अन्तर्गत पात्र बेरोजगार आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। पात्रता का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) चूरू जिले के रोजगार कार्यालय में फरवरी-2008 तक बेरोजगार भत्ता चाहने वाले 1082 आशार्थियों ने पंजीयन/आवेदन किया है। जिनकी संख्या सूची निम्नानुसार है :-

1.	पुरूष	904
2.	महिला	159
3.	नि:शक्तजन	19
	योग	**1082**

(श्रम एवं नियोजन मंत्री)

(3) उक्त सूची में से फरवरी-2008 तक कुल 870 आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता भुगतान कर दिया गया है। संख्या सूची निम्नानुसार है :-

1.	पुरूष	723
2.	महिला	131
3.	नि:शक्तजन	16
	योग	**870**

(4) राजस्थान स्नातक बेरोजगारी भत्ता योजनान्तर्गत बेरोजगारी भत्ता देना एक सतत प्रकिया है। वंचित रहे पात्र बेरोजगार आशार्थियों को भत्ता स्वीकृत करने की कार्यवाही की जा रही है तथा वांछित योग्यता रखने वाले सभी बेरोजगारों को भत्ता स्वीकृत कर दिया जायेगा ।

परिशिष्ट –क

पात्रता- 1- प्रार्थी राजस्थान प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिये।

2- प्रार्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक एवं समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर राजस्थान राज्य स्थित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातक का डिग्रीधारी होना चाहिये।

3- आयु सीमा- भत्ता प्राप्त करने की पात्रता हेतु कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं होगी परन्तु अधिकतम आयु सीमा सामान्य आशार्थियों के लिये 30 वर्ष एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के आशार्थियों के लिये 35 वर्ष होगी।

4- प्रार्थी प्रदेश के किसी भी एक रोजगार कार्यालय में आवेदन की तिथि से विगत न्यूनतम छह माह से लगातार पंजीकृत हो। एक से अधिक रोजगार कार्यालयों में पंजीयन होने पर प्रार्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

5- यदि प्रार्थी को पंजीयन के पश्चात उक्त छः माह की अवधि में विभाग के द्वारा रोजगारोनोमुखी दक्षता प्रशिक्षण (Skill Training) प्राप्त करने हेतु किसी संस्थान में अग्रेषित (Sponsor) किया जाता है और प्रार्थी उसे अस्वीकार कर देता है तो वह इस योजना के अन्तर्गत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिये अयोग्य होगा।

6- प्रार्थी अन्य किसी कोष से किसी भी प्रकार का भत्ता/छात्रवृति प्राप्त नहीं कर रहा हो।

7- प्रार्थी किसी भी राजकीय या निजी संस्था द्वारा किसी भी पद पर से पदच्युत (बर्खास्त) नहीं किया गया हो।

8- बेरोजगारी भत्ता प्रार्थी को अधिकतम दो वर्ष की अवधि अथवा उसके नियोजन/स्वनियोजन प्राप्त करने तक की अवधि के लिये स्वीकार्य होगा।

9- भत्ता प्राप्त करने के दौरान प्रार्थी का रोजगार कार्यालय में पंजीयन निरन्तर जारी रहना चाहिये।

10- यदि एक परिवार में एक से अधिक बेंरोजगार है तथा वे अन्यथा इस योजना के तहत योग्य है तो उन सभी (अधिकतम 2 व्यक्ति) को बेरोजगार भत्ता देय होगा।

अपात्रता

इस योजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार के आशार्थी बेरोजगार भत्ता प्राप्त करने के लिये अपात्र होंगे :-

1- वे बेरोजगार इंजीनियर्स जो कि राज्य सरकार की बेरोजगार इंजीनियर्स को बगैर निविदा आमंत्रित किये जाने की योजना के तहत पात्रता रखते हैं।

2- इस प्रकार के बेरोजगार जो कि स्नातक उपाधि के पश्चात अपनी शिक्षा निरन्तर रख रहे हैं।

3. इस प्रकार के बेरोजगार स्नातक जो कि किसी अन्य रोजगार योजना जैसे कि PMGSY, NREGA के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं। NREGA में पंजीकृत बेरोजगार स्नातकों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

4- ऐसे बेरोजगार स्नातक जिनके माता-पिता की संयुक्त वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक हो ।

जैसलमेर एवं बाड़मेर जिले के बेरोजगारों को भत्ता

807. डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

सरकार द्वारा वर्ष 2007 में जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर के कितने

(डा. जालम सिंह रावलोत)

लोगों को कितना बेरोजगारी भत्ता दिया गया ? दोनों जिलों का तहसीलवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सरकार द्वारा वर्ष 2007-08 में 1 जुलाई, 2007 से फरवरी 2008 तक जिला बाडमेर एवं जैसलमेर के 734 आशार्थियों को 11.70.011 रुपये बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया गया । दोनों जिलों के बेरोजगारी भत्ता प्राप्त आशार्थियों का तहसीलवार संख्या विवरण निम्नानुसार है :-

जिला बाड़मेर

क्र.सं.	नाम तहसील	पुरूष	महिला	नि:शक्तजन	कुल
1.	बाड़मेर	127	11	5	143
2.	बायतु	57	3	1	61
3.	रामसर	20	1	1	22
4.	शिव	52	1	3	56
5.	चौहटन	72	1	0	73
6.	सिवाना	34	1	0	35
7.	पचपदरा	51	1	4	56
8.	गुढामालानी	63	0	5	68
महायोग		**476**	**19**	**19**	**514**

जिला जैसलमेर

क्र.सं.	नाम तहसील	पुरूष	महिला	नि:शक्तजन	कुल
1.	**जैसलमेर**	109	7	3	119
2.	**पोकरण**	62	2	5	69
3.	**फतेहगढ़**	30	0	2	32
महायोग		**201**	**9**	**10**	**220**

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा परीक्षा शुल्क में वृद्धि

808. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा परीक्षा शुल्क बढ़ाने के क्या मानदण्ड हैं?

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

(2) क्या यह सही है कि गत चार वर्षों में इस शुल्क में बढोत्तरी की गई है। यदि हां, तो कितनी व क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा परीक्षा शुल्क अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता पड़ने पर वित्त समिति एवं बोर्ड की स्वीकृति पश्चात बढ़ाया जाता है।

(2) विगत चार वर्षों में बोर्ड द्वारा की गई शुल्क वृद्धि की तालिका निम्नानुसार है :-

1. वर्ष 2005 कोई वृद्धि नहीं ।

2. वर्ष 2006 परीक्षा शुल्क में रु. 50/- की वृद्धि

तथा प्रायोगिक परीक्षा शुल्क रुपये 25/- (केवल प्रायोगिक परीक्षा वाले विषयों के लिए)

3. वर्ष 2007 कोई वृद्धि नहीं।

4. वर्ष 2008 कोई वृद्धि नहीं।

लोक जुम्बिश कार्मिकों का सर्व शिक्षा अभियान में समायोजन

809. श्री पूजालाल परमार (डूंगरपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि लोक जुम्बिश परियोजना का सर्व शिक्षा अभियान में विलय किया गया है ? यदि हां, तो क्या लोक जुम्बिश के सभी कार्मिकों को मय वेलफेयर रोजगार पर सर्व शिक्षा में जोड़ा गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। पूर्व लोक जुम्बिश की शाषी परिषद (Borerning council) की बैठक दिनांक 11.6.04 में लिए गए निर्णय के अनुसार लोक जुम्बिश परियोजना के अनुबंधित कार्मिकों को सर्व शिक्षा अभियान में समाहित किया गया।

पाली जिले के संग्रहालयों के नवीनीकरण/जीर्णोद्धार पर व्यय

810. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या कला एवं संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में गत एक वर्ष में कितने संग्रहालयों का नवीनीकरण या

(श्री मदन राठौड़)

जीर्णोद्धार किया गया व उन पर कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि राज्य में संग्रहालयों में संग्रहीत सामान का वैज्ञानिक तरीके से प्रलेखन का कार्य कराया गया? यदि हां, तो गत 5 वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पाली जिले में भी संग्रहालय है ? यदि हां, तो कहां-कहां व उन पर गत एक वर्ष में कितनी राशि व्यय की गई ?

उत्तर

(1) राज्य में गत एक वर्ष में 8 राजकीय संग्रहालयों का नवीनीकरण या जीर्णोद्धार किया गया है, जिन पर 102.15 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है। विवरण परिशिष्ट- ''क'' संलग्न है।

(2) जी हां । गत 5 वर्षों में कराये गये प्रलेखन कार्य का विवरण परिशिष्ट ''ख'' संलग्न है।

(3) जी हां। पाली जिले के पाली शहर में राजकीय संग्रहालय स्थित है। जिसके पुनर्गठन एवं विकास कार्यो पर गत एक वर्ष में 18,000 रुपये की राशि व्यय की गयी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

लूणकरणसर में प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशन

811. **श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में नए ग्रिड सब-स्टेशन स्वीकृत करने के मानदण्ड, नियम, नीर्ति-निर्देश क्या हैं? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में दिनांक 1 जनवरी, 2004 से 31 जनवरी, 2008 तक कितनी-कितनी क्षमता के ग्रिड सब-स्टेशन कब-कब व कहां-कहां-कहां पर स्वीकृत किए गए ?

(3) क्या उक्त स्वीकृत सभी ग्रिड सब-स्टेशनों का कार्य पूर्ण होकर विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है तथा वर्तमान में भी सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर व कब से व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में स्वीकृत सभी ग्रिड

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

सब-स्टेशनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर उन्हें प्रारम्भ करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में ऐसे अनेक स्थान हैं जो उक्त मानदण्डों को पूरा करते हैं तथा वहां पर 132 के.वी. व 33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन संचालित नहीं हैं ? यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से स्थान हैं? स्थानवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में मानदण्डों को पूरा करने वाले सभी स्थानों पर नए 132 के.वी. एवं 33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां पर वकब तक तथा नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में नये ग्रिड सब-स्टेशन बनाने के लिये राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी मानदण्डों की पालना की जाती है। उक्त नियमों, नीति-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में दिनांक 01 जनवरी, 2004 से 31 जनवरी, 2008 के मध्य स्वीकृत किये गये 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन एवं 33 के.वी. सब-स्टेशनों का विवरण परिशिष्ट- 'ब' पर उपलब्ध है।

(3) खाजूवाला में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बनाने का कार्य प्रगति पर है तथा 33 के.वी. के उक्त सब-स्टेशनों में से 2 छोड़कर शेष सब-स्टेशनों का कार्य पूर्ण कर विद्युत आपूर्ति आरम्भ कर दी गई तथा वर्तमान में भी सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं शेष बचे 2 सब-स्टेशनों में से एक सब-स्टेशन सरेरा का प्रकरण न्यायालय में विचारधीन है एवं दूसरा सब-स्टेशन आरडी-465 का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है जिनका विवरण उपरोक्त परिशिष्ट-ब में दर्शाया गया है।

(4) खाजूवाला में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन को मार्च, 2008 तक चालू किया जाना अपेक्षित है। सामान्यतः स्वीकृत सब-स्टेशनों को वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुसार कार्य प्रारम्भ किया जाना है।

(5) नये ग्रिड सब-स्टेशन की स्वीकृति हेतु सम्बन्धित क्षेत्र का कनेक्टेड लोड, 11 के वी फीडर के वोल्टेज रेगुलेशन विद्युत की वार्षिक क्षति,

(ऊर्जा मंत्री)

लम्बित आवेदन एवं भविष्य में लोड ग्रोथ का आंकलन कर प्रस्ताव बनाकर कार्यवाही की जाती है। नये सब-स्टेशन बनाने के प्रस्ताव तैयार करना एक नियमित प्रक्रिया है जिसके तहत समय-समय पर सब-स्टेशन बनाने के क्राईटेरिया का आंकलन कर प्रस्ताव बनाये जाते हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में विधान सभा क्ष्ोत्र लूणकरणसर में किसी नये सब-स्टेशन निर्माण के प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(6) जी हां। 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन एवं 33 के.वी. के नये सब-स्टेशनों के प्रस्तावों का निर्धारित मानदण्डों के अन्तर्गत तकनीकी साध्यता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार स्वीकृति के सम्बन्ध में विचार किया जा सकेगा।

(निर्देशों की प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

भीण्डर के लम्बित कृषि कनेक्शनों का निस्तारण

812. **श्री रणधीर सिंह भीण्डर** (वल्लभनगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा गत चार वर्षों में कब तक के लम्बित कृषि कनेक्शन दिये गये ?

(2) विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में गत चार वर्षों में कितने कृषि कनेक्शन दिये गये व किस वर्ष तक की जमा फाइलों का निस्तारण हुआ ?

(3) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र भीण्डर में वर्ष 2003 तक जमा किये गये शेष आवेदनों का निस्तारण कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) वर्ष 2004-05 व 2007-08 के लिये पंचायत समितिवार, जिलेवार एवं डिस्कॉमवार कट ऑफ डेट परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में गत चार वर्षों के दौरान 1992 कृषि कनेक्शन जारी किये गये। उक्त कनेक्शन माह मार्च, 1998 तक लम्बित आवेदकों को जारी किये गये ।

(3) विधान सभा क्षेत्र भीण्डर में 31 मार्च, 2003 तक के लम्बित आवेदकों को माह मार्च, 2009 तक कनेक्शन जारी करना प्रस्तावित है।

(सूची/विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पशुधन सहायकों की नियुक्ति में व्याप्त अनियमितताओं की जांच

813. श्री कान्तीप्रसाद मीणा (थानागाजी) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2006 में पशुधन सहायकों की भर्ती के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई थी ? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट मुख्य मंत्री सचिवालय को भिजवाई गई? यदि हां, तो क्या, कब व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार अब भर्ती में वंचित रहे व्यक्तियों को पशुधन सहायकों के पद पर नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। माननीया मुख्य मंत्री सचिवालय द्वारा चाही गई तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 04.01.2008 को प्रेषित की गई थी, की प्रति संलग्न है।

(2) पशुधन सहायकों की जब भी नियमित भर्ती की जावेगी, तब इसके लिये योग्य अभ्यर्थी अपना आवेदन करने के लिए स्वतन्त्र होंगे।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायती राज के सुदृढ़ीकरण हेतु गठित समिति

814. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2004 उपरान्त पंचायतीराज सुदृढ़ करने हेतु किसी समिति का गठन किया था ? यदि हां, तो कब तथा उक्त समिति द्वारा रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई ? समिति के सदस्यों के नाम व पद सहित प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त समिति द्वारा पंचायतीराज विभाग को 29 विषय सौंपने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा लिए गए निर्णयों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त समिति द्वारा लिये गये निर्णयों को लागू करने में विलम्ब किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार समिति के निर्णयों को लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों।

उत्तर

(1) जी हां। पंचायती राज के सुदृढीकरण हेतु दिनांक 10 अगस्त, 2004 को मा0 गह मंत्री श्री गुलाब चन्द कटारिया की अध्यक्षता में एक

(पंचायती राज मंत्री)

मंत्रिमण्डलीय समिति का गठन किया गया था । उक्त समिति द्वारा दिनांक 26-12-2005 को राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। समिति के सदस्यों के नाम व पद की प्रति परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) वर्तमान में प्रकरण मंत्रिमण्डल सचिवालय के समक्ष विचाराधीन है।

परिशिष्ट-"क"

1- श्री गुलाब चन्द कटारिया, मा. गृह मंत्री	अध्यक्ष
2- श्री घनश्याम तिवाड़ी मा. शिक्षा मंत्री	सदस्य
3- श्री किरोड़ी लाल मीणा, मा. खाद्य एवं नागरिेक आपूर्ति मंत्री	सदस्य
4- श्री मदन दिलावर, मा. समाज कल्याण मंत्री	सदस्य
5- श्री कालू लाल गुर्जर, मा. पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री	सदस्य
6- श्री एम0 के0 खन्ना, प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज विभाग	सदस्य

हनुमानगढ़ जिले की पंचायत समितियों का पुनर्गठन

815. श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी): क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार जिला हनुमानगढ़ के अन्तर्गत नवीन पंचायत समितियों का गठन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कस्बा रावतसर एवं कस्बा टिब्बी को कब तक नवीन पंचायत समिति घोषित कर दिया जायेगा।

उत्तर

वर्तमान में इस संबंध में मापदण्ड हेतु नीति निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है। नीति निर्धारण के बाद इस बाबत अविलम्ब कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी ।

सरपंच, सुनेल (झालावाड़) के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच

816. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरपंच सुनेल जिला झालावाड़ के विरुद्ध सुरेन्द्र फोफलिया द्वारा सरकार को कोई शिकायत की गई है ? यदि हां, तो कब ? शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त शिकायत की जांच करने के लिये किसी अधिकारी को नियुक्त किया गया था ? यदि हां, तो किसे ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त जांच रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम पंचायत सुनेल द्वारा पटटे जारी करने में अनियमितता करने के संबंध में शिकायत दिनांक 20.9.2005 को प्राप्त हुई। शिकायत की प्रति परिशिष्ट ''क'' में संलग्न है।

(2) प्रकरण की जांच हेतु सम्भागीय आयुक्त कोटा को जांच करने हेतु लिखा गया था । सम्भागीय आयुक्त, कोटा ने अवगत कराया कि उक्त प्रकरण की जांच जिला परिषद, झालावाड़ द्वारा करायी गयी। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा की गयी जांच प्रतिवेदन की प्रति परिशिष्ट ''ख'' में संलग्न है।

(3) जी हां। उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर सरपंच के विरूद्ध थाना सुनेल में प्रथम सूचना रिपोर्ट 47/06 दर्ज करायी गई एवं विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सरपंच को निलम्बित भी किया जा चुका है।

तत्कालीन विकास अधिकारी एवं ग्रामसेवक के विरूद्ध 16 सीसीए की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा पंचायत प्रसार अधिकारी पंचायत समिति सुनेल के विरूद्ध भी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायत समिति कठूमर में नियम विरुद्ध खरीद प्रकरण

817. **श्री रमेश खींची** (कठूमर) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत दो वर्षों में पंचायत समिति कठूमर में निजी एवं शिक्षा उपकर की राशि जमा हुई है। यदि हां, तो कितनी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त निजी आय से वर्तमान वर्ष में पंचायत समिति कठूमर के प्रधान व अधिकारियों द्वारा खरीद की गई ? यदि हां, तो क्या-क्या व कितनी-कितनी राशि की तथा किन-किन फर्मों से ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत समिति द्वारा प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों द्वारा मांग नहीं किये जाने के उपरान्त भी दरी पट्टियां/टाट की खरीद की गई ? यदि हां, तो क्यों व किस दर से व कितनी राशि की ?

(श्री रमेश खींची)

(4) क्या यह सही है कि इसका कोई टेण्डर निकाला गया ? यदि हां, तो उसमें किन-किन फर्मों ने भाग लिया ? फर्मों के नाम व उनकी दरें क्या थी ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त खरीद नियमानुसार की गई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त की जांच कर ठेका निरस्त करने का विचार रखती है ?

(6) क्या सरकार इसमें लिप्त अधिकारी/प्रधान के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति कठूमर में गत दो वर्षों में निजी आय तथा शिक्षा उपकर मद में निम्न राशि जमा थी :-

क्र. सं.	वर्ष/दिनांक	शिक्षा उपकार	अन्य निजी आय	कुल निजी आय रु. में
1.	1.04.06	26910.43	1356679.36	1383589.79
2.	1.04.07	49150.43	1271523.36	1320673.79

(2) जी हां। पंचायत समिति कठूमर द्वारा वर्तमान वर्ष में प्रदत्त शक्तियों के तहत सामान्य खर्चों यथा सफाई, सदस्य यात्रा व्यय, जलपान, विज्ञप्ति कोर्ट केश आदि के अतिरिक्त निजी आय से निम्न सामग्री क्रय की गई :-

क्र. सं.	सामग्री का नाम	फर्म का नाम	राशि रु.
1.	फर्नीचर	अग्रवाल स्टील फर्नीचर अलवर	48875
2.	स्टेशनरी	महावीर पुस्तक भण्डार अलवर	188115
3.	दरी पट्टी	खादी ग्रामोद्योग, बयाना	585200

(3) जी नहीं। ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कठूमर की मांग प्राप्त होने पर ही प्राथमिक विद्यालयों हेतु 5500 नीली दरी पट्टियां रुपयें 133/- प्रति दरी पट्टी की दर में 20 प्रतिशत की छूट पर राशि रुपये 585200/- में खरीदी गई।

(4) 1. दरी पट्टियों का क्रय खादी ग्रामद्योग द्वारा प्रमाणित संस्था से किया गया था जिसके लिए वित्तीय नियमों के अन्तर्गत टेण्डर की आवश्यकता नहीं होने के कारण सीधे ही खादी ग्रामद्योग बयाना से खरीदी गई।

(पंचायतीराज मंत्री)

2. फर्नीचर व स्टेशनरी क्रय हेतु टेण्डर जारी किया गया था जिसमें निम्न फर्मो ने अपनी दरें प्रस्तुत कीं :-

(अ) स्टेशनरी

1. महावीर पुस्तक भण्डार, अलवर ।

2. आर. के. प्रिन्टर्स एण्ड स्टेशनर्स, अलवर ।

3. वर्धमान पेपर मार्ट एण्ड स्टेशनर्स, अलवर।

(ब) फर्नीचर

1. अग्रवाल स्टील फनीचर्स, अलवर ।

2. गोयल स्टील एण्ड वूडन फर्नीचर, अलवर ।

3. विशाल स्टील इण्डस्ट्रीज, अलवर ।

उक्त फर्मो द्वारा प्रस्तुत की गई दरों का विवरण क्रमश: परिशिष्ट ''अ'' एवं ''ब'' पर संलग्न है।

(5) जी हां।

(6) कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

परिशिष्ट 'अ'

स्टेशनरी निविदा के तहत शामिल फर्में व उनकी दरें

(दर प्रति नग)

क्र. सं.	सामग्री का नाम	महावीर पुस्तक भण्डार अलवर	आर.के. प्रिन्टर्स एण्ड स्टेशनर्स अलवर	वर्धमान पेपर मार्ट एण्ड स. अलवर
1	रिम जे.के. ए फोर	192.00	206.00	205.00
2	रि जे.के. ए 5	229.50	255.00	250.00
3	आल पिन डिब्बी	19.50	21.00	20.00
4	सादा कागज रिम	115.50	121.00	120.00
5	पेबिल फाईल गत्ते की	33.50	36.00	35.00
6	सादा फाइल	7.90	10.00	9.00
7	फाईल पैड	17.50	11.00	18.00
8	स्टाम्प पैड	17.50	19.00	18.00
9	टैग गुच्छी	11.00	13.00	12.00
10	स्टाक रजिस्टर 400 पेज	215.00	221.00	220.00

1	2	3	4	5
11	गोंद सीसी 150 एम.एल.	21.00	23.00	22.00
12	फ्लूड इंक	25.50	28.00	27.00
13	रजिस्टर लाइनदार सादा 100 पेज	24.00	26.00	25.00
14	रजिस्टर लाइनदार गत्ते 100 पेज	35.0	35.50	35.00
15	चालान फार्म	55.00 सैकड़ा	62.00 सैकड़ा	60.00 सैकड़ा
16	समस्त कटौती फार्म	50.00 सैकड़ा	62.00 सैकड़ा	67.00 सैकड़ा
17	बालिका समृद्धि फार्म	240.00 सैकड़ा	255.00 सैकड़ा	250.00 सैकड़ा
18	पन्नाधाय फार्म	110.00 सैकड़ा	125.00 सैकड़ा	120.00 सैकड़ा
19	विधवा पेंशन फार्म	240.00 सैकड़ा	255.00 सैकड़ा	250.00 सैकड़ा
20	पेशन स्वीकृति फार्म	110.00 सैकड़ा	125.00 सैकड़ा	120.00 सैकड़ा
21	कैलकुलेटर	670.00	700.00	690.00
22	राशन कार्ड	6.00	7.00	6.50
23	कार्बन पेपर	1.45	1.70	1.50
24	केशबुक पी.डी. अकाउण्ट	470.00	500.00	500.00
25	एम.बी.	42.00	52.00	50.00
26	कैश बुक एफ ए बी	470.00	500.00	490.00
27	विविध प्रकार के फार्म 16x26/4 16x26/2	180.00 सैकड़ा 280.00 सैकड़ा	200.00 सैकड़ा 355.00 सैकड़ा	190.00 सैकड़ा 350.00 सैकड़ा
मैसर्स महावीर पुस्तक भण्डार अलवर की क्र.सं. 7 फाईल पैड की दर अधिक होने व फर्म द्वारा दरों में कमी नहीं करने के कारण उक्त दर स्वीकृत निविदादाता फर्म व अन्य से चालू वर्ष में फाईल पैड की कोई खरीद नहीं की गई है।				

परिशिष्ट 'ब'

फर्नीचर हेतु जारी निविदाओं में प्राप्त दरों का विवरण

(दर रुपये प्रति नग)

आईटम का नाम	अग्रवाल स्टील फर्नीचर हाउस अलवर	गोयल स्टील फर्नीचर अलवर	विशाल स्टील इण्डस्ट्री अलवर
आफिस टेबिल	2000/-	2000/-	2050/-
कुर्सी प्लास्टिक	425/-	440/-	450/-
आफिस चेयर्स	400/-	440/-	470/-
अलमारी	3000-	3150/-	3200/-
पंखे	1320/-	1360/-	1380/-

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, आगूचा (भीलवाड़ा) के प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्र

818. श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, आगूचा में खनन से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है? यदि हां, तो पर्यावरण प्रदूषण से कौन-कौनसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है तथा शाहपुरा-हुरडा क्षेत्र की कितनी परिधि तथा कौन-कौनसे गांव इसकी चपेट में हैं?

उत्तर

जी नहीं। राज्य मण्डल द्वारा किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुसार ध्वनि प्रदूषण एवं वायु गुणवत्ता अनुश्रवण के परिणाम निर्धारित मानकों के अनुरूप पाये गये हैं।

अलवर जिले में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति

819. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा अलवर जिले में खनन एवं अन्य खनन गतिविधियों हेतु व परियोजना नहीं लगाने हेतु दिनांक 07 मई, 1992 को अधिसूचना जारी की गई थी ? यदि हां, तो क्या? अधिसूचना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 07 मई, 1992 से वर्ष 1992 तक अलवर जिले में पर्यावरणीय स्वीकृतियां जारी की गई तथा उसके पश्चात केन्द्र सरकार ने उक्त अधिकार राज्य सरकार को प्रदान किये थे ?

(3) वर्ष 1999 से अब तक अलवर जिले में पर्यावरण स्वीकृति के लिये कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए उनमें से कितनों में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई एवं कितनों को निरस्त किया गया ? निरस्त करने के कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) दिनांक 07 मई, 1992 से वर्ष 1999 तक केन्द्र सरकार द्वारा कितनी पर्यावरणीय स्वीकृतियां जारी की गई तथा राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1999 से आज तक कितनी स्वीकृतियां जारी की गई ? राज्य सरकार द्वारा,

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

केन्द्र सरकार द्वारा जारी स्वीकृतियों के मुकाबले स्वीकृतियां कम जारी की गई या ज्यादा ? अन्तर स्पष्ट करें ? यदि केन्द्र से राज्य की उपलब्धि कम रही तो क्यों तथा इसके क्या कारण रहे यदि कम रही तो क्या राज्य सरकार यह अधिकार वापस केन्द्र सरकार को लौटाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट ''अ'' संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) वर्ष 1999 से अब तक 302 आवेदन प्राप्त हुये। 6 आवेदनों में पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई एवं 193 आवेदन निरस्त किये गये। निरस्त करने का कारण यह है कि अधिसूचना के तहत गठित राज्य स्तरीय पर्यावरण विशेषज्ञ समिति ने निम्नलिखित कारणों से निरस्त करने का निर्णय किया :-

1. अरावली श्रेणी के 50 प्रकरण जिनमें उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 8.4.2005 से खनन गतिविधियां प्रतिबंधित है।
2. वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत 2 प्रकरण वन विभाग द्वारा निरस्त किये गये।
3. अपूर्ण आवेदन के 4 प्रकरण
4. खनिज विभाग द्वारा 137 प्रकरण निरस्त

(4) केन्द्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से प्राप्त पत्र क्रमांक ||/पर्या./एम.ओ.ई.एफ./1/89/499 दिनांक 27 जुलाई, 2001 के अनुसार अरावली नोटिफिकेशन के तहत अलवर जिले में 95 प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई । राज्य सरकार द्वारा कम स्वीकृतियां जारी करने के मुख्य कारण निम्नवत है:-

1. भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.1.2003 व 15.4.2003 के द्वारा सूचित किया गया कि अरावली नोटिफिकेशन में सम्मिलित पांच किस्म की भूमियों (गैर मुमकिन राडा, गैर मुमकिन बीहड़, गैर मुमकिन पहाड़, बंजर बीड़, रूंध) को भी वन भूमि के समान ही माना जाए । इस कारण बिना वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत इन भूमियों को अनारक्षित करवाये पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करना सम्भव नही था । अभी हॉल ही में वन विभाग द्वारा उनके पत्र दिनांक 15.12.2007 से उक्त पांच किस्म की भूमियों की वैधानिक स्थिति स्पष्ट कर दी गई है । प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(पर्यावरण राज्य मंत्री)

2. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 8.4.2005 द्वारा अरावली हिल्स एवं वन भूमि में पड़ने वाले किसी भी प्रकार के खनन कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

3. वन भूमि पर आवेदित प्रकरणों में वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनारक्षण प्रस्तावों का अनुमोदन प्राप्त नहीं होना।

राज्य सरकार द्वारा यह अधिकार वापिस केन्द्र सरकार को लौटाने का कोई विचार नहीं रखती है।

(विवरण की प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

निम्बोहड़ा एवं छोटी सादड़ी के भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्र

820. श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) निम्बाहेड़ा एवं छोटी सादड़ी तहसील में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कार्यरत हैं तथा कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्मित हैं ? पंचायत समितिवार आंगनबाड़ी केन्द्रों व निर्मित भवनों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तहसील निम्बाहेड़ा में 136 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 15 कमनी आंगनबाड़ी केन्द्र तथा तहसील छोटी सादड़ी में 136 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 13 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत एवं कार्यरत हैं। इस प्रकार इन दोनों तहसीलों में कुल 272 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 28 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र कार्यरत हैं, इनमें से 77 आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्मित हैं एवं 35 आंगनबाड़ी केन्द्र अन्य सरकारी भवनों में संचालित हैं। सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) राज्य में लगभग 40 प्रतिशत आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हो रहे हैं। भवन विहीन केन्द्रों के लिये आंगनबाड़ी भवन निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधन उपलब्ध्ता के आधार पर चरणबद्ध रूप से करवाया जा रहा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

शाहपुरा में पर्यवेक्षकों के रिक्त पद

821. श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रामरतन बैरवा)

(1) वर्तमान में राजस्थान में बाल विकास परियोजना अधिकारियों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा इनमें से कहां-कहां, कितने-कितने पद रिक्त है?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती/राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से/पदोन्नति से भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(3) वर्तमान में राजस्थान में बाल विकास परियोजना अधिकारियों के कितने कार्यालयों का स्वयं का भवन नहीं है? किराये पर चल रहे भवनों की सूची, चुकाया जाने वाला किराया सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार भवन विहीन कार्यालयों के भवन निर्माण हेतु राशि आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में स्थित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में सुपरवाइजरों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कितने? क्या यह भी सही है कि रिक्त पदों के बावजूद भी यहां कार्यरत सुपरवाइजर को अन्यत्र प्रतिनियुक्ति पर लगा रखा है? यदि हां, तो क्यों?

(6) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के उक्त कार्यालय में रिक्त सुपरवाइजर के पद पर नियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में विभाग में बाल विकास परियोजना अधिकारी के 278 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 85 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-''अ'' पर संलग्न है।

(2) बाल विकास परियोजना अधिकारी के रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति से भरे जाने पर राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ द्वारा रोक होने के कारण इन पदों को फिलहाल प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाना सम्भव नहीं है। सीधी भर्ती/आर.पी.एस.सी. के माध्यम से 11 पदों को भरे जाने हेतु विज्ञप्ति दिनांक 24.7.2007 प्रकाशित की जा चुकी है। पदोन्नति से भरे जाने वाले 40 पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक अयोजित करवाने के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) राज्य में 138 बाल विकास परियोजना कार्यालय किराये के भवनों में संचालित हैं। किराये में चल रहे परियोजना कार्यालयों की सूची मय मासिक किराया सहित सूची परिशिष्ट- ''ब'' पर संलग्न है।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

(4) जी हां। वर्ष 2006-07 में 11 व वर्ष 2007-08 में 7 परियोजना कार्यालयों के निर्माण की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। शेष वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप भविष्य में निर्माण कार्य करवाये जाएंगे।

(5) जी हां। विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में स्थित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में सुपरवाइजर के स्वीकृत 6 पदों में से 4 पद रिक्त हैं। भरे हुए दो पदों में से एक महिला पर्यवेक्षक का मुख्यालय ह्रदय रोगी होने के कारण मानवीय आधार पर परियोजना भीलवाड़ा-शहर में नियत किया गया है।

(6) राज्य स्तर पर रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं चयनित महिलाएं उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जायेंगी ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम पंचायत वागौर हेतु निगम बस सेवा

822. **श्री नरेन्द्र नागर** (खानपुर) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत वागौर, गढ़खेड़ा, गढ़मोरा को निगम बस सेवा से उपखण्ड कार्यालय हिण्डौन से नहीं जोड़ा गया है ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत वागौर के लिए 21 बसें स्वीकृत होने के बावजूद दो बसें ही चालू हैं ?

(3) क्या सरकार उपखण्ड कार्यालय हिण्डौन से ग्राम वागौर तहसील नादौती, जिला करौली होते हुए ग्राम-गढ़खेड़ा, ग्राम गढ़मोरा होते हुए जयपुर तक निगम की बस चलाने का विचार रखती है। यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार जयपुर से भाण्डारेज, गढ़मोरा, गढ़खेड़ा, वागौर, गंगापुर सिटी या हिण्डौन सिटी तक निगम की चार बसें संचालित कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उप खण्ड कार्यालय हिण्डौन की ग्राम पंचायत वागौर निगम बस सेवा से नहीं जुड़ा हुआ है तथा गढ़खेड़ा एवं गढ़मोरा निगम बस सेवा से जुड़ा हुआ है।

(परिवहन मंत्री)

(2) जी नहीं। ग्राम पंचायत वागौर होकर निम्नांकित दो निजी स्टेज कैरिज मार्गो की बसें संचालित हैं :-

1. गंगापुर से नादौती वाया बड़ी उदई, बनीयावाला, मण्डाल, वागौर, बरदाला ।
2. गंगापुर से गढ़मोरा वाया बड़ी उदई, बनीयावाला, वागौर, बरदाला, नादौती, गढ़खेड़ा।

गंगापुर से नादौती मार्ग पर 4 तथा गंगापुर से गढमोरा मार्ग पर 18 बसों के संचालन हेतु परमिट स्वीकृत हैं, इस प्रकार इन दोनों मार्गों पर ग्राम पंचायत वागौर होते हुए कुल 22 बसें संचालित हैं।

(3) जी नहीं । ग्राम पंचायत वागौर हिण्डौन दौसा वाया नादौती-गढ़खेड़ा-गढ़मोरा मुख्य मार्ग गढ़खेडा से हटकर 9 कि.मी. अन्दर की ओर स्थित है तथा अराष्ट्रीयकृत मार्ग है। वर्तमान में हिण्डौन से दौसा वाया नादौती-गढ़खेड़ा-गढमोरा होकर निगम द्वारा दो एकल परिचक्र संचालित किये जा रहे हैं। तथा दौसा से जयपुर के लिये पर्याप्त मात्रा में निगम वाहनें संचालित की जा रही हैं।

(4) जी नहीं । प्रश्नगत मार्गो पर निम्न प्रकार राजस्थान परिवहन निगम द्वारा पूर्व से ही बस सेवाओं का संचालन किया जा रहा है :-

मार्ग	संचालित सेवाएं
जयपुर से भाण्डारेज	2
दौसा से भाण्डारेज	26
दौसा से गढमोरा वाया भाण्डारेज	6

नगर (भरतपुर) में निगम आगार की स्थापना

823. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार जिला भरतपुर की तहसील व उपखण्ड मुख्यालय नगर में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का डिपो स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि राज्य में किन्हीं उपखण्ड मुख्यालयों में रोडवेज के आगार (डिपो) संचालित हैं? यदि हां, तो कहां-कहां?

(मोहम्मद माहिर आजाद)

(3) क्या राज्य के तिजारा, डीडवाना, रेवदर सहित घाटे में चल रहे डिपो को सरकार बन्द करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। नगर के समीप अलवर में दो आगार अलवर एवं मत्स्य नगर एवं भरतपुर में दो आगार भरतपुर एवं लोहागढ़ स्थित है जिनकी नगर से दूरी क्रमशः 57 एवं 60 कि.मी. है। अतः तकनीकी एवं वित्तीय दृष्टि से उपयुक्त नहीं होने के कारण नगर में पृथक से राजस्थान परिवहन निगम का नया आगार खोलने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(2) जी हां। जिन उप खण्ड मुख्यालयों पर राजस्थान परिवहन निगम के आगार (डिपो) संचालित हैं उनकी सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं । क्योंकि राजस्थान परिवहन निगम का उद्देश्य जनता को सस्ती, आरामदायक एवं सुविधाजनक यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना है। अतः फिलहाल घाटे वाले तिजारा, डीडवाना व रेवदर (उप आगार) आगार को बन्द करने का कोई विचार नहीं है।

परिशिष्ट-1

उप खण्ड मुख्यालयों पर राजस्थान परिवहन निगम के आगार (डिपो) संचालित हैं उनकी सूची

क्र.सं.	उप खण्ड का नाम जहां निगम के आगार स्थापित हैं
1.	ब्यावर
2.	डीडवाना
3.	सरदारशहर
4.	कोटपूतली
5.	तिजारा
6.	खेतड़ी
7.	श्रीमाधोपुर
8.	फलोदी
9.	हिण्डौन
10.	आबूपर्वत (आबूरोड़)
11.	अनूपगढ़

पंचायत समिति मुख्यालय बायतु (बाड़मेर) में निगम आगार की स्थापना

824. श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार पंचायत समिति व तहसील मुख्यालय बायतु से रामदेवरा वाया फलसूंड, बायतु से सिणधरी, बायतु से हीरा की ढाणी, बायतु से कानासर वाया बाटाडू, बायतु से आडेल तथा बायतु से शिव मार्गो पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का संचालन करने का विचार रखती है?

(2) क्या सरकार पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय बायतु पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का आगार कार्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। क्योंकि प्रश्नगत सभी मार्ग अराष्ट्रीयकृत हैं अतः उक्त किसी भी अराष्ट्रीयकृत मार्ग पर निगम के पास उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए फिलहाल वाहन संचालन का कोई विचार नहीं है।

(2) जी नहीं। निगम का बायतु के समीप बाड़मेर आगार पूर्व से ही स्थित है जिसकी बायतु से दूरी 48 कि.मी. है। अतः तकनीकी एवं वित्तीय दृष्टि से उपयुक्त नहीं होने के कारण बायतु में पृथक से राजस्थान परिवहन निगम का नया आगार खोलने का फिलहाल कोई विचार नहीं हैं।

गोगुन्दा में निगम बस सेवा

825. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के मेवाड़ों का मठ में चांपा की नाल से उदयपुर बस सेवा शुरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उदयपुर से सामोली राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस संचालन का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों व हां, तो कब तक ?

(3) क्या सरकार उदयपुर से डांग, बेरण से भीमाणा, सुमेरपुर, शिवगंज हेतु निगम बस सेवा प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। मेवाड़ों का मठ में चांपा की नाल, जसवन्तगढ़ से देवला के मध्य स्थित सिरवल स्टैण्ड से 7 कि.मी. मुख्य मार्ग से अन्दर की ओर स्थित है जो अराष्ट्रीयकृत मार्ग है। ऐसी स्थिति में उक्त अराष्ट्रीयकृत मार्ग पर निगम की उदयपुर के लिए सीधी बस सेवा संचालन का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में जसवन्तगढ़ से सिरोही रोड वाया देवला होकर निगम की पर्याप्त सेवाऐं संचालित हैं। देवला से सिरोही रोड के मध्य स्थित स्टैण्ड क्यारी से सामोली 6 कि.मी. अन्दर की ओर स्थित है। जिसके कारण सीधे यात्रियों को 6 किमी जाने व 6 किमी आने पर 12 किमी का किराया अधिक वहन करना पडेगा तथा यात्रा समय भी अधिक लगेगा साथ ही निगम वाहनों के यात्रीभार में अधिक में भी गिरावट आवेगी । अतः ऐसी स्थिति में सामोली होकर बस सेवा का संचालन आर्थिक दृष्टि से लाभदायक रहने की सम्भावना नहीं है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में आगार में अतिरिक्त वाहन उपलब्ध नहीं होने के कारण फिलहाल उक्त मार्ग पर निगम बस सेवा का संचालन सम्भव नहीं है।

पाली जिले में स्वयं सहायता समूहों के प्रशिक्षण पर व्यय

826. श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली जिले की जिला परिषद द्वारा वर्ष 2006-07 व 2007-08 में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत कितने स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण हेतु किसी संस्था/संस्थाओं को अग्रिम राशि का भुगतान किया गया ? यदि हां, तो कितना ?

(3) क्या किसी निजी संस्था को अग्रिम भुगतान करने का सामान्य वित्त एवं लेखा नियमों में प्रावधान है ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत व नहीं, तो अग्रिम दिये जाने का क्या मानदण्ड है ?

(4) सरकार द्वारा स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत राशि की स्वीकृति जारी करने का अधिकार किसे दिया गया है ?

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

(5) उक्त योजना का नियमानुसार केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा किसे जिला स्तर पर अध्यक्ष घोषित किया गया है ?

(6) क्या यह सही है कि जिला परिषद पाली के आदेश क्रमांक एस.जी.एस.वाई/2006/822 दिनांक 30 जून, 2006 द्वारा राशि की स्वीकृति राज्य सरकार के नियमानुसार अध्यक्ष द्वारा जारी की गई है? यदि नहीं, तो उक्त कृत्य के लिए कौन-कौन दोषी है? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(7) रानी व देसूरी पंचायत समिति में उपरोक्त वर्षों में कितने समूहों को प्रशिक्षण दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पाली जिले की जिला परिषद द्वारा वर्ष 2006-07 व 2007-08 स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में स्वयं सहायता समूहों को निम्नानुसार प्रशिक्षण दिया गया है :-

(2) उक्त योजना के तहत बीपीएल स्वयं सहायता समूह को प्रशिक्षण हेतु अग्रिम भुगतान निम्नानुसार किया गया है :-

1. ज्ञानोदय शिक्षा समिति पाली, (कपासन) वर्ष 2006-07 रु. 5,62,800/-

वर्ष 2006-07 384 स्वयं सहायता समूह

वर्ष 2007-08 360 स्वयं सहायता समूह

सूची परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

2. भैरव प्रयत्न सेवा संस्थान, पाली वर्ष 2007-08 रु. 1,52,00/-

3. राज. अरबन एण्ड रूरल डवलमेन्ट इंस्टीट्यूट, फालन वर्ष 2007-08 रु. 3,77,125/-

4. भैरव प्रयत्न सेवा संस्थान, पाली वर्ष 2007-08 रु. 3,25,985/-

5. ज्ञानोदय शिक्षा समिति, पाली (कपासन) वर्ष 2007-08 रु. 4,86,965/-

(3) जी नहीं। गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को अग्रिम का भुगतान मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा बैठक में लिये गये निर्णयानुसार किया गया है।

(4) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत राशि की स्वीकृतियां जारी करने का अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(5) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के दिशा-निर्देशों के पैरा 8.11 के अनुसार जिला स्तर पर प्रगति का पुनरावलोकन व सलाह हेतु कमेटी का गठन किया है उक्त कमेटी में जिलाधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (Chief Executive Officer) को अध्यक्ष घोषित किया गया है परन्तु राज्य सरकार ने दिनांक 12.10.1999 की आज्ञा से जिला कलक्टर को अध्यक्ष बनाया है।

(6) राशि की स्वीकृति आदेश समक्ष अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली के आदेश क्रमाकं 2006/822 दिनांक 30.6.2006 द्वारा जारी किये गये हैं।

(7) रानी व देसूरी में वर्ष 2006-07 व 2007-08 में बीपीएल स्वयं सहायता समूहों को निम्नानुसार प्रशिक्षण दिया गया है। सूची परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

वर्ष 2006-07 पंचायत समिति रानी 22 समूह

वर्ष 2006-07 पंचायत समिति देसूरी 32 समूह

वर्ष 2007-08 पंचायत समिति रानी 15 समूह

वर्ष 2007-08 पंचायत समिति देसूरी 30 समूह

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

भीम में स्थानीय विकास कोष से स्वीकृत कार्य

827. डॉ. समरजीत सिंह (भीनमाल) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जनवरी, 2004 से अब तक विधान सभा क्षेत्र भीम (राजसमन्द) के किन-किन गांवों में विधायक/सांसद कोष से कौन-कौन से कार्य सम्पादित करने हेतु विधायक एवं सांसद द्वारा अभिशंषा की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यों हेतु कब-कब वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी कौन-कौन से कार्य सम्पादित किये गये व कितने शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनवरी, 2004 से अब तक विधान सभा क्षेत्र भीम (राजसमन्द) के जिन-जिन गांवों में विधायक/सांसद कोष से कार्य सम्पादित करने हेतु मा.

(ग्रामीण विकास मंत्री)

विधायक एवं मा. सांसद द्वारा अभिशंसा की गई उन कार्यो का विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) उक्त कार्यों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतिया संलग्न परिशिष्ट-1 के कालम संख्या 8 एवं 6 पर अंकित तिथि को जारी की गयी तथा अंतिम कॉलम में दर्शाये गये कार्य पूर्ण/सम्पादित किये। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के 76 तथा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के 20 कार्यो शेष हैं। विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

जिला पूल द्वारा वाहनों की मरम्मत पर व्यय

828. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या स्टेट मोटर गैराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग में कितने जिला पूल कहां-कहां पर गठित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिला पूल में कितने मैकेनिक/क्लीनर कहां-कहां पर कार्यरत हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि जिला पूल में मैकेनिक/क्लीनर के पद होते हुए भी वाहनों की मरम्मत का कार्य बाजार से कराया गया है ? यदि हां, तो गत 5 वर्ष में किस-किस जिला पूल द्वारा कितनी-कितनी राशि का वाहन मरम्मत का कार्य बाजार से किस-किस फर्म/व्यक्ति से कराया गया तथा क्यों व इसके लिए कितनी राशि किस-किस फर्म/व्यक्ति को भुगतान की गई? वर्षवार एवं जिला पूलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला पूलों का विवरण परिशिष्ट ''क'' पर उपलब्ध है।

(2) जिला पूल एवं कार्यरत मैकेनिक/क्लीनर का विवरण परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(3) जी हां। मैकेनिक/क्लीनर के पद होते हुए भी 7 जिला पूलों द्वारा बाजार से वाहनों की मरम्मत का कार्य कराया गया है। वर्षवार वाहनों की मरम्मत व किये गये भुगतान की राशि मय फर्म/व्यक्ति का विवरण परिशिष्ट ''ख'' पर संलग्न है।

(स्टेट मोटर गैराज मंत्री)

(4) पूल वाहनों की रूटिन एवं लघु मरम्मत कार्य तो मैकेनिक द्वारा किये जाते हैं, परन्तु बड़ी खराबियां जिला पूलों में सुसज्जित वर्कशॉप एवं हैल्पर आदि नहीं होने से बाजार से ही मरम्मत कार्य कराया जाता है। सीटों के कार्य, इलेक्ट्रिक वर्क, वेल्डिंग, डैंटिग, पेंटिग आदि कार्य भी तकनीकी कारणों से बाजार से कराये जाते हैं। अतः कोई दोषी नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

संस्कृत महाविद्यालयों में विषय अध्यापकों के रिक्त पद

829. श्री बनवारी लाल (धौलपुर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में किन-किन स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में संस्कृत वैकल्पिक विषय के रूप में संचालित है?

(2) क्या उन सभी महाविद्यालयों में संस्कृत विषय के अध्यापन के लिए व्याख्याता, रीडर या प्रोफेसर के पद स्वीकृत हैं? यदि हां, तो जहां-जहां संस्कृत वैकल्पिक विषय के रूप में संचालित है वहां-वहां पदस्थापित एकेडमिक स्टॉफ की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जिन डिग्री महाविद्यालयों में संस्कृत विषयाध्यापक का पद रिक्त है उस पर योग्यताधारी व्यक्ति का पदस्थापन कब तक कर दिया जावेगा व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य 77 राजकीय महाविद्यालयों में संस्कृत विषय संचालित है, सूची परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। सभी राजकीय डिग्री एवं पी.जी. महाविद्यालयों में संस्कृत विषय के अध्यापन के लिये व्याख्याताओं के पद स्वीकृत हैं। संस्कृत विषय में पदस्थापित व्याख्याताओं की सूची परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(3) जी हां, इस विभाग द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग को संस्कृत विषय व्याख्याताओं के 18 रिक्त पदों की र्थना भिजवाई गई है, जिस पर आयोग द्वारा चयन किया जा रहा है। आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में कैरियर एडवान्समैन्ट योजनान्तर्गत चयनित प्राध्यापक

830. **श्री कन्हैयालाल पाटीदार** (पिड़ावा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान के समस्त विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार कैरियर एडवान्समैंट योजना सहायक प्राध्यापकों, सह प्रध्यापकों के लिये लागू की गई है ? यदि हां, तो कब तथा इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देश क्या थे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में माह दिसम्बर, 2007 से फरवरी, 2008 तक कैरियर एडवासमैंट योजना के साक्षात्कार आयोजित किये गये ? यदि हां, तो किन-किन विषयों के अध्यापन कराने वाले प्राध्यापकों को कितनी-कितनी संख्या में सम्मिलित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि साक्षात्कार हेतु बुलाये गये सभी प्राध्यापक न्यूनतम चुने जाने योग्य मानदण्डों को पूर्ण करते थे ? क्या इन साक्षात्कारों में विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले प्राध्यापकों द्वारा विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट प्रदान की गई ? यदि हां, तो कैसे व कितनों को व नहीं, तो क्यों ? विवरण योगदान देने वालों को वरीयता सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि कुछ विभागों में पदस्थापित न्यूनतम निर्धारित मानदण्ड पूर्णकर्ता वरिष्ठ प्राध्यापकों का चयन नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। कैरियर एडवान्समैंट योजना 27 जुलाई, 1998 से एवं इस योजना के अन्तर्गत रीडर एवं प्रौफेसर पदनाम के साथ 19 मई, 2011 से लागू की गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-1 पद संलग्न है।

(2) जी हां। विषयवार सम्मिलित किये गये प्राध्यापकों की संख्या परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। जी नहीं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कैरियर

(उच्च शिक्षा मंत्री)

एडवान्समैंट योजना के अनुसार यह व्यक्तिगत पदोन्नति योजना है, जिसके अनुसार निर्धारित मानदण्ड पूरा करने वाले सभी प्राध्यापकों को पदोन्नति प्रदान की जाती है। अतः उत्कृष्ट योगदान देने वालों को वरीयता प्रदान करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । विभागवार पदोन्नत शिक्षकों की संख्या परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(4) कैरियर एडवान्समैंन्ट योजना के अन्तर्गत पदोन्नति हेतु गठित चयन समिति द्वारा जिन व्यक्तियों को न्यूनतम निर्धारित मानदण्डों को पूर्ण करने पर पात्र पाया गया, उन्हें पदोन्नति दे दी गई।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

संस्कृत विद्यालयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति

831. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि संस्कृत शिक्षा में गत 7 साल से तृतीय एवं द्वितीय वेतन श्रृंखला के लगभग चार हजार पद रिक्त हैं?

(2) संस्कृत शिक्षा में विद्यालई शिक्षा के लिए कितने पद द्वितीय तथा कितने पद तृतीय वेतन श्रृंखला के सृजित हैं और इनमें से कितने पद कब से रिक्त हैं?

(3) इन पदों को भरने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग को विज्ञापन कब तक भेज दिया जायेगा ?

(4) क्या सरकार जुलाई, 2008 के पूर्व रिक्त सभी तृतीय व द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के पदों की रिक्तियों पर नियुक्ति/पदस्थापन करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) संस्कृत शिक्षा विभाग में द्वितीय श्रेणी के 2120 पद तथा तृतीय श्रेणी के 6284 पद स्वीकृत हैं। रिक्त पदों से संबंधित सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) संस्कृत शिक्षा सेवा नियमों में संशोधन की कार्यवाही विचाराधीन है। नियमों में संशोधन होने के बाद ही रिक्त पदो को भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(4) उत्तर बिन्दु संख्या 3 के अनुसार है।

परिशिष्ट-1

संस्कृत शिक्षा विभाग में द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी रिक्त पदों की स्थिति:-

1. शिक्षा विभाग में द्वितीय श्रेणी रिक्त पदों की स्थिति:-

1. 2004-05 से पूर्व के रिक्त पद	224 पद
2. 17-3-2006 में क्रमोन्नति विद्यालयों के नवीन पद	38 पद
3. 26-6-2006 में नव आबंटित गणित विषयाध्यापकों के	12 पद
4. 26-6-2006 से क्रमोन्नत विद्यालयों के	71 पद
5. 3-10-2006 क्रमोन्नत विद्यालयों के लिये	38 पद
6. 28-11-2006 क्रमोन्नत विद्यालयों के लिये	11 पद
7. 16-7-2007 क्रमोन्नत विद्यालयों के लिये	900 पद
	1294 पद

2. तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पदों की स्थिति:-

1. 2004-05 से पूर्व के रिक्त पद	110 पद
2. 27-2-2006 को स्वीकृत पद	230 पद
3. 22-5-2006 को स्वीकृत पद	142 पद
4. 22-9-2006 को स्वीकृत पद	46 पद
5. 18-11-2006 को स्वीकृत पद	1800 पद
	3321 पद

केसरपुरा-काम्बेश्वर महादेव (सिरोही) सड़क मरम्मत पर व्यय

832. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सिरोही जिले में केसरपुरा से काम्बेश्वर महादेव सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है?

(2) सरकार द्वारा उक्त सड़क पर सिरोही जिले के क्षेत्र में गत चार वर्षों में कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त सड़क पर सिरोही जिले के क्षेत्र में गत 4 वर्षों में 7.22 लाख राशि व्यय की गई है। विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

परिशिष्ट–'अ'

केसरपुरा से काम्बेश्वर महादेव सड़क पर सिरोही जिले के क्षेत्र में गत 4 वर्षों में व्यय की गई राशि का विवरण

मद	व्यय					विशेष विवरण
	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	कुल	
वार्षिक मरम्मत किमी 0/0 से 5/800	0.57	-	-	-	0.57	पैच कार्य करवाये गये
विशेष मरम्मत किमी 5/800 से 7/300	-	-	-	6-65	6-65	नवीनीकरण कार्य करवाया गया
योग	**0-57**			**6-65-**	**7-22**	

पिछड़े क्षेत्रों की कृषि उपज मण्डी में भू-खण्ड आबंटन हेतु नीति

833. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें:-

(1) राजस्थान में नई भू-खण्ड आबंटन नीति कब से लागू की गई ? नई नीति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राजस्थान की सभी मण्डियों में एक ही आबंटन नीति है, जबकि भिन्न-भिन्न मण्डियों की भौगोलिक परिस्थिति भिन्न-भिन्न है?

(3) क्या सरकार आर्थिक रूप से सक्षम व पिछड़े क्षेत्र जैसे बज्जु, छत्तरगढ़ आदि रेतीले क्षेत्र के अनुरूप अलग-अलग आबंटन नीति बनाने का विचार रखती है, जिससे परिस्थिति अनुसार व्यापार स्थानान्तरण/विकास हो सके ? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान में नई अचल सम्पति आबंटन नीति, 2005 अप्रेल 2005 से एवं जिन्स विशिष्ठ मण्डियों हेतु निर्धारित प्रक्रिया दिनांक 27.8.2007 से लागू है । प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। राजस्थान की सभी मण्डियों में एक ही आबंटन नीति लागू है। आबंटन मण्डी के अनुज्ञापत्रधारियों को ही किया जाता है। यह राज्य में आबंटन में एकरूपता के लिए भी आवश्यक है।

(कृषि विपणन मंत्री)

(3) जी नहीं। आबंटन नीति व्यवहारिक एवं सभी क्षेत्रों के स्थानीय अनुज्ञापत्रधारियों के लिए प्रभावी है। व्यापार स्थानान्तरण हेतु प्रथम चरण में आबंटन, आबंटन की विज्ञप्ति जारी करने से पूर्व के गत 3 वर्षों में व्यवसायरत अनुज्ञापत्रधारियों को अनुज्ञापत्र की अवधि, टर्न ओवर एवं मण्डी शुल्क के भुगतान के आधार पर वरीयता बनाकर आरक्षित दर पर किया जाता है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

स्थगित प्रश्न

(शुक्रवार दिनांक 14 मार्च, 2008)

बारां जिले के अफीम उत्पादकों की फसल खराबा की रिपोर्ट

521. श्री प्रमोद जैन "भाया" (बारां) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां जिले की अटरू, छबड़ा एवं छीपाबड़ौद तहसीलों में वर्ष 2003-04 से वर्ष 2006-07 तक वर्षवार कितने-कितने क्षेत्रों में कितने-कितने अफीम उत्पादक किसानों की फसल प्राकृतिक कारणों से खराब हुई ? वर्षवार व ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त फसल खराबे की आंकलन रिपोर्ट तहसील अटरू, छबड़ा एवं छापीबड़ौदा द्वारा किस-किस दिनांक को जिला कलक्टर बारां को प्रेषित की गई ? तहसीलों द्वारा भेजे गये पत्र एवं प्रभावित किसानों की सूची सहित वर्षवार विवरण की सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला कलक्टर बारां द्वारा तहसीलों से प्राप्त रिपोर्ट को किस-किस दिनांक को सरकार को किस-किस अभिशंसा के साथ भिजवाई गई ? पत्रों एवं संलग्न दस्तावेजों की प्रति सहित वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा उक्त रिपोर्ट के आधार पर नारकोटिक्स विभाग या भारत सरकार को किस-किस दिनांक को क्या-क्या रिपोर्ट किस-किस पत्र से प्रेषित की गई पत्र एवं रिपोर्टों की प्रति सहित वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) भारत सरकार या नारकोटिक्स विभाग से क्या-क्या प्रत्युत्तर एवं पत्र उक्त अफीम फसल खराबे के संबंध में प्राप्त हुये एवं उन पर सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? पत्रों एवं कार्यवाही की प्रति सहित विवरण सदन

की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले की अटरू, छबड़ा एवं छीपाबड़ौद तहसीलों में वर्ष 2003-04 से वर्ष 2006-07 तक प्राकृतिक कारणों से अफीम फसल में निम्न

तहसील	वर्ष 2003-04		वर्ष 2004-05		वर्ष 2005-06		वर्ष 2006-07	
	बोया गया रकबा	खराबा	बोया गया रकबा	खराबा	बोया गया रकबा	खराबा	बोया गया रकबा	खराबा
अटरू	77	8	41	-	9	4	1	-
छबड़ा	338	-	145	23	70	-	57	27
छीपाबड़ौद	766	-	587	256	383	-	366	205

प्रकार खराब हुआ है- (रकबा हैक्टेयर में)

वर्षवार, ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) तहसील अटरू, छबड़ा, छीपाबड़ौद द्वारा अफीम फसल में खराबे की आकलन रिपार्ट/सूचना निम्न प्रकार जिला कलक्टर बारां को

क्र.सं.	वर्ष	अटरू	छबड़ा	छीपाबड़ोद
1.	2004-05	-	10 मार्च, 2005	31 मार्च, 2005
2.	2006-07	-	19 फरवरी, 2007	17 फरवरी, 2007

प्रेषित की गई-

तहसील द्वारा भेजे गये पत्र एवं प्रभावित किसानों की सूची परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। वर्ष 2003-04 एवं 2005-06 में तहसीलों अटरू में ओलावृष्टि से रबी फसलें प्रभावित हुई थी फसल अफीम में खराबा कम होने से पृथक से सर्वे नहीं किया गया

(3) अफीम फसल का नियन्त्रण नारकोटिक्स विभाग के अधीन होने के कारण उक्त तहसीलों से प्राप्त रिपोर्ट/सूचना राज्य सरकार को नहीं भेज कर सीधे ही नारकोटिक्स विभाग कोटा को निम्न प्रकार प्रेषित की गई-

(4) 1. 2004-05 तहसील छबड़ा से प्राप्त सर्वे रिपोर्ट दिनांक 18.3.2005 एवं तह. छीपाबड़ौद से प्राप्त सर्वे रिपोर्ट दिनांक 5.4.2005 को

(कृषि मंत्री)

नारकोटिक्स विभाग कोटा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई।

(5) 2. 2006-07 फरवरी, 2007 में ओलावृष्टि के कारण तहसील छबड़ा में अफीम फसल में खराबा हुआ जबकि तहसील छीपाबड़ौद में बेमौसम वर्षा के कारण अफीम की फसल में क्षति हुई दोनों तहसीलों की सर्वे रिपोर्ट दिनांक 20.2.2007 को नारकोटिक्स विभाग कोटा को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित की गई। भेजे गये पत्र व दस्तावेजों की प्रतियां परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। इन पत्रों/रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही की सूचना नारकोटिक्स विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-1

पढ़े हुए माने गये नियम 295 के तहत

विशेष उल्लेख के प्रस्ताव

निवाई-जामडोली सड़क को चौड़ा करने बाबत

महोदय,

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के निवाई से जामडोली (निवाई) विधान सभा बामनवास बास की सीमा पर स्थित है। परनतु निवाई से जामडोली तक सिंगल रोड बना हुआ है। इसमें जगह-जगह खड्डे हैं। जिससे आवागमन बाधित होता है। तथा यह रोड दो जिलों को जोड़ता है। जिसे दोनों तरफ से डामरीकरण कर 18 फीट रोड चौड़ा किया जाना न्यायोचित है। जिसमें जनता को आने जाने एवं अपनी फसल निवाई मण्डी तक लाने में आसानी होगी।

अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि निवाई से जामडोली तक रोड सार्वजनिक निर्माण विभाग से चौड़ा करवाया जावे।

सादर।

हीरालाल

(निवाई)

गर्ल्स सीनियर सैकण्डरी स्कूल रावत भाटा में विज्ञान विषय खोलने बाबत

महोदय,

चित्तौड़गढ़ जिले की बेगूं विधान सभा में रावत भाटा एक बड़ा कस्बा है। यहां राजस्थान एटोमिक पावर प्रोजेक्ट की इकाइयां भारी पानी संयंत्र राणा प्रताप सागर बांध विद्युत उत्पादन केन्द्र स्थापित है। यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र महाविद्यालय नगरपालिका 23 ग्राम पंचायतों से जुडी पंचायत समिति उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, सहायक अभियन्ता बिजली एवं जलदाय विभाग सार्वजनिक निर्माण विभाग आदि विभाग कार्यरत है यहां की जनसंख्या करीबन 60,000 है। यहां कई शिक्षण संस्थाएं भी कार्यरत है विज्ञान का युग है हमारी सरकार ने शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया है विशेषकर नारी शिक्षा पर छात्राओं को

अध्ययन में विशेष सुविधाएं प्रदान की है।

रावत भाटा में लड़कियों के लिए एकमात्र शिक्षण संस्था है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जहां कक्षा 6 से 12वीं तक कुल 530 छात्राएं एवं कक्षा 12वीं में 62 छात्राएं अध्ययनरत हैं किन्तु इस विद्यालय में विज्ञान विषय नहीं है जिसकी मांग लम्बे समय से आ रही है।

अतः मेरा अनुरोध है कि इस कस्बे में छात्राओं के हित को दृष्टिगत करते हुए विज्ञान विषय अगले शिक्षण सत्र में खोलकर अनुग्रहीत करें।

सधन्यवाद।

चुन्नीलाल धाकड़

(बेगूं)

पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद भरने बाबत

महोदय,

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में ग्रामीण क्षेत्र के दूर दराज के सभी श्रेणियों के विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हैं। पद रिक्त रहने का कारण दूराज के गांव जहां पर रहने सुविधा नहीं होने व आवागमन के साधन नहीं होने के कारण से अध्यापक बहुत ही कम संख्या में लगना चाहते हैं तथा दूसरी तरफ शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में स्वीकृत पदों से भी ज्यादा अध्यापक पद स्थापित हैं। शहरी क्षेत्र के चारों तरफ जो विद्यालय पक्की रोड से जुडे हुए हैं उन विद्यालयों में पद रिक्त नहीं हैं उन विद्यालयों में भी जितने पद स्वीकृत उससे ज्यादा ही अध्यापक कार्यरत मिलेंगे।

मान्यवर राजस्थान विधान सभा के इस पवित्र सदन में अध्यापकों का सम्मानीकरण करने की बात पर बहुत जोरों शोरों बहस हुई है। परन्तु आज दिन तक बच्चों की संख्या को देखते हुए अध्यापकों का पद स्थापन नहीं हुआ है, वर्तमान में राजस्थन में विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए 31 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक का पद स्थापन वर्तमान में किया जा सकता है। परन्तु देश आजाद होने के बाद आज दिन तक अध्यापकों की कमी की मार ग्रामीण क्षेत्र में तथा दूर दराज इलाके में रहने वाले विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। जबकि शहरी क्षेत्र में बच्चों की संख्या के अनुपात में अध्यापक ज्यादा लगे हुए हैं। शहरी क्षेत्र कि 30-35 किमी. की परिधि में रोड़ के ऊपर जो गांव है। उन विद्यालयों में भी बच्चों की संख्या के अनुपात से ज्यादा अध्यापक लगे हुए हैं।

मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली तहसील सूरतगढ़ व तहसील पीलीबंगा के विद्यालयों में जो पद रिक्त हैं। उन्हें विद्यार्थियों की संख्या को मध्येनजर रखते हुए 31 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक का पद स्थापन करने व साथ में राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी विद्यालय हैं, उसमें भी 31 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक का पद पदस्थापन करने की और पूरे राजस्थान में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में अध्यापकों का विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में सम्मानीकरण करने की मांग करता हूं। मुझे आशा है कि शीघ्र ही इस समस्या का समाधान किया जावेगा।

सधन्यवाद।

रामप्रताप कासनिया

(पीलीबंगा)

परिवहन जयपुर में अवैध/नियम विरुद्ध लिपिकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में

महोदय,

वर्ष 1985 में केन्द्र सरकार के जनगणना विभाग से कुछ लिपिकों को अवैध एवं नियम विरुद्ध तरीके से परिवहन विभाग, जयपुर में नियुक्ति/स्थानान्तरण पर लिया गया था। इस प्रकार की नियुक्ति/स्थानान्तरण के आधार पर नियुक्ति के प्रकरणों के सम्बन्ध में वर्ष 2002 में परिवहन विभाग द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी से जांच करवाई गई थी। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में इस प्रकार की नियुक्तियां/स्थानान्तरण को अवैध व नियम विरुद्ध बताया गया है लेकिन इसके बावजूद भी विभाग द्वारा अधिकारियों की मिलीभगत से उक्त दोषी पाये गये लिपिकों को अभी तक सेवा से पृथक करने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई जिससे राज्य सरकार को काफी वित्तीय नुकसान हो रहा है। इसलिये इन्हें अविलम्ब सेवा से पृथक किया जाए।

केन्द्र सरकार के जगनणना विभाग से अवैध रूप से परिवहन विभाग में स्थानान्तरण के आधार पर नियुक्त हुए लिपिकों को जांच रिपोर्ट में दोषी घोषित किये जाने के उपरान्त भी उन्हें सेवा से पृथक नहीं किये जाने से ऐसे लिपिकों ने विभागीय अधिकारियों के संरक्षण में मनमानी और दादागिरी शुरू कर दलित व महिला वर्ग के कर्मचारियों के साथ अभद्रता, स्पृश्यता एवं जातिसूचक टिप्पणियां की जाकर उनका शोषण करना आरम्भ कर दिया और आज दिन तक उनका सरेआम शोषण किया जा रहा है। जिससे इस वर्ग के कर्मचारियों में भय, असंतोष व रोष व्याप्त है और वे मानसिक अवसाद की

स्थिति में है।

अतः मैं परिवहन विभाग में कार्यरत दलित में महिला वर्ग के पीड़ित कर्मचारियों में व्याप्त भय व असंतोष से उत्पन्न स्थिति की ओर प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से माननीय परिवहन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

बाबूलाल नागर

(दूदू)

परबतसर को सहायता राशि व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के संबंध में

महोदय,

राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित कर अनुरोध है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र परबतसर की ग्राम पंचायत जावला के निवासी श्री अमराराम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की बटालियन नम्बर 31 की डी कम्पनी बैल्ट नम्बर 880925493 जिला बीजापुर दंतवाडा राज्य छत्तीसगढ़ में तैनात थे। ये दिनांक 18.02.2008 को जंगल नक्शली मुठभेड में मारे गये थे। इनका परिवार वर्तमान में भी पंचायत समिति परबतसर की ग्राम पंचायत जावला में निवास कर रहा है। इनके परिवार की ग्राम पंचायत जावला के शहीद अमराराम चौधरी के परिवाजनों में इनके अलावा अन्य कोई व्यक्ति परिवार का भरण-पोषण करने वाला नहीं है। इस शहीद के परिवारजनों द्वारा राज्य सरकार के संबंधित विभागों में निम्न प्रकार की सुविधायें मुहैया करवाने के लिये निवेदन किया है :-

1. शहीद अमराराम के नाम से इनकी ढाणी में शहीद अमराराम राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय खुलवाने बाबत।
2. राउमावि जावला पंचायत समिति परबतसर का नामकरण शहीद अमराराम राउमावि जावला के नाम से करवाने बाबत।
3. शहीद अमराराम के गांव से खेडीखीवसी तक 4 किलोमीटर डामर सडक निर्माण करवाने बाबत।
4. शहीद के परिवार कोराजस्थान आवासन मण्डल जयपुर के अधीन जयपुर शहर में ही निःशुल्क आवास आबंटन करवाने बाबत।
5. शहीद अमराराम के गांव में पेयजल के लिये नयी योजना

बनाकर गांव में पेयजल आपूर्ति करवाने बाबत।

6. शहीद के परिवार को राज्य सरकार से दी जाने वाली अन्य सुविधाएं दिलवाने बाबत।

अतः मैं इस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि शहीद अमराराम चौधरी को सम्मान दिये जाने व उनके परिवार को अतिशीघ्र ही सहायता दिलवाने की कृपा करावें।

राकेश मेघवाल

(परबतसर)

उदयपुर ग्रामीण विधान सभा खेत्र के तीन रा.उ.मा. विद्यालयों में जीव विज्ञान खोलने बाबत

उदयपुर ग्रामीण विधान सभा एक जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। इसमें अधिकांश परिवार जनजाति एवं आदिवासी तथा गरीब पिछड़े तबके के निवास करते हैं। इस क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने की जरूरत है। उसमें भी आज के वैज्ञानिक युग को देखते हुए विद्यालय में जीव विज्ञान वर्ग छात्रों को पढ़ाने की महत्ती आवश्यकता है।

मेरा निवेदन है कि इस विधान सभा क्षेत्र में 30 किलोमीटर की परिधि में उदयपुर शहर के अलावा किसी भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जीव विज्ञान वर्ग नहीं है। शहर में राजकीय गुरू गोविन्द सिंह उच्च माध्यमिक, राजकीय फतह उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय कंवरपदा उच्च माध्यमिक विद्यालय है जिनमें विज्ञान वर्ग पढ़ाया जाता है।

इस विधान सभा क्षेत्र के गरीब अभिभावक अपने प्रतिभावान बच्चों को निजी विद्यालयों में आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ा नहीं सकते हैं तथा शहर में दूरी होने से एवं छात्रों को साधन सुविधाएं मुहय्या नहीं करा सकने से अध्ययन नहीं करा सकते हैं। अतः आप उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के निम्नांकित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जीव विज्ञान वर्ग खोलने की कृपा करावें :-

1. राजकीय उच्च माध्यमिक पानेरियों की मादडी
2. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, आयड़
3. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भुवाणा

साथ ही पानेरियों की मादड़ी में कुछ भामाशाह द्वारा विज्ञान प्रयोग

शाला एवं उपकरण आदि बनाने एवं देने को तैयार हैं। उक्त विद्यालयों में विज्ञान वर्ग खोलने पर शहर में जो अधिशेष लगे हुए है उनका समायोजन इन विद्यालयों में हो सकेगा।

वन्दना मीणा

(उदयपुर)

राजस्थान पर्यटन विकास निगम की होटल चम्बल, कोटा को किराये पर दिये से उत्पन्न स्थिति के संबंध में

महोदय,

राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा कोटा में स्थित निगम की इकाई होटल चम्बल, कोटा जिसका एरिया 11565 वर्ग गज है और 1062 वर्ग गज निर्मित है जिसका बाजार मूल्य लगभग 100 करोड़ है। निगम ने गत वर्ष करीब 20 लाख रुपये इसके जीर्णोद्धार के लिए लगाये जिससे इसकी प्रतिवर्ष आय में बढोत्तरी हुई। बार के लिए कमरों की अग्रिम बुकिंग भी 2008/09 के लिए जमा करा दी गई और कमरो की अग्रिम बुकिंग 2008/09 के लिए हो गई। पर्यटन विभाग निगम किन्हीं अज्ञात कारणों से राजनैतिक दबाव में होटल चम्बल कोटा को मात्र 30,000 रुपये माहवारी किराये पर मै. निशा लेजर लि. दे रही है यह एक तरह से बेनामी बेचान है। होटल विकास निगम के उद्देश्यों में फुड क्राफ्ट के लिए कोई प्रावधान नहीं है फिर भी इस कार्य के लिए 30 वर्ष के लिए लीज दी जा रही है यहां यह उल्लेखनीय है कि मै. निशा लि. में ही 23/9/2007 को इस होटल के लिए प्रस्ताव भेजा था और उसी प्रस्ताव के अनुरूप निगम ने टेण्डर प्राप्त कर लिये हैं किस स्थान पर तथा किस तारीख को टेण्डर लिया जावेगा इसका कही पर भी उल्लेख नहीं है। निगम ने 3/12/2007 को इस होटल का मूल्यांकन करने हेतु टेण्डर जारी किया था किन्तु टेण्डर प्राप्त होने के पूर्व ही इन्होंने इस होटल के लिए लीज पर देने का टेण्डर मांग लिया जबकि किसी भी समाचार पत्र में इसका प्रकाशन नहीं करवाया गया। नियमानुसार दो समाचार पत्रों में टेण्डर का प्रकाशन किया जाना आवश्यक था। 5/2/2008 तक किसी भी पार्टी ने निगम में टेण्डर नहीं दिया एवं न ही धरोहर राशि जमा करवायी। इसे 12/3/2008 को तकनीकी प्रस्ताव को खोला गया जो मै. निशा लि. से प्राप्त हुआ था। अब वित्तीय टेण्डर के प्रस्ताव को खोलकर सारे नियमों को ताक में रखकर होटलों का निजीकरण करने एवं अच्छी आमदनी देने वाली होटल चम्बल को भी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए दिया जा रहा है।

अत: इस लोक महत्व के विषय पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए विशेष उल्लेख करते हुए जनता की सम्मति को सस्ते मूल्य पर खुर्द बुर्द करने के प्रयासों पर अंकुश लगाने के लिए निवेदन है।

सी. डी. देवल

(रायपुर)

शारीरिक शिक्षक ग्रेड-द्वितीय की नियुक्ति में अनियमितताओं के संबंध में

महोदयजी,

मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान उप निदेशक कोटा द्वारा शारीरिक शिक्षक ग्रेड-।। की नियुक्ति नहीं देने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

शिक्षा विभाग द्वारा शारीरिक ग्रेड-।। के लिए 6/8/1998 को विज्ञप्ति जारी की गई थी। उक्त विज्ञप्ति में पदों के लिए (बी.पी.ई. तीन वर्ष) के अभ्यार्थियों को नियुक्ति दी गई थी।

उप निदेशक कोटा द्वारा रिक्त पद नहीं होने के बावजूद वर्तमान रिक्त पदों के आधार पर कई अभ्यार्थियों को नियुक्ति दे दी गई और राम नागर जिसका वरीयता प्रतिशत 102.87 व अशोक नागर जिसका वरियता प्रतिशत 101 व वरीयता क्रमांक 19 व 25 पर संशोधित वरीयता सूची में नाम पहले होने पर भी उपनिदेशक माध्यमिक कोटा द्वारा सत्र 1998-99 की रिक्तियां नहीं होना बताकर नियुक्ति नहीं दी गई थी।

अत: मंत्री महोदय से निवेदन है कि श्रीराम नागर व अशोक नागर को नियुक्ति प्रदान की जावे।

धन्यवाद।

नरेन्द्र नागर

(खानपुर)

शहीद श्री राजाराम मेघवाल की राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 (जाडन-पाली) पर मूर्ति लगाकर स्मारक बनाने बाबत

महोदय,

राष्ट्र की रक्षा के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति के जिन लोगों ने

अपना त्याग व बलिदान दिया उन्हें अब तक इतिहास में उचित स्थान नहीं मिल सका है, महोदय हमारे राष्ट्र पर विदेशियों ने कई आक्रमण किये जिसमें अहम हल्दीघाटी में अकबर के साथ महाराणा प्रताप का महासंग्राम जिसमें चाहे महाराणा प्रताप के सेनापति हाकिम खान सूरी व भील, मिणा समाज की सेना ने अपने राष्ट्र के लिए युद्ध करते-करते शहीद हो गये। इसके अलावा देश की आजादी के लिए भी अंग्रेजों के विरुद्ध अनेकों युद्ध हुए हैं, उन सभी युद्धों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों ने भी राष्ट्र के लिए अनेक कुर्बानियां दी हैं। हम सन 1904/05 के मानगढ़ धाम, आनन्दपुरी, बांसवाड़ा के संघर्ष को नहीं भूला सकते जिसमें लगभग 3500 आदिवासियों ने बलिदान दिया लेकिन इतिहास के पन्नों में कहीं पर भी उनका उल्लेख नहीं मिलता है। इनकी याद में जलियांवाला बाग की तरह एक चिरस्थायी स्मारक बनाया जाये। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के भी कई लोग शहीद हुए। इसी तरह लगभग 500 वर्ष पूर्व पश्चिमी राजस्थान में श्री राजाराम मेघवाल ने राष्ट्र के लिए हंसते-हंसते अपने प्राणों का उत्सर्ग कर जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग में बलिदान दिया था। क्या यह उचित है कि ऐसे राष्ट्रभक्त मात्र जोधपुर दुर्ग की चारदीवारी में इतिहास बन कर रह जाये। इसका उल्लेख हमें जोधपुर रियासत द्वारा दिनांक 12/2/1890 में जारी इतिहास से सम्बन्धित पुस्तक गाइड टू जोधपुर में मिलता है।

महोदय, श्री राजाराम मेघवाल की जन्मभूमि से मैं चुनकर आया हूं और मेरा यह कर्त्तव्य है कि ऐसे राष्ट्रभक्त, त्यागी व बलिदानी महापुरुष को इतिहास में उचित स्थान मिले और हमें उनका बलिदान प्रेरणा देता रहे इसके लिये हम चाहते है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खारची के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-14 जाडन-पाली के चौराहे पर श्री राजाराम मेघवाल की आदमकद प्रतिमा लगवाकर स्मारक बनायें। मैं आपके माध्यम से सरकार से संरक्षण चाहूंगा कि तुरन्त प्रतिमा लगाने की स्वीकृति प्रदान करावें।

खुशवीर सिंह
(खारची)

कनिष्ठ लिपिकों की वेतन श्रृंखला 3050-4590 से संशोधित कर 4000-6000 करने के सम्बन्ध में

महोदय,

राज्य के मंत्रालयिक संवर्ग के कनिष्ठ लिपिकों के वेतनमान में

संशोधन करने की मांग लम्बे समय से की जा रही है तथा महंगाई के इस युग में परिवार का भरण-पोषण उक्त अल्प वेतनभोगी कनिष्ठ लिपिकों के लिये समस्या बन गया है।

इसी क्रम में अक्टूबर, 1998 में राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों से शासन के प्रतिनिधि द्वारा की गई वार्ता के उपरान्त कनिष्ठ लिपिकों को संशोधित वेतनमान 4000-6000 दिया जाना, जिन कनिष्ठ लिपिकों की सेवा वर्तमान संशोधन के प्रभावी दिनांक को 9 वर्ष से कम की है, उनके मामले में चयनित वेतनमान स्वीकृत करने हेतु सेवा की गणना संशोधन के दिनांक से ही करने, मंत्रालयिक संवर्ग के कनिष्ठ लिपिकों के अतिरिक्त पदों के वेतनमानों संशोधन सम्बन्धी प्रकरण वेतन विसंगति निराकरण समिति को रैफर करने तथा वेतनमानों में उपरोक्त संशोधन दिनांक 1.9.1998 से प्रभावशील किये जाने पर समझौता किया गया था लेकिन अत्यन्त दु:ख का विषय है कि उक्त समझौते को आज दिनांक तक लागू नहीं किया गया है।

अत: मैं अल्प वेतनभोगी कनिष्ठ लिपिकों की पीड़ा का निवारण करने हेतु उक्त समझौते को तत्काल लागू किये जाने हेतु प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

वीरेन्द्र बेनीवाल

(लूणकरणसर)

सरपंच, ग्राम पंचायत लांगड़ीवास, पंचायत समिति जमवारामगढ़, जिला जयपुर द्वारा पूर्व में आबंटित भूखण्डों के अवैध तरीके से दुबारा पट्टे जारी करने बाबत

महोदय,

वर्ष 1984 में ग्राम पंचायत लांगड़ीवास, पंचायत समिति जमवारामगढ़, जिला जयपुर द्वारा वहां कार्यरत राज्य कर्मचारियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाये जाने के उद्देश्य से नियम-266, राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत सामान्य नियम, 1961 के अन्तर्गत खसरा नम्बर-247, ग्राम लांगड़ीवास, पंचायत समिति जमवारामगढ़, जिला जयपुर की चरागाह भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित करवाकर शिव नगर, न्यू कॉलोनी (नई बस्ती)

आवासीय योजना बनाई गई थी।

उक्त आवासीय योजना में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लांगड़ीवास के प्रधानाध्यापक सहित विद्यालय के लगभग 28 कर्मचारियों ने भूखण्ड आबंटन हेतु आवेदन किया था, जिस पर दिनांक 25/8/1984 को आयोजित ग्राम पंचायत की बैठक में संकल्प संख्या-2 पारित कर आवेदित सभी प्रार्थियों को निर्धारित प्रक्रियानुसार शुल्क जमा कर पट्टे जारी करने का निर्णय लिया गया और उदाहरणार्थ इसकी क्रियान्विति करते हुए इनमें से आवेदित एक आवेदक को तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत लांगडीवास श्री हरिनारायण शर्मा द्वारा राशि 633.50/- जरिये रसीद संख्या-90 दिनांक 19.9.1984 जमा कर जरिये भूखण्ड संख्या-3, साइज 34½x50 क्षेत्रफल 252.7 वर्ग गज का पट्टा जारी कर मौके पर उपस्थित होकर कब्जा भी संभलाया गया था। इसी प्रकार अन्य आबंटियों को भी पट्टे जारी कर उनके आबंटित भूखण्डों का कब्जा संभला दिया था और भूखण्ड स्वामियों ने अपने-अपने भूखण्डों का कब्जा संभाल कर वहां डोले एवं चारदीवारी का निर्माण भी करवा लिया था।

श्री हरिनारायण शर्मा, सरपंच का कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात बनी सरपंच श्रीमती मनफूल देवी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भू-माफिया गिरोह से सांठ-गांठ कर योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्रपूर्वक कार्यवाही कर अवैध रूप से कतिपय व्यक्तियों से साजिश कर दुबारा फर्जी पट्टे जारी कर पूर्व आबंटित भूखण्डों पर अपने रिश्तेदारों के कब्जे करवा दिये। इस प्रकार अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों का अपने आवास का सपना चूर-चूर हो गया और वे आज दिन तक दर-दर भटक रहे हैं। क्या सरकार जालसाज तरीके से षडयंत्रपूर्वक दुबारा जारी किये फर्जी पट्टे को निरस्त कर विधिवत रूप से उनके मूल आबंटियों को उनके भूखण्डों का कब्जा सम्भालने का विचार रखती है? इस सम्पूर्ण प्रकरण की गहन जांच की जानी चाहिए और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही पीड़ितों को न्याय दिलवाया जाना चाहिए।

अतः मैं लोगों में व्याप्त रोष व असंतोष से उत्पन्न स्थिति की ओर प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से माननीय राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

डा. समरजीत सिंह

(भीनमाल)

नगरपालिका किशनगढ़ (अजमेर) को नगर परिषद में क्रमोन्नत करने बाबत

मान्यवर,

मैं सदन का ध्यान राजस्थान विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि गत 10-15 वर्षों में किशनगढ़ शहरी क्षेत्र में तीव्र एवं निरन्तर औद्योगिक विकास के कारण शहरी आबादी में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। वहीं नगरीय विकास में भी वृद्धि हुई है तथा आज शहरी आबादी की सीमाओं में भी विस्तार हुआ है। अतः किशनगढ़ शहरी क्षेत्र के सुनियोजित एवं संगठित विकास हेतु नगरपालिका को क्रमोन्नत कर नगर परिषद बनाने की मांग मेरे विधायकी काल में मेरे द्वारा एवं मेरी जनता द्वारा समय-समय पर मुख्य मंत्री महोदया एवं स्वायत्त शासन मंत्री महोदय के समक्ष की गई है।

मान्यवर, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार, स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/3/डीएलबी/83/1041-1066 दिनांक 08.06.1984 के द्वारा नगरपालिका अधिनियम 1959 (अधिनियम सं. 38 सन 1959) की धारा 8 के अन्तर्गत नगर पालिका किशनगढ़ को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित तिथि 16 जून, 1984 से नगर परिषद घोषित की गई। लेकिन राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-24/नियम/एलएसजी/92/4416-4474 दिनांक 17.12.1992 के द्वारा नगर परिषद किशनगढ़ को पुनः नगरपालिका बना दिया गया।

मान्यवर, इस संबंध में यह भी बताना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक 186/नियम/श्रेणी/डीएलबी/93/7/92 दिनांक 25.09.1993 के अनुसार, नगर परिषद के लिये एक लाख से अधिक जनसंख्या परन्तु पांच लाख से अधिक जनसंख्या नहीं, ऐसे नगरों में नगर परिषद की स्थापना की जा सकेगी।

अतः मान्यवर, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 की जनगणना को प्रकाशित किया जा चुका है। जिसमें नगरपालिका किशनगढ़ की जनसंख्या 1,16,222 घोषित की जा चुकी है, जो कि आज सात वर्ष की लम्बी अवधि बीत जाने पर निश्चित रूप से 10-15 प्रतिशत और भी बढ़ चुकी होगी। अतः आपसे निवेदन है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 8 के अधीन

नगरपालिका किशनगढ़ को नगर परिषद में क्रमोन्नत किया जाना उचित है। कृपया इस संबंध में शीघ्र क्रियान्वयन कर सक्षम स्वीकृति आदेश प्रदान करावें ताकि शहरी क्षेत्र किशनगढ़ में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था एवं पर्याप्त नगरीय मूलभूत सेवाओं का विस्तार हो सके।

भागीरथ चौधरी

(किशनगढ़)

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) मण्डोर रोड, जोधपुर में ख वर्ग दलालों हेतु आफिस एवं दलाल संघ कार्यालय हेतु भूखण्ड आबंटन बाबत

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मैं आपका ध्यान राजस्थान विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से आकर्षित कर जोधपुर स्थित राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि उपज मण्डी (अनाज), मण्डोर रोड में ख वर्ग दलालों के कार्यों हेतु आफिस निर्माण के लिए भू-खण्ड आबंटन करने एवं इसी वर्ग के दलाल संघ कार्यालय हेतु भू-खण्ड आबंटन का रिव्यू आदेश जारी करवाने हेतु निवेदन करती हूं।

मान्यवर, पूर्ववर्ती राज्य सरकार ने कृषि उपज मण्डी (अनाज) एवं फल सब्जी मण्डी दोनों मण्डियों में वर्षों से लम्बित समस्याओं के समाधान करवाने के उद्देश्य से प्रमुख शासन सचिव (कृषि) राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में मीटिंग मण्डोर मण्डी सभाकक्ष में रखी जिसमें 28 निर्णय हुए। जिसमें से ख वर्ग दलाल संघ के लिए हुए दो निर्णय को छोड़कर शेष निर्णयों को क्रियान्वित कर दिया गया। उन निर्णयों (राज्यादेश) के आदेशों को नई सरकार ने भी रिव्यू आदेश भी जारी किये गये हैं।

मुख्य मण्डी प्रांगण मण्डोर रोड जोधपुर में ख वर्ग दलालों के आफिस के लिये दस गुणा पन्द्रह वर्ग फीट साइज के 150 भूखण्ड यू व वी ब्लॉक्स के पीछे रिक्त पड़ी भूमि में से 212/- रुपये मासिक आबंटन शुल्क की दर से आबंटन किये गये। परन्तु उक्त राज्यादेश को राज्य सरकार ने 25 जून, 2004 को निरस्त कर दिया।

मैं आपको अवगत कराना चाहूंगी कि पूर्व में भी राज्य सरकारों ने मण्डी प्रांगण में व्यापारियों व ख वर्ग दलालों को आफिस एवं गोदाम बना कर

आबंटित किये हैं। और वर्तमान में तो ख वर्ग दलाल संघ ने मुझे व्यक्तिगत रूप से आश्वस्त किया है कि यदि सरकार भू-खण्ड आबंटित कर दे तो वे स्वयं के खर्चे पर निर्माण करवा लेंगे। अतः मेरी राज्य सरकार से मांग है कि दिनांक 01.09.2003 से पूर्व के अनुज्ञापन धारक ख वर्ग दलालों को आफिस निर्माण हेतु भू-खण्ड आबंटित करने की स्वीकृति जारी की जावें।

साथ ही इसी क्रम में मेरा निवेदन है कि मुख्य मण्डी प्रांगण मण्डोर रोड जोधपुर में ख वर्ग दलाल संघ कार्यालय हेतु 99 वर्ष की लीज पर भूखण्ड आबंटन के पूर्व के राज्यादेश को भी रिव्यू करवा कर भूखण्ड आबंटन के सक्षम आदेश अविलम्ब प्रसारित करावें। जिससे उक्त ख वर्ग दलालों को राहत एवं प्रोत्साहन मिल सके।

सधन्यवाद।

सूर्यकान्ता व्यास
(जोधपुर)

नोहर विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्टाफ की कमी

महोदय,

1. मेरे विधान सभा क्षेत्र में सभी स्तर के विद्यालयों तथा महाविालयों में स्टाफ की बहुत अधिक कमी चल रही है। महाविद्यालय में तो अन्य स्टाफ के साथ मैथेमेटिक्स टीचर की कमी चल रही है, जिससे पढ़ाई बाधित हो रही है।

2. मेरे विधान सभा क्षेत्र में सभी स्तर के विद्यालय कन्या विद्यालय, पंचायत मुख्यालय के विद्यालय क्रमोन्नत हुए वगैर रह रहे हैं, जिनकी सूची मैंने विभाग को दे रखी है, क्रमोन्नत करने की कृपा करें।

3. पंचायत हैड क्वार्टर पर माध्यमिक से ऊपर के लड़के एवं लड़कियों के विद्यालय पृथक होने चाहिये ताकि लडकियों अच्छे ढंग से पढ़ सकें।

4. मेरे संभाग के कृषि विषय विश्वविद्यालय बीकानेर में स्टाफ की भयंकर कमी है, जिससे पढ़ाई व अन्य कार्य बाधित हो रहे है, कृषि विश्वविद्यालय होते हुए भी कृषि इंजिनियिरिंग एवं डेयरी एवं फूड टेक्नोलॉजी कालेजेज भी नहीं है जिससे इस विश्वविद्यालय का फायदा इस पिछड़े एवं कृषि पशुपालन क्षेत्र के लिये न के बराबर है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि उक्त वर्णित कर्मियों को शीघ्र दूर करने की कृपा करें।

बहादुर सिंह

(नोहर)

कृषि उपज मण्डी, कुचामन सिटी में फल सब्जी मण्डी के चालू करने में किये जा रहे विलम्ब के संबंध में

महोदय,

कुचामन सिटी कृषि उपज मण्डी समिति में फल सब्जी मण्डी निर्माण कराई गई। जिसमें कुल व्यय 49.72 लाख रुपये व्यय हुए है। और यह निर्माण कार्य 15 अप्रेल, 2006 को पूर्ण हुआ। और इसका उद् घाटन भी किया जा चुका है। जिसके पट्ट वहां पर लगे हुए हैं। उद् घाटन के संबंध में मैंने विधान सभा में प्रश्न भी किया था लेकिन उत्तर देने में इसको छिपाया गया है। विधान सभा में भी सही जवाब नहीं भेजने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। 15 अप्रैल, 2006 को अब दो साल पूर्ण होने को जा रहे हैं। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद भी इतनी लम्बी अवधि में फल सब्जी मण्डी का उपयोग चालू न होना इस बात को दर्शाता है कि संबंधित अधिकारी लापरवाह हैं। जो आबंटन व्यापारियों एवं कृषकों को गोदाम व दूकान के भूखण्डों हेतु कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा दिनांक 15.11.2007 को हुआ है वह पहले भी हो सकता था। लेकिन जयपुर में इस प्रकार की पत्रावली पर अकारण ही विलम्ब करने का स्वभाव अधिकारियों का बना हुआ है। जो निर्देश काफी समय लगाकर कृषि उपज मण्डी कुचामन को दिये जाते हैं। यदि निर्देश जल्दी भेज दिये जाते हैं तो उस पर शीघ्र कार्यवाही होना सम्भव है। अब भी जिन व्यापारियों एवं कृषकों को दूकान व गोदामों का आबंटन किया गया है। उन्हें अभी तक आबंटन पत्र प्राप्त नहीं हुआ न टाइम बाउण्ड प्रोग्राम से उन्हें पाबन्द किया कि वे इनका निर्माण कब तक पूरा करा लेंगे। जो कृषक गोदाम व दूकान लेने के लिए पूर्व में पंजीयन नहीं करा पाये थे उन्होंने नये आवेदन भी दिये। उनका भी अभी तक निस्तारण नहीं किया है। और इस काम में कृषि विपणन बोर्ड जयपुर द्वारा गम्भीर उपेक्षा की जा रही है। इस कारण कृषि उपज मण्डी समिति कुचामन सिटी में फल सब्जी मण्डी से होने वाली मासिक आय का भी नुकसान हो रहा है। मैं इस विशेष उल्लेखित प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर अनुरोध कर रहा हूं कि कृषि उपज मण्डी समिति कुचामन सिटी में निर्मित फल सब्जी मण्डी को शीघ्र चालू कराया जाये। अब तक जिन अधिकारियों ने इसकी कार्यवाही करने में विलम्ब किया है उनको दण्डित कराया जाये।

हरीशचन्द्र कुमावत

(नावां)

माध्यमिक/उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण शेष रहे चुंगी कर्मचारियों की नियुक्ति ग्राम सेवक/पदेन सचिव के पद पर करने एवं शेष रहे चुंगी अधिशेष कर्मचारी जो प्राथमिक/उच्च प्राथमिक उत्तीर्ण को भी नियुक्ति देने बाबत

महोदय,

मैं आपके मार्फत माननीय पंचायती राज मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि कतिपय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण चुंगी अधिशेष कर्मचारियों को राज्य सरकार ने नियुक्ति दे दी हैं किन्तु अभी तक और भी चुंगी अधिशेष कर्मचारी शेष रह गये हैं जिनको काफी प्रयास करने के बाद भी नियुक्ति नहीं दी गई है इसके अलावा ऐसे भी चुंगी अधिशेष कर्मचारी हैं जो प्राथमिक/उच्च प्राथमिक उत्तीर्ण हैं उनको भी नियुक्ति दी जावे इसके अतिरिक्त चुंगी अधिशेष कर्मचारियों को वेतन वृद्धि नहीं दी जा रही हैं इनको वेतन वृद्धि दी जाय। चुंगी अधिशेष कर्मचारियों को पूरा वेतन भी नहीं दिया जा रहा है इनको पूरा वेतन दिलाया जाय। जिला सवाई माधोपुर ग्राम पंचायत बोली में कार्यरत चुंगी एवं सफाई कर्मचारियों की ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं इनका जो वेतन दिया जा रहा है वह न्यूनतम मजदूरी से भी कम है तथा ग्राम पंचायत को इनका वेतन भत्ता बढ़ाने/घटाने का अधिकार नहीं है। इसलिए इनके वेतन भत्ते बढ़ाये जाये तथा भविष्य में समय-समय पर इनको वेतन भत्ते बढ़ाने का पंचायतों को अधिकार दिया जावे।

अतः माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि उक्त अधिशेष कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति एवं आकस्मिक मृत्यु के बाद लाभ/परिलाभ नहीं दिये जा रहे हैं जो अब समस्त लाभ दिलाये जाने की व्यवस्था करें।

हीरालाल मीणा

(बामनवास)

अमरसिंह ब्रान्च के काश्तकारों पर नाजायज लगाई गई तवान राशि माफ करने बाबत

महोदय,

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत सदन

का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हनुमानगढ़ जिले के अमरसिंह ब्रान्च के काश्तकारों ने मांग की है कि पिछले 5-6 वर्षों से अकाल की मार झेल रहे काश्तकारों द्वारा एक करोड़ रुपये की नाजायज लगाई गई तवान राशि का भुगतान किया जाना उनके द्वारा कतई सम्भव नहीं है। अगर इन किसानों से उक्त नाजायज राशि मजबूरीवश जमा कराई जाती है तो 85 प्रतिशत कृषकों को अपनी जमीन बेचने अथवा रहन पर रखने को मजबूर होना पड़ेगा।

इस सम्बन्ध में मैं सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस शासनकाल में क्षेत्र के प्रभावशाली लोगों के दवाब में आकर सिंचाई अधिकारियों ने पानी कम करने के लिये अमरसिंह ब्रान्च के मोघों की सी.ओ.एफ. साइज परिवर्तन कर मोघे इतने ऊंचे लगा दिये कि पूर्व में जिन मोघों से लगभग एक घंटे में एक बीघा क्षेत्र में सिंचाई हो जाती थी बाद में उन्हीं मोघों से पांच घंटे में एक बीघा क्षेत्र की सिंचाई भी पूरी तरह से नहीं हो पाती है। क्षेत्र के कृषकों द्वारा बार-बार निवेदन करने के उपरान्त भी इन मोघों को सही नहीं किया गया। इस समस्या से तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता द्वारा मौके का निरीक्षण कर माना कि वास्तव में पहले से 5-6 गुणा पानी कम हो गया है इसके बावजूद इन मोघों को सही नहीं किया गया।

इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस प्रकरण में सिंचाई खण्ड द्वितीय के अधिशासी अभियन्ता के स्थान पर सिद्धमुख नहर परियोजना के तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता ने किसानों के साथ वार्ता कर इन गलत स्वीकृत कर लगाये गये मोघों को ठीक कराने का निर्णय लेकर इन मोघों को ठीक कराया गया तथा उसी निर्णयानुसार आज भी ये मोघे चल रहे हैं जो विभाग द्वारा तकनीकी रूप से दबाव में आकर लिये गये निर्णय की पुष्टि करते हैं। इस वार्ता में यह भी आश्वासन दिया गया कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि जिस मोघे से छेड़छाड़ की गई है वे वास्तव में उसी चक के किसान रहे होंगे।

तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड द्वितीय हनुमानगढ़ द्वारा मय पुलिस के साथ उक्त मोघों का बन्द कराने पर किसानों ने इसका विरोध किया तदुपरान्त उक्त अधिशासी अभियन्ता ने सभी मोघों की आबापाशी दर्ज कर 20 गुणा तवान लगाने के निर्देश प्रदान कर दिये जो क्षेत्र के कृषकों के साथ अन्याय है।

सहायक अभियन्ता द्वारा अमरसिंह ब्रान्च के 19 चकों, झांसल माईनर

के 2 चकों एवं छानीबडी माईनर के 3 चकों कुल 24 चकों पर लगभग एक करोड़ रुपये की नाजायज तवान राशि लगाई गई है। उक्त चकों की तवान पत्रावली पर अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड द्वितीय हनुमानगढ़ द्वारा कार्यवाही करते हुये 20 गुणा तवान राशि जो लगभग एक करोड़ रुपये बनती है वसूली करने के आदेश प्रदान कर दिये जो इन काश्तकारों के साथ अन्याय है।

अतः मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अकाल की मार झेल रहे इन काश्तकारों के विरुद्ध नाजायज लगाई गई तवान राशि माफ कराई जावे अन्यथा इन कृषकों को मजबूरी वश अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी जो उनकी रोजी रोटी एवं इनके परिवार के साथ अन्याय होगा।

डा. सुरेन्द्र चौधरी

(भादरा)

खण्डार विधान सभा क्षेत्र के चिन्हित ग्रामों के बी.पी.एल. परिवारों को लाभ नहीं मिलने बाबत

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत सवाई माधोपुर को अति पिछड़ा हुआ जिला मानते हुए लाभान्वित करने की स्वीकृति जारी की गई थी, एवं सभी ग्रामीण आवासों को पांच वर्षों में बिजली सुलभ कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजनान्तर्गत अविद्युतीकृत गांवों के लिए रुपये 6.50 लाख एवं अन्य ग्रामों के सघन विद्युतीकरण हेतु रुपये 1.00 लाख प्रति ग्राम का प्रावधान किया गया था। उन मापदण्डों के अनुरूप मेरा क्षेत्र खण्डार जो कि अति पिछड़ा क्षेत्र है, के बहुत से ग्रामों एवं ढाणियों को लाभान्वित करने हेतु चिन्हित किया गया, साथ ही गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान किया गया। भारत सरकार के ग्रामीण विद्युत निगम ने कुल कितनी राशि स्वीकृत की है एवं कौन-कौन से गांव एवं उनके बी.पी.एल. परिवार के लाभान्वित होने वाले सदस्यों की सूची अधिशासी अभियन्ता ज.वि.वि.नि. सवाई माधोपुर द्वारा संभी पंचायत समितियों एवं जनप्रतिनिधियों को न तो उपलब्ध कराई गई हैं और न ही उन्हें प्रकाशित किया गया है। इससे स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जिसकी आड़ में सहायक अभियन्ता के कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले गांवों के ग्रामीणों का काफी शोषण हो रहा है साथ ही विभाग की इसमें काफी अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं साथ ही संबंधित ठेकेदार भी उच्चाधिकारियों से साठ गाठ करके भारी भ्रष्टाचार व अनियमितताएं कर रहे

हैं, जिससे गांव के गरीब परिवार के सदस्यों को इसका समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है।

साथ ही खण्डार विधान सभा क्षेत्र जो कि अति पिछडा है, के सैकड़ों अविद्युतीकृत गांव हैं या बहुत से गांवों में विद्युतीकरण के पश्चात विद्युत लाइन चोरी हो या काफी वर्षों पूर्व ग्रामवासियों द्वारा बिलों के भुगतान नहीं करने के कारण उन गांवों की विद्युत लाइन विद्युत विभाग द्वारा उतार ली गई थी, जिससे आज भी ग्रामीणों को विद्युतीकरण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, और ना ही उक्त योजना में इन गांवों को शामिल किया।

अतः मेरा विशेष आग्रह है कि उक्त अविद्युतीकृत गांवों को इस योजना अन्तर्गत शामिल करते हुए पुनः विद्युतीकरण करने का कार्य त्वरित गति से किया जावे एवं चिन्हित गांवों के बी.पी.एल. परिवारों को सुलभता से इसका लाभ शीघ्र मिले इसकी पुंख्ता व्यवस्था, तथा जांच की जावे, एवं निरीक्षण व नियंत्रण की व्यवस्था को जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर प्रभावी बनाया जावे।

अशोक बैरवा

(खण्डार)

पिपराली ग्राम में 132 के.वी.ए. एवं बागाणा जोहड़ा, दीनारपुरा व तारपुरा में 33 के.वी.ए. विद्युत ग्रीड स्वीकृत करने बाबत

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये सीकर विधान सभा क्षेत्र में विद्युत समस्या को ध्यान में रखते हुये ग्राम पिपराली में 132 के.वी.ए. एवं बागाणा जोहडा, दीनारपुरा व तारपुरा में 33 के.वी.ए. विद्युत ग्रीड स्वीकृत करने के संबंध में निवेदन करना चाहूंगी।

विधान सभा क्षेत्र सीकर में कई गांवों मे आज भी बिजली की समस्या ज्यों की त्यों ही बनी हुई है। सीकर शहर में कई घंटों तक विद्युत कटौती हो रही है जिससे अनेक कार्य समय पर बाधित होते है। इसी प्रकार गांवों में तो और भी हालत खराब है वहां पर लगातार कई घंटों तक विद्युत कटौती की जा रही है जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है। लगातार हो रही विद्युत कटौती से आम जनजीवन पर तो फर्क पड़ता ही है साथ ही इसके अलावा खेती

पर भी काफी असर पड़ता है। फसलों में समय पर पानी नहीं दिये जाने से फसलों के खराब होने का डर बना रहता है। आये दिन गांवों के लोग इस समस्या को लेकर मुझसे मिलते रहते हैं। विद्युत समस्या को ध्यान में रखते हुये ग्राम पिपराली में 132 के.वी.ए. ग्रीड एवं बागाणा जोहडा, दीनारपुरा व तारपुरा में 33 के.वी.ए. ग्रीड की स्थापना किया जाना अति आवश्यक है।

अन्त में, मैं पुरजोर शब्दों में माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगी कि सीकर में विद्युत समस्या को ध्यान में रखते हुये ग्राम पिपराली में 132 के.वी.ए. एवं बागाणा जोहडा, दीनारपुरा व तारपुरा में 33 के.वी.ए. विद्युत ग्रीड की स्थापना करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यवाद। जय भारत।

राजकुमारी शर्मा
(सीकर)

सोजत सिटी में एडिशनल एस.पी. कार्यालय खोले जाने बाबत

महोदयजी,

मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि पूर्व में रियासत काल में जोधपुर महाराज उम्मेद सिंह के (कार्यकाल) शासन तक सोजत सिटी में सुपरिन्टेन्डेंट आफ पुलिस बैठा करता था जो पाली, जोधपुर व नागौर तक के क्षेत्रों को देखता था साथ ही यहां न्यायालय का भी यही क्षेत्राधिकार था अब वर्तमान में यह उप पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है जब कि वर्तमान में सोजत डीवाई एस.पी. के अधीनस्थ 7 थाने आते हैं, जिसमें सोजत सिटी मारवाड़ जंक्शन व मारवाड़ जी.आर.पी. इसके साथ बगड़ी सोजत रोड सिरियारी व शिवपुरा थाना आता है जबकि वर्तमान में बाली अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक व अधीनस्थ भी 7 थाने ही आते हैं, अतः सोजत की भौगोलिक स्थिति व इसकी जनसंख्या व क्षेत्राधिकार को देखते हुए यहां पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कार्यालय नितान्त आवश्यक है ताकि सोजत की जनता को इसका फायदा मिल सके और अपराधों पर भी अतिशीघ्र अंकुश लगाया जा सकता है।

अतः मेरी सरकार से यह आग्रह है कि सोजत सिटी में एडिशनल एसपी (ADC SP) का कार्यालय खेला जावे।

सधन्यवाद।

लक्ष्मी बारूपाल

(देसूरी)

वैदिक महिला महाविद्यालय, राजापार्क, जयपुर के प्रबंधक द्वारा शिक्षकों को हटाने बाबत

वैदिक महिला महाविद्यालय, राजापार्क, जयपुर के वर्तमान प्रबंधन द्वारा घोर वित्तीय व प्रशासनिक अनियमितताएं की जा रही हैं।

प्रबंधन की मनमानी तथा प्रशासनिक व वित्तीय अनियमितताओं का विरोध करने वाले छह शिक्षकों को प्रबंधन ने मनमाने ढंग से, नियमों का उल्लंघन कर सरकार की अनुमति प्राप्त किए बिना सेवा-मुक्त कर दिया है। ट्रिब्यूनल और न्यायालय के आदेशों के बावजूद उन्हें कार्य करने से रोका जा रहा है। प्रबंधकों ने ऐसा भय का वातावरण उत्पन्न कर दिया है कि अन्य शिक्षक उनकी अनियमितताओं का विरोध करने का साहस भी नहीं कर सकें। वर्षों से कार्य कर रहे स्थाई शिक्षकों को मनमाने तरीके से सेवा से हटा देना तथा वित्तीय व प्रशासनिक अनियमितताओं का गम्भीर मामला है।

वर्तमान प्रबंधन इस षडयंत्र में संलग्न हो गया है कि चलते हुए पाठ्यक्रमों को बंद कर दिया जाए, या उनमें प्रवेश लेने वाली छात्राओं की संख्या जानबूझकर कम की जाए। राजनीति शास्त्र में पी.जी. कक्षाओं के लिए सरकार की अनुमति व विश्वविद्यालय से संबद्धता मिल जाने के बाद भी कक्षाएं नहीं चलाई गई, ताकि वर्षों से कार्य कर रही एक स्थाई व्याख्याता को हटाने का षडयंत्र सफल हो सके। कॉलेज प्रबंधन की मंशा यह लगती है कि ऐसा वातावरण बन जाए कि कॉलेज बन्द कर दिया जाए, ताकि प्रबंधन बेशकीमती जमीन का व्यवसायिक उपयोग कर उसे कमाई का जरिया बना लें।

प्रबंधन द्वारा मनमाने तरीके से हटा दिए गए 6 स्थाई शिक्षकों को अविलंब वापस सेवा में लेने, भविष्य में ऐसी कोई कार्यवाही करने से प्रबंधन को रोकने, तथा वित्तीय व प्रशासनिक अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए अथवा कॉलेज में वर्तमान प्रबंधन की जगह प्रशासक नियुक्त किया जाना चाहिए।

नवरतन राजोरिया

(फुलेरा)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छोटी खाटू (नागौर) के पूर्व में स्थित

चिरघर को तोड़कर किये गये अतिक्रमण के क्रम में

महोदया, निवेदन है कि वर्तमान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छोटी खाटू जिला नागौर में सन 88, 89 पूर्व चिकित्सालय परिसर में एक चीरघर मौजूद था कालान्तर में उस चीरघर को वहां से समाप्त कर प्राय: कर दिया गया है। उक्त चिरघर श्रीमती परमेश्वरी देवी बजाज जिन्होंने राजकीय चिकित्सालय हेतु भूमि व भवन का निर्माण कर राज्य सरकार को सुपुर्द किया था तब उक्त चिकित्सालय परिसर में चिरघर मौजूद था दिनांक 8.7.89 को उक्त चीरघर तोड़ने पर तत्कालीन चिकित्सा प्रभारी अधिकारी छोटी खाटू ने पत्र क्रमांक 170/89 दिनांक 8-7-89 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु प्रथम सूचना रपट हेतु पुलिस थाना खुनखूना को प्रेषित किया था तथा पत्रांक 171/89 दिनांक 10.7.89 को रजिस्टर्ड पत्र संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अजमेर को विभागीय कार्यवाही हेतु सूचित किया।

विडम्बना है कि चिकित्सा विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। वर्तमान में चिकित्सालय परिसर में जहां चिरघर मौजूद था वहां किसी ने अपना कब्जा कायम कर रखा है।

वर्तमान में चिकित्सालय के नजरिये नक्शे को (ब्ल्यू प्रिन्ट) को ध्यान से देखा जाता है तो उक्त चीरघर के कब्जीत स्थान को खाली बताया गया है तथा राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा उस स्थान को चिकित्सालय परिसर से बाहर दर्शा दिया गया है जबकि राजस्व विभाग क अभिलेख में उक्त भूमि चिकित्सालय की है।

अत: मैं राज्य सरकार चिकित्सा विभाग और राजस्व विभाग का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छोटी खाटू (नागौर) में किये गये अतिक्रमण को शीघ्रातिशीघ्र हटवाकर चिकित्सा विभाग को सुपुर्द करने की कार्यवाही करें।

सुरेन्द्र सिंह राठौड़
(गंगानगर)

बडाबरा ग्राम, तहसील डीडवाना, जिला नागौर के बन्द पड़े हुए सार्वजनिक कट्टाणी रास्ता खुलवाने विषयक

महोदया जी,

निवेदन है कि ग्राम बडाबरा तह. डीडवाना जिला नागौर का

सार्वजनिक कट्टाणी रास्ता पिछले काफी समय से बन्द पड़ा था जिस पर ग्राम बडाबरा के जागरूक नागरिकों ने दिनांक 7.3.2007 को एक शिकायत जिलाधीश नागौर को प्रस्तुत की जिस पर दिनांक 4.8.2007 को नायब तहसीलदार डीडवाना ने बेदखली आदेश जारी किये गये परन्तु रास्ता अभी भी बन्द पड़ा है।

दिनांक 23.11.2007 व 12.3.2008 को फिर जिलाधीश नागौर को रास्ता नहीं खुलने की जानकारी देकर कार्यवाही की मांग की गई परन्तु कोई राहत नहीं मिली है।

विडम्बना है कि रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज कट्टाणी रास्ता होते हुए भी व बेदखली आदेश उपरोक्त दिनांक को होने के बाद भी वर्तमान में रास्ता बन्द पड़ा है। अतः मैं राज्य सरकार और राजस्व विभाग के मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निेवेदन करना चाहूंगा कि ग्राम बडाबरा में बन्द पडा कट्टाणी रास्ता जो पिड़वा से लिखाषण होते हुए किशनपुरा जाता है जिसे तुरन्त खुलवाया जाकर आमजन को राहत प्रदान करने की कार्यवाही करावें।

सांगसिंह भाटी

(जैसलमेर)

हाड़ौती संभाग में कुछ बैंक अधिकारियों, ट्रैक्टर डीलरों व एजेन्टों की मिलीभगत से किसानों को ओवर बिलिंग, फर्जी बिलिंग, फर्जी, दस्तावेजों के आधार पर ऋणजाल में फंसाने बाबत

मान्यवर,

उपरोक्त विषय के संबंध में निवेदन है कि गत कुछ वर्षों से हाड़ौती संभाग में कुछ टैक्टर कम्पनियों के ट्रैक्टर डीलर अपने एजेन्टस के माध्यम से तथा कुछ बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से किसानों को ऋणजाल में फंसा रहे हैं। इस संबंध में कोटा में बैकों की जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक 26.9.2006 में भी इस बात का मैं उल्लेख कर चुका हूं। किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर ओवर बिलिंग कर ज्यादा राशि वसूल करने की शिकायतें भी इस संभाग के झालावाड़ जिले में उजागर हुई हैं। प्रदेश में ट्रैक्टरों की कीमत सभी जिलों में एक समान है वहीं कोटा संभाग में इनको ओवर बिलिंग करके ट्रैक्टर डीलर मुनाफा कमा रहे है। अनेक प्रकरण इस प्रकार के भी हैं जहां बैंक द्वारा फर्जी नो-डयूज के आधार पर दूसरे बैंक से दोहरा ऋण किसानों को एजेन्टों के द्वारा दिलवाया गया है। एक ट्रैक्टर का ऋण चुकाया नहीं गया है वहीं उस

ट्रैक्टर के एवज में दूसरा ट्रैक्टर किसानों को दिलवा दिया गया है तथा किसान ऋणजाल में फंस गया है। किसान का ट्रैक्टर भी हाथ से निकल गया है और व कर्ज माथे पर चढ़ गया है। इस प्रकार किसान दलाल, डीलर व बैंक अधिकारियों के चंगुल में फंस गया है। अनेक किसानों की हिस्सा राशि जमा करवाने की हैसियत नहीं होने पर भी बैकों द्वारा कमीशन प्राप्त करने के चक्कर में डीलरों के माध्यम से ट्रैक्टर के साथ थ्रेसर, ट्राली व अन्य उपकरणों के फर्जी बिलिंग करके किसानों के हस्ताक्षर करवाकर व उपकरण नहीं देकर हिस्सा राशि की पूर्ति दिखा दी जाती है। यही कारण है कि ट्रैक्टर लेने वाले अनेक किसान बैंक के कर्जजाल में फंस गये हैं। किसानों को भूमि रोडा एक्ट के तहत कुर्क कर ली जाती है। बैंक द्वारा बाद में ऋणों की वसूली हेतु एजेन्टों को ठेका देकर दादागिरी के बल पर किसानों से राशि वसूल की जाती है व जबरन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं।

आवश्यकता है कि सरकार टैक्टर डीलरों व एजेन्टस द्वारा हाडौती के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों द्वारा बडी संख्या में की गई धांधली व फर्जी लोनिंग की उच्च स्तर पर जांच करवाये व दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जावे। जहां तक बैंकों में इस प्रकार की धांधली को रोका नहीं जावेगा वहां तक किसानों के नाम पर कर्जा माफ करने की योजना थोंथी ही साबिज होगी।

भरत सिंह

(दीगोद)

रेवदर विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन करना चाहता हूं कि रेवदर विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा समाधान हेतु अवगत करवाना चाहूंगा कि सरकार ने रेवदर विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में काफी सराहनीय कदम उठाये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय मेरे विधान सभा क्षेत्र की समस्याओं को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि बांट व भटाणा में भामाशाह द्वारा भवन भी बनाया हुआ तैयार है।

उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि बांट व भटाणा में खोलने की कृपा करावें ताकि जनता को चिकित्सा के क्षेत्र में फायदा मिलेगा उपाध्यक्ष महोदया सिरोडी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करवाने की कृपा करावें साथ ही उपाध्यक्ष महोदय रेवदर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जो कि मुख्यालय है।

अत: मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 30 बैड से 50 बैड करवाने की

कृपा करावें व रेडियोग्राफर का पद लम्बे समय से रिक्त है एवं ए.एन.एम. व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं है व्यवस्था करवाने की कृपा करावें तथा मण्डार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जनसंख्या को देखते हुए अतिरिक्त डाक्टर लगवाने की व्यवस्था करावें।

धन्यवाद।

जगसीराम कोली

(रेवदर)

उदयपुर मिनरल प्रा.लि. यूनिट को शहर के मध्य से हटाने के लिए

भीलवाड़ा शहर के मध्य उदयपुर मिनरल्स के नाम से एक फैक्ट्री चालू है। इस फैक्ट्री से भीलवाड़ा का रेलवे स्टेशन 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। इस यूनिट के चारों ओर आवासीय बस्ती बसी हुई है। फैक्ट्री में मुख्य रूप से सोप स्टोन के ग्राइण्डिंग का कार्य बड़ी बडी मशीनों से होता है। सोप स्टोन ग्राइण्डिग कार्य से बारीक-बारीक पाउडर उड़ता है तथा इससे बहुत ही ज्यादा प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण के साथ ही मशीनों की धड़धड़ाहट से आस पास के आवासीय मकानों में कम्पन्न भी होता है।

उदयपुर मिनरल द्वारा सोप स्टोन से पाउडर बनाया जाता है वह भी मशीनों द्वारा, इससे बहुत ज्यादा पाउडर उड़ने से प्रदूषण फैल रहा है। आस पास के मकानों की छतों पर पाउडर जम जाता है। आस पास रहने वाले व्यक्तियों को सास लेने में भी दिक्कत होती है। इससे आराम की जिन्दगी भी आस पास के निवासी नहीं जी पा रहे हैं।

भीलवाड़ा एक जिला मुख्यालय है तथा यहां बड़े-बड़े उद्योग स्थापित होकर कार्यरत है। किन्तु उक्त सोप स्टोन फैक्ट्री के अलावा कोई सा भी उद्योग शहर के मध्य स्थित नहीं है। भीलवाड़ा में औद्योगिक एवं रिको एरिया भी है। जहां अनेक उद्योग लगे हुए हैं। उक्त सोप स्टोन फैक्ट्री के ग्राइण्डिंग कार्य से होने वाले प्रदूषण को रोकने हेतु इस स्थान से इस यूनिट को हटाना भी आवश्यक है। इससे आम जन को राहत मिलेगी।

सुभाषचन्द्र बहेड़िया

(भीलवाडा)

बाड़मेर एवं जैसलमेर के प्रत्येक राजस्व गांव में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की मांग

महोदय,

बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों की विशेष भौगोलिक स्थिति एवं जनता की गरीबी को देखते हुए इन दोनों ही जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं काफी कम हैं। मैं राज्य सरकार को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरकार ने प्रारम्भ में ही मार्च 2004 में ही 570 एएनएम का विशेष पैकेज बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों को देकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में राहत प्रदान की है।

इन दोनों ही जिलों बाड़मेर एवं जैसलमेर के प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामान्यत एक ही उप स्वास्थ्य केन्द्र है जबकि एक ग्राम पंचायत में औसतन 7 या 8 राजस्व गांव आते हैं तथा एक गांव से दूसरे गांव की दूरी सामान्यत 10 से 15 किलोमीटर है। जनता की गरीबी, अशिक्षा एवं उचित पोषाहार के अभाव में गांवों एवं ढाणियों में बीमारियों भी काफी रहती हैं।

अतः सरकार से अनुरोध है कि बाड़मेर एवं जैसलमेर की विशेष भौगोलिक स्थिति को तथा गरीबी को मध्यनजर रखते हुए बाड़मेर एवं जैसलमेर के प्रत्येक गांव में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्रदान करावें।

डा. जालम सिंह रावलोत
(शिव)

उप स्वास्थ्य केन्द्र सेनावासा तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम सेनावासा में उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है किन्तु मरीजों की संख्या अधिक होने से व आस-पास के 15 कि.मी. की दूरी पर कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है।

महोदय यदि उप स्वास्थ्य केन्द्र सेनावासा को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाता है तो इससे आस-पास के निम्न ग्रामों पंचायतों की

क्र.सं.	**ग्राम पंचायतों के नाम**	**जनसंख्या**
1.	ग्राम पं. सेनावासा, उदपुरा, गरनावट, जैथोरपाडा, सेनावासा	5,500

क्र.सं.	ग्राम पंचायतों के नाम	जनसंख्या
2.	ग्राम पं. बडलिया टिम्बा-गामडी, नौखा, टांटिया, बडलिया	5000
3.	ग्राम पं. कुवानिया लाम्बाधाटा, चुनाखूरा, कुवनिया	6500
4.	ग्राम पं. अमरथून भंवरवोड, भीमपाडा, अमरथून	5000
5.	ग्राम पं. पडौली गोर्धन बिजौर, सागथली, जैदला, पडौली गोर्धन	5300
6.	ग्राम पं. सुरपुर भगतपुरा, शाहपुरा पडौसी गांव वनाला, सुरपुर	5200
	कुल योग 22 गांवों की जनसंख्या	32500

जनता लाभान्वित हो सकेगी।

जनसंख्या विवरण

अत: मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र सेनावासा को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में किया जावे ताकि अधिक से अधिक आदिवासी क्षेत्र में जनता लाभान्वित हो सके तथा मरीजों उप स्वास्थ्य केन्द्र से सुगम सुविधा मिल सकेगी।

अत: माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय व माननीया मुख्य मंत्री महोदया की सेवा में आपके माध्यम से जानकारी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं।

नवनीतलाल नीनामा

(घाटोल)

जोधपुर उपभोक्ता होलसेल भण्डार में कार्यरत कार्मिकों को पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सुविधाएं एवं वेतन भत्ते प्रदान करने बाबत

महोदय,

सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं सहकारिता मंत्रीजी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि इनके दृढ़ संकल्प एवं इच्छा शक्ति के कारण राजस्थान में सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराये एवं इसके अतिरिक्त संस्थाओं को मजबूत व सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं जो सराहनीय है।

मान्यवर इस सरकार ने जिस प्रकार से राज्य के कर्मचारियों को नियुक्ति पदोन्नतियां, वेतन विसंगतियों एवं कर्मचारियों की अन्य समस्याओं के समाधान की दिशा में कार्य किया है, वह इस सरकार के अतिरिक्त अन्य नहीं कर सकता। अभी हाल ही में पैराटीचर्स, लोक जुम्बिश कार्यक्रम से जुड़े कार्मिकों को, पैरा मेडिकल स्टाफ एवं अन्य कई विभागों के अनियमित कार्मिकों को नियमित कर युवाओं/कर्मचारियों को नियमित करते हुए राहत प्रदान की है।

उपाध्यक्ष महोदय इसी क्रम में माननीय सहकारिता मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर उपभोक्ता होलसेल भण्डार के अधीन कई कर्मचारी फर्माशिष्ट के पद पर अनुबन्ध के आधार पर कार्यरत हैं। इन कार्मिकों के पास इस पद हेतु वांछित योग्यता हैं एवं कार्मिक विभाग ने भी इन्हें नियमित नियुक्ति हेतु सहमति प्रदान कर दी है। कृपया इन अनुबन्ध के आधार पर कार्यरत फर्माशिष्ट कार्मिकों को भी अन्य विभागों की तरह नियमित करते हुए राहत प्रदान करावें। इसके अतिरिक्त मैं यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि जोधपुर उपभोक्ता होलसेल भण्डार में कार्यरत कार्मिक आज भी पांचवें वेतन आयोग से वंचित हैं। कृपया इन कार्मिकों को भी पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सुविधाऐं एवं वेतन भत्ते प्रदान करावें ताकि ये अल्पवेतन भोगी कर्मचारी अपने परिवार का पालन पोषण कुछ ढंग से कर सकें।

धन्यवाद।

मोहन मेघवाल

(सूरसागर)

भवानी मण्डी में ए.डी.जे. कोर्ट खोलने के संदर्भ में

माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

मेरे विधान सभा भवानी मण्डी में ए.डी.जे. कोर्ट खोलने के लिए निवेदन करना चाहती हूं। क्योकि झालावाड़ एक बार जाने में 500 रुपये खर्च हो जाते हैं। डग विधान सभा का सालस्ट गांव परापीपली झालावाड़ से 160 किलोमीटर दूर पड़ता है और दूधालिया 110 किलोमीटर इसी तरह रोड़ के आस-पास के गांव भी झालावाड़ से काफी दूर पड़ते है। वहां के क्लाईन्ट सुबह चलकर भी तारीख पेशी की सेम डे समय पर नहीं पहुंच सकते उनकी आवाज पड़कर रह जाती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य

मंत्रीजी एवं लॉ मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि भवानी मण्डी में एडेजी कोर्ट खोलने की कृपा करें। यदि हमारी सरकार स्थाई रूप से एडीजे कोर्ट नहीं खोलने का मानस रखती है तो प्रति सप्ताह दो-दो दिन का कैम्प भी यदि लगाने का सरकार प्रावधान कर देती है तो मेरे क्षेत्र की जनता को बहुत फायदा मिल सकेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय एडीजे कोर्ट चलाने के लिए हमारे पास बिल्डिंग भी उपलब्ध है। जो हमारे सांसद साहव श्री दुष्यन्त सिंहजी ने बनवाई थी इसके लिए हाईकोर्ट ने भी सरकार को लिखा हुआ है। कई कैसेज मेरे डग विधान सभा क्षेत्र झालावाड़ में चल रहे हैं जो इस प्रकार हैं :-

1. 40 सेंशन केस हैं।
2. 35 फौजदारी अपील में हैं।
3. 20 रैगुलर सिविल केस है।
4. मोटर एक्सीडेन्ट केस 50 हैं।
5. एन.डी.पी.एस. के 30 केस हैं।
6. इस तरह के अन्य केस है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं लॉ मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे क्षेत्र की जनता की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए भवनी मण्डी में एडीजे कोर्ट खोलने की कृपा करें।

सधन्यवाद ।

स्नेह लता
(डग)

भीलवाड़ा में नगर विकास न्यास की ओर से पत्रकारों के लिए भूखण्ड आबंटन के सम्बन्ध में

महोदय,

प्रेस लोकतंत्र का चतुर्थ स्तम्भ है। पत्रकारों को बेहतर जीवन जीने की ओर सुविधाऐं उपलब्ध कराना लोकतांत्रिक सरकार का दायित्व है। महोदय मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान भीलवाड़ा में नगर विकास न्यास की ओर से पत्रकारों के लिए भूखण्ड आबंटन के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहूंगा। न्यास द्वारा पांच वर्ष पूर्व आवेदन मांगे गए थे । उनमें से पात्र करीब 60 आवेदकों

को गत वर्ष भूखण्ड आबंटित किये गए हैं। महोदय, न्यास द्वारा पत्रकारों को 125 भूखण्ड आरक्षित किये गये हैं। पहले चरण के आबंटन के बाद भी राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर सहित विभिन्न समाचार पत्रों व इलैक्टोनिक मीडिया के कई पत्रकारों को अब तक भूखण्ड आबंटित नहीं हुए हैं। न्यास के पास भूखण्ड होने के बावजूद भी वंचित पत्रकारों को भूखण्ड आबंटन के लिए दूसरे चरण के आवेदन मांगने में विलम्ब किया जा रहा है।

महोदय, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को वंचित रहे पत्रकारों को नियमानुसार भूखण्ड आबंटित करने के निर्देश शीघ्रातिशीघ्र प्रदान करें। ऐसा कर सरकार, जनता की सेवा में लगे पत्रकारों को संबल प्रदान करेगी।

महोदय, जिला मुख्यालय के साथ ही सरकार उपखण्ड एवं तहसील स्तर के अर्थात ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों को भी भूखण्ड आबंटन करने की प्रक्रिया प्रारम्भ करे।

सादर,

कैलाश त्रिवेदी

(सहाड़ा)

कृषि उपज मण्डी अधिनियम में राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गोशालाओं को सहायता देने के संबंध में

महोदय,

भारत सरकार द्वारा राजस्थान सहित सभी अन्य राज्यों के कृषि मंत्रियों एवं राजकीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कृषि उपज मण्डी अधिनियम के संबंध में विचार-विमर्श कर सभी प्रान्तों के लिए एक मॉडल एक्ट का प्रारूप तैयार कर सभी सरकारों को भेजा गया था । भारत सरकार की यह मंशा रही है कि राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त गोशालाओं को कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा नियमित रूप से कानून बनाकर पुन: अपने पैरों पर खड़े होने एवं व्यवस्थित रूप से कार्य कर सके इस उद्देश्य के लिए मण्डी टैक्स में से कुछ राशि देने का प्रावधान किया था किन्तु राजस्थान की सरकार ने उस प्रावधान को जानबूझकर हटा दिया इससे गोशालाओं की स्थिति बद से बद्तर हो रही है। इस हेतु कृषि विपणन विभाग द्वारा राज. कृषि उपज विपणी अधिनियम (संशोधित) बिल 2004 तैयार किया जिसमें मॉडल अधिनियम को जस का तस प्रस्तावित किया । प्रारूप में धारा 9 में उपधारा 3 के खण्ड 4 में मण्डी समितियों के एच्छिक कृत्यों में मॉडल एक्ट के प्रावधानुसार को शामिल

किया गया ।

विधान सभा में संशोधन पेश करने से पूर्व विभाग द्वारा प्रस्तावित इस महत्वपूर्ण अंश को हटा दिया गया व पुनः राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम (संशोघित) बिल-2005 का प्रारूप पूर्व में तय प्राइज़ के प्रारूपकरण में बदलाव के पश्चात तैयार किया गया । कृषि मंत्री स्तर पर किया गया यह कृत्य संविधान निर्माताओं द्वारा नीति निर्देशक तत्व भाग-4 के अनुच्छेद 48 के प्रावधानों के विपरीत था जबकि देश के सर्वोच्च कानून की पालना का दायित्व उन पर था। कोई भी सरकार इसके प्रतिकूल नहीं जा सकती क्योंकि इससे संविधान की मंशा की पूर्ति बाधित होती है। कृषि विभाग की चर्चा के बाद मॉडल एक्ट बना गोशालाओं को आर्थिक सहायता का दायित्व भी मात्र एच्छिक था, विभाग द्वारा उसे प्रारूप में शामिल भी कर लिया गया फिर भी मंत्री महोदय की क्या मजबूरी थी कि इस एच्छिक प्रावधान को भी हटवाया गया। यदि यह प्रावधान शामिल रहता तो हिंगोनिया गोशाला जैसे प्रकरण ना होते, जैविक कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग, रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव व मण्डी समितियों द्वारा देशी घी पर शुल्क लिये जाने के बावजूद इस महत्वपूर्ण अंश को हटाया गया । क्यों ?

एक संस्था द्वारा जनमत संग्रह करने पर सदन के अधिकांश सदस्यों ने पूर्ण सहमति अभिव्यक्त की। अतः केन्द्रिय प्रावधानों की उपेक्षा कर राज्य सरकार ने जो गोशालाओं के लिए कृषि उपज मण्डी अधिनियम के प्रावधानों में सहायता का प्रावधान हटाकर अनुचित कार्य किया है। इससे गोरक्षकों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। अतः अधिनियम में गोशालाओं की सहायतार्थ बनाये गये प्रावधान को जोड़ा जाये।

हरिमोहन शर्मा
(हिण्डौली)

खेतड़ी में स्वामी विवकानन्द स्मारक निर्माण के संबंध में

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि 7 अगस्त, 1891 को स्वामी विवेकानन्द जी खेतड़ी को स्टेट के तत्कालीन राजा अजीत सिंह खेतड़ी में लेकर आये थे। स्वामी विवेकानन्द जी करीब पांच महीने राजा जी के सानिध्य में खेतड़ी में रहे। स्वामीजी ने खेतड़ी में व्याकरण की शिक्षा प्राप्त की। वहीं राजा अजीत सिंह को पदार्थ विज्ञान का अध्ययन कराया। स्वामी जी की

सम्मति से खेतड़ी में उस समय एक लेबोरेटरी स्थापित की गई। छोटे होने पर भी लेबोरेटरी में आवश्यक सभी उत्तम यन्त्र एकत्रित किये गये थे। महल की इस छत पर टेलीस्कोप भी लगाया गया था, जिसमें तारामण्डल का अध्यक्ष राजा जी को कराते थे। इस तरह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अभिरूचि जागृत करने एवं उसका विकास करने वाले स्वामी जी ही थे।

मान्यवर, स्वामी जी की प्रधान कार्यस्थली खेतड़ी रही है। विश्व प्रसिद्ध रामकृष्ण मिशन सूचना केन्द्र खेतड़ी ही था। उनके गुरू भाइयों व अनुज महेन्द्रनाथ दत्त को भी खेतड़ी से स्वामीजी की गतिविधियों कार्यकलापों का ब्यौरा मिलता था। रामकृष्ण मिशन के सेवा और शिक्षा उद्देश्यों का बीजारोपण भी राजस्थान से ही हुआ। अकाल सेवा कार्य 1899 ई. में (1956 वि.सं. छपनिया काल) किशनगढ़ से ही प्रारम्भ किया गया था। 1893-97 ई. की अवधि में जब स्वामी विदेश में भारतीय संस्कृति, हिन्दू धर्म को प्रकाश में लाने में लगे हुऐ थे उनके बारे में सारी सूचनाऐ सीधे खेतड़ी भेजी जाती थी। खेतड़ी में राजा अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानन्द जी को अपने राजभवन के सर्वोच्च महल में ठहराया था। एक दिन खेतड़ी के राजपण्डित ने सन्यासी की कोपीन राजभवन पर सूखती देखकर राजा से कहा महाराज। मेरी बात मानें तो सन्यासी को रात-दिन राजभवन में रखना अच्छा नहीं। जहां सन्यासी की कोपीन सूखती है वहां राजलक्ष्मी निवास नहीं करती। राजभवन मठ बन जाता है। राजा अजीत सिंह ने बड़े सहज भाव से उत्तर दिया मुझे राजलक्ष्मी से भी अधिक यह कोपीन सुहाती है। इस राजभवन को मठ देखना चाहता हूं ।

इन बातों को युग बीत गया। कालान्तर पश्चात राजा अजीत सिंह का वह वचन सत्य सिद्ध हुआ। राजस्थान के एक सपूत के सतप्रयास से यह राजभवन मठ बन गया। जिस स्थान पर स्वामी विवेकानन्द जी रहे हों, और राजा अजीत ने राजभवन को ही मठ बना दिया, उस स्थान की उपयोगिता या महत्त्व को राज्य सरकार को समझना चाहिए। यह स्थान आज उपेक्षित है। राज्य सरकार ने उदयपुर के नवलखा महल को जिस ढंग से विकसित किया है। और स्वामी विवेकानन्द जी की स्मृति को चिर स्थायी बनाया है उसी प्रकार खेतड़ी के किले को संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाए।

धन्यवाद ।

दाताराम गुर्जर

(खेतड़ी)

संस्कृत शिक्षा विभाग में क्रमोन्नत किये गये विद्यालयों में संदेय स्टाफ की स्वीकृति तत्काल जारी करने बाबत

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम सं. 295 के अन्तर्गत माननीय मुख्य मंत्री जो वित्त मंत्री भी हैं उनका एतदद्वारा विशेष उल्लेख कराना चाहता हूं कि :-

राज्य सरकार ने वर्ष 2004-05 में संस्कृत शिक्षा के अन्तर्गत 6 संस्कृत मिडिल स्कूलों को प्रवेशिका (सैकण्डरी), 5 प्रवेशिका सैकण्डरी विद्यालयों को (सैकण्डरी) वरिष्ठ उपाध्याय स्तर पर पर क्रमोन्नत किया गया था। इसी प्रकार गनौडा (बांसवाड़ा) व चिराणा (झुंझुनूं) के शास्त्री कॉलेजों को आचार्य स्तर पर क्रमोन्नत किया गया था तथा तितरिया (जयपुर) एवं सालासर (चूरू) में शास्त्री कॉलेजों की स्थापना का आदेश दिया गया था किन्तु उक्त विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अपग्रेड करने के बाद भी अब उक उनके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा संस्कृत विश्वविद्यालय के नॉर्म्स के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ के पद आबंटित नहीं किये जा सके हैं और यह मामला सीधा वित्त विभाग से संबंधित है।

पदों के अभाव में गत चार सत्रों (2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08) से वहां जिस उद्देश्य से क्रमोन्नति की गयी थी, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है और छात्रों को पब्लिक परीक्षाओं में विफल होना पड़ रहा है जिससे छात्रों एवं जनता में तीव्र असंतोष है।

कारण कुछ भी रहे हों किन्तु परिलक्षित यह होता है कि शिक्षा एवं वित्त विभाग में सामंजस्य नहीं है। अत: मा. अध्यक्ष महोदय के माध्यम से जो राज्य के मुख्य मंत्री होने के साथ-साथ वित्त मंत्री भी है, का ध्यान इस समस्या के समाधान के लिए आकर्षित किया जा रहा है और अनुरोध है कि उक्त 2 आचार्य कॉलेजों, 2 शास्त्री कॉलेजों, 5 वरिष्ठ उपाध्याय वियालयों तथा 6 प्रवेशिका विद्यालयों की क्रमोन्नति के फलस्वरूप संदेय स्टाफ चालू वर्ष में ही प्रदान कराये जाने की व्यवस्था अपेक्षित है।

हेमराज मीणा

(किशनगंज)

संस्कृत कालेज भवन, सालासर हेतु भूमि आबंटन बाबत

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों

के नियम सं. 295 के अन्तर्गत मैं मा. राजस्व मंत्री महोदय का ध्यान जिला कलक्टर, चूरू द्वारा सालासर, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, तहसीलदार तथा एस.डी.एम. द्वारा संस्कृत कॉलेज भवन सालासर (चूरू) के लिए प्रस्तावित 10 बीघा सिवायचक भूमि का आबंटन अभी तक भी नहीं किया गया है, जबकि प्रस्ताव जिला प्रशासन में गत लम्बे अर्से से लम्बित है और कॉलेज भवन के लिए भूमि के अभाव में सेठ बिलायती रामजी, हरियाणा निवासी तथा दिल्ली निवासी द्वारा दी गई 90 लाख की धनराशि उपयोग में नहीं आ रही है तथा छात्रों, अध्यापकों एवं कक्षाओं के अतिरिक्त साज-सामान अध्यापन उपकरण, प्रयोगशाला आदि की 5 लाख से अधिक की सामग्री तथा फर्नीचर बर्बाद हो रहा है।

अतः एतद्द्वारा माननीय राजस्व मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए अनुरोध करना चाहता हूं कि संस्कृत कॉलेज, सालासर के लिए ग्राम पंचायत, तहसील व सब-डिविजनल आफिसर कार्यालय से प्रस्तावित 10 बीघा भूमि का आबंटन तुरन्त प्रभाव से कराये जाने की कार्यवाही होनी चाहिए ताकि वहां यूनिवर्सिटी शर्तों के अनुसार कॉलेज भवन का निर्माण हो सके और अध्ययन-अध्यापन का कार्य सुचारू रूप से चल सके।

बृजकिशोर शर्मा

(जयपुर ग्रामीण)

महुवा विधान सभा क्षेत्र के हैण्डपम्प एवं टयूबवैलों को गहरा करने बाबत

महोदय,

विधान सभा क्षेत्र महुवा (दौसा) के लिये माननीय श्री सांवर लाल जाट जलदाय मंत्री एवं माननीया मुख्य मंत्री महोदया का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि मेरे यहां कि हैण्डपम्प/टयूबवैल मांगने पर तत्काल स्वीकृति दी।

मैं, इस सदन के माध्यम से मा. मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में जल स्तर बहुत नीचे चले जाने के कारण अधिकांश हैण्डपम्प/टयूबवैल ने पानी देना बन्द कर दिया है, जिसके कारण क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या भयावह होती जा रही है। ऐसी स्थिति में मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसे हैण्डपम्प/टयूबवैलों की गहराई और अधिक की जावे ताकि पानी उपलब्ध हो सके।

इसी के साथ अब नये स्वीकृत होने वाले हैण्डपम्प/ट्यूबैल की गहराई

जो अब निर्धारित है उसे संशोधित कर 50 से 100 फीट और गहरा करने के लिये निर्देशित करावें ताकि भविष्य में हैण्डपम्पों/ट्यूबवैलों को पानी निरन्तर मिलता रहे।

धन्यवाद।

हरज्ञान सिंह गुर्जर

(महुवा)

पिड़ावा (झालावाड़) में लम्बे समय से संचालित बसों को बन्द कर दिये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा हेतु

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा (झालावाड़) में काफी लम्बे समय से 1. भवानी मण्डी से खण्डवा (म.प्र.) व 2. सुनेल-कोटा दो बसे संचालित थी मगर भवानी मंडी-खण्डवा को लगभग 1 वर्ष पूर्व से व सुनेल-कोटा बस को लगभग 6 माह पूर्व से ही बंद कर दिया गया बार-बार मांग करते रहने पर विभाग द्वारा यही जवाब मिलता है कि उक्त दोनों बसें अनार्थिक है इस लिये इन्हें बंद कर दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय भवानी मंडी से खण्डवा जाने वाली बस मध्यप्रदेश में जाने हेतु सर्वसुलभ मात्र एक ही साधन है जिसके द्वारा इस क्षेत्र के लोग मध्यप्रदेश की रिश्तेदारियों में जाने के लिये। व्यापारी लोग इन्दौर उज्जैन से व्यापार करने हेतु, उज्जैन, औंकारेश्वर आदि तीर्थ स्थानों की यात्रा हेतु इसी बस से यात्रा करते हैं। इतनी बहुउपयोगी बस को केवल अनार्थिक बताकर बन्द कर दिया जाना इस क्षेत्र के लोगों के साथ अन्याय है और।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा ऐसे कितने ही उपक्रम चलाये जाते हैं जिनमें सरकार को घाटा होता है। लेकिन जनता को लाभप्रद होता है। बिजली का ही उदाहरण हम लें तो महंगी बिजली खरीद कर किसानों को सस्ती बिजली सरकार उपलब्ध कराती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह दूसरी बस जो सुनेल से कोटा चलती है यह बस थी किसानों व्यापारियों के लिये अत्यन्त ही उपयोगी है इसे भी अनार्थिक बताकर बन्द कर दिया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सुनेल पिड़ावा क्षेत्र में आवागमन का

एकमात्र साधन बस ही है।

अत: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीया मुख्य मंत्री महोदया और माननीय यातायात मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि चाहे अर्नार्थिक हो जनहित में उक्त दोनों बसों को पुन: संचालित कराये जाने का कष्ट करें।

धन्यवाद।

कन्हैयालाल पाटीदार

(पिड़ावा)

लोसल स्थित श्री डेडराज खेतान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को महाविद्यालय बनाये जाने के संबंध में

महोदय

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के तहत मैं राज्य सरकार एवं माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान जिला सीकर के लोसल कस्बे में शिक्षा की व्यवस्था बाबत आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि लोसल कस्बे में करीब दस सीनियर सैकण्डरी स्कूल हैं जहां करीब पन्द्रह हजार से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आस-पास कहीं पर भी राजकीय महाविद्यालय नहीं होने से इन छात्र-छात्राओं को सीकर अथवा डीडवाना ही उच्च शिक्षा के अध्ययन हेतु जाना पड़ता है। गरीब तबके के छात्रों एवं विशेषकर ग्रामीण परिवेश में पली-बढ़ी छात्राओं के लिए इतनी दूर जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना आर्थिक दृष्टि के साथ-साथ सामाजिक दृष्टिकोण के हिसाब से भी नामुमकिन नहीं, तो कठिन अवश्य ही है। लोसल स्थित श्री डेडराज खेतान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन महाविद्यालय बनने की सारी शर्तें पूर्ण करता है, उक्त विद्यालय में दो बडे हाल, 24 कक्षा कक्ष, तीन प्रयोगशालाएं, छह प्रशासनिक एवं अन्य भवन समुचित सुविधाओं युक्त मौजूद हैं, साथ ही पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था है। आसपास के ग्रामीण इलाके के छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय बन जाने से अत्यन्त ही सुविधाजनक रहेगा। दानदाता ने भी कॉलेज स्वीकृत करने पर पृथक से भी कॉलेज भवन का निर्माण करवाने का आश्वासन दे रखा है। ऐसी स्थिति में जनहित में मेरा आपसे पुरजोर शब्दों में अनुरोध है कि लोसल स्थित उक्त श्री डेडराज खेतान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को महाविद्यालय के रूप में संचालित करने के आदेश जारी करवाने की कृपा करें ताकि

छात्र-छात्राओं के साथ ही उनके परिजनों को भी राहत मिल सके।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि लोसल शहर से तीस किलोमीटर की परिधि में कोई भी प्रवेशिका स्तर का संस्कृत विद्यालय नहीं होने से राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कत विद्यालय, लोसल में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को या तो मजबूरी में पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है अथवा जो समर्थ व्यक्ति हैं वे अपने बच्चों को अन्यत्र बाहर पढ़ने हेतु भेजते हैं। उक्त संस्कृत उच्च प्राथमिक विद्यालय धोद विधान सभा क्षेत्र का एकमात्र उच्च प्राथमिक स्तर का संस्कृत स्कूल है जहां पर पांच सौ के लगभग छात्र अध्ययनरत हैं परन्तु इतनी अधिक संख्या छात्रों की होने के बावजूद प्रवेशिका स्तर का विद्यालय नहीं होने से सामान्य शिक्षा की ओर छात्रों का जाना उनकी मजबूरी है। आम नागरिक को संस्कृत शिक्षा सुलभ करवाना राज्य सरकार की नीति भी है अतः मेरी पुरजोर शब्दों में सरकार एवं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से मांग है कि लोसल स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय को प्रवेशिका स्तर पर क्रमोन्नत करने के आदेश जारी करवाकर इसी आने वाले सत्र से छात्र-छात्राओं को राहत प्रदान करायें।

धन्यवाद, जय हिन्द।

के. डी. बाबर

(लक्ष्मणगढ़)

आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा मूलरूप से प्रस्तावित कार्यों को नहीं कराने के संबंध में

महोदय,

राजस्थान के सभी सम्भागीय मुख्यालयों पर कच्ची बस्तियों के आधारभूत ढांचे के सुधार हेतु आर.यू.आई.डी.पी. ने जो मूल योजना बनाई थी इसी परियोजना में सम्भागीय मुख्यालयों की सड़कों के निर्माण, सीवरेज पद्धति हेतु रेल के फाटकों की समस्या का निराकरण, राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों से संबंधित अस्पतालों हेतु तथा सम्भागीय मुख्यालयों की विभिन्न शहरी चिकित्सालयों व सेटेलाईट अस्पतालों में विभिन्न शहरी चिकित्सालयों व सेटेलाईट अस्पतलों में विभिन्न कार्यों हेतु 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।

उपरोक्त 60 करोड़ रुपये में से सवा चार वर्ष पूर्व जो राशि व्यय हो गई। वह उपयोग में आ गई किन्तु उसके बाद उक्त राशि का उपयोग किन्हीं

और कार्यों में हुआ जिससे राज्य के विभिन्न बड़े अस्पतालों का विकास रूक गया। इसके लिये कौन जिम्मेदार है। कांग्रेस के शासन काल में बीकानेर शहर के लिये लगभग 213 करोड़ रुपये की योजना मंजूर हुई थी जिसमें सूरसागर की समस्या का समाधान, सीवरेज सिस्टम, शोभासर का जलाशय एवं फिल्टर संयंत्र तथा 9 करोड़ रुपये कच्ची बस्तियों के विकास हेतु तथा 9 करोड़ रुपये पी बी एम अस्पताल, बीकानेर व सेटेलाइट अस्पताल के विकास हेतु तथा 61.12 करोड़ रुपये की लागत से बीकानेर शहर के रेलवे फाटकों की समस्या का समाधान हेतु रेल बाइपास के निर्माण हेतु स्वीकृत किया गया तथा 22 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों का निर्माण कार्य हाथ में लिया जाना था। रेल बाइपास हेतु जमीन का अधिग्रहण भी कर लिया गया किन्तु उपरोक्त 100 करोड़ रुपये के कार्य नहीं करवायें गये जिसके कारण बीकानेर के नागरिकों में भारी रोष व्याप्त है। रेलवे बाइपास का कार्य कब तक शुरू कराया जायेगा? इस संबंध में सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डल को राज्य की मुख्य मंत्रीजी ने भी आश्वासन दिया था कि रेल बाइपास बनवाया जायेगा किन्तु बीकानेर शहर के विकास से संबंधित लगभग 100 करोड़ रुपया आर.यू.आई.डी.पी. का जो कार्य कांग्रेस के राज में स्वीकृत हुआ था वह अन्यत्र लगाया जा रहा है। राज्य के अन्य सम्भागीय मुख्यालयों की कच्ची बस्तियों एवं अस्पतालों के विकास से संबंधित बजट भी अन्यत्र उपयोग में लाया गया है जिसके कारण राज्य के उक्त संभागों के निवासियों में भारी रोष है।

अजमेर सम्भागीय मुख्यालय के लिये भी जो कार्य प्रस्तावित थे उसमें से लगभग 70 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीवरेज हेतु स्वीकृत कार्य में से बचाकर अन्यत्र व्यय की गई।

माननीय स्वायत्त शासन राज्य मंत्री स्पष्ट करें कि बीकानेर का रेल बाइपास कब तक बनवा दिया जायेगा? नहीं तो क्यों नहीं? क्या राज्य के वर्तमान मुख्य सचिवजी के द्वारा इस संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें रेलवे बाइपास को बनाने की अभिशंषा की गई थी? फिर किस कारण से बीकानेर की जनता के साथ अन्याय किया जा रहा है। राज्य सरकार ने उक्त 100 करोड़ रुपयों का उपयोग किन-किन कार्यों पर किया है? क्या भविष्य में बीकानेर रेल बाइपास हेतु पूर्व में स्वीकृत 61.12 करोड 22 करोड़ की सड़कें, 9 करोड़ रुपये कच्ची बस्तियों हेतु तथा 9 करोड़ रुपये राज. पी. वी. एम. अस्पताल बीकानेर के विकास हेतु व्यय करने हेतु उचित निर्देश देगी? नहीं तो क्यों नहीं। इन 100 करोड़ रुपयों को अन्यत्र व्यय करने से बीकानेर

शहरवासियों के रोष को सरकार कैसे कम करेगी? अतएव प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत आज प्रस्ताव पर बोलने की अनुमतति प्रदान करने का श्रम करें।

सधन्यवाद।

डा. बी. डी. कल्ला

(बीकानेर)

जोधपुर जिले के 600 गांवों में पानी की किल्तत होने एवं इसके लिये 67 आपातकालीन योजनाएं बनाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में

महोदय,

जोधपुर जिले का अधिकांश भाग मरू क्षेत्र है जिसकी वजह से यहां पानी का अभाव हैं। यहां के 600 गांवों में भू-जल स्तर नीचे जाने से पेयजल स्त्रोत सूख गये है। ग्रामीणों को पीने के पानी के लिये दर-दर भटकना पड़ रहा है। जलदाय विभाग की लचर कार्यशैली के चलते जिले फलौदी, ओसियां व भोपालगढ़ के गांवों के ग्रामवासी काफी समय से पेयजल समस्या से त्रस्त हैं। विभाग को इसकी जानकारी होने के बावजूद कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई है। पेयजल समस्या के समाधान हेतु विभाग द्वारा जो आपातकालीन योजनाएं बनाई गई हैं वे भी मात्र 67 गांवों के लिये ही हैं। इस प्रकार 540 गांवों को पेयजल से महरूम रखा जा रहा है। जो स्वीकृत परियोजनाएं हैं उन्हें भी बजट के अनुरूप राशि आबंटित नहीं करने, स्वीकृत बजट को अन्यत्र खर्च किये जाने से परियोजनाओं का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। नीचे लिखी कुछ योजनाएं इसका उदाहरण हैं जैसे 1. इन्द्रका माणकलाव, खागटा 2. जम्बा घटियाली, वूगडी 3. मोरिया-आऊ-चम्पासर 4. इन्द्रका-माणकलाव-दांतीवाडा 5. तिवरी-ओसियां-भोपालगढ़।

113 गांवों के लिये बनी 325 करोड़ की तिवरी-ओसियां-भोपालगढ़ योजना पर सिर्फ सर्वे के लिये 8 करोड़ रुपये व्यय कर दिये और फिर बजट आबंटन नहीं होने से योजना का क्या हश्र होगा। जब उक्त परियोजनाएं स्वीकृत की गई तो इनके लिये समय पर बजट आवंटित किया जाना चाहिए और यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कार्य समय पर पूर्ण हो।

विभाग द्वारा इनके लिये निविदाएं पैकेज भी स्वीकृत किये गये किन्तु जिन ठेकेदारों को कार्य स्वीकृत हुआ उस पर कार्य आरम्भ नहीं हुआ। अब

संसाधन के अभाव में पेयजल परियोजनाएं धूल चाट रही हैं और मात्र कागजों की शोभा बढ़ा रही हैं। सरकार द्वारा घोषणाएं तो बहुत की जा रही हैं लेकिन बजट राशि कुछ भी नहीं दी जा रही है। यह प्रचारित किया जा रहा है कि हर घर, हर गांव में अलख जगाये परन्तु कार्य बिलकुल विपरीत कर रहे हैं।

माननीय मंत्रीजी यह बतायें कि कितने गांवों को Source उपलब्ध कराये? कितनी ढाणियों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया गया? मुझे बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बुनियादी सुविधा से ग्रामीणों को वंचित रखा जा रहा है। इसके लिये कोई कार्य योजना क्यों नहीं बनाई? और बनाई वहां कार्य शुरू नहीं हुआ है। इसके लिये पूरा प्रशासनिक तंत्र जिम्मेदार है। माननीय मंत्री महोदय एवं जलदाय विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली से ग्रामीण जनता में भारी असन्तोष है। ऐसा लगता है कि विभाग द्वारा जानबूझकर सोची-समझी रणनीति के तहत ग्रामीणों के साथ अन्याय किया जा रहा है। मेरा आग्रह है कि पेयजल सबसे गम्भीर समस्या है और इसका कोई अन्य विकल्प भी नहीं है अत: पीने का पानी उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए इसके लिये प्राथमिकता से संसाधन उपलब्ध करवाये जाएं ताकि समय पर परियोजनाओं का कार्य प्रारम्भ हो।

अत: मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्तुत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से जोधपुर जिले के 600 गांवों में उत्पन्न पेयजल संकट की ओर माननीय जलदाय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महीपाल मदरेणा
(भोपालगढ़)